



वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008



सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार



इस्पात मंत्रालय


वार्षिक रिपोर्ट

2007-08

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ
I	विशेष उपलब्धियां	04
II	विगत 60 वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र का विकास	10
III	इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप	17
IV	सार्वजनिक क्षेत्र	22
V	निजी क्षेत्र	37
VI	अनुसंधान एवं विकास	46
VII	ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन	55
VIII	सूचना टेक्नोलॉजी का विकास	72
IX	सुरक्षा	79
X	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	82
XI	सतर्कता	90
XII	परिवेदना निवारण तंत्र	95
XIII	निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	98
XIV	हिन्दी का प्रगामी उपयोग	106
XV	महिला सशक्तिकरण	110
XVI	नवीन पहल/ अभिनव योजनाएं	114
XVII	मान्यता एवं पुरस्कार	128
XVIII	इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन	132
XIX	निगमित सामाजिक दायित्व	135
XX	इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थान	144
XXI	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	148
XXII	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास	150
अनुलग्नक		152-164



नई दिल्ली में 26-27 मार्च, 2007 को आयोजित स्टील समिट-2007 में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान और माननीय इस्पात राज्य मंत्री डॉ. अखिलेश दास की गरिमामयी उपस्थिति रही। चित्र में सचिव (इस्पात) श्री आर. एस. पाण्डेय, सेल अध्यक्ष श्री एस. के. रूंगटा और प्रबंध निदेशक टाटा स्टील श्री बी. मुत्थुरमन भी उपस्थित हैं।



अध्याय - I

विशेष उपलब्धियां

इस्पात क्षेत्र के रुझान

- भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का निर्माता हो गया है जबकि पिछले वर्ष यह 8वें स्थान पर था। भारत 2015-से पहले विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बनने को तैयार है।
- भारत ने विश्व में सबसे बड़े डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन या स्पंज लोहे के उत्पादन में अपनी अग्रणी स्थिति कायम रखी है।
- देश में वर्ष 2011-12 तक लगभग 124 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की संभावना है।
- विभिन्न राज्यों में 5.15 लाख करोड़ की अनुमानित लागत से लगभग 243 मिलियन टन क्षमता के लिए 194 सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये। प्रमुख निवेश योजनाएं, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में हैं।
- तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत और निर्यात में अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 6.6%, 12.3% और 9.1% वृद्धि हुई।
- तैयार इस्पात (एलॉय एवं नॉन-एलॉय) और कच्चे इस्पात के उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात से जुड़े आंकड़े वर्ष 2002-03 से आगे निम्नलिखित तालिका में दिए गये हैं:

(मिलियन टन में)

		2002 - 03	2003 - 04	2004 - 05	2005 - 06	2006 - 07	2007 - 08* (अप्रैल-दिसम्बर)
एलॉय इस्पात समेत तैयार इस्पात	उत्पादन	37.166	40.709	43.513	46.566	52.529	40.117
	खपत	30.677	33.119	36.377	41.433	46.783	36.992
	आयात	1.663	1.753	2.293	4.305	4.927	5.325
	निर्यात	4.517	5.207	4.705	4.801	5.242	3.850
कच्चा इस्पात	उत्पादन	34.707	38.727	43.437	46.460	50.817	39.608

*अनंतिम

इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान की गई प्रमुख पहल

- देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी, मदद एवं तेजी से कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए एक अंतः मंत्रालय ग्रुप (आईएमजी) का गठन किया गया।
- इस्पात कीमतों में बदलाव से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी रखने और उद्योग को अपनी उत्पाद-शृंखला के साथ-साथ दीर्घकालीन क्षमता विस्तार के बारे में निश्चय करने में सलाह देने के लिए एक इस्पात कीमत निगरानी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जनवरी, मार्च, जून और अक्टूबर 2007 में चार बैठकें बुलाई।
- विश्व औसत 150 किग्रा. इस्पात खपत और विकसित देशों के 400 किग्रा. के विपरीत देश में वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत महज लगभग 46 किग्रा. है (2006)। विवेच्य वर्ष के दौरान देश में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान जोर-शोर से चलाये गये।

- सभी प्रमुख/बड़े इस्पात निर्माताओं के धन से वर्चुअल मोड में स्थापित किये जाने वाले इस्पात अनुसंधान एवं विकास मिशन (एसआरडीएम) का प्रारंभिक कार्य पूर्ण हुआ।
- लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में 22.26 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी, खड़गपुर में इस्पात टेक्नोलॉजी केन्द्र मंजूर किया गया।
- स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के तहत पहल - भारत में लौह और इस्पात कारखानों के 58 प्रस्तावों को मेजबान देश की मंजूरी (एचसीए) दी गई, जिसके फलस्वरूप 66 मिलियन टन कार्बनडाई-ऑक्साइड के बराबर ग्रीनहाउस गैस रोकने में मदद मिलेगी।
- स्वच्छ विकास एवं मौसम पर एशिया प्रशांत साझेदारी (एपीपीसीडीसी) के तहत सेल के राउरकेला इस्पात कारखाने को चुना गया है। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण-अनुकूल टेक्नोलॉजियों में अंतराल की पहचान करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने का अध्ययन करने के ध्येय से जापान से एक कार्यदल 14-17 जनवरी, 2008 के दौरान भारत दौरे पर आया।
- पंचवर्षीय योजना में इस्पात क्षेत्र के लिए 118 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ "लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन योजना" नामक एक नई योजना शामिल की गई।
- उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 12 नवम्बर, 2007 को 17 चुनिंदा इस्पात उत्पादों के लिए जारी किया गया, जिसके तहत 12 मई, 2008 के बाद निम्न-स्तरीय उत्पादों का उत्पादन, विक्रय या वितरण और भंडारण एक अपराध होगा।
- लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग करते हुए लौह अयस्क पेलेटाइजेशन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर, 2007 में लौह अयस्क बेनिफिसियेशन और पेलेटाइजेशन पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के विशेष संदर्भ में इस्पात क्षमताओं में प्रस्तावित विस्तार हेतु बुनियादी सुविधाओं कि पर्याप्तता पर एक अध्ययन पूर्ण किया गया।
- आर्थिक अनुसंधान इकाई, इस्पात मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 में "भारत में लौह अयस्क चूर्ण के उपयोग" पर एक चर्चा पत्र निकाला गया।
- भारतीय रेल की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए - इस्पात उद्योग, इस्पात मंत्रालय और रेल बोर्ड के प्रतिनिधियों से युक्त समन्वय समिति का गठन किया गया।
- क्षमता और उत्पादन आंकड़ों का स्टीक अनुमान लगाने के लिए, इस्पात क्षेत्र डाटा में सुधार किया गया और इन सुधार गतिविधियों के आधार पर वर्ष के दौरान मौजूदा डाटाबेस को अद्यतन किया गया।

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कंपनियों का कार्य निष्पादन


मंत्रालय के अधीन कंपनियों का कर-पूर्व लाभ, वर्ष 2004-05 में कुल मिलाकर लगभग 14,322 करोड़ रुपये से 2006-07 से बढ़कर लगभग तीन गुना 15,566 करोड़ रुपये हुआ। इन कंपनियों का 2007-08 की तीसरी तिमाही तक कार्य निष्पादन के तहत कर-पूर्व लाभ कुल मिलाकर 13,655 करोड़ रुपये हुआ।

उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, निगमित कर, विक्रय कर रायल्टी, इत्यादि के जरिये केन्द्र और राज्य सरकार कोषों में 84% की बढ़ोतरी के साथ यह 2004-05 में 8,978 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006-07 में 16,475 करोड़ रुपये हो गया है और 2007-08 की तीसरी तिमाही तक यह आंकड़ा 12,596 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में प्रमुख पहल

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। इन विस्तार योजनाओं से सेल की वार्षिक उत्पादन क्षमता 14.6 मिलियन टन तप्त धातु से 2010 तक 53,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 26 मिलियन टन तप्त धातु हो जायेगी।
- आरआईएनएल के मामले में इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन तप्त धातु से 2009-10 तक 9,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6.3 मिलियन टन तप्त धातु हो जायेगी।





- इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विलय के विभिन्न प्रस्तावों के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों का अधिग्रहण चल रहा है। कुद्रेमुख आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (किस्को) का कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) में विलय पूर्ण हो गया है जबकि निम्न की प्रक्रिया चल रही है:
 - सेल द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) का अधिग्रहण एवं विलय।
 - सेल द्वारा नेशनल आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (निस्को) का अधिग्रहण।
 - महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एमईएल) का सेल के साथ विलय।
 - भारत रिफ़ैक्टरीज़ लिमिटेड (बीआरएल) का सेल के साथ विलय।
 - सेल द्वारा स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, कालीकट, केरल का अधिग्रहण।
 - स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड का एनएमडीसी के साथ विलय।
- पूर्व इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के अंग कुल्टी वर्क्स को दिसम्बर, 2007 में पुनर्जीवित किया गया और नया नाम “सेल विकास वर्क्स” दिया गया।
- मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष के दौरान इंटीग्रेटी पैकट कार्यान्वित किया - यह सभी प्रमुख खरीददारियों और ठेकों के लिए बोलीकर्ताओं/ विक्रेताओं के साथ खरीद और ठेकों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रविधि है।
- 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों - सेल, एनएमडीसी, मॉयल, एमएसटीसी, केआईओसीएल, मेकॉन, एचएससीएल, एफएसएनएल और बीआरएल ने सितम्बर, 2007 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इन सहमति-पत्रों का उद्देश्य इंटीग्रेटी पैकट के कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधारना है। आरआईएनएल ने मार्च, 2007 में पहले ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे। इन सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर के साथ इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इंटीग्रेटी पैकट के तहत लाया गया है।
- विदेशों में मैटलर्जिकल कोयला और थर्मल कोयला परिसंपत्तियों की प्राप्ति - सेल, आरआईएनएल, सीआईएल, एनटीपीसी और एनएमडीसी ने स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) हेतु 3 अगस्त, 2007 को एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। सरकार ने इस प्रस्ताव को 8 नवम्बर, 2007 को मंजूरी दी। इस एसपीवी को “कोल वेंचर्स इंटरनेशनल (सीवीआई)” नाम दिया गया।
- आम आदमी तक इस्पात मर्दे पहुंचाने के लिए सेल और आरआईएनएल अपना वितरण नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। सेल के देशभर में 1 अप्रैल, 2007 को 653 डीलरों के मुकाबले अब 603 जिलों में 1564 डीलर हैं (325 अनु-जाति, 122 अनु-जन जाति, 211 अन्य पिछड़ा वर्ग, 906 सामान्य)। इनमें 42% डीलर अनु-जाति/अनु-जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। आरआईएनएल ने छोटे उपभोक्ताओं की जरूरत पूरा करने के लिए 131 जिला स्तरीय डीलरों की नियुक्ति की है। वर्ष 2007-08 के दौरान 83 और जिलों एवं 2008-09 में 394 जिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है।
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2007-08 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ किये गये सहमति-पत्रों में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में चिन्हित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पर्यावरण की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक संवर्धन, परिधिय विकास, परिवार कल्याण, सामाजिक पहल और अन्य उपायों पर बल देती हुई सीएसआर गतिविधियां चल रही हैं।
- मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सीएसआर के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है और अपने वितरण योग्य अधिशेष का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने 2007-08 के लिए लगभग कुल 230 करोड़ रुपये सीएसआर बजट आवंटित किया है और इनमें से प्रमुख योगदान सेल (100 करोड़ रुपये), आरआईएनएल (34 करोड़ रुपये) और एनएमडीसी (89 करोड़ रुपये) से आया है।
- उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ से आई विपदा के मद्देनज़र, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने बाढ़ पीड़ित इन राज्यों में तुरंत राहत अभियान चलाये। सेल, एनएमडीसी और आरआईएनएल ने बाढ़ राहत उपायों के लिए क्रमशः 5 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये का योगदान किया।
- मंत्रालय ने सभी प्रमुख उत्पादकों को अपने कारखानों के आस-पास के गांवों को अपनाने और इन गांवों को अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत आदर्श इस्पात ग्रामों के रूप में विकसित करने का आग्रह किया। मॉडल इस्पात ग्रामों के रूप में 129 गांवों को विकसित किया जा रहा है।
- स्टोरेज बिंस, बुलॉक कार्ट्स, स्कूल भवन, पंचायत हॉल, स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग, वाटर टैंक, वेटिंग शेड्स इत्यादि जैसे निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान, सेल ने 30,025.76 करोड़ रुपये का करोबार दर्ज किया, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 2,370 करोड़ रुपये अधिक है।
- निरंतर लाभ कमाने का अभियान जारी रखते हुए, 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान 5160.02 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ कमाया, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 859.61 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) में 10,756 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 11.4% अधिक है।
- 2,922 करोड़ रुपये का कर पूर्व-लाभ भी किसी भी तीसरी तिमाही से अधिक है और विगत वर्ष की इसी अवधि के 2,234 करोड़ रुपये की अपेक्षा 31% अधिक है।
- कंपनी के शेयरधारकों को, 19% की बढ़ी हुई दर से लगातार चौथे वर्ष लाभांश, जो 784.78 करोड़ रुपये है और कंपनी द्वारा दिये गये अंतरिम लाभांश में अब तक का सर्वाधिक है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 की अवधि में अब तक का सर्वोच्च 5,160 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% अधिक है।
- तीसरी तिमाही में ऋणों में पुनः 413 करोड़ रुपये की कमी हुई और 31 दिसम्बर, 2007 को ऋण 2,792 करोड़ रुपये थे। इसके साथ, सेल का ऋण-इक्विटी अनुपात तीसरी तिमाही के अंत में अब तक के न्यूनतम स्तर 0.13:1 पहुंच गया।
- वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान सेल ने तप्त धातु, कच्चे इस्पात और विक्रेय इस्पात का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन किया:
 - 11.31 मिलियन टन तप्त धातु, विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 5% की वृद्धि।
 - 10.38 मिलियन टन कच्चा इस्पात, विगत वर्ष का इसी अवधि की अपेक्षा 4% की वृद्धि।
 - 9.6 मिलियन टन विक्रेय इस्पात, विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 3% की वृद्धि।
- 7.95 मिलियन टन तैयार इस्पात का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन जो विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 5% अधिक है। विवेच्य अवधि में अप्रैल-दिसम्बर, 2006 की तुलना में बार्स और राउंड्स में 29% मीडियम स्ट्रक्चरल में 10% रेल में 5% व्हील और एक्सल में 5%, कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ऑरियेंटेड (सीआरएनओ) में 5%, और प्लेट्स में 14% की वृद्धि हुई।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 में अब तक का सर्वोच्च 2.77 मिलियन टन मूल्य संवर्धित इस्पात का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 20% की वृद्धि है।
- सेल के कारखानों ने 2007-08 की तीसरी तिमाही में 121% औसत क्षमता उपयोग करते हुए प्रचालन किया और रिकार्ड 3.4 मिलियन टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह दर 112% थी।
- तिमाही में पहली बार, विशेष इस्पात एवं मूल्य संवर्धित मदों का उत्पादन 1 मिलियन टन से अधिक हुआ, जो 30% की वृद्धि है।
- समुद्र तटीय क्षेत्रों हेतु उच्च जंगरोधी टीएमटी बार्स (326%), लिक्वेफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीपी) ग्रेड स्टील (24%), टीएमटी बार्स (32%), प्लेट्स (18%), मीडियम स्ट्रक्चरल्स (11%), 90 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ (यूटीएस) रेल्स (13%), व्हील्स और एक्सल्स (6%), सीआरएनओ (5%), इत्यादि जैसे उत्पादों में भारी वृद्धि दर्ज की गई। सेल ने तीसरी तिमाही में 3 मिलियन टन का घरेलू विक्रेय का रिकार्ड भी दर्ज किया।

तकनीकी-आर्थिक मानक

- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान तकनीकी-आर्थिक मानकों में सुधार:
 - अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान कोक दर विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 1% गिरकर 537 किग्रा/प्रति टन तप्त धातु।
 - अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान ऊर्जा खपत विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 2% गिरकर 7.04 गीगा कैलरीज रह गई।
- तीसरी तिमाही में अब तक की सर्वाधिक 224 टन/ प्रति व्यक्ति/ वर्ष श्रम उत्पादकता प्राप्त की गई, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि में यह 206/ प्रति व्यक्ति/ वर्ष थी।



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- कंपनी ने वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान अर्नातिम आंकड़ों के आधार पर, 1,248 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान 6,766 करोड़ रुपये का विक्रय करते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 10% की वृद्धि दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान घरेलू बाजार में 6,441 करोड़ रुपये का विक्रय एवं 325 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ।

एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी को 23 जनवरी, 2008 के दिन भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया।
- एनएमडीसी बाजार पूंजीकरण के जरिये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होने वाली सर्वोच्च दस कंपनियों में से एक हो गई है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 की अवधि में कारोबार में विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 35% की वृद्धि हुई।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन एवं विक्रय विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 12.5% और 13.6% बढ़ा।
- कंपनी ने सरकार को लाभांश का भुगतान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 24% अधिक किया।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 की अवधि में ऊर्जा खपत में विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 3% की गिरावट आई।
- कंपनी ने वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान 20.10 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 17.86 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था।
- लौह अयस्क की घरेलू बिक्री 17.07 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 15.71 मिलियन टन की बिक्री की गई थी।
- कंपनी ने अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान 692 करोड़ रुपए अनुमानित मूल्य के 2.79 मिलियन टन लौह अयस्क का जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 430 करोड़ रुपए मूल्य के 1.78 मिलियन टन का निर्यात किया गया था।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान कंपनी ने कुल विक्रय 19.86 मिलियन टन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 17.49 मिलियन टन विक्रय हुआ था।

मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन 9,40,185 टन हुआ जो पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 34% अधिक है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 में विक्रय कारोबार 491.90 करोड़ रुपये था, जो विगत वर्ष का इसी अवधि के मुकाबले 67% अधिक है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान कर पूर्व लाभ 311.32 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 158% अधिक है।
- जनवरी, 2008 में, मॉयल ने अपनी 28 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी पर, 2007-08 के लिए 130% अंतरिम लाभांश घोषित किया। कुल अंतरिम लाभांश 36.40 करोड़ रुपये था। इसमें से 29.69 करोड़ रुपये अंतरिम लाभांश केन्द्र सरकार को दिया गया क्योंकि भारत सरकार के पास मॉयल के 81.57% शेयर हैं।
- अक्टूबर, 2007 के दौरान 5 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक एकीकृत मैंगनीज़ बेनीफिसियेशन प्लांट चालू किया गया।
- मध्य प्रदेश में 15.2 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना का काम चल रहा है। कुल 19 पवन ऊर्जा जनरेटर्स (डब्ल्यू ई जी) में से 4 चालू हो गये हैं और ग्रिड से जोड़ दिये गये हैं और आशा है कि सभी डब्ल्यू ई जी की पूर्णतः स्थापना एवं मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एमपीईबी) की ग्रिड से जोड़ने का काम मार्च, 2008 तक पूरा हो जायेगा।

एमएसटीसी लिमिटेड

- वर्ष 2007-08 के दौरान एमएसटीसी को अनुसूची-बी कंपनी में पदोन्नत कर दिया गया है।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 में एमएसटीसी के कुल व्यवसाय की मात्रा 6583.74 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 4676.97 करोड़ रुपये थी।
- वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर 2007 तक, एमएसटीसी का कारोबार 2567.08 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 2170.48 करोड़ रुपये थी।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 तक कम्पनी का कर पूर्व लाभ 57.92 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 45.50 करोड़ रुपये थी।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- वित्त वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही तक सकल कारोबार में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 59 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई - 20% की वृद्धि।
- वित्त वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही तक प्रचालन लाभ में विगत वर्ष की इसी अवधि के प्रचालन लाभ 15.56 करोड़ रु. की अपेक्षा 23.43 करोड़ रुपये हुआ- 7.87 करोड़ रुपये की वृद्धि (50%)।
- कंपनी की 17 यूनिटों में से 15 यूनिटों ने 2007-08 की तीसरी तिमाही तक प्रचालन लाभ (ब्याज, मूल्यहास एवं कर पूर्व लाभ) कमाया।

मेकॉन लिमिटेड

- वर्ष 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) मेकॉन ने 331.56 करोड़ रुपए मूल्य के इंजीनियरी एवं परामर्शदात्री सौदे प्राप्त किये और 631.68 करोड़ रुपए का टर्नकी/ (लगाने-चलाने) बिजनेस लिया।

भारत रिफ़्रैक्टरीज़ लिमिटेड (बीआरएल)

- बीआरएल के भिलाई रिफ़्रैक्टरीज़ प्लांट ने पहली बार उच्च एल्युमिना ब्रिक्स का उत्पादन एवं आपूर्ति की है।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)


- वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान क्षमता का 76% उपयोग करते हुए 33,583 टन स्पंज लोहे हुआ।
- वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान 11285 रुपये/ प्रति टन स्पंज लोहे की औसत विक्रय वसूली की।
- वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) के दौरान 37.11 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार किया गया।
- दिसम्बर 2007 तक 7.55 करोड़ रुपये का प्रचालन लाभ हुआ।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने अपने दिनांक 18.06.2007 और 18.07.2007 के आदेशों के तहत 01.04.2007 प्रभावी तिथि से कुद्रेमुख आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (किस्को) का कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) के साथ विलय करने के लिए मंजूरी दे दी है। किस्को का केआईओसीएल के साथ विलय हो गया है और यह केआईओसीएल की ब्लास्ट फर्नेस यूनिट कहलायेगी।

- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान, कंपनी ने 56.11 करोड़ रुपये का कर-पूर्व शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो इस अवधि के लिए निश्चित लक्ष्य 33.86 करोड़ रुपये से अधिक है।
- केआईओसीएल के पेलेट प्लांट ने उत्पादन में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 420% वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त अवधि के लिए सकल मार्जिन लक्ष्य का 144% भी प्राप्त किया, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 274% की वृद्धि है।





अध्याय - II

विगत साठ वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र का विकास

सन् 1947 में आज़ादी के वक्त, भारत में मात्र तीन इस्पात कारखानें - टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी और विश्वेश्वराराय आयरन एण्ड स्टील और कुछ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पर आधारित कारखानें थे। सन् 1947 तक देश छोटे परन्तु एक जीवंत इस्पात उद्योग का साक्षी रहा है। उस समय लगभग 1 मिलियन टन क्षमता के साथ इस्पात उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में था। आज़ादी के वक्त एक मिलियन टन की एक छोटी शुरुआत के साथ, भारत आज विश्व में कच्चे इस्पात का पांचवां सबसे बड़ा और स्पंज लोहे का सबसे बड़ा निर्माता है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार, लौह और इस्पात उद्योग का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान लगभग 2% है, जिसका मूल्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 6.2% है। विश्व में अपनी नाम-मात्र की उपस्थिति से शुरू कर भारतीय इस्पात उद्योग अब अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इसका परिचय बढ़ते हुए निर्यात और भारतीय कंपनियों द्वारा विश्व में विलय एवं अधिग्रहण बाज़ार में अपनी स्पष्ट छाप से मिलता है।

विगत 60 वर्षों के दौरान एक लम्बा सफ़र तय करते हुए भारतीय इस्पात उद्योग ने अपने व्यापार में बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं। इस्पात उद्योग के लिए पहला प्रमुख परिवर्तन प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952-1970) के दौरान आया जब उस समय के आर्थिक हालात के अनुसार लौह और इस्पात उद्योग को सरकार के नियंत्रण में रखा गया। अतः 50 के दशक के मध्य से 70



सेल उत्पादन का 50वां वर्ष मना रहा है। स्वर्ण जयंती समारोह के शुभारंभ पर आयोजित उद्घाटन समारोह में माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान के साथ अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री बी. एस. मीना, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय श्री इलियास जॉर्ज अध्यक्ष "सेल" श्री एस.के.रूंगटा और निदेशक (कार्मिक) "सेल" श्री गणतंत्र ओझा ।

के दशक के शुरुआत में सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना की। इन वर्षों में इस्पात उद्योग निम्नलिखित नीतियों के अंतर्गत कार्य कर रहा था:

- क्षमता नियंत्रण उपाय: क्षमता का लाइसेंसिकरण, बड़े पैमाने की क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के लिए सुरक्षित थी।
- दोहरी कीमत प्रणाली : निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में एकीकृत बड़े पैमाने के उत्पादकों के लिए कीमत एवं नियंत्रण प्रणाली, जबकि शेष उद्योग मुक्त बाज़ार में काम कर रहा था।
- मात्रा की दृष्टि से पारबंदिया एवं उच्च टेरिफ बेरियर्स।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए समान रेल भाड़े की नीति।
- टेक्नोलॉजी, पूंजीगत सामान, धन जुटाने एवं निर्यात समेत, कच्चे माल के आयात पर नियंत्रण।

इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षमता सृजन से भारत ने विश्व में कच्चे इस्पात का दसवां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता होने का श्रेय प्राप्त करते हुए सन् 1947 में महज़ एक मिलियन टन क्षमता से एक दशक के अंतराल में लगभग 15 मिलियन टन उत्पादन किया। परन्तु यह प्रवृत्ति 70 के दशक से आगे कायम नहीं रखी जा सकी क्योंकि भारतीय इस्पात उद्योग में आर्थिक मंदी ने विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। फिर भी, 1991-92 में यह दौर पलटा और देश ने भूमंडलीकरण के संदर्भ में आर्थिक नियंत्रण वाली नीतियों को उदारीकरण और विनियंत्रण में बदल डाला। 1990 के दशक के आरम्भ में नई आर्थिक नीति के प्रावधानों ने भारतीय इस्पात उद्योग को अनेक तरीके से प्रभावित किया:

- बड़े पैमाने की क्षमताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए स्थान की सीमाओं के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रथा भी हटा दी गई।
- समग्र पृष्ठभूमि में निजी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दी गई।
- कीमत और वितरण नियंत्रण तंत्र समाप्त कर दिये गये।
- लौह और इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया, जिसका तात्पर्य आम तौर से ऐसे निवेशों को शासित करने वाले विदेशी विनियम और अन्य विनियमों के अधीन 50% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की स्वतः मंजूरी है। इस सीमा को अब बढ़ा कर 100% किया गया है।
- समान भाड़ा योजना को भाड़ा सीलिंग प्रणाली से बदला गया।
- 100% से अधिक उच्च आयात शुल्क दरों को कम कर लगभग औसतन 30% किया गया, जिन्हें अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
- मात्रा की दृष्टि से आयात प्रतिबंधों को व्यापक रूप से हटाया गया। निर्यात प्रतिबंध भी हटा लिये गये।


इसलिए प्रणाली में व्यापक परिवर्तन हुए। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से इस्पात निर्माताओं के सामने विश्व बाज़ार से प्रतियोगी दाम पर अपना कच्चा माल खरीदने और अपने उत्पादों के लिए नये बाज़ार भी प्राप्त करने के नये अवसर मिले। इससे उत्पादन में विश्व प्रचालन/ तकनीकों के बारे में अधिक सूचना भी प्राप्त हो सकी। प्रतिस्पर्धी विश्व बाज़ार के दबाव के साथ-साथ इससे दक्षता बढ़ाने की जरूरत बढ़ी ताकि अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बना जा सके। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ता के सामने विभिन्न उत्पादों में से अपनी पसंद का उत्पाद चुनने की आज़ादी मिली-चाहे, भारत में तैयार हो या आयातित और चुनने की इस आज़ादी ने उपभोक्ता को सर्वोपरि बना दिया और इस्पात निर्माताओं को उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुरूप सेवायें प्रदान करने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से 1992 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ देश में तीव्र गति से इस्पात उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई। एस्सार स्टील, इस्पात इण्डस्ट्रीज़, जिंदल ग्रुप इत्यादि द्वारा बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता का विस्तार किया। संक्षिप्त में इस अवधि के दौरान कुछ उल्लेखनीय कीर्तिमान निम्नवत रहे:

- अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित लगभग 9 मिलियन टन इस्पात क्षमता के सृजन के साथ निजी क्षेत्र का उदय।
- तैयार इस्पात के उत्पादन में भारी वृद्धि : सन् 1992-93 में 16.1 मिलियन टन से बढ़कर 1996-97 में 25.2 मिलियन टन (12% वार्षिक वृद्धि)।
- टेरिफ बेरियर्स में कटौती/ समाप्ति, ट्रेड अकाउंट में रुपये का आंशिक परिवर्तन, विश्व टेक्नोलॉजी की सर्वश्रेष्ठ पद्धति से पहुंच और फलस्वरूप लागत में कटौती - इन सबसे विश्व निर्यात बाज़ार में भारतीय इस्पात की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारतीय इस्पात निर्यात 0.31 मिलियन टन से तेज़ी से बढ़ कर 1992 और 1996 के मध्य लगभग 3 मिलियन टन हो गया । परन्तु आयात लगभग 1-2 मिलियन टन ही रहा जिससे भारत इस्पात का एक शुद्ध निर्यातक हो गया।

सन् 1996-97 के बाद घरेलू आर्थिक विकास दर में भारी गिरावट के चलते भारतीय इस्पात उद्योग की विकास गति धीमी हुई और सभी कार्यनिष्पादन मानकों - क्षमता सृजन, उत्पादन, खपत, निर्यात और कीमत/ लाभप्रदता की दृष्टि से उद्योग औसत से नीचे रहा। विदेशी व्यापार में भारतीय इस्पात पर एंटी डम्पिंग/ सेफगार्ड ड्यूटीज़ भी लगाई गई क्योंकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने नॉन-टेरिफ बेरियर्स लगाये। एशियाई वित्तीय संकट द्वारा हुई आर्थिक क्षति, विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी और इस्पात में नये सक्रिय देशों (पूर्व सोवियत संघ की इस्पात अतिरेक अर्थव्यवस्थायें) द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति की मार नकारात्मक पक्ष थे।

परन्तु वर्ष 2002 से विश्व में उद्योग का कायाकल्प हुआ। इसमें काफी हद तक चीन ने मदद की जिसके शानदार आर्थिक विकास तथा तेज़ी से बढ़ रहे बुनियादी क्षेत्र से इस्पात की मांग में इतनी भारी तेज़ी आई कि उसकी घरेलू आपूर्ति पूरी नहीं की जा सकी। ठीक उसी समय प्रमुख बाज़ारों में तेज़ी आई, जिसके अंतर्गत उत्पादन, कीमतों में बढ़ोत्तरी, लाभप्रदता, नये बाज़ारों का उदय, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति और अंततः विश्व में इस्पात की मांग में बढ़ोत्तरी हुई। भारतीय इस्पात उद्योग के लिए कोई अलग स्थिति





नहीं थी, जिसने अब तक गहन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, घरेलू प्रति व्यक्ति इस्पात खपत बढ़ाने और अन्य बाज़ार विकास परियोजनाओं के उपायों पर बल, आयात प्रतिस्थापना उपायों, निर्यात प्रोत्साहन पर बल और कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए विश्व में नये अवसरों की तलाश पर बल देते हुए अब तक परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर ली थी।

उद्योग का तीव्र गति से विकास और बाज़ार प्रवृत्तियों के लिए कुछ दिशानिर्देश एवं ढांचा जरूरी था। इस तरह से राष्ट्रीय इस्पात नीति का जन्म हुआ जिसका ध्येय भारतीय इस्पात के विकास एवं संवर्धन के लिए एक मार्ग तैयार करना है। इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक आत्मनिर्भर एवं विश्व में प्रतियोगी इस्पात क्षेत्र के ब्लू प्रिंट के रूप में नवम्बर 2005 में राष्ट्रीय इस्पात नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2004-05 में देश में इस्पात उत्पादन को 38 मिलियन टन से बढ़ा कर 2019-20 तक 110 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाना है, जिसके लिए 7.3% की दर से मिश्रित वार्षिक वृद्धि जरूरी है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के दीर्घकालीन लक्ष्य के अंतर्गत भारत को विश्व में एक आधुनिक एवं सक्षम इस्पात उद्योग बनाया जाना है जो विविध क्षेत्रों की इस्पात की मांग को पूरा करेगा। इस नीति के अंतर्गत दक्षता के विश्वस्तरीय बेंचमार्क और उत्पादकता की दृष्टि से विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा



भिलाई इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के उपलक्ष्य में 9 फरवरी, 2008 को आयोजित समारोह के अवसर पर माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान और उनके साथ उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति। चित्र में सांसद श्री रामचन्द्र पासवान, "सेल" अध्यक्ष श्री एस.के. रूंगटा तथा उर्वरक एवं इस्पात सचिव डॉ. सरमा भी उपस्थित हैं।

प्राप्त की जानी है। इस राष्ट्रीय नीति में प्रक्रियागत और नीतिगत बाधाओं को दूर करने में मदद की गई है, जो उत्पादन के कच्चे माल की उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश और सड़क, रेल और बंदरगाह से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को प्रभावित करता हो। इस नीति के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र पर बल दिया गया है। परन्तु इसमें इस्पात उद्योग को घरेलू खपत की तुलना में तेज़ी से बढ़ने की परिकल्पना की गई है, जिससे निर्यात अवसरों को साकार करने में मदद मिलेगी। परन्तु जहां राष्ट्रीय इस्पात नीति में 2019-20 तक क्रमशः 110 मिलियन टन और 90 मिलियन टन उत्पादन एवं खपत का अनुमान लगाया गया है, वहीं योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु गठित इस्पात उद्योग कार्यदल ने योजना के अंत अर्थात् 2011-12 में 70.34 मिलियन टन तैयार इस्पात की कुल मांग और 80.23 मिलियन टन कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान और राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्य दोनों ही पार होने की संभावना है।

विविध उत्पादों की मांग को पूरा करने की क्षमता से युक्त एक विश्व स्तरीय आधुनिक एवं सक्षम घरेलू इस्पात उद्योग के निर्माण के लिए घोषित राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों को साकार करने में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विशेष स्थान होगा। योजना आयोग द्वारा गठित इस्पात उद्योग के कार्यदल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के लक्ष्यों/ उद्देश्यों के अनुरूप अनुशासन की हैं।

नये जोश से ओत-प्रोत देश में इस्पात बाज़ार, अब तक पहले ही विशाल विस्तार योजनाओं का साक्षी रहा है, जिसके अंतर्गत अग्रणी घरेलू निर्माताओं ने देश के विभिन्न भागों में ग्रीनफील्ड और/ या ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना का निश्चय किया है।


पोस्को, दक्षिण कोरिया द्वारा उड़ीसा में 12 मिलियन टन क्षमता के एकीकृत इस्पात कारखाने की स्थापना से भारतीय इस्पात उद्योग को वैश्वीकरण की प्रवृत्ति का भरपूर एहसास हुआ है। इसके तुरंत बाद मित्तल ग्रुप ने उड़ीसा में 12 मिलियन टन एकीकृत इस्पात यूनिट लगाने की अपनी योजना का खुलासा किया। परन्तु घरेलू इस्पात निर्माता भी पीछे नहीं रहे। भारतीय उत्पादन समूह टाटा स्टील ने एंग्लो-डच विशाल संगठन कोरस ग्रुप को 12 बिलियन डॉलर में अधिगृहीत कर टाटा स्टील लिमिटेड को विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बना दिया है, जिसे भारतीय इस्पात उद्योग के इतिहास में एक बैचमार्क के रूप में देखा जायेगा। इस तरह के घटनाक्रम से यह साबित होता है कि भारतीय इस्पात उद्योग अपनी परिपक्व अवस्था में आ गया है।

विश्व में 5वां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता का स्थान प्राप्त करने के अलावा, भारत ने विश्व में स्पंज लोहे/ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन के उत्पादन में भी अपनी पहचान बनाई है। देश के खनिज समृद्ध प्रमुख क्षेत्रों में कोयले पर आधारित स्पंज लोहे की प्रमुख यूनिटों के तेजी से बढ़ने की वजह से देश में स्पंज लोहे का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा है, जिससे देश को विश्व बाजार में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करने और उस पर कायम रहने में मदद मिली है। वर्ष 2006-07 में भारत ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी तैयार इस्पात के उत्पादन और खपत में मिश्रित आधार पर 10% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। इन उपलब्धियों से यह प्रतीत होता है कि भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा भावी विकास की एक मजबूत नींव रख ली गई है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की एक श्रृंखला, जो या तो कार्यान्वित की जा रही है या प्रस्ताव स्तर पर है, एक बार प्रचालन करने लगेगी तो इससे भारतीय इस्पात उद्योग का ढांचा और डायनामिक्स दोबारा लिखा जायेगा। जिस तरह से घरेलू अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उससे भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य निश्चित रूप से आशाओं से परिपूर्ण है। दरअसल, इसकी झलक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों में दिखाई देती है, जिसमें योजना के अंतिम वर्ष तक तैयार नॉन-अलॉय इस्पात की घरेलू मांग 70 मिलियन टन और इस्पात की आपूर्ति 77 मिलियन टन बतायी गयी है। योजना अवधि के प्रथम वर्ष 2007-08 की तुलना में यह क्रमशः 40% और 66% की वृद्धि दर है।

प्रगति की इस यात्रा में, भारतीय इस्पात उद्योग ने उत्पादकता में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन, गुणवत्ता में वृद्धि, पर्यावरण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। कुछ प्रमुख घटनाक्रम निम्नवत हैं:

- मैटलर्जिकल कोक के उत्पादन के लिए स्टेम्प चार्जिंग की शुरुआत- इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैटलर्जिकल कोल की जरूरत को आंशिक रूप से कोक की अधिक शक्ति और कम उत्सर्जन युक्त नॉन-कोकिंग कोयले से बदलना संभव हो गया है।
- ऊर्जा रिकवरी कोक ओवेंस की स्थापना - बिजली की जरूरत पूरा करने के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने के लिए सेसा गोवा, जेएसडब्ल्यू स्टील, विसा स्टील, एनआईएनएल और गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड जैसी अनेक इस्पात कंपनियों ने ऊर्जा रिकवरी किस्म की कोक ओवेंस लगाई हैं।
- लौह उत्पादन में नॉन-कोकिंग कोयले का उपयोग - कुछ इस्पात कारखानों ने काफी हद तक नॉन-कोकिंग कोयले का उपयोग करते हुए तप्त धातु का उत्पादन करने के लिए अब कोरेक्स जैसी प्रणालियां शुरू कर दी हैं। अनेक ब्लास्ट फर्नेसों में आंशिक रूप से कोक की जगह कोल डस्ट/पल्वेराइज्ड कोल प्रक्षेपण प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा, नॉन-कोकिंग कोयले पर आधारित स्पंज लोहे की यूनिटों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है।
- इस्पात उत्पादन में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन/स्पंज लोहे का उपयोग - पहले इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों में फीड मैटिरियल के रूप में सिर्फ स्क्रेप का उपयोग किया जा सकता था। स्क्रेप की बढ़ती हुई कमी के कारण रिडक्टेंट के रूप में परिष्कृत नेचुरल गैस/ नॉन-कोकिंग कोयले के साथ लौह अयस्क से उत्पादित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन के रूप में एक प्रतिस्थापन प्राप्त किया जा सका।
- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों में तप्त धातु का उपयोग - बेसिक ऑक्सीजन फर्नेसों पर बड़ी पूंजी लगती है और ये बड़े पैमाने पर ही सफल रही हैं। परन्तु मिनी ब्लास्ट फर्नेस के उदय से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों में कम मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत स्टील स्क्रेप की जगह तप्त धातु का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली की खपत में भारी बचत होती है।
- कंटीन्युअस कॉस्टिंग प्रणाली अपनाना - मेल्टिंग शॉप्स में पहले इस्पात ठोस रूप में इनाट्स के रूप में हुआ करता था। परन्तु 70 के दशक के अंतिम चरण में कंटीन्युअस कॉस्टिंग प्रणाली के उदय से कंटीन्युअस कास्ट ब्लूम/बलेट्स/स्लैब्स से ऊर्जा की महत्वपूर्ण बचत के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार हुआ। हॉट स्ट्रिप मिलों में थिन स्लेब कॉस्टिंग अपनाने से पुनः अतिरिक्त ऊर्जा की बचत हुई। वर्तमान रूप से कंटीन्युअसली कास्ट पद्धति से उत्पादन लगभग 66% है।
- आयात प्रतिस्थापन - 80 के दशक के आरम्भ तक भारतीय इस्पात उत्पादन अधिकांशतः गैर-सपाट उत्पादों पर केन्द्रित था। थिन गेज़ हॉट रोलड कॉयल्स, डीप ड्राइंग/एक्स्ट्रा ड्राइंग ग्रेड कोल्ड रोलड कॉयल्स, थिन गेज़ गेल्वेनाइज्ड प्लेन/गेल्वेनाइज्ड कोरूगेटेड शीट्स और टिन मिल ब्लैक प्लेट जैसे महत्वपूर्ण सपाट उत्पादों को अधिकांशतः आयात किया





फोर स्ट्रैंड कण्टीन्यूअस कास्टिंग (भिलाई इस्पात कारखाना, सेल)

जाता था। 80 के दशक में कोल्ड रोलिंग मिलों और गेल्वेनाइजिंग लाइंस एवं 90 के दशक में आधुनिक हॉट स्ट्रिप मिलों और कलर कोटिंग लाइंस की स्थापना से भारत अब विभिन्न श्रेणियों के सपाट उत्पादों का उत्पादन का सकता है।

- मूल्य संवर्धित उत्पादन - पहले एकीकृत इस्पात कारखाने अपने तप्त धातु उत्पादन का कुछ भाग फार्डिंशियों को कच्चे लोहे का उत्पादन करने हेतु रखना होता था। 90 के दशक के आरम्भ में देश में मिनी ब्लास्ट फर्नेसों की स्थापना से फार्डिंशियों की कच्चे लोहे की जरूरत पूरी हुई और एकीकृत इस्पात कारखानों को मूल्य संवर्धित इस्पात मदों का उत्पादन करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिली।
- ब्लास्ट फर्नेसों की उत्पादकता में वृद्धि - इस्पात कारखानों की अधिकांश ब्लास्ट फर्नेसों छोटे आयतन में थीं। उत्पादकता को बढ़ाने के ध्येय से इस्पात कारखानों में ब्लास्ट फर्नेसों को धीरे-धीरे मरम्मत करके या नये ढांचे के साथ बड़े आयतन में तब्दील किया गया। वर्तमान रूप से भारत में सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस (3200 घनमीटर) आरआईएनएल के पास है। सेल के इस्को इस्पात कारखाने जेएसडब्ल्यू, और जेएसपीएल में नई ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता लगभग 4000 घन मीटर होने जा रही है।

- ब्लास्ट फर्नेसों में कोक की खपत में कटौती और उत्पादकता में सुधार - भारतीय ब्लास्ट फर्नेसों प्रति टन तप्त धातु का उत्पादन करने में काफी अधिक 850 किलोग्राम कोक की खपत किया करती थीं। ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता एक टन प्रति घन मीटर प्रति दिन से नीचे मिल रही थी। हाई टॉप प्रेशर, हाई ब्लास्ट टेंपरचर, पलवराइज्ड कोल इंजेक्शन की शुरुआत; बर्डन प्रिपरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान और ढेलों की जगह अधिक सिंटर का उपयोग करने से कोक की खपत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली। आज, कुछ ब्लास्ट फर्नेसों की कोक दर 500 किग्रा./प्रति टन तप्त धातु से कम है और उत्पादकता 2 टन प्रतिघन मीटर प्रतिदिन से अधिक है।
- इस्पात की गुणवत्ता में वृद्धि - पहले इस्पात उत्पादन फर्नेसों को इस्पात का उत्पादन फर्नेसों के दायरे में ही रह कर पूरा करना पड़ता था। आधुनिक इस्पात उत्पादन टेक्नोलॉजियों/प्रविधियों और लेडल मैटलर्जी, वैक्यूम डीगैसिंग इत्यादि जैसी सेकेंडरी रिफाइनरी टेक्नोलॉजियों की शुरुआत के साथ, अब अत्यंत कम इनक्लूजन और अत्यंत कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से युक्त इस्पात उत्पादन करना संभव है। लैडल फर्नेस टेक्नोलॉजी से कन्वर्टर्स या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों में इस्पात उत्पादन पर लगने वाले समय में भी कमी करना संभव हुआ है और कम सल्फर और फासफोरस युक्त इस्पात का उत्पादन करने में मदद मिली है।
- ऊर्जा खपत और उत्सर्जन रोकने के प्रयास-लौह और इस्पात बनाने की प्रक्रिया में काफी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा खपत का अंतरराष्ट्रीय मानक 4.5 से 5 गीगा कैलरीज़ प्रति टन कच्चा इस्पात है। आधुनिक उपकरणों की स्थापना और रॉ मैटिरियल के बेनिफिसियेशन से इस्पात कारखानों को ऊर्जा खपत 6.45 से 8.5 गीगा कैलरीज़ करने में ही मदद मिली। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक काफी कम ऊर्जा खपत और तदनु रूप कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए और कदम उठाये जा रहे हैं। इस्पात उद्योग के विकास के साथ पर्यावरण प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है। वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना, इत्यादि कदमों से इस्पात उद्योग ने प्रदूषण के स्तर रोकना संभव बनाया है। इसके अलावा भारतीय लौह और इस्पात उद्योग अब क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास मैकेनिज्म का भी लाभ उठा रहा है और इससे प्रदूषण और ऊर्जा खपत कम हो रही है।

वर्तमान विकास परिदृश्य एवं भावी दृष्टिकोण

भारत में उत्पादन और खपत दोनों दृष्टि से इस्पात क्षेत्र महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी के साथ तीव्र गति से बढ़ रहा है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में वार्षिक रूप से 10% से अधिक की दर से वृद्धि हुई। कच्चे इस्पात का उत्पादन 2002-03 में 34.71 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 50.82 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि क्षमता विस्तार (2002-03 में 40.41 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 56.84 मिलियन टन) और क्षमता उपयोग में सुधार (2002-03 में 86% से बढ़कर 2006-07 में 89%) दोनों की वजह से हुई। वर्ष 2006 के दौरान भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का निर्माता बना जबकि 3 वर्ष पहले यह 8वें स्थान पर था। विश्व में डायरेक्ट रिड्यूस्ड लोहे या स्पंज लोहे का सबसे बड़ा निर्माता भारत से निकट भविष्य में भी अपना अग्रणी स्थान बनाये रखने की आशा है। वर्ष 2002-03 में 7.86 मिलियन टन के मुकाबले 2006-07 में 18.35 मिलियन टन के साथ 22% की सकल औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। भारत विश्व में 2015 तक दूसरा सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बन जाने की आशा है।

कच्चा इस्पात : उत्पादन प्रवृत्तियां - निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र

परम्परागत रूप से भारतीय इस्पात उद्योग को प्रमुख उत्पादक (सेल के कारखाने, टाटा स्टील और आरआईएनएल का विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना) और सेकेंडरी उत्पादकों में वर्गीकृत किया गया है। परंतु, बड़ी क्षमता की विभिन्न प्रक्रिया प्रणाली से युक्त इस्पात उत्पादन यूनिटों के आगमन से यह वर्गीकरण प्रमुख उत्पादक एवं अन्य उत्पादक के रूप में किया गया है। अन्य उत्पादकों में बड़े उत्पादक जैसे एस्सार स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और इस्पात इंडस्ट्रीज के साथ-साथ इलेक्ट्रिक फर्नेसों और एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग फर्नेसों पर आधारित बड़ी संख्या में मिनी इस्पात कारखाने शामिल हैं। स्टील उत्पादन युनिटों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए बड़ी संख्या में स्पंज लोहा कारखाने, मिनी ब्लास्ट फर्नेस यूनिटें, हॉट एवं कोल्ड रोलिंग मिलें एवं गैल्वेनाइजिंग कलर कोटिंग यूनिटें हैं। प्रमुख एवं सेकेंडरी उत्पादकों का उत्पादन विवरण अनुलग्नक -III में देखा जा सकता है। अन्य संबंधित विवरण अनुलग्नक-IV से XI में दिया गया है। निम्न तालिका में देश में कुल कच्चे इस्पात का उत्पादन और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को रेखांकित किया गया है:

(मिलियन टन)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सार्वजनिक क्षेत्र	15.788	15.912	16.964	17.003
निजी क्षेत्र	22.939	27.525	29.496	33.814
कुल उत्पादन	38.727	43.437	46.460	50.817
सार्वजनिक क्षेत्र का % अंश	40.8	36.6	36.5	33.5


वर्ष 2002-03 में इस्पात पर मूल सीमा शुल्क 25-30% से कम कर 2006-07 में 5% करने के बावजूद भारतीय इस्पात उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सका है। यह उद्योग अब एक ऐसी खुली अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है, जहां निर्यात और आयात प्रमुख रूप से बाजार रूख से संचालित घरेलू मांग में वृद्धि और कमी के अनुरूप होता है। जहां 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तैयार इस्पात का वार्षिक निर्यात 4-5 मिलियन टन के स्तर पर बना रहा वहीं आयात में भारी वृद्धि होकर यह 2002-03 में लगभग 1.66 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 4.93 मिलियन टन हो गया। यह प्रतियोगी स्तर में गिरावट की वजह से नहीं वरन् घरेलू बाजार में आपूर्ति-मांग अंतराल भरने के लिए हुआ है। वर्तमान वर्ष में अप्रैल-दिसम्बर 2007 की अवधि में तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत और निर्यात में विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले क्रमशः 6.6%, 12.3%, 12.1% की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष में (अप्रैल-दिसम्बर 2007) तैयार इस्पात का आयात विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 68.7% बढ़ा। इस तरह से खपत की वृद्धि रफ्तार उत्पादन में वृद्धि से अधिक रही और देश एक शुद्ध आयातक बन गया। ये तथ्य घरेलू बाजार में इस्पात की अच्छी मांग के सूचक हैं जो इस्पात उद्योग के लिए शुभ संकेत हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त पर जब इस्पात क्षेत्र में नये निवेश किये जा रहे हैं।

क्षमता में विस्तार

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 में 7-7.5% सकल घरेलू उत्पाद विकास दर और 2019-20 तक 110 मिलियन टन के आधार पर खपत में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इन अनुमानों को काफी हद तक पार कर लिया जायेगा और अगले पांच वर्षों में 1991-92 और 2005-06 के बीच प्राप्त लगभग 7% की वृद्धि की तुलना में मांग अत्यंत उच्च 10% वार्षिक की दर से बढ़ने की परिकल्पना की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि अत्यंत संभव परिदृश्य के आधार पर इस्पात उत्पादन क्षमता 2011-12 तक लगभग 124 मिलियन टन हो जायेगी।

विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी

देश में इस्पात क्षमताओं में निवेश के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों ने गहरी रुचि दिखाई है। संभावित निवेशकों में अन्य के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निर्माता, प्रतिष्ठित विदेशी निर्माता, फारवर्ड इंटीग्रेशन हेतु स्पंज लोहा निर्माता



के साथ-साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की दिशा में प्रयासरत छोटी रोलिंग मिलें शामिल हैं। इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में 5.15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के साथ लगभग 243 मिलियन टन की प्रस्तावित क्षमता के लिए कुल मिलाकर 194 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रमुख निवेश योजनाओं के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि नवंबर 2005 की राष्ट्रीय इस्पात नीति में यथा परिकल्पित, 2019-20 तक वार्षिक इस्पात उत्पादन 110 मिलियन टन से काफी अधिक बढ़ सकता है।

इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियंत्रण से पूर्व दौर में इस्पात मंत्रालय की भूमिका को एक नियंत्रक के रूप में देखा गया, जो प्रमुख रूप से आर्थिक परिस्थितियों, उद्योग की सीमित उपस्थिति और अनेक उद्योगों के लिए देश में इस्पात उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल की कमी को देखते हुए जरूरी भी था। आवंटन और कीमत निर्धारण पर चतुराई व सूझबूझ के जरिये निर्णयों एवं संबंधित नीतिगत उपायों को तैयार कर इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

विनियंत्रण की अवधि के बाद इस्पात मंत्रालय की भूमिका प्रमुख रूप से भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक मददगार की हो गई है, जो लौह और इस्पात उद्योग की योजना बनाने एवं विकास, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो अलायज़, स्पंज लोहा, जैसे जरूरी कच्चे माल के विकास एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। आज की तारीख में इस्पात मंत्रालय देश में निम्न मामलों में लौह और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव मदद प्रदान कर रहा है:

- नये कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, रेल मूवमेंट की मंजूरी इत्यादि और मौजूदा कारखानों का विस्तार।
- उत्पादकों की वैगन की जरूरतों को पूरा करते हुए और कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए, कोयले को छोड़ कर अन्य कच्चे माल को पहुंचाने में मदद।
- परियोजनाओं को मंजूरी तेज़ी से करने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श।
- नये उद्यमों की स्थापना करने के इच्छुक उद्योगपतियों के साथ नियमित विचार-विमर्श, कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और पेश आ रही समस्याओं का आकलन।
- इस्पात उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी और संबंधित सुविधाओं की पहचान।
- इस्पात के समुचित एवं प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन, विकास एवं प्रचार और खासतौर पर ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों में निर्माण में इस्पात उपयोग की प्रमुखता बढ़ाने के लिए कोलकाता में इस्पात विकास और संवर्धन संस्थान (इंसडैग) की स्थापना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा। एक संस्थागत मैकेनिज़्म के जरिये इस उद्देश्य के लिए इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। देश में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
- माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्ति सम्पन्न समिति देश में लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों को समग्र रूप से दिशा प्रदान करता है और इसके सामने प्रस्तुत विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए एसडीएफ से पूर्ण या आंशिक धन की मंजूरी देता है।
- माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में इस्पात उपभोक्ता परिषद् नामक संस्था देश में समस्त इस्पात निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के मध्य सम्पर्क के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- अंतरराष्ट्रीय इस्पात नीति - एक भावी दस्तावेज के जरिये इस्पात मंत्रालय ने भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा तैयार की है और प्रत्येक प्रचालन क्षेत्र को रूपाकार देने के लिए वर्तमान रूप में प्रयास चल रहे हैं।

भारतीय इस्पात उद्योग वर्तमान रूप से उदारवादी नीति परिवेश के फलस्वरूप विस्तारीकरण के दौर से गुजर रहा है। उच्च निवेश दर, विनिर्माण उद्योग में तीव्र विकास और भौतिक बुनियादी क्षेत्र के विस्तार के आधार पर घरेलू मांग की संभावनायें बेहतर नज़र आ रही हैं। ऐसे परिवेश में इस्पात मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण मददगार की भूमिका हो जाती है। जहां सरकार की प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होने की जरूरत नहीं रही है, वहां मंत्रालय खास तौर से आवश्यक बुनियादी सुविधायें प्रदान करने, लौह अयस्क, कोयला, गैस और बिजली जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और कुशल जनशक्ति विकसित करने में मदद पहुंचाने वाला एक परिवेश तैयार करने जैसे क्षेत्रों में आवश्यक मदद जारी रखेगा। इससे भारतीय इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की उपलब्धता, तुलनात्मक रूप से कम वेतन दरें, जारी आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजनाओं जैसी अपनी वर्तमान परिसम्पत्तियों की ताकत पर चलने और आने वाले वर्षों में वर्तमान अवस्था से कहीं आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

अध्याय - III

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

इस्पात मंत्रालय का प्रभार रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री के अधीन है और उनकी मदद राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। यह मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए योजना बनाने एवं विकास करने, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज़ अयस्क, क्रोमाइट, फ़ैरो मिश्रित धातु, स्पंज लोहा इत्यादि जैसे आवश्यक कच्चे माल का विकास करने एवं इनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची अनुबंध - I में देखी जा सकती है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 10 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उद्यम और इसके सीधे प्रबंधन में एक सरकारी कम्पनी है। मंत्री प्रभारी और 2007-08 के दौरान मंत्रालय में उप सचिव स्तर के अधिकारियों की सूची अनुबंध - II में दी गई है।

** संगठनात्मक चार्ट (पृष्ठ सं. 19)

लौह और इस्पात विकास आयुक्त कक्ष

खर्च सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों को स्वीकार करने के उपरांत, लौह और इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता और इसके चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता और नई दिल्ली स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों को 23.05.2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। सेकेंडरी क्षेत्र में आंकड़े एकत्रित करने के अलावा शेष कार्य इस्पात मंत्रालय में विकास आयुक्त कक्ष को हस्तांतरित किया गया। यह कक्ष स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस/ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जरिये छोटे पैमाने के उद्योगों को लौह और इस्पात मदों के आवंटन से संबंधित मामले देख रहा है। लौह और इस्पात मदों को छोटे पैमाने के उद्योगों में वितरित करने के लिए स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस और जहाँ ये बंद या गैर-मौजूद हों, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पास आवंटित की जाती हैं। छोटे पैमाने के उद्योग कच्चे माल को उचित दामों पर प्राप्त कर सकें, इसके लिए सरकार कॉरपोरेशनों को लगभग 500 रु. प्रतिटन नॉमिनल हैंडलिंग प्रभार प्रदान करती है। छोटे पैमाने के उद्योगों को वितरण के लिए पिछले तीन वर्षों में लौह और इस्पात मदों का आवंटन निम्नवत है:

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

कॉरपोरेशंस	2005-06	2006-07	2007-08*
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	612	430	413
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन	219	61	48
कुल	831	491	461

* 31.12.2007 की स्थिति


वर्ष 2007-08 के लिए वितरण नीति इस्पात मंत्रालय के वेबसाइट www.steel.nic.in में दी गई है।

इस्पात मंत्रालय के अन्य संबंधित कार्यालय

संयुक्त संयंत्र समिति

डॉ के.एन. राज समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् 1964 में स्थापित संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) का उद्देश्य देश में लौह एवं इस्पात उत्पादों के उत्पादन, आवंटन, कीमत निर्धारण एवं वितरण करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना है। सन् 1992 में इस्पात क्षेत्र के विनियंत्रण से संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसके बाद, जेपीसी की भूमिका/दिशा/गतिविधियों में भारी बदलाव आये क्योंकि एक उदारीकृत बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था में कार्य करते हुए उसने भारतीय इस्पात उद्योग के एक सुविधाप्रदाता की भूमिका में स्वयं को ढाला।

जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में है और चार प्रमुख महानगरों - नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जेपीसी की एक शाखा के रूप में उसकी नई दिल्ली में आर्थिक अनुसंधान इकाई तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कर रही है। वर्तमान रूप से जेपीसी में निम्न सदस्य हैं:



- अध्यक्ष - संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) से चार प्रतिनिधि
- टाटा स्टील लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) दोनों से एक-एक प्रतिनिधि, और
- इस्पात के एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता के रूप में भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि

आर्थिक अनुसंधान इकाई

आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) का अंग है। सितम्बर 1983 में इसका गठन औद्योगिक लागत एवं कीमत ब्यूरो की अनुशंसा पर इस्पात मंत्रालय/ जेपीसी की आर्थिक नीति एवं अनुसंधान में मदद करने के लिए की गई थी। ईआरयू प्रमुख रूप से जेपीसी द्वारा एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा इसे सौंपे गए विशिष्ट अध्ययन/ विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है। ईआरयू का प्रमुख एक मुख्य अर्थशास्त्री है।

जेपीसी और ईआरयू की गतिविधियां

1. राष्ट्रीय इस्पात नीति में भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के लिए दीर्घकालीन ध्येय निश्चित किया गया है। भारतीय इस्पात उद्योग अन्य बातों के अलावा, संख्या, उत्पादन क्षमता और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रमुख परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा स्पंज लोहा निर्माता होने के अलावा, भारत ने पहले ही विश्व में 5वां सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का निर्माता का स्थान प्राप्त कर लिया है। अपने आंकड़े/सूचना सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाण पत्र से पहले ही सम्मानित, जेपीसी द्वारा ऐसे परिवेश में तेजी से बदल रहे उद्योग की सूचना जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से व्यापक कार्य किये जा रहे हैं। इस्पात उद्योग के बदलते हुए समय के अनुरूप, जेपीसी भी परिवर्तन के परिवेश द्वार पर खड़ी है और इसने सोसायटी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में पुनर्गठित करने का काम शुरू कर दिया है। भविष्य और प्रचालन के विभिन्न मंचों पर अदा की जाने वाली संगठन की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए उद्देश्य निश्चित किए जा रहे हैं।

2. **आंकड़े एवं सूचना सेवाएँ:** आज, जेपीसी देश में एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप यह उद्योग प्राथमिक डाटाबैंक का अनुरक्षण करने वाली एकमात्र संस्था बन गई है। इस संस्था द्वारा एकत्रित प्रमुख आंकड़ों में शामिल हैं:


- कच्चे इस्पात, अर्ध तैयार इस्पात, गैर-सपाट इस्पात और सपाट इस्पात की संपूर्ण डाउनस्ट्रीम रेंज जैसे क्षेत्रों के बारे में इस्पात के प्रमुख एवं सेकेंडरी निर्माताओं की क्षमता, उत्पादन एवं भंडारण;
- लौह और इस्पात की घरेलू बाजार कीमतें;
- लौह और इस्पात का आयात-निर्यात;
- इस्पात उत्पादन के लिए कच्चे माल का उत्पादन, कीमतें एवं आरक्षित भंडार;
- रिफ्रैक्टरी का उत्पादन, उपलब्धता एवं खपत;
- लौह और इस्पात से संबंधित श्रेणी के खपत आंकड़े डाटाबेस में एक डिटाइब्ड मद के रूप में दिये गये हैं।


यूनितों के साथ नियमित सम्पर्क के अलावा, सरकारी स्तर पर जनसंख्या ढांचे एवं सहायता नीति निर्णयों को अद्यतन करने हेतु क्षेत्रवार-विशिष्ट सर्वेक्षण एक प्रमुख डाटाबेस अनुरक्षण गतिविधि है। पूर्ण किए गए सर्वेक्षणों में सपंज लोहा, इंडक्शन फर्नेस/ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और रिलोलिंग यूनितें शामिल हैं। वर्तमान रूप से कच्चा लोहा उद्योग और एक अन्य रिफ्रैक्टरी क्षेत्र पर सर्वेक्षण किया जा रहा है।

3. **सूचना का प्रवाहन:** आंकड़े एकत्रित करने के अलावा, इस्पात मंत्रालय और इस उद्योग के सभी स्टेकहोल्डरों तक यह सूचना पहुंचाना जेपीसी के कार्यक्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। सूचना पहुंचाने के प्रमुख चैनलों में शामिल हैं:

- **जेपीसी बुलेटिन ऑन आयरन एंड स्टील :** विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग का मासिक प्रवृत्ति परिदृश्य प्रदान करता है।
- **परफॉर्मेंस रिव्यू-आयरन एंड स्टील :** विगत वित्त वर्ष के भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं के विकास का व्यापक लेखा-जोखा प्रदान करता है।
- **एनुअल स्टेटिस्टिक्स :** भारतीय इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का पंचवर्षीय डाटाबेस का सांख्यिकीय प्रदान करता है।
- **सर्वे रिपोर्ट्स :** जेपीसी द्वारा संचालित विभिन्न सर्वेक्षणों जैसे स्पंज लोहा, कच्चा लोहा, कोल्ड रोलड-गैल्वेनाइज्ड प्लेन/ गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड, आरआर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस/ इंडक्शन फर्नेस की रिपोर्ट शामिल होती हैं।
- **विशेष प्रकाशन :** हाल ही में जेपीसी ने गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रनॉर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स का विमोचन किया है। मेकॉन लिमिटेड द्वारा तैयार इस रिपोर्ट (सीडी फॉर्मेट) में देश में इस्पात कारखाने की स्थापना के इच्छुक उद्यमियों द्वारा मांगी गई सभी महत्वपूर्ण सूचना का संग्रह किया गया है।
- **वेबसाइट :** www.jpccindiansteel.org के जरिये सूचना पहुंचाना घरेलू लौह एवं इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सूचना।

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट
(9.1.2008 की स्थिति)






4. **अर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) द्वारा इस संबंध में ली गई प्रमुख योजनाओं में शामिल कुछ हैं:** 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रेणीवार मांग का अनुमान, इंडक्शन फर्नेस क्षेत्र में क्षमता और उत्पादन का अनुमान (जेपीसी डाटा को संशोधित करने के लिए गठित एक्सपर्ट ग्रुप की ओर से अध्ययन किया गया), तीव्र अर्थिक विकास के मद्देनजर राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों में संशोधन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विशेष संदर्भ में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात क्षमता के प्रस्तावित विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता का आकलन और भारत में लौह अयस्क चूर्ण के उपयोग की संभावनाओं पर अध्ययन। बाजार कीमतों का मासिक विश्लेषण, इस्पात क्षेत्र के लिए बजट पूर्व प्रस्ताव तैयार करने, भारतीय इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करने के अलावा, इस्पात कीमत निगरानी समिति और हॉट रोलड और कोल्ड रोलड कीमतों में संबंधित बदलाव की उप समिति के सचिवालय के रूप में भी ईआरयू कार्य करता है।
5. **सहायक सेवाएं:** उद्योग के विकास और/ या इस्पात उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने से संबंधित विभिन्न मसलों/ गतिविधियों में इस्पात उद्योग/ इस्पात मंत्रालय को विभिन्न किस्म का सहयोग प्रदान करना लक्ष्य रहा है। यहां कुछ प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:
- देश में इस्पात निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क प्रदान करने वाले मंच स्टील कंजुमर्स काउंसिल की बैठकों का आयोजन;
 - भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के स्टील पैवेलियन (2002 से हर वर्ष) में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्पात के बहुआयामी उपयोग को दिखाया जाता है।
 - जेपीसी का ध्येय इस्पात उपयोग के फायदों का ज्ञान कराना एवं जागरूक बनाना और उत्पादकों एवं इस्पात के अंतिम उपभोक्ताओं के बीच सूचना के अंतराल को मिटाना है। इसकी प्राप्ति टेक्नालॉजी, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, बाजार प्रवृत्तियों, बजट और नीति निर्माण संबंधित सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार विनिमय सत्रों को मदद पहुंचाकर की जाती है।
6. **इस्पात विकास निधि के सचिवालयी क्रियाकलाप :** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में जारी अधिसूचना के आधार पर जेपीसी इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) प्रबंधन समिति का सचिवालय है। सचिव, इस्पात मंत्रालय एसडीएफ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति के अन्य सदस्य हैं - सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार और संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, एसडीएफ प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव हैं। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का निश्चय किया है और इसके लिए एसडीएफ से हर वर्ष कोष निर्धारित किया जाता है। यह कोष इस तरह से टेक्नोलॉजी नवीनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उपायों और अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी गतिविधियों जैसी परियोजनाओं को लेने के लिए एसडीएफ कोष से मिले ब्याज से इस्पात उद्योग की वित्तीय मदद कर रहा है।
- एसडीएफ संग्रह से जेपीसी निम्न सहायता भी प्रदान करती है:
- इस्पात के वितरण में लगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को रिबेट
 - सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र को प्रधान मंत्री ट्रॉफी का पुरस्कार
 - बाजार विकास परियोजनाएं
 - लौह एवं इस्पात क्षेत्र में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा/यूएनडीपी परियोजना
7. **हाल ही में प्राप्त उपलब्धियां:** जेपीसी द्वारा वर्तमान वर्ष 2007-08 के दौरान की नई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न हैं:
- औद्योगिक सांख्यिकी के मसलों का समाधान करने हेतु डाटाबेस में संशोधन :** इस्पात उद्योग के आंकड़ों के संकलन में दो प्रमुख चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है: कच्चे इस्पात के डाटा की कम रिपोर्टिंग (जिससे बदले में अर्ध तैयार और रिलोलिंग क्षेत्र के आंकड़े प्रभावित) और सपाट इस्पात के आंकड़ों की दोबारा गिनती हो रही थी। जेपीसी इस पर कुछ समय से कार्य कर रही और 2007-08 के दौरान इसने इन दो समस्याओं का निदान कर लिया और 1992-93 से शुरू करते हुए अपनी संपूर्ण डाटा सिरीज संशोधित कर ली। कारखानों और इक्विपमेंट निर्माताओं से फील्ड डाटा संग्रह इस अभियान का अंग था और जेपीसी ने गहन फील्ड सर्वेक्षणों के जरिये इस तरह के समस्त डाटा एकत्र करने के लिए प्रयास किये ।
 - भावी कीमतों के आंकड़ों का संग्रह:** हाल में ही जेपीसी ने देश में लौह और इस्पात की प्रमुख श्रेणियों की भविष्य में होने वाली कीमतों का संग्रहण एवं रिपोर्टिंग शुरू की है।
 - राष्ट्रीय इस्पात नीति का कार्यान्वयन - रिफ्रैक्टरी उद्योग पर डाटाबेस का निर्माण :** इस्पात मंत्रालय के दिशानिर्देश के तहत, जेपीसी ने भारतीय रिफ्रैक्टरी क्षेत्र की वर्तमान अवस्था और भावी संभावनाओं को समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया है- इस प्रमुख क्षेत्र पर देश में पहली बार इस तरह का कार्य हुआ है।

- iv) **लौह और इस्पात पर जेपीसी बुलेटिन:** लौह और इस्पात पर आधारित जेपीसी बुलेटिन के मासिक संस्करणों में टेक्नोलॉजी, समाचार, घटनाक्रम, सांख्यिकी की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ विश्व परिप्रेक्ष्य में इस्पात उद्योग के वर्तमान रुझान परिवेश की जानकारी मिलती है और इस्पात उद्योग के सभी स्टेकहोल्डरों के लिए एक प्रतिष्ठित पत्रिका हो गई है। इस पत्रिका की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसके अंशदाताओं की बढ़ती हुई संख्या से लगाया जा सकता है।
- v) **स्वच्छ विकास और मौसम कार्यशाला:** जेपीसी ने एशिया प्रशांत स्वच्छ विकास एवं मौसम की स्टील टास्क फोर्स (एसटीएफ) की तीसरी बैठक के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह किया। इस बैठक का आयोजन मार्च 2007 में कोलकाता में हुआ था। भारत, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य - 6 सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने नीतिगत पहल, टेक्नोलॉजी और सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। अधिक रिसाइक्लिंग के साथ मिलकर साझेदार देशों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टेक्नोलॉजी, कार्य प्रणालियों और पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने में मदद पहुंचाने के लिए पार्टनरशिप के मार्गदर्शन में एसटीएफ का गठन किया गया है। इस समारोह का व्यावसायिक आधार पर आयोजन से जेपीसी को अध्यक्ष, एपीपी स्टील टास्क फोर्स, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापान सरकार से अंतरराष्ट्रीय मान्यता एवं प्रशंसा मिली।

**इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची**

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कम्पनियां
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोदी रोड़ नई दिल्ली - 110 003	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, चन्दामुल रोड़, चन्द्रपुर - 442401, महाराष्ट्र
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापट्टनम - 530031, आंध्र प्रदेश	
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, हैदराबाद - 500028, आंध्र प्रदेश	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 33 बी/बी द्वितीय एक्सटेंशन, गाँधी नगर, जम्मू, जम्मू-कश्मीर
4.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड	मॉयल भवन, 1-ए, कैटॉल रोड़, नागपुर - 440013, महाराष्ट्र	
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	225-एफ, आचार्य जगदीश बोस रोड़, कोलकाता - 700020, पश्चिम बंगाल	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई-490001, छत्तीसगढ़
6.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	न. 1, शेक्सपियर सारनि, आठवां तल, कोलकाता - 700071, पश्चिम बंगाल	
7.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, राँची - 834002, झारखंड	
8.	भारत रिफ़ैक्टरीज़ लिमिटेड	सेक्टर IV, सेन्ट्रल एवेन्यू, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो - 827004, झारखंड	
9.	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	खनिज भवन, 10-3/311/ए, कैसल हिल्स, मासाब टैंक हैदराबाद-500028, आंध्र प्रदेश	
10.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरमंगल, बंगलौर-560034, कर्नाटक	
11.	सरकार के प्रबंधन में बर्ड ग्रुप की कम्पनियां	एफडी-350, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700106, पश्चिम बंगाल	



अध्याय - IV सार्वजनिक क्षेत्र

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों में बढ़िया कार्यनिष्पादन किया है। इस मंत्रालय के साथ जो कम्पनियां हैं, उनका संयुक्त कर-पूर्व लाभ वर्ष 2004-05 के लगभग 14322 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 15566 करोड़ रु. हो गया है। चालू वर्ष का ट्रेण्ड भी उत्साहजनक है और वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही तक इन कम्पनियों के कार्यनिष्पादन से करीब 13,655 करोड़ रु. का संयुक्त कर-पूर्व लाभ परिलक्षित होता है।

सरकारी राजकोष में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के योगदान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी राजकोष में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, कारपोरेट कर, बिक्री कर, रायल्टी, इत्यादि के माध्यम से यह योगदान वर्ष 2004-05 के 8978 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 16475 करोड़ रु. हुआ है और इस तरह इसमें 84% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही तक मिल रहे ट्रेण्ड के अनुसार यह आंकड़ा 12,596 करोड़ रु. तक पहुंचने के संकेत हैं। यह अध्याय इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षेप में ब्यौरा प्रस्तुत करता है।



श्री एस.के. रूंगटा, अध्यक्ष सेल नई दिल्ली में 8 मार्च 2008 को आयोजित एक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से "सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान" करने के लिए प्रतिष्ठित स्कोप पुरस्कार की वर्ष 2004-05 की गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त करते हुए।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और भारत सरकार का एक उद्यम है। इसके पास भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में पांच एकीकृत इस्पात कारखाने हैं। सेल के तीन विशेष व मिश्र इस्पात कारखाने हैं- मिश्र इस्पात कारखाना, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), सेलम इस्पात कारखाना, सेलम (तमिलनाडु) और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती (कर्नाटक)। इनके अलावा चंद्रपुर में स्थित एक फेरो एलॉय कारखाना महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड है जो सेल की एक सहायक कम्पनी है। सेल के पास लौह और इस्पात अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईटी), सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) तथा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) हैं और ये सभी रांची में स्थित हैं; धनबाद में केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन है और कच्चा माल प्रभाग, विकास प्रभाग तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग कोलकाता में हैं। कोलकाता में ही स्थित केन्द्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) देश भर में विपणन एवं विक्रय तंत्र का समन्वय करता है। सेल कंसल्टेंसी डिवीजन (सेलकॉन) नई दिल्ली से कामकाज करता है।



श्री एस.के.रूंगटा, अध्यक्ष "सेल" 7 फरवरी, 2008 को माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान को वर्ष 2007-08 के लिए 673.49 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश चेक भेंट करते हुए।

विक्रय कारोबार और कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमशः 30,025.76 करोड़ रुपये और 5160.02 करोड़ रुपये था।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

सेल के एकीकृत इस्पात कारखानों समेत इसकी उत्पादन योजना एवं उपलब्धि का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(मिलियन टन में)

मद	2006-07			अप्रैल-दिसम्बर-2007		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)
तप्त धातु	14.10	14.60	104	10.96	11.31	103
कच्चा इस्पात	13.03	13.50	104	10.26	10.37	101
बिक्री योग्य इस्पात	11.86	12.58	106	9.26	9.60	104

कच्चा माल

कम्पनी ने अपनी खानों में 2006-07 के दौरान 25 मिलियन टन कुल लौह अयस्क का उत्पादन किया। वर्ष के दौरान फ्लस्क (लाइमस्टोन/डोलोमाइट) का उत्पादन 2.3 मिलियन टन हुआ। अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान लौह अयस्क और फ्लस्क का उत्पादन क्रमशः 19.3 मिलियन टन और 1.95 मिलियन टन (अन्तिम) था।

जनशक्ति

सेल की जनशक्ति 31 मार्च, 2007 को 1,32,973 थी जिसमें से 16,031 कार्यपालक और 11,6,942 गैर-कार्यपालक कर्मी थे। वर्ष के दौरान जनशक्ति में कुल 5,238 की कमी हुई, जिसमें 539 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मी शामिल हैं।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (सेल की एक सहायक कम्पनी)

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में स्थित है और यह सेल के इस्पात कारखानों में उपयोग के लिए फ़ैरो मैंगनीज़ का प्रमुख उत्पादक है। कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 31.3.2007 को क्रमशः 30 करोड़ रुपये और 24 करोड़ रुपये थी। सेल की धारिता प्रदत्त पूंजी का लगभग 99.12% है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2006-07 के दौरान कम्पनी ने 291.854 करोड़ रुपये (241.80 करोड़ रुपये की कन्वर्जन आय समेत) का कारोबार दर्ज किया और कर उपरांत 18.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। अप्रैल से दिसम्बर, 2007 तक का कम्पनी का कारोबार एवं कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमशः 249.03 करोड़ रुपये और 24.97 करोड़ रुपये था।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

वर्ष 2006-07 और 2007-08 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान फ़ैरो एलॉय की सभी श्रेणियों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(टन में)

सामग्री	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर 2007 (अनंतिम)
हाई कार्बन फ़ैरो मैंगनीज	56319	48311
सिलिको मैंगनीज	50371	26849
मीडियम कार्बन फ़ैरो मैंगनीज	373	1140

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल, जो विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने (वीएसपी) का निगमित अस्तित्व है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर स्थित पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र अगस्त 1992 में 3 मिलियन टन तरल इस्पात की वार्षिक क्षमता के साथ चालू हुआ। इसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन और इंजीनियरी में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया, जिसमें भारी ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को शामिल किया गया है।

अपने एकीकृत प्रचालन वर्ष से ही वीएसपी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पादों को पहुंचा कर अपनी धाक जमा ली है। वीएसपी को सभी तीनों अंतरराष्ट्रीय मानक प्रमाणपत्र-आईएसओ 9001:2000, आईएसओ 14001:1996 और ओएचएसएस 18001:1999 से सम्मानित किया जा चुका है।

आरआईएनएल को वर्ष 2006 में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'मिनी रत्न' का प्रतिष्ठित दर्जा दिया गया था और कम्पनी वर्ष 2009 तक अपनी क्षमता को 6.3 मि.ट. प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी विस्तार कार्यों को पूरा करने की दिशा में पूर्ण तैयारी में है। आरआईएनएल ने चरणबद्ध तरीके से कारखाने की क्षमता को 16 मि.ट. प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की योजना तैयार की है।

कार्यनिष्पादन

उत्पादन तथा निर्धारित क्षमताओं की प्राप्ति प्रतिशतता के साथ पिछले 2 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर 2007) के मद्देनजर भौतिक कार्यनिष्पादन:

मदें	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर 2007)
उत्पादन (मिलियन टन में)			
तप्त धातु	4.153 (122%)	4.046 (119%)	2.943 (115%)
तरल इस्पात	3.603 (120%)	3.606 (120%)	2.462 (109%)
बिक्री योग्य इस्पात	3.237 (122%)	3.290 (124%)	2.289 (115%)

*वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं विपणन कार्यनिष्पादन (करोड़ रु. में)

बिक्री	8491	9151	6766
सकल मार्जिन	2369	2633	2262
कर-पूर्व लाभ	1890	2222	1992
कर उपरांत लाभ	1252	1363	1248

*कोष्ठक में दिये गये आंकड़े क्षमता उपयोग% को दर्शाते हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड का निगमन 15 नवम्बर 1958 को हुआ। यह देश में खनिज स्रोतों (तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिजों के अलावा) के विकास एवं दोहन में लगी है। वर्तमान में इसकी गतिविधियां लौह अयस्क, हीरा एवं सिलिका चूर्ण के खनन पर केन्द्रित हैं।

एनएमडीसी बैलाडिला (छत्तीसगढ़) और दौणिमले (कर्नाटक) में देश की सबसे बड़ी यांत्रिक लौह अयस्क खानों का प्रचालन करती है। सिलिका सैंड परियोजना, लालपुर, इलाहाबाद और हीरा खान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित हैं।



माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान 15 जनवरी, 2008 को छत्तीसगढ़ को बैलाडीला में डिपॉजिट-11बी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए।

एनएमडीसी की सभी लौह अयस्क उत्पादन इकाइयों को आईएसओ 9001:2000 और आईएसओ 14001:2004 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को भी आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र मिल चुका है। एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला द्वितीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन गया है।

लौह अयस्क

उत्पादन

एनएमडीसी ने वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) में 20.10 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया।

घरेलू बिक्री

लौह अयस्क की घरेलू बिक्री वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) में 17.07 मिलियन टन रही थी।

निर्यात

लौह अयस्क का निर्यात एमएमटीसी लि. के जरिये कैंनेलाइज किया जाता है। वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) में एनएमडीसी ने अनुमानित रूप से 639.93 करोड़ रु. मूल्य का 2.79 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया।

सिलिका रेत

सिलिका रेत का उत्पादन विवेच्य अवधि (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) में 2920 टन रहा था और बिक्री 2446 टन थी।

वित्त

पूंजीगत संरचना

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 150 करोड़ रु. है। प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 132.16 करोड़ रु. है। भारत सरकार से बकाया ऋण शून्य है।



वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी का वर्ष 2006-07 और 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) का वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

मद	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007)
बिक्री/कारोबार	4185.84	3816.80
सकल मार्जिन	3581.79	3437.44
कर-पूर्व लाभ	3498.31	3389.42

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (ऑयल) की स्थापना 1962 में की गई थी। यह भारत में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। स्थापना के समय, इसके 49% शेयर सेंट्रल प्रोविंक्स मैंगनीज ओर कम्पनी लिमिटेड (सीपीएमओ) एवं शेष 51% शेयर समान अनुपात में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के पास थे। बाद में 1977 में सीपीएमओ के मॉयल में धारित शेयर भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किये गये और मॉयल अक्टूबर 1977 से एक पूर्णतः सरकारी कम्पनी हो गई। 31 दिसम्बर, 2007 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी 28 करोड़ रु. है। भारत सरकार के पास मॉयल के 81.57% शेयर थे और महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश सरकारों के पास क्रमशः 9.61% और 8.82% शेयर थे।



माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री रामविलास पासवान 27 जुलाई 2007 को नागपुर में मॉयल भवन के उद्घाटन समारोह में। उनके साथ हैं श्री के.एल.मेहरोत्रा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मॉयल, डा.जी.संजीव रेड्डी, सांसद राज्यसभा और अध्यक्ष इंटक तथा पैट्रन, मॉयल वर्क्स एसोसिएशन और श्री अजय कुमार, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय।

मॉयल मैंगनीज अयस्क के निम्न श्रेणियों का उत्पादन एवं विक्रय करती है:

- फ़ैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिये उच्च श्रेणी अयस्क
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिये मध्यम श्रेणी अयस्क
- तप्त धातु के उत्पादन के लिये आवश्यक ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी अयस्क
- ड्राई बैटरी सेल और रासायनिक उद्योगों के लिये डायोआक्साइड अयस्क

मॉयल ने इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के उत्पादन के लिए देशज टेक्नोलॉजी आधारित एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का उपयोग ड्राई बैटरी सेलों के विनिर्माण के लिए किया जाता है। कम्पनी द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी क्वालिटी का है और बाजार में इसकी अच्छी-खासी मांग है। मूल्य संवर्धन के लिए मॉयल द्वारा 1998 में 10,000 टन वार्षिक क्षमता का एक फ़ैरो मैंगनीज कारखाना भी स्थापित किया गया था।

वित्त

कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये है और 31 दिसम्बर, 2007 को प्रदत्त पूंजी 28 करोड़ रुपये है।

कम्पनी का विगत दो वर्ष और वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) का भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	मदें	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल- दिसम्बर)
1.	उत्पादन			
	क) मैंगनीज़ अयस्क (हजार टन)	865	1047	940
	ख) इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (टन)	1301	1312	774
	ग) फ़ैरो मैंगनीज़ (टन)	6170	10200	8270
2.	कुल आय (करोड़ रुपये में)	356.19	451.82	529.57
3.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	169.00	201.15	311.32
4.	आरक्षित निधियां (करोड़ रुपये में)	344.04	433.49	568.85
5.	शुद्ध मूल्य (करोड़ रुपये में)	345.98	455.81	615.76
6.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (रुपये में)	2257.34	1604.46	2199.16
7.	प्रति शेयर अर्जन (रुपये में)	747.25	(*)479.31	(*)733.93

(*) बोनस शेयरों के जारी करने के उपरांत बढ़ी हुई इक्विटी पूंजी पर

कम्पनी का 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर) के कार्य-निष्पादन के साथ-साथ वर्ष के लिए सहमति पत्र लक्ष्य निम्न हैं:

क्रम सं.	मद	सहमति पत्र लक्ष्य 2007-08	वास्तविक 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)
1.	उत्पादन :		
	क) मैंगनीज़ अयस्क (टन)	9,34,500	9,40,185
	ख) इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (टन)	-	774
	ग) फ़ैरो मैंगनीज़ (टन)	-	8,270
2.	कुल आय (करोड़ रुपये में)	343.00	529.57
3.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	150.00	311.32

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड (जो पहले मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) की स्थापना 9 सितम्बर 1964 को देश से स्क्रेप का निर्यात करने के लिए एक केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में की गई थी। समय के साथ, यह कम्पनी देश में स्क्रेप का आयात करने वाली एक केनालाइजिंग एजेंसी के रूप में उभरी। वर्ष 1991-92 में सरकार द्वारा स्क्रेप का आयात डीकेनाइज किया गया और तब से एमएसटीसी ने इस्पात कारखानों और अन्य उद्योगों से निकले लौह एवं विविध स्क्रेप का विपणन एवं कोयला, कोक, पेट्रोलियम उत्पाद, हॉट रोलड कॉयल्स जैसे अर्ध तैयार इस्पात उत्पाद के आयात और प्रमुखतः लौह अयस्क के निर्यात का जिम्मा लिया। कम्पनी ने ई-ऑक्शन पोर्टल भी स्थापित किया है और कोयला, हीरा और इस्पात स्क्रेप का ई-ऑक्शन करता है और इस कम्पनी ने निजी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल विकसित किया है।

पूंजीगत ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये है और 31.12.2007 को प्रदत्त पूंजी 2.20 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 90% भारत सरकार के पास और शेष 10% स्टील फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आयरन एंड स्टील स्क्रेप एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य के पास हैं। कम्पनी की 2.20 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी में 1993-94 में 1:1 के अनुपात में जारी किये गये बोनस शेयर भी शामिल हैं।

इकाइयों की स्थिति

कम्पनी का पंजीकृत तथा निगमित कार्यालय कोलकाता में है और उसके पास कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुम्बई में स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम, बंगलूर और बडोदरा स्थित तीन शाखा कार्यालय तथा भोपाल, गोवा, हजीरा एवं त्रिची में चार रेजीडेंट कार्यालय हैं।

भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन

कम्पनी का विगत दो वर्षों और वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) का भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

कार्यनिष्पादन	2005-06	2006-07	2007-08 (दिसम्बर, 07 तक)
क. भौतिक			
(i) विक्रय एजेंसी	3230	3491	3042
(ii) विपणन	4541	4179	3542
(iii) बिजनेस की कुल मात्रा	7771	7670	6584
ख. वित्तीय			
(i) कारोबार	4172.75	3100	2567
(ii) प्रचालन लाभ (ब्याज, मूल्यह्रास और प्रावधान से पूर्व)	86.15	93.40	59.56
(iii) ब्याज, मूल्यह्रास और प्रावधान	0.45	2.53	1.64
(iv) कर पूर्व लाभ	85.70	90.87	57.92
(v) लाभांश	498%	540%	-

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

पूर्ण रूप से एमएसटीसी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) की प्रदत्त पूंजी 200 लाख रुपये है। यह कम्पनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, डोलवी, दुबुरी और रायगढ़ स्थित नौ इस्पात कारखानों में स्लेग एवं रिफ्यूज डम्प स्क्रैप प्राप्ति और उसे संसाधित करने का कार्य करती है। प्राप्त स्क्रैप को इस्पात कारखानों के पास पुनः उपयोग/निपटान के लिये लौटाया जाता है और कम्पनी को स्क्रैप की श्रेणी के लिये प्राप्त गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न दरों से प्रोसेसिंग शुल्क दिया जाता है। लौह और इस्पात उत्पादन के दौरान और रोलिंग मिलों में भी स्क्रैप निकलता है। इसके अलावा, कम्पनी स्लैबों की स्क्रिफिंग, बीओएफ स्लैग की हैंडलिंग, इत्यादि जैसी स्टील मिल सेवायें भी प्रदान करती है।

भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन

एफएसएनएल का पिछले दो वर्षों और वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

मदें	2005-06	2006-07	2007-08 (दिसम्बर, 07 तक)
स्क्रैप की पुनः प्राप्ति (लाख मीट्रिक टन)	22.46	22.04	17.36
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपये में)	988.24	969.68	767.52

वित्तीय कार्यनिष्पादन (लाख रुपये में)

मदें	2005-06	2006-07	2007-08 (दिसम्बर, 07 तक)
कुल कारोबार अर्थात् विविध आय, इत्यादि समेत प्राप्ति सेवा शुल्क	10679.37	11062.80	8148.73
ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ	1865.14	1536.53	1165.07
ब्याज एवं मूल्यह्रास	1009.70	1228.65	958.47
कर पूर्व लाभ	855.44	307.88	206.60

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल लिमिटेड का निगमन जून 1964 में किया गया था। आरंभिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में एक ऐसे संगठन की स्थापना करना था जो आधुनिक एकीकृत इस्पात कारखानों का पूर्ण निर्माण करने में सक्षम हो। एचएससीएल ने बोकारो इस्पात कारखाने, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने और सेलम इस्पात कारखाने की स्थापना से लेकर चालू करने का कार्य किया और भिलाई इस्पात कारखाने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने, इस्को (बर्नपुर) और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती के विस्तार एवं आधुनिकीकरण कार्य से भी जुड़ा हुआ था। इस्पात कारखानों में निर्माण गतिविधियां कम हो जाने से, बिजली, कोयला, तेल और गैस जैसे अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। इसके अलावा, एचएससीएल ने उच्च स्तरीय योजना, समन्वय और आधुनिक परिष्कृत तकनीकों के साथ प्राथमिक संरचना क्षेत्रों जैसे सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, बांधों, जमीन के अंदर संचार एवं परिवहन प्रणाली व औद्योगिक एवं नगर परिसरों के निर्माण में पदार्पण किया।

इस कंपनी ने पाइलिंग, मृदा अन्वेषण, व्यापक स्थापना कार्य, गगनचुम्बी ढांचों, संरचनात्मक निर्माण और परीक्षण एवं चालू करने सहित इरेक्शन, रिफ्रेक्टरी, प्रौद्योगिकी ढांचा और पाइपलाइन, इक्वूपमेंट इरेक्शन, इंस्ट्रुमेंटेशन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है।

कम्पनी ने एकीकृत इस्पात कारखानों में कोक ओवन्स और ब्लास्ट फर्नेस की हॉट मरम्मत और अन्य संबंधित क्षेत्रों सहित भारी मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य में भी विशेषज्ञता हासिल की है।

पूंजी संरचना

कम्पनी की आज की तारीख में प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 117.10 करोड़ रुपये है। आज की तारीख में भारत सरकार का कुल बकाया ऋण 546.64 करोड़ रुपये है। 33.50 करोड़ रुपये योजना ऋण और 513.14 करोड़ रुपये गैर-योजना ऋण)। वर्ष 1999 में पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन के बाद, कम्पनी ने सरकार से 243.88 करोड़ रुपये गैर-योजना सहायता के रूप में कर्मचारियों को वेतन तथा पारिश्रमिक और कानूनी बकाया देने के लिए प्राप्त किए। कम्पनी ने स्वै. सेवा निवृत्ति के जरिये जनशक्ति के युक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के अंतर्गत विभिन्न बैंकों से दो चरणों (2000-01 से 2002-03) में 518.36 करोड़ रु. का ऋण लिया है।

कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन

कम्पनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन 2006-07 और 2007-08 के दौरान निम्नवत रहा है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2006-2007	2007-2008 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007)
कारोबार	433.33	346.00
प्रचालन लाभ (ब्याज, मूल्यहास और कर पूर्व लाभ)	30.17	23.00
शुद्ध हानि	83.50*	60.00** (अनंकेक्षित)


*निवल हानि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निमित्त 24.23 करोड़ रुपये, जो कि वर्ष के दौरान प्रभारित किये गये तथा भारत सरकार के ऋण के निमित्त 81.93 करोड़ का ब्याज शामिल है।

**निवल हानि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निमित्त 3.65 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार के ऋण पर 76.0 करोड़ का ब्याज शामिल है।

एचएससीएल के पुनरुद्धार और पुनः संरचना के लिए विभिन्न वित्तीय, संगठनात्मक और संरचनात्मक संशोधनों को शामिल करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) को प्रस्ताव भेजा है।

मेकॉन लिमिटेड

'मेकॉन' लौह और इस्पात, रसायन, रिफायनरियों और पेट्रोकेमिकल्स, पावर, सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, जल प्रबन्धन, बंदरगाहों और पत्तनों, गैस और तेल, पाइपलाइनों, नॉन फेरस, खनन, सामान्य इंजीनियरी, पर्यावरणीय इंजीनियरी और अन्य संबंधित/विविध क्षेत्रों में गहन विदेशी अनुभव वाली अग्रणी मल्टी-डिस्प्लीनरी डिज़ाइन, इंजीनियरी कंसल्टेंसी और कॉन्स्ट्रक्शंस संगठन है। मेकॉन आईएसओ : 9001-2001 मान्यता प्राप्त कंपनी है जो विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी), यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलेपमेंट (ईबीआरडी), अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक (एफडीबी) और यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन (यूएसआईडीओ) के साथ पंजीकृत है। यह कंपनी आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग, सिविल कार्यों, संरचनात्मक कार्यों, विद्युत, एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, इंस्ट्रुमेंटेशन, उपयोगिता, वस्तु रखरखाव और भंडारण, कम्प्यूटराइजेशन आदि को शामिल करते हुए विशाल परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी, परामर्श और परियोजना प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने के लिए



वृहत प्रभावन (एक्सपोज़र) और अवसंरचना प्रदान करता है। मेकॉन का अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस आदि की अग्रणी फर्मों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करार हैं।

कंपनी की प्रदत्त पूंजी 10,313.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4,013.84 लाख रु.) की तुलना में प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,400 लाख रु. (पिछले वर्ष 4,100 लाख रु.) है। ये सभी शेयर भारत सरकार के पास है।

प्रबन्धन पहल

अत्यंत गत्यात्मक व्यावसायिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन ने अनेक क्षेत्रों में पहल की है जैसे :

- धातु, तेल और गैस, बिजली और बुनियादी क्षेत्र में सामरिक बिजनेस यूनिटों की स्थापना
- प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों के खर्च में कटौती
- जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना, अनार्थिक कार्यालयों को बंद करना एवं प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य कार्यालयों में जनशक्ति कम करना
- ग्राहक एवं उनकी परियोजना विशिष्ट जरूरत पर बल
- परस्पर मजबूती लाने एवं वर्तमान बाजार जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनियों के साथ टेक्नोलॉजी और व्यवसाय प्रोत्साहन से संबंधित सहमति पत्रों/ करारों पर हस्ताक्षर
- प्रतिष्ठित विदेशी एवं भारतीय कंपनियों/ संस्थाओं के साथ गठजोड़ बनाकर कार्य करने की नीति
- उत्पादकता में सुधार के लिए सामरिक गठबंधनों में प्रवेश, कार्मिकों के बहुआयामी कौशल का विकास, और
- ई-वर्किंग, ऑन-लाइन वर्क आइटम आवंटन, ऑन-लाइन जॉब कार्ड फाइलिंग, ई-आरकाइव्स, परियोजना प्रगति निगरानी हेतु संपूर्ण प्रतिष्ठान में नेट-वर्किंग।

मेकॉन देश का पहला परामर्श संगठन है जिसे आईएसओ 9001 प्रमाणन की मान्यता प्रदान की गई। यह प्रमाणीकरण टर्नकी-परियोजनाओं के परामर्श, डिज़ाइन और इंजीनियरी संयंत्रों और उपस्करों के क्रय, निर्माण और परियोजना प्रबन्धन सेवाएं और निष्पादन के लिए जनवरी, 2009 तक मान्य है। इसका निगरानी लेखा परीक्षा दिसम्बर, 2007 में पूरा हुआ है।

व्यवसाय विविधीकरण

पिछले कई वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में आवर्ती मांग/ निवेश के मद्देनज़र, मेकॉन ने अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में खासकर तेल और गैस, पाँवर और अवसंरचना में अपनी पैठ बना ली है। कंपनी ने इनमें से कुछ क्षेत्रों में ठोस अनुभव और पहचान बना ली है और ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेवा प्रदान करने के लिए मजबूत पहचान बनाना चाहता है। इससे कंपनी को भविष्य में उच्चतर अवसरों वाले क्षेत्रों में सेक्टरल बाज़ार उतार-चढ़ाव के साथ सामंजस्य के द्वारा खुद को खड़ा करने में मदद मिलेगी।

वर्ष भर, कंपनी ने विविध क्षेत्रों (धातु के अलावा) से महत्वपूर्ण परामर्श व्यवसाय प्राप्त किया है। इंजीनियरी और परामर्श में, विविध क्षेत्रों में कंपनी ने 24.81% (पिछले वर्ष 24.14% था) आदेश बुक किए और धातु क्षेत्र में 75.19% (पिछले वर्ष 75.86% था) आदेश बुक किए।

पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन

सरकार ने फरवरी 2007 के दौरान कम्पनी का पुनर्गठन प्रस्ताव अनुमोदित किया। तदनुसार, मेकॉन को 100.72 करोड़ रु. का वित्तीय पैकेज मंजूर किया गया, जिसमें 93 करोड़ रु. नकद सहायता और 7.72 करोड़ रु. गैर-नकद सहायता के रूप में शामिल थे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कम्पनी द्वारा लिये गये स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी ऋणों पर गारण्टी शुल्क की छूट तथा 50% ब्याज सहायता जारी रखने का भी निर्णय लिया।

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

भारत सरकार के उपक्रम भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड का निगमन 22 जुलाई 1974 में किया गया था और इस समय इसकी निम्न चार इकाइयाँ हैं:

- i) भंडारीडह रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, भंडारीडह
- ii) राँची रोड रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, रामगढ़
- iii) भिलाई रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, भिलाई और
- iv) इफिको रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, रामगढ़

कम्पनी विभिन्न प्रकार के रिफ्रेक्टरीज का निर्माण और आपूर्ति सिर्फ एकीकृत संयंत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि मिनी इस्पात संयंत्रों के लिए भी कर रही है।

पूँजीगत संरचना

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 31 मार्च, 2007 को 246 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूँजी 229.79 करोड़ रुपए थी।

कार्यनिष्पादन

कंपनी की विभिन्न इकाइयों का वर्ष 2006-07 और 2007-08 का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(मात्रा टन में)
(मूल्य करोड़ रुपये में)

इकाइयां	2006-07		2007-08			
	(वास्तविक)		लक्ष्य		अनंतिम (दिसम्बर 2007 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भंडारीडह रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (बीएचआरपी)	28394	62.57	28000	59.60	22087	52.86
राँची रोड रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (आरआरआरपी)	7378	24.76	8500	28.68	3857	13.00
भिलाई रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (बीआरपी)	26959*	55.47*	28500	56.59	22707	46.99
इफिको रिफ्रेक्टरीज संयंत्र (इफिको आरपी)	26062	47.14	30000	50.13	16353	28.65
कुल	88793	189.95	95000	195.00	65004	141.50

* इसमें सेल इस्पात कारखाने हेतु कन्वर्जन जॉब शामिल है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2006-07 के दौरान, ब्याज और मूल्यह्रास और कर से पूर्व बीआरएल को 7.54 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था, लेकिन ब्याज, मूल्यह्रास और पूर्व अवधि समायोजन/फ्रिंज बेनीफिट टैक्स में क्रमशः 16.76 करोड़ रुपए, 3.18 करोड़ रुपए, 2.71 करोड़ रुपए और 0.20 करोड़ रु. का प्रावधान करने के बाद इसे 15.31 करोड़ रु. की शुद्ध हानि हुई।

वर्ष 2007-08 (31.12.2007 तक) ब्याज, मूल्यह्रास और पूर्व अवधि समायोजन/फ्रिंज बेनीफिट टैक्स पूर्व लाभ 11.16 करोड़ रु. रहा था, लेकिन ब्याज, मूल्यह्रास तथा पूर्व अवधि समायोजन के लिए क्रमशः 12.11 करोड़ रु., 3.98 करोड़ रु. तथा 0.15 करोड़ रु. का प्रावधान करने के बाद इसे 5.08 करोड़ रु. की शुद्ध हानि हुई।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कम्पनी का स्पंज आयरन संयंत्र यूएनडीपी/यूनिडो की सहायता से 30,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता के साथ प्रारम्भ में एक प्रदर्शन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य लम्प लौह अयस्क और 100% गैर-कोकिंग कोयले से स्पंज लोहा तैयार करने के लिए (इन्डक्शन और वैद्युत भट्टियों द्वारा प्रयुक्त फेरस स्क्रैप के आंशिक विकल्प के तौर पर) तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता स्थापित करना था। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एससीसीएल) से प्राप्त गैर-कोकिंग कोयला और लौह अयस्क, जो आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध है, पर आधारित इस इकाई का नियमित प्रचालन नवम्बर, 1980 में हुआ। रोटरी भट्टी प्रक्रिया पर आधारित स्पंज आयरन संयंत्र में अनेक सुधार और तब्दीली की गयी जो स्थानीय कच्चे माल और प्रचालन परिस्थितियों के उपयुक्त हो। इसके परिणामस्वरूप, इसने न केवल एसआईआईएल के लिए तकनीक के विकास में ही मदद की, बल्कि देश में स्पंज आयरन उद्योग के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। कम्पनी ने अक्टूबर, 1985 में अपनी वार्षिक क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष से दोगुनी कर 60,000 टन प्रतिवर्ष की।

पूँजीगत ढांचा

कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 31.03.2007 को 66 करोड़ रुपये थी, प्रदत्त पूँजी 65.10 करोड़ रुपये थी (जिसमें 64.27 करोड़ रुपये भारत सरकार के पास और शेष 0.83 करोड़ रु. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धारित थी)।

उत्पादन

विगत दो वर्षों के दौरान कम्पनी का उत्पादन और वित्तीय कार्यनिष्पादन, 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) के अर्न्तम आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दिया गया है।

(लाख रूपये में)

	2005-06	2006-07	2007-08 दिसम्बर, 07 तक (अर्न्तम)
उत्पादन			
- स्पंज लोहा (टन)	48,302	55,194	33,583
- विद्युत उत्पादन (लाख किलोवाट)	49	56	15
- क्षमता उपयोग (%)	81	92	75
विक्रय			
- स्पंज लोहा (टन)	48,215	54,670	33,082
- विक्रय कारोबार (शुद्ध) (लाख रूपये में)	4,304	5,061	3,711
- आंतरिक संसाधनों का सृजन (लाख रूपये में)	692	434	755
- शुद्ध लाभ (लाख रूपये में) (कर पूर्व लाभ)	566	629	665

परियोजना परामर्श

- कम्पनी ने नागरनार में एनएमडीसी के प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की।
- कम्पनी ने स्पंज आयरन प्लांट के प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर की आपूर्ति हेतु पेरुवियन कम्पनी के साथ परामर्शदात्री संविदा हाथ में ली है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल), एक 100% निर्यात उन्मुखी यूनिट, आईएसओ: 9001:2000 और आईएसओ 14001 और चार सितारा ट्रेडिंग हाउस स्टेटस वाली इस कम्पनी की स्थापना अप्रैल 1976 में ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। इसके एक 7.5 मिलियन टन क्षमता के लौह अयस्क कन्सेंट्रेट प्लांट की स्थापना कुद्रेमुख में की गई थी। इस परियोजना पर पूरा धन ईरान को लगाना था। परन्तु ईरान ने 255 मिलियन अमरीकी डालर ऋण देने के बाद बाकी राशि रोक दी। इसलिए इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धन राशि से यथा समय पूरा किया गया।

यद्यपि यह परियोजना समय पर पूरी की गई थी, परन्तु ईरान ने राजनीतिक घटनाक्रम के कारण यहाँ का कोई उत्पादन नहीं लिया। विविधीकरण उपाय के रूप में मई 1981 में सरकार ने मंगलौर में 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के पेलेट प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। इस प्लांट की क्षमता, बदलाव/ संशोधन करते हुए बढ़ाकर 3.5 मिलियन टन की गई। इस संयंत्र में 1987 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ और अब यह ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड पेलेट चीन को निर्यात कर रही है और घरेलू इकाइयों यथा इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसएल स्टील लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भी मुहैया कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत कुद्रेमुख में 31 दिसम्बर, 2005 से खनन रोक दिया गया था और अब खरीदे गये हेमेटाइट अयस्क से पेलेट प्लांट प्रचालित किया जा रहा है।

उत्पादन

वर्ष 2007-08 में 2.6 मिलियन टन पेलेट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 में, वास्तविक उत्पादन 1.33 मिलियन टन है जो 73% लक्ष्य प्राप्ति दर्शाता है। दिसम्बर 2007 तक पेलेट्स के उत्पादन में कमी मैग्नेटाइट अयस्क के स्थान पर 100% हेमेटाइट अयस्क का उपयोग शुरू करने के बाद पेलेट प्लांट में सामने आयी प्रचालनगत समस्याओं के कारण आयी है। यद्यपि समस्या को ठीक करने के प्रयास किये जा रहे हैं, पेलेट प्लांट का प्रचालन कार्य काफी हद तक स्टेबिलाइज किया गया।

वर्ष 2007-08 में कच्चे लोहे का उत्पादन लक्ष्य 1.90 लाख टन निश्चित किया गया है। अप्रैल से दिसम्बर, 2007 के लिए तयशुदा 1.50 लाख टन कच्चे लोहे के लक्ष्य के मुकाबले, वास्तविक लक्ष्य 1.06 लाख टन होने की आशा है, जो 71% लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है। अक्टूबर, 2007 तक कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी आयी है। इसका कारण मोल्ड्स का बदला जाना, पिग कास्टिंग मशीन तथा गैस क्लीनिंग सिस्टम में बड़ा मरम्मत कार्य चलना है।



केआईओसीएल के पैलेट स्टोरेज यार्ड का एक दृश्य

विक्री

पिछले पांच वर्षों और 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान विक्रय राजस्व निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	कंसंट्रेट	पेलेट	ब्लास्ट फर्नेस यूनिट*	कुल
2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) (अर्न्तम)	-	67310	25340	92650
2006-07	-	26744	-	26744
2005-06	12091	111137	-	123228
2004-05	16050	169327	-	185377
2003-04	20209	82729	-	102938
2002-03	21135	51579	-	72714

*नोट: पूर्ववर्ती कुद्रेमुख आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. का 1 अप्रैल, 2007 से इस कम्पनी के साथ विलय हो गया था, अतः सूचना केवल चालू वर्ष की ही दी गई है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी के कार्य निष्पादन को पिछले तीन वर्षों के वास्तविक कार्य निष्पादन के साथ नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक)	2006-07	2005-06	2004-05
कुल विक्री का मूल्य	92650	26744	123228	185377
सकल मार्जिन	9804	5181	68706	120863
कर उपरांत लाभ	3763	1377	35630	64984
माल भंडार (तैयार माल को छोड़कर)	21116	17252	15843	8720

*नोट: पूर्ववर्ती कुद्रेमुख आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. का 1 अप्रैल, 2007 से इस कम्पनी के साथ विलय हो गया था, अतः ऊपर प्रस्तुत वित्तीय सूचना में ब्लास्ट फर्नेस यूनिट का वित्तीय कार्यनिष्पादन केवल इस वर्ष का ही शामिल है।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का 1980 में राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित सात कम्पनियाँ इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आईं:

- (क) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओ.एम.डी.सी.)
- (ख) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.एल.सी.)
- (ग) करनपुरा डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (के.डी.सी.एल.)
- (घ) स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड (एस.एस.एल.)
- (ड.) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई.आई.एल.)
- (च) बुराकर कोल कम्पनी लिमिटेड (बुराकर)
- (छ) बोरिया कोल कम्पनी लिमिटेड (बोरिया)

कम्पनियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

- बुराकर और बोरिया कोयला कम्पनियां कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रचालन में नहीं हैं। इन दो कंपनियों की समापन प्रक्रिया चल रही है। सरकारी लिक्विडेटर ने इन दो कम्पनियों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को पहले ही ले लिया है।
- ईआईएल एक निवेश कम्पनी है। बर्ड ग्रुप के अंतर्गत प्रचालनरत कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में ईआईएल का एक प्रमुख हिस्सा है।
- ओ.एम.डी.सी., बी.एस.एल.सी., के.डी.सी.एल. एवं एस.एस.एल. इस ग्रुप के अंतर्गत प्रचालन कर रही कम्पनियां हैं।

राष्ट्रीयकरण के समय कम्पनियों की स्थिति

जब बर्ड ग्रुप की कम्पनियां, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आईं, उस समय सभी कम्पनियां वित्तीय रूप से रुग्ण थीं और उनके ऊपर विभिन्न समस्याओं का भारी बोझ था। भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलने से ये समस्याएं, जो मुख्यतया अधिक जनशक्ति, कार्यपूँजी के हास तथा बकाया देनदारियां थीं, काफी हद तक निपटायी जा सकीं।

प्रचालन कम्पनियों का पृथक-पृथक कार्यनिष्पादन

उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूँजी संरचना

कम्पनी की खानें उड़ीसा में क्योँझर जिले के बारबिल के आसपास स्थित हैं। इसके कार्यकलाप लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क के खनन और विपणन से संबंधित हैं। इसकी प्राधिकृत के साथ-साथ प्रदत्त पूँजी 60 लाख रुपए है।

कार्यनिष्पादन

इस्पात बाजार में उछाल की वजह से, लौह अयस्क की मांग में भारी वृद्धि आई है। अधिक उत्पादन एवं बेहतर प्राप्ति की वजह से कम्पनी की वर्ष 2002-03 में कायापलट हो गयी।

कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :

	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 07)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	2416	2268	1387
बिक्री (लाख रूपये में)	25271	29993	16275
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यहास से पूर्व सकल लाभ (लाख रूपये में)	19287	26291	15294
शुद्ध लाभ/हानि (लाख रूपये में)	12993	17347	9809

बिरसा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर के आसपास स्थित हैं। लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट का खनन और विपणन कम्पनी के मुख्य कार्यकलाप हैं। कम्पनी की प्राधिकृत के साथ-साथ प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए हैं।

कार्यनिष्पादन

इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी में बदलाव आने से, बीएसएलसी के उत्पादों की मांग में तेजी से गिरावट आई है और कम्पनी को भारी नुकसान हुआ है। योजना ऋण एवं गैर-योजना ऋण के रूप में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कम्पनी अपने अस्तित्व को बनाये रखने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय करने की स्थिति में आई। उत्पाद मिश्र बदलने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय किए गए। वैगनों में लदान पर होने वाली देरी और डिमरेज को रोकने के लिए एक रेक 58 बॉक्स एन वैगनों को दो भाग में रखने के लिए संशोधन कार्य किया गया। कम्पनी से सेल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित कारखानों को लाइमस्टोन और डोलोमाइट सप्लाई करने के लिए सेल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह के उपायों से कंपनी के कार्य निष्पादन में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान थोड़ा सुधार आया है।

कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया जा रहा है:

	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 07)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	956	962	836
बिक्री (लाख रूपये में)	3012	3770	3199
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यहास से पूर्व सकल लाभ (लाख रूपये में)	(-) 266	452	198
शुद्ध लाभ/हानि (लाख रूपये में)	(-) 6412	(-) 6665	(-) 5535

करनपुरा डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (केडीसीएल)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें झारखंड के सिरका के आसपास स्थित हैं। यह कम्पनी सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त चूना-पत्थर का उत्पादन करती है। इसकी प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी क्रमशः 40 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए हैं।

कार्यनिष्पादन

कम्पनी अपने उत्पादों को मुख्य रूप से झारखण्ड एवं बिहार राज्यों में बेचती है। इन राज्यों में सीमेंट ग्रेड के चूना-पत्थर की मांग में कुछ अधिक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इसके फलस्वरूप कम्पनी का कार्यनिष्पादन प्रभावित होता है। यह कम्पनी प्रेषण बढ़ाने के लिए खानों के विकास एवं नये बाजारों की तलाश करते हुए उत्पादन बढ़ाने के प्रयास कर रही है।

कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 07)
लाइमस्टोन का उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	77	67	45
बिक्री (लाख रूपये में)	197	178	124
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यहास से पूर्व सकल लाभ (लाख रूपये में)	4	(-) 19	(-) 9
शुद्ध लाभ/हानि (लाख रूपये में)	(-) 163	(-) 221	(-)188

स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड (एसएसएल)

खानों की क्षेत्र स्थिति एवं पूंजी संरचना

कम्पनी का कामकाज कोलकाता में है और यह कम्पनी मुख्यतः गहरे ट्यूबवेल लगाने एवं खनिज के खोज कार्य में लगी हुई है। कम्पनी की प्राधिकृत के साथ-साथ प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए है।

कार्यनिष्पादन

मांग के अभाव, पुरानी एवं जीर्ण मशीनों तथा अधिक जन शक्ति जैसी समस्याओं के कारण कम्पनी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। कम्पनी का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 07)
बिक्री (लाख में)	155	105	73
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल लाभ (लाख रुपये में)	(-) 117	(-) 311	61
शुद्ध लाभ/हानि (लाख रुपये में)	(-) 978	(-) 1347	(-) 1077

कंपनी अपने मौजूदा व्यवसाय अर्थात् गहरे ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। यह अपने समूह की कंपनियों में कर्मचारियों की पुनःतैनाती के लिए अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों का भी पता लगा रही है ताकि राजस्व बढ़ सके। कंपनी अतिरिक्त जनशक्ति को पुनः युक्तिसंगत बनाने के लिए भी विचार कर रही है।

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

एमएमटीसी और उड़ीसा सरकार द्वारा प्रमोटित एक संयुक्त उद्यम कम्पनी एनआईएनएल ने कलिंग नगर इण्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स, डुबुरी, जिला जजपुर, उड़ीसा में 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित किया है। कलिंग नगर इण्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स, डुबुरी में प्रचालनरत होने वाला एनआईएनएल पहला इस्पात कारखाना है। प्रथम चरण पहले ही चालू किया जा चुका और कम्पनी मुख्य उत्पादों के रूप में कच्चा लोहा और बीएफ को तथा उप-उत्पादों के रूप में ग्रेन्युलेडिट स्लैग, कच्चा कोलतार, अमोनियम सल्फैट, नट कोक, कोक ब्रीज तथा सीआई स्कैप का उत्पादन कर रही है। पहले चरण के एकीकृत प्रचालन के पहले ही वर्ष (2004-05) में, एनआईएनएल भारत में कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया और तब से उसने यह स्थिति कायम रखी है। स्टील मेल्टिंग शॉप जो कि निर्माणाधीन है के अंतर्गत उत्पाद बिलेट्स बार्स एवं विभिन्न क्वालिटी तथा आकारों बायर रॉड्स हैं। कम्पनी के पास 2.5 मेगावाट क्षमता का अपना कैप्टिव पावर प्लांट है और वर्तमान में उसके पास पर्याप्त विद्युत है तथा काफी मात्रा में उड़ीसा सरकार को विद्युत सप्लाई कर रहा है।

चरण-II का निर्माण कार्य जिसमें स्टील मेल्टिंग शॉप, बिलेट कास्टर, बार एव रॉड मिल शामिल है, पहले ही आरंभ हो चुका है। प्रमुख उपकरण के आर्डर एसएमएस डीमैग, एचईसी तथा अन्य सप्लायरों को दिये गये हैं। सिविल तथा फेब्रिकेशन ठेके भी दे दिये गये हैं।

कम्पनी की सुन्दमढ़ तथा क्यॉज़र जिले में 1800 हैक्टर खान क्षेत्र में फैली अपनी खुद की खाने हैं और 110 मि.ट. का अनुमानित लोहे अयस्क भण्डार है।

अध्याय – V निजी क्षेत्र

देश में इस्पात के उत्पादन और उद्योग के विकास में वर्तमान रूप से निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं वर्चस्व पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान 30.08 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर निजी क्षेत्र द्वारा कुल इस्पात उत्पादन में लगभग 67% का योगदान किया गया। निजी क्षेत्र की यूनिटों में एक ओर प्रमुख इस्पात निर्माता हैं तो दूसरी ओर स्पंज आयरन कारखाने, मिनी ब्लास्ट फर्नेस इकाइयाँ, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों इन्डक्शन फर्नेसों रिलोडिंग मिलों, कोल्ड रोलिंग मिलों और कोटिंग इकाइयाँ जैसी तुलनात्मक रूप से छोटी और मझौली इकाइयाँ शामिल हैं। ये न केवल प्राइमरी और सेकेंडरी इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वरन् गुणवत्ता, अभिनवता एवं लागत किफायत की दृष्टि से भी भारी मूल्य संवर्धन में अपना योगदान करते हैं।

टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील का जमशेदपुर, झारखंड में स्थित 5 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादन करने की वार्षिक क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात कारखाना है। टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2007-08 के प्रथम छः माह में तप्त धातु के उम्पादन में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। उसने 2.76 मिलियन टन तप्त धातु का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 4.6% अधिक है। कच्चे इस्पात का उत्पादन विवेच्य अवधि में 2.43 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष हुए 2.45 मिलियन टन के उत्पादन से कुछ ही कम



जमशेदपुर, झारखंड स्थित टाटा इस्पात कारखाने का विहंगम दृश्य


रहा। अप्रैल-सितम्बर, 2007 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन (2.34 मिलियन टन) पिछले वर्ष की इसी अवधि के (2.36 मिलियन टन) मुकाबले कम रहा।

टाटा स्टील इस्पात उत्पादन क्षमता में 1.8 मिलियन टन का विस्तार देने के अपने कार्यक्रम को जारी रखे हुए है जिससे वह 6.8 मिलियन टन की निर्धारित क्षमता को प्राप्त कर सके। यह परियोजना निश्चित कार्यक्रम से कुछ पहले चल रही है और मई 08 तक यह चालू हो जायेगी, जबकि इसका निश्चित समय जून 08 था। कम्पनी ने वित्त वर्ष 2010 तक क्षमता को बढ़ाकर 10 मिलियन टन करने की योजना बनायी है।

उड़ीसा स्थित कलिंगनगर परियोजना के लिए उपकरणों का आदेश दिये जाने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हो जाने के साथ ही टाटा स्टील की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थित ग्रीनफील्ड परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं। झारखंड परियोजना के लिए राज्य सरकार की राहत एवं पुनर्वास (आरएंडआर) नीति की घोषणा की प्रतीक्षा की जा रही है।

एस्सार स्टील लिमिटेड (ईएसएल)

एस्सार स्टील होल्डिंग्स लिमिटेड (ईएसएचएल) इस्पात का वैश्विक उत्पादक है जिसके पांच भारत, कनाडा, यूएसए, मध्य पूर्व और एशिया में फैले हैं। यह एक पूर्णतः एकीकृत प्लैट कार्बन इस्पात विनिर्माता है-जो लौह अयस्क से बाजार में बिक्री लायक उत्पाद का उत्पादन करता है। ईएसएचएल की वर्तमान वैश्विक क्षमता 8 मिलियन टन प्रति वर्ष है। भारत तथा एशिया के अन्य भागों और



हजीरा, गुजरात स्थित एस्सार स्टील काम्प्लेक्स का विहंगम दृश्य

उत्तरी अमेरिका में अपनी आक्रामक विस्तार योजनाओं के चलते, 2012 तक इसकी क्षमता बढ़कर 25 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जायेगी। इसके उत्पादों की बेहद मांग वाले क्षेत्रों जैसे कि आटोमोटिव, व्हाइट गुड्स, निर्माण, इंजीनियरिंग तथा पोत निर्माण में अच्छी खासी पैठ है।

एस्सार स्टील लि., जो कि एस्सार स्टील होल्डिंग्स लिमिटेड की भारतीय कम्पनी है, पश्चिमी भारत में सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कम्पनी है। यह हजीरा, गुजरात में स्थित है जिसकी वर्तमान क्षमता 4.6 मि.टन प्रतिवर्ष है। इसकी योजना अपनी क्षमता को बढ़ाकर 8.5 मि.टन प्रतिवर्ष करने की है। भारत में जो कारखाने चल रहे हैं उनमें इसका बैलाड़ीला, छत्तीसगढ़ स्थित 8 मि.टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला बेनिफिसिएशन प्लांट भी शामिल है, जिसके पास 267 कि.मी. वाली विश्व की सबसे बड़ी स्लरी पाइपलाइन है जिससे बेनिफिसियेटिड आयरन स्लरी को पेलेट प्लांट तक भेजा जाता है और विशाखापत्तनम में इसका एक 8 मि.टन प्रतिवर्ष क्षमता का पेलेट कॉम्प्लेक्स है।

गुजरात, भारत में हजीरा स्थित एस्सार स्टील काम्प्लेक्स में विश्व का सबसे बड़ा गैस आधारित सिंगल लोकेशन स्पंज आयरन प्लांट है जिसकी क्षमता 4.6 मि.टन प्रतिवर्ष है। इस कॉम्प्लेक्स में इस्पात कारखाना और 1.4 मि.टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला कोल्ड रोलिंग काम्प्लेक्स भी है। इस इस्पात काम्प्लेक्स में एक संपूर्ण बुनियादी ढांचा है जिसमें एक निजी पत्तन, चूना संयंत्र तथा ऑक्सीजन संयंत्र है।

एस्सार स्टील किस्म-किस्म के उत्पाद सेगमेंटों की मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक कस्टमाइज मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन करता है और यह सपाट उत्पादों का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो अपना करीब आधा उत्पादन अत्यधिक मांग वाले अमेरिका तथा यूरोपीय बाजारों तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के उभरते बाजारों को बेचता है। कम्पनी के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफिकेशन एजेंसियों जैसे कि एबीएस, एपीआई, टीयूवी रिन लैण्ड तथा लॉयड्स रजिस्ट्रार के विनिर्देशनों के अनुरूप हैं। एस्सार स्टील आईएसओ 9001 और पर्यावरण प्रबंधन कार्यों के लिए 14001 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इस्पात कम्पनी है।

एस्सार स्टील मिडरेक्स टेक्नोलॉजी, यूएसए द्वारा सप्लाई की गयी हॉट ब्रिक्वेटिड आयरन डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (एचबीआई-डीआरआई) टेक्नोलॉजी तथा क्लेसिम, फ्रांस से आयातित चार 150 टन डी सी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों का उपयोग करता है। एस्सार स्टील की हजीरा स्थित इकाई 5.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता की हाट ब्रिक्वेटिड आयरन प्लांट, 4.6 मि. टन प्रतिवर्ष क्षमता की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, 4.6 मि.ट.प्र.व. क्षमता के कण्टीन्यूअस कास्टर, 3.6 मि.ट.प्र.व. हॉट स्ट्रिप मिल और 1.4 मि.ट.प्र.व. क्षमता की कोल्ड रोलिंग मिल से सज्जित है। वर्ष 2007-08 के दौरान, एस्सार को लागत आईएसओ/टीएम 16949 और ओएचएसएस 18000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील, विजयनगर वर्क्स

जेएसडब्ल्यू स्टील 3.8 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना है। इसकी उत्पादन प्रणाली में व्यापक तौर पर लौह अयस्क बेनीफिसियेशन-पेलेटाइजेशन-सिण्टरिंग-कोक निर्माण-ब्लास्ट फर्नेस के साथ-साथ कोरेक्स प्रणाली के जरिये लौह

उत्पादन-बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस-कण्टीन्यूसस स्लैब कारस्टिंग के माध्यम से इस्पात बनाना-हाट स्ट्रिप रोलिंग-कोल्ड रोलिंग मिल्स शामिल हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को आईएसओ-9001-2000 क्वालिटी प्रबन्धन प्रणाली, आईएसओ-14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएस 18001:1999 आक्यूपेशनल हेल्थ एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाण-पत्र से सम्मानित होने का श्रेय मिला है। 1.11.2007 की स्थिति के अनुसार वार्षिक क्षमता 3.8 मि.टन थी और यह क्षमता विस्तार योजना 2008 तक 6.8 मि.ट. प्रति वर्ष और 2010 तक 9.6 मि.टन प्रतिवर्ष हो जाने की संभावना है।

जेएसडब्ल्यू स्टील, तारापुर एवं वासिन्द वर्क्स

जेएसडब्ल्यू स्टील, तारापुर एवं वासिन्द वर्क्स डाउन-स्ट्रीमिंग सुविधाओं में विशेषता प्राप्त है जिसमें शामिल हैं: 1.0 मि.टन वार्षिक क्षमता की कोल्ड रोलिंग, 0.9 मि.ट. वार्षिक क्षमता की हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग (एचडीजी), 0.1 मि.ट. वार्षिक क्षमता की कलर कोटिंग, 0.1 मि.टन वार्षिक क्षमता के सीआरसीए उत्पाद और 0.3 मि.ट. वार्षिक क्षमता की हॉट रोलड प्लेट उत्पादन सुविधा। जेएसडब्ल्यू को आईएसओ-9001-2000 क्वालिटी प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणपत्र से सम्मानित होने का श्रेय मिला है।

1.11.2007 की स्थिति के अनुसार क्षमता : 1.0 मि.ट. प्रतिवर्ष कोल्ड रोलिंग, 0.9 मि.ट. वर्ष एचडीजी, 0.1 मि.ट. प्रतिवर्ष कलर कोटिंग और 0.1 मि.ट. प्रतिवर्ष सीआरसीए उत्पाद। क्षमता विस्तार योजना : 0.75 मि.ट. प्रतिवर्ष गैल्वेनाइजिंग क्षमता वित्त वर्ष 2009 तक, 0.15 मि.ट. प्रतिवर्ष कलर कोटेड शीट क्षमताएं वित्त वर्ष 2009 तक।

जेएसडब्ल्यू झारखंड स्टील लिमिटेड

अपने विज़न 2020 के एक भाग के रूप में, जेएसडब्ल्यू स्टील की योजना झारखण्ड में 900 मे.वा. क्षमता के कैप्टिव पावर प्लांट सहित एक अत्याधुनिक 10 मिलियन टन क्षमता का इस्पात कारखाना लगाने की है। इस पूरी परियोजना में कुल 35000 करोड़ रु. का पूंजी निवेश होने का अनुमान है जिसमें इस्पात कारखाना, खानें तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं शामिल हैं। इस कारखाने के 2010 तक कामकाज आरंभ कर दिये जाने की आशा है और यह इस राज्य में उपलब्ध बहुल संसाधनों का लाभ उठायेगा।

जेएसडब्ल्यू बंगाल स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू पश्चिम बंगाल में गोदापिसल, पश्चिम मिदनापुर में कैप्टिव पावर प्लांट के साथ एक 10 मि.टन वार्षिक क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगाने की प्रक्रिया में है। यह परियोजना उपयुक्त चरणों में कार्यान्वित की जायेगी, जिसका पहला चरण 3 मि.ट वार्षिक क्षमता का रहेगा। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसर मिलने, बुनियादी ढांचागत विकास तथा खनिज भण्डारों का उपयोग होने से औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज होने में मदद मिलेगी।

जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड देश में तेजी से बढ़ रही प्रमुख इस्पात इकाइयों में से एक है। जेएसपीएल के रायगढ़ स्थित कारखाने के पास वर्तमान 1.37 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का स्पंज आयरन कारखाना 2.40 मि.टन वार्षिक क्षमता का स्टील मेल्टिंग शॉप (एमएमएस), 1.0 मि.ट. वार्षिक क्षमता की प्लेट मिल, 2.30 मि.ट. वार्षिक क्षमता का सिण्टर प्लांट, 0.8 मि.ट. वार्षिक क्षमता का कोक ओवन और 330 मे.वा. का कैप्टिव पावर प्लांट है।

वर्ष 2006-07 में, कम्पनी ने 1.19 मिलियन टन स्पंज आयरन, 0.8 मिलियन टन विभिन्न इस्पात उत्पाद, 0.57 मिलियन टन तप्त धातु 0.21 मिलियन टन रोलड उत्पादों का उत्पादन किया।

जेएसपीएल का अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 के दौरान कार्यानिष्पादन 0.68 मिलियन टन स्पंज आयरन, 0.72 मिलियन टन इस्पात उत्पाद (स्लैब/ब्लूम/बिलेट्स/राउण्ड्स), 0.68 मिलियन टन तप्त धातु, 0.27 मिलियन टन रोलड उत्पाद और 0.11 मिलियन टन प्लेट्स बनाने का रहा।



रायगढ़ स्थित जे एसपीएल प्लांट का विहंगम दृश्य



क्षमता उपयोग योजना

वर्तमान इस्पात क्षमता को 2010 तक चरणबद्ध तरीके से 2.4 मि.ट. से बढ़ाकर 6.0 मि.ट. करना, जिसमें शामिल होगा:

- कोल गैसीकरण द्वारा 2.0 मि.टन गैस आधारित डीआरआई प्रोड्यूसिंग गैस
- 4000 क्यूब मीटर का ब्लास्ट फर्नेस
- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उत्पादन प्रणाली तथा थिन स्लैब कास्टर युक्त 3 मि.ट. क्षमता का मेल्टिंग शॉप
- हॉट स्ट्रिप मिल (कॉम्पेक्ट स्ट्रिप प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी)
- ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को खपाने के लिए सीमेण्ट कारखाना
- 4X135 मेगावाट विद्युत पावर प्लांट जिसकी क्षमता 840 मे.वा. तक बढ़ेगी।

इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आईआईएल)

आईआईएल ने रायगड जिला, महाराष्ट्र में डोल्वी में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष हॉट रोलड स्टील क्वाइल्स उत्पादन क्षमता का एक एकीकृत इस्पात कारखाना स्थापित किया है, जो भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों में से एक है। इस डोल्वी कॉम्प्लेक्स को अपने पास अति अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस होने का गौरव प्राप्त है (जो समूह कम्पनी इस्पात मेटेलिक्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता 2.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष तप्त धातु/कच्चा लोहा उत्पादन करने की है। काम्प्लेक्स में 2.0 मिलियन टन क्षमता का सिण्टर प्लाण्ट (जिसे हाल ही में चालू किया गया) और 1.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक डीआरआई प्लाण्ट है, इस काम्प्लेक्स को अति अत्याधुनिक कैप्टिव जेटी होने का गौरव प्राप्त है, जो विभिन्न कच्चे मालों के आयात के संबंध में कारखाने की जरूरत को पूरा करता है। आने वाले वर्षों में, आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधा जुड़ जाने के बाद इसकी योजना कैप्टिव जेटी से माल का निर्यात करने की है। इसके अतिरिक्त काम्प्लेक्स में निकट भविष्य में 110 मे.वा. क्षमता का कैप्टिव पावर प्लांट (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस गैस का उपयोग होगा) जोड़ने की योजना है।

यह एकीकृत इस्पात कारखाना इस्पात का उत्पादन करने के लिए कनवर्टर-सह-इलेक्ट्रिक-आर्क फर्नेस उत्पादन प्रणाली (कोनार्क प्रक्रिया) का उपयोग करता है। इस परियोजना में, आईआईएल ने भारत में पहली बार तरल इस्पात के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तप्त धातु और डीआरआई (स्पंज आयरन) के उपयोग का अनुपम मिश्रण किया है। तरल इस्पात की कास्टिंग और रोलिंग के लिए, आईआईएल के पास कॉम्पेक्ट स्ट्रिप प्रोडक्शन (सीएसपी) प्रोसेस नामक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसे भारत में पहली बार संस्थापित किया गया है और यह उच्च क्वालिटी का तथा विशेषतः बहुत ही पतले गेज का हॉट रोलड क्वाइल्स उत्पादन करता है।

आईआईएल में विभिन्न उत्पादों के लिए उत्पादन सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

स्पंज आयरन/ डीआरआई कारखाना

डीआरआई प्लाण्ट के बारे में विशेष बातें:

- विश्व के सबसे दक्ष मिडरेक्स मेगा माड्यूल स्पंज आयरन प्लाण्ट में से एक
- निर्धारित क्षमता - 1.6 मि.टन प्रतिवर्ष
- निरंतर 100% निर्धारित क्षमता से अधिक प्रचालन
- पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया नियंत्रण
- आईएसओ 9002 तथा आईएसओ 14001 प्रमाणित
- फीड मिक्स में 60% से अधिक लम्प अयस्क का प्रयोग करने वाला विश्व का एकमात्र संयंत्र

इस कारखाने ने विश्व के बेंचमार्क के मुकाबले सर्वोत्तम मेटलाइजेशन तथा सबसे कम ऊर्जा खपत का श्रेय प्राप्त किया है। निर्धारित औसत प्राकृतिक गैस खपत 2.6 गीगा कैल. प्रति मि.

ट. है, इस स्पंज आयरन कारखाने ने 2.3 गीगा कैल./मि.ट. का स्तर प्राप्त किया है। साथ ही निर्धारित 92% के औसत मेटलाइजेशन के मुकाबले इस कारखाने ने 95% का स्तर पहले ही छू लिया है।



रायगाड, महाराष्ट्र स्थित इस्पात इण्डस्ट्रीज के तट आधारित 3 मिलियन टन क्षमता वाले डोल्वी एकीकृत इस्पात कारखाने का विहंगम दृश्य

भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल)

भूषण पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, हालांकि एकीकृत इस्पात उत्पादन में नया-नया है, उसे इस्पात क्षेत्र में 35 वर्ष का अनुभव है और यह पूर्ववर्ती भूषण स्टील समूह का भाग है। वर्तमान में कम्पनी के चण्डीगढ़ और डेरावासी में 5 तैयार उत्पाद कारखानों और कोलकाता में एक कारखाना है। इसका प्रथम एकीकृत इस्पात कारखाना जो उड़ीसा के संभलपुर जिले में है, कुल 0.68 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता के 4 डीआरआई भट्टों, 0.80 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता का ब्लास्ट फर्नेस, 0.45 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता का कोक ओवन प्लांट, 1 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता का सिण्टर प्लांट, 1.2 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता की इस्पात उत्पादन क्षमता तथा 0.9 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता की एचआर मिल के साथ प्रचालनरत है। वर्ष 2010 तक कम्पनी की योजना 1.02 मिलियन टन क्षमता की स्पंज आयरन और 1.0 मिलियन टन क्षमता का तप्त धातु उत्पादन सुविधाएं जोड़ने की है।

मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल)

एमआईईएल ने अपनी उत्पादन गतिविधियां एक लाख टन प्रतिवर्ष कोयला आधारित देशज टेक्नोलॉजी के स्पंज आयरन प्लांट के साथ वर्ष 1994 में आरंभ की थी। आज यह देश में सबसे बड़े कोयला आधारित स्पंज आयरन एवं मैंगनीज एलॉयज विनिर्माताओं में एक है। इसके अलावा, एमआईईएल के रायपुर स्थित स्पंज आयरन भट्टे ने 525 दिनों का विश्व रिकॉर्ड कैम्पेन प्राप्त किया है और अब तक प्रचालन में है। कम्पनी की अपनी निजी कोयला खानें हैं और यह एकमात्र भारतीय निजी कम्पनी है जो भूमिगत कोयला खानों को आपरेट कर रही है। कम्पनी ने खनन उद्योग में उत्पाद (सर्वाधिक उत्पादक भूमिगत कोयला खानें), सुरक्षा (लगातार दो वर्षों के लिए डीजीएमएस सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित) और ओएमएस के मद्देनजर विभिन्न बेंचमार्क बनाए हैं। बहुत ही थोड़े समय में इस कम्पनी ने इस्पात के क्षेत्र में विशेष पहचान बनायी है और 2012 तक उसका मिशन 5.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष अति प्रयोजनसाध्य इस्पात उत्पाद जोड़ने का है।

विस्तार

वर्तमान में कम्पनी छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में 0.30 मिलियन टन प्रतिवर्ष तैयार इस्पात और रायगढ़ में 0.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्पंज आयरन का उत्पादन कर रही है। कम्पनी अपने रायगढ़ इस्पात काम्प्लेक्स का विस्तार करने की प्रक्रिया से गुजर रही है। समूची सुविधा को डीआरआई 1.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं तप्त धातु 1.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष के प्राथमिक इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया, निजी खानों, विद्युत इत्यादि के साथ एकीकृत किया जायेगा। कम्पनी प्लेट, वायर रॉड्स के संयोजन के साथ 1.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की इकाई लगा रही है और साथ ही अति प्रयोजनसाध्य निर्माण क्षेत्र की भी जरूरतों को पूरा कर रही है। इसकी योजना अंगुल, उड़ीसा में 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक पूर्णतया एकीकृत इस्पात कारखाना लगाने की है जहां चरण 1 का कार्य पहले से ही प्रगति पर है। इसकी योजना हजारीबाग, झारखण्ड में भी 1.00 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की है।

स्पंज लौह उद्योग

भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से विशेष तौर पर पिछले 5 से 6 वर्षों में स्पंज लोहे का भारी विकास हुआ है। स्पंज लोहे की संस्थापित क्षमता 1990-91 में 1.52 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी जो 2004-05 में बढ़कर 26.39 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गयी। इसका उत्पादन 1990-91 में 0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता था जो 2006-07 में बढ़कर 18.35 मिलियन टन हो गया। वर्तमान में, देश में स्पंज लोहे की 324 इकाई संस्थापित हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 26.39 मिलियन टन है। इसमें 321 कोयला आधारित इकाइयां प्रचालन में हैं जिनकी वार्षिक क्षमता 18.40 मिलियन टन है। 3 गैस आधारित इकाइयों की वार्षिक क्षमता 7.99 मिलियन टन है।

अपने उत्पादन की रिपोर्ट देने वाली स्पंज लोहा इकाइयों का पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर-2007) का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

उत्पादन	2004- 05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर '07 (अनंतिम)
कुल सूचित	10.30	12.65	18.34	13.85
कुल अनुमानित	-	-	-	-
सकल योग	10.30	12.65	18.34	13.85

कच्चा लोहा उद्योग

इंजीनियरी क्षेत्र में विभिन्न किस्म की कास्टिंग्स का उत्पादन करने के लिए फाउंड्री एवं कास्टिंग उद्योग को कच्चे लोहे की कच्चे माल के तौर पर मूल रूप से जरूरत पड़ती है। ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मिनी ब्लास्ट फर्नेस को एकीकृत किया है और ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के जरिए इस्पात का उत्पादन करने

के लिए सीधे ही चार्ज मिक्स में तप्त धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्याणी और मुकुंद के संयुक्त उद्यम, हॉस्पेट स्टील एवं सर्न आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने इस्पात उत्पादन के लिए अपनी मिनी ब्लास्ट फर्नेसों को ऊर्जा किफायती फर्नेस के साथ एकीकृत किया है। इनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तप्त धातु का इस्तेमाल कच्चे लोहे के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा कर्नाटक में चालू की गई मिनी ब्लास्ट फर्नेस कोरेक्स प्लांट (परम्परागत एमबीएफ/बीएफ की विकल्प) बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) के जरिए डाउन-स्ट्रीम इस्पात उत्पादन भी कच्चे लोहे है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

(मिलियन टन में)

यूनिट की किस्म	2004- 05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर '07 (अनंतिम)
निजी / सेकेंडरी उत्पादक	2.603 (81%)	3.688(79%)	4.133(83%)	3.150(81%)
कुल	2.603	3.688	4.133	3.150

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान दर्शाते हैं।

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग

वर्तमान में, देश में 13.80 मिलियन टन वार्षिक कुल क्षमता के 36 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित इस्पात कारखाने कार्य कर रहे हैं। कार्यरत इन इकाइयों के अलावा लगभग 3 अन्य इकाइयों को बन्द कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिन्होंने संयुक्त संयंत्र समिति को अपने उत्पादन की सूचना दी है, द्वारा इनाट्स/कन्कास्ट बिलेट्स का वर्ष 2005-06 के दौरान 8.43 मिलियन टन के मुकाबले 2006-07 के दौरान 9.88 मिलियन टन उत्पादन किया और इस तरह 17% की वृद्धि दर्ज हुई। यह क्षेत्र बढ़ती हुई कच्चे माल की लागत, बढ़ती हुई बिजली की कीमतों, बिजली की कमी और संसाधनों की कमी की दिक्कतों का सामना करता रहा है।

इन्डक्शन फर्नेस उद्योग

वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमान है कि 19.50 मिलियन टन क्षमता की 970 इकाइयाँ प्रचालन कर रही थी। इन्डक्शन फर्नेस इकाइयों द्वारा वर्ष 2005-06 में उत्पादित 13.49 मिलियन टन की तुलना में 2006-07 के दौरान 15.39 मिलियन टन कुल उत्पादन किया गया, जो 14% की वृद्धि है।

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएफ) आधारित इस्पात संयंत्रों का कार्यनिष्पादन

स्थिति (संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 2004 में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाइयों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अद्यतन)

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	संख्या	क्षमता
कमीशन्ड यूनिट	39	14.14
बंद यूनिट	3	0.34
कार्यशील यूनिट	36	13.80

उत्पादन

संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उत्पादन निम्नलिखित है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर 2007 (अनंतिम)
माइल्ड स्टील	4.37	4.31	5.06	3.79
मीडियम/हाई कार्बन स्टील	1.35	1.50	1.76	1.32
एलॉय स्टील	0.95	1.53	1.80	1.35
स्टेनलेस स्टील	0.84	0.92	1.08	0.81
अन्य	0.05	0.04	0.05	0.04
कुल सूचित	7.56	8.30	9.75	7.31
कुल अनुमानित	0.28	0.13	0.13	0.10
कुल योग	7.84	8.43	9.88	7.41

हॉट रोलड लम्बे उत्पाद इकाइयां (रि-रोलिंग मिलें)

स्थिति (संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 2004 में रि-रोलिंग इकाइयों पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर अद्यतन :

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कमीशन्ड इकाइयां	2288	34.19
बंद इकाइयां	669	6.09
कार्यशील इकाइयां	1619	28.10

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हॉट रोलड लम्बे उत्पादों का उत्पादन करने वाली इकाइयों का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004 - 05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर, 2007 (अनंतिम)
बार्स/रॉड्स (स्क्वेयर्स सहित)	3.98	4.97	5.70	4.27
वायर रॉड्स	0.88	0.84	0.96	0.72
स्ट्रक्चरल	1.21	1.62	1.85	1.39
हूप्स	0.03	0.03	0.05	0.04
स्पेशल सेक्शन	0.17	0.22	0.26	0.19
पत्रा/अन्य	0.59	1.32	1.51	1.13
कुल सूचित	6.86	9.00	10.33	7.74
कुल अनुमानित	4.68	4.04	9.50	7.13
कुल योग	11.54	13.04	19.83	14.87

स्टील वायर ड्रॉविंग इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कुल इकाइयां	100	1.44
बंद इकाइयां	67	0.82
कार्यशील इकाइयां	33	0.62

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्टील वायर ड्रॉविंग इकाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004 - 05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर, 2007 (अनंतिम)
माइल्ड स्टील	0.16	0.08	0.07	0.05
मीडियम/हाई कार्बन स्टील	0.17	0.20	0.18	0.13
एलॉय स्टील	0.01	0.04	0.04	0.03
स्टेनलेस स्टील	0.01			
अन्य	0.04	0.17	0.14	0.10
कुल सूचित	0.39	0.49	0.43	0.31
कुल अनुमानित	0.03	0.01	0.11	0.09
सकल योग	0.42	0.50	0.54	0.40

हॉट रोलड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट्स इकाइयां
स्थिति

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कमीशन्ड इकाइयां	14	11.41
बंद इकाइयां	5	0.26
कार्यशील इकाइयां	9	11.15

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हॉट रोलड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004-05	2005-06	2006-07
हॉट रोलड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स	6.95	7.45	8.56
प्लेट्स	0.33	0.65	0.89
कुल सूचित	7.28	8.10	9.45

कोल्ड रोलड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयां
स्थिति

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कुल इकाइयां	91	7.89
बंद इकाइयां	38	0.8
कार्यशील इकाइयां	53	7.09

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल्ड रोलड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004 - 05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर, 2007 (अनंतिम)
माइल्ड स्टील	4.18	4.87	5.48	4.10
मीडियम कार्बन स्टील	0.10			
हाई कार्बन स्टील	—			
एलॉय स्टील	0.01			
स्टेनलेस स्टील	0.16	0.17	0.20	0.15
अन्य	0.07	0.09	0.08	0.06
कुल सूचित	4.52	5.13	5.76	
कुल अनुमानित	0.03	0.03	0.05	0.04
सकल योग	4.55	5.16	5.81	4.35

गैलवेनाइज्ड और कलर कोटेड शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयां
स्थिति

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कमीशनड इकाइयां	18	4.25
बंद इकाइयां	-	-
कार्यशील इकाइयां	18	4.25

उत्पादन

जेपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैलवेनाइज्ड (प्लेन एवं कोरुगेटेड कलर कोटेड शीट्स/स्ट्रिप्स इकाइयों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004-05	2005-06	2006-07
जीपी/जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स (कलर कोटेड सहित)	2.87	3.22	3.58
कुल सूचित	2.87	3.22	3.58

टिन प्लेट इकाइयां

स्थिति

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कमीशनड इकाइयां	3	0.21
बंद इकाइयां	2	0.03
कार्यशील इकाइयां	1	0.18

उत्पादन

टिन प्लेट इकाइयों का पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

श्रेणियां	2004 - 05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसम्बर, 2007 (अनंतिम)
ऑयल कैन साइज़	0.14	0.15	0.16	0.12
नॉन-ऑयल कैन साइज़	-	-	-	-
कुल सूचित	0.14	0.15	0.16	0.12

अध्याय – VI अनुसंधान एवं विकास

पिछले कई वर्षों से भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्य कुछ ही इस्पात कम्पनियों जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. और टाटा स्टील लि. तक सीमित रहा है। बहरहाल, धीरे-धीरे अब यह अन्य कारखानों में होने लगा है, यद्यपि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास अभी बहुत कम यानी उनके कारोबार का 0.2% से कम हुआ है।

लौह अयस्क और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, इस्पात मंत्रालय में सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित अधिकृत समिति इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) ने प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 59 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिसमें एसडीएफ का 230 करोड़ रु. का योगदान है। इनमें से 24 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, 8 परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं और 27 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। अनुसंधान क्षेत्रों में अन्य बातों के अलावा, अयस्क का बेनीफिसियेशन, उत्पादकता में सुधार, नये/क्वालिटी युक्त उत्पादों का विकास, मानव संसाधनों का विकास, ऊर्जा खपत एवं प्रदूषण में कमी इत्यादि शामिल हैं। पूर्ण की गई इन कुछ परियोजनाओं का लौह एवं इस्पात उद्योग को लाभ मिलने लगा है। भारत में इस्पात की विभिन्न कंपनियों और संबंधित क्षेत्र में 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (सितम्बर, 2007 तक) का कंपनी वार कारोबार, अनुसंधान एवं विकास निवेश एवं अनुसंधान एवं विकास पर कारोबार का % विवरण निम्न हैं:

(करोड़ रुपये में)

कम्पनियों का नाम	2005-06			2006-07			2007-08 (30.9.07 तक)		
	कारोबार	अनु. एवं वि. निवेश %	कारोबार का %	कारोबार	अनु. एवं वि. निवेश %	कारोबार का %	कारोबार	अनु. एवं वि. निवेश %	कारोबार का %
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. *	322.80	62.38	0.193	39189	76.85	0.196	30026	62.09	0.207
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.**	8469	10.46	0.12	9131	11.68	0.13	10000	15.00	0.15
एनएमडीसी लि.	3711	6.17	0.17	4186	729	0.17	3817	6.63	0.17
कुद्रेमुख आयरन ओर क. लि.	1232.28	0.35	0.02	267.44	0.60	0.22	927.53	1.20	0.13
मैंगनीज (ओर) इंडिया लि. **	334.09	1.28	0.38	417.63	2.08	0.50	650.0	4.18	0.64
स्पंज आयरन इंडिया लि.	43.04	0.09	0.21	50.61	0.12	0.24	33.93	0.09	0.26
भारत रिफ्रेक्टरीज़ लि.	164.29	0.23	0.14	199.83	0.21	0.10	100.24	0.16	0.16
मेकॉन लि.	253.79	00.55	0.22	365.61	0.61	0.17	172.73	0.21	0.13
टाटा स्टील लि.	11904	25.00	0.21	13854	33.25	0.24	8664	14.73	0.17
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2905	1.74	0.06	3948	2.76	0.07	2504.67	1.95	0.078
जिंदल स्टेनलेस लि.	3494.60	0.46	0.013	5267.80	1.04	0.02	2566.2	1.08	0.043
मुकुंद लि.	1650	0.66	0.04	1060	0.53	0.05	1300	0.26	0.020
एस्सार स्टील लि.	6850.5	2.87	0.045	9000.5	9.9	0.11	5681.8	7.0	0.12

*वर्ष 2007-08 के आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के हैं।

**आंकड़े पूर्ण वर्ष 2007-08 के अनुमान हैं।

इस्पात कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पहल की उपलब्धियां निम्न हैं:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (लि.)

कंपनी के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने चालू वर्ष 2007-08 में 104 अनु. एवं वि. परियोजनाएं हाथ में ली, जिसमें से 62 परियोजनाएं विवेच्य वर्ष में पूरी होने वाली हैं। इन परियोजनाओं में सेल कारखानों/इकाइयों को प्रौद्योगिकीय निविष्टियाँ प्रदान करने की व्यवस्था है जिसमें प्रमुख बल लागत कम करने, मूल्य-संवर्धन करने, क्वालिटी में सुधार लाने और नयी परियोजनाएं विकसित करने पर रहेगा। अप्रैल-नवंबर 2007 की अवधि में 16 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

इस केन्द्र ने अप्रैल-नवंबर 2007 में 2 पेटेण्ट और 6 कॉपीराइट फाइल किये हैं। इस अवधि में 24 पेटेण्ट सील किये गये हैं तथा 15 कॉपीराइट प्रदान कर दिये गये हैं। करीब 30 तकनीकी शोध-पत्र प्रकाशित किये गये तथा 56 शोध-पत्रों की प्रस्तुति की गयी। इसके अतिरिक्त, आरडीसीआईएस में सविदागत अनुसंधान कार्य हाथ में लिया और सेल से बाहर के संस्थानों को महत्वपूर्ण परामर्शदात्री सेवाएं तथा तकनीकी जानकारी मुहैया कराई गई। इससे नवंबर, 2007 तक 119.17 लाख रु. की बाहरी आमदनी हुई।



बेहतर एवं आरामदेय यात्रा के लिए सेल के भिलाई इस्पात कारखाने में तैयार लम्बी रेल्स।

अनुसंधान एवं विकास प्रयास तथा उपलब्धियाँ

अप्रैल-नवंबर, 2007 में विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का सार नीचे दिया गया है:

लागत प्रतियोगिता/क्वालिटी सुधार में पहल:

- सिण्टर प्लांट 3 बीएसपी में सिण्टर रिटर्न को नियमित करने के लिए लो मैंगनीज ऑक्साइड सिण्टर प्रैक्टिस, जिसका परिणाम अधिक सिण्टर क्षमता से अधिक उत्पादकता।
- ब्लास्ट फर्नेस 2, आरएसपी में उच्च कार्बन मोनो ऑक्साइड/ कार्बन डाय ऑक्साइड अनुपात के कारणों की जांच, जिसका परिणाम गैस उपयोग में सुधार।
- बीएसएल में ब्लास्ट फर्नेस चार्जिंग कनवेयर्स का ऑटो ऑपरेशन तथा वाइब्रेटर्स की मॉनिटरिंग, जिसका परिणाम कनवेयर्स के डाउनटाइम में कमी (7 घंटा/माह) तथा तप्त धातु उत्पादन में वृद्धि।
- बीएसपी में एसएमएस II में विशेष क्वालिटी स्लैबों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वीएडी प्रोसेस पैरामीटरों का अनुकूलन।
- डीएसपी में 125 एमएम स्केवेयर फोर्जिंग क्वालिटी बिलेट के लिए कास्ट बिलेट क्वालिटी और कास्टर उत्पादकता का संवर्धन।
- हाई कार्बन सीसी बिलेट का क्वालिटी उन्नयन।
- आरएसपी में एसएमएस-1 में 60 टन स्टील लैडल की लाइनिंग लाइफ में सुधार।
- बीएसएल में गैलवेनाइज्ड उत्पादों की कोटिंग संशक्ति में सुधार।
- बीएसएल में डीसीआर मिल तथा सीआरएम में एज गाइड सिस्टम के हाइड्रोलिक सकिट में डिजाइन मोडिफिकेशन।

ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण नियंत्रण पहल:

- भिलाई इस्पात कारखाने (बीएसपी) के सिण्टर प्लांट 2 की मशीन 1 में कर्टेन फ्लेम इग्निशन सिस्टम का आरंभ, परिणामस्वरूप, उत्पादकता 1.10 से बढ़कर 1.20 टन/एम² प्रति घंटे हुई। बोकारो इस्पात कारखाने (बीएसएल) में स्टील फाउण्ड्री के एनीलिंग फर्नेस के ताप कार्यनिष्पादन में सुधार, परिणामस्वरूप ईंधन की खपत में कमी।
- दुर्गापुर इस्पात कारखाने (डीएसपी) में बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) में कूलिंग वाटर सर्किट में वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का आरंभ।

नव उत्पाद विकास

- बीएसपी में बेहतर-संक्षरण रोधकतायुक्त भूकम्प रोधी टीएमटी रीबार ग्रेड एफई 415/500 (8/10/12 एम एम) का विकास।
- बीएसपी में हाई यील्ड स्ट्रेन्थ रोलड प्लेट्स (सेल एमए 550 एचआई) का विकास।
- आरएसपी में टी-90 एमबीटी के लिए आरमर स्टील प्लेटों का विकास तथा वाणिज्यिक उत्पादन।
- बीएसएल में बोरॉन बियरिंग एल्युमीनियम किल्ड लो कार्बन-स्टील का विकास।
- बीएसपी में वेनेडियम माइक्रो-एलॉयड रेल का विकास।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

विवेच्य वर्ष में विभिन्न अनु. एवं वि. कार्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां संक्षेप में नीचे दी गयी हैं:

प्रक्रिया सुधार

- घूम सकने वाली भित्ति के साथ 250 कि. ग्रा. क्षमता वाला अपने ही यहाँ डिज़ाइन तथा फैब्रिकेट किया गया पायलट कोक ओवन सफलतापूर्वक चालू किया गया। विभिन्न किस्म के कोयले को सफलतापूर्वक आजमाया गया। अध्ययन प्रयोजन के लिए प्लास्टिक तथा बॉयलर कोल को भी विभिन्न प्रतिशत में आजमाया गया। अप्रत्यक्ष लाभ हैं- कोयले के विभिन्न स्रोतों/प्रकार के साथ पायलट ओवन टेस्ट द्वारा कोल ब्लेण्ड का अनुकूलन।
- एलडी कनवर्टर स्टेक कूलिंग सर्किट की दक्षता में सुधार की परियोजना पूरी हो गयी है और संबंधित विभाग द्वारा जल्द ही उसे कार्यान्वित किया जायेगा।
- क्रूड बेन्जॉल रिकवरी की प्रक्रिया में 'मक जनरेशन' की जाँच के लिए एक परियोजना हाथ में ली गयी थी। यह परियोजना पूरी कर ली गयी तथा मक जनरेशन के कारणों का पता लगा लिया गया।
- मड गन मास क्वालिटी में सुधार के लिए एक आंतरिक परियोजना हाथ में ली गयी।

नये ग्रेडों/उत्पादों का विकास

- 27 सी 15, सीएचक्यू 1010 एवं सीएचक्यू 1018 पर कार्य चल रहा है।

लागत में कमी

- आरआईएनएल की कण्टीन्यूअस कास्टिंग के तकनीकी विश्लेषण तथा अनुकूलन के लिए एनआईटी, त्रिची के साथ कारखानों की मौजूदा सुविधाओं का उपयोग कर एक परियोजना हाथ में ली गयी है।
- उत्पाद के बेहतर उपयोग के लिए वेलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिची की सहायता से ईक्यू ग्रेड वायर रॉड क्वाइल में अल्युमीनियम मात्रा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना हाथ में ली गयी है।

अपशिष्ट प्रबंधन

- ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए आरआईएनएल में प्लांट प्रोसेस कचरे का प्रयोग कर ब्रिक्वेट्स का उत्पादन किया गया। कुछ ब्रिक्वेट्स पहले ही बना ली गयी हैं और प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया गया और औद्योगिक पैमाने पर ब्रिक्वेट्स का उत्पादन करने के लिए अध्ययन हेतु आगे की कार्रवाई चल रही है।
- कनवर्टर स्लज से बनाए गये ब्रिक्वेट्स का इस्पात उत्पादन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया और औद्योगिक पैमाने पर इन ब्रिक्वेट्स का उत्पादन करने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है।
- उत्पन्न एलडी स्लैग का उपयोग बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गयी। बायो-रेमीडियल प्रोसेस के जरिये एलडी स्लैग से फास्फोरस हटाने के लिए एक परियोजना हाथ में ली जा रही है ताकि एलडी स्लैग की आंतरिक रीसाइक्लिंग बढ़ाई जा सके।

ऊर्जा संरक्षण

- रोलिंग मिल्स में री-हीटिंग फर्नेस की थर्मल दक्षता सुधारने के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है। इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजी (हैदराबाद) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है।

पर्यावरण प्रबंधन

- बायो-रेमीडियल पद्धति द्वारा अमोनीय नाइट्रोजन हटाने के अध्ययन के लिए एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना हाथ में ली गयी। प्रयोगशाला पैमाने पर उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं।
- आरआईएनएल में एलगे का उपयोग कर प्लू गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए आंध्रा विश्वविद्यालय के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से एक परियोजना हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव है।

एनएमडीसी लिमिटेड

- ब्लू डस्ट से नैनो क्रिस्टलाइन आयरन पाउडर बनाने के लिए विकास कार्य को हाथ में लेने हेतु एमआईएसए (मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एण्ड एलायज) और एनएमडीसी के बीच तकनीकी सहयोग के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- कार्बन-फ्री स्पंज आयरन पाउडर का उत्पादन करने के लिए 300 टन प्रति वर्ष क्षमता के एक पायलट प्लांट के निर्माण का कार्य पहले ही प्रदान कर दिया गया है और अप्रैल 2008 तक उसके पूरा हो जाने की संभावना है।
- अनुसंधान एवं विकास के नये उत्पाद विकास विंग ने मैंगनीज-जिंक फेराइट्स के 4 नये ग्रेड विकसित किये हैं और निकिल-जिंक फेराइट्स के भी दो ग्रेड विकसित किये हैं।
- नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एवं बिल्डिंग मैटीरियल्स लेबोरेटरी, बल्लभगढ़ के सहयोग से सीमेंट उद्योगों का कार्य निष्पादन सुधारने के लिए किब्रंलाइट टेलिंग्स का अध्ययन पूर्ण हुआ एवं रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रेसिपिटेटिड सिलिका, सोडियम सिलिकेट और जियोलाइट-ए जैसे मूल्य संबंधित सिलिका आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिए पायलट प्लांट स्थापित करने हेतु सेंट्रल राल्ट मेरीन कैमिकल्स रिसर्च केमिकल्स इंस्टीट्यूट और कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- बीच सैण्ड से मूल्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए देशज टेक्नालॉजी का विकास प्रगति पर है। टिटैनिया स्लैग और कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए 1.5 टन प्रतिमाह क्षमता वाला पायलट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है।
- एनएमडीसी की अन्वेषण/विकास/उत्पादन परियोजनाओं से संबंधित कार्यों के अलावा, अन्य कम्पनियों/सार्वजनिक लाभ के प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं को भी नियमित रूप से लिया जा रहा है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

- मॉयल में अनुसंधान एवं विकास की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे हैं उनमें प्रमुख बल अधिकाधिक गहराई पर भूमिगत खानों में सुरक्षित तथा कम लागत के साथ चुनौतीपूर्ण खनन कार्य पूरा करने पर दिया जा रहा है।
- नये डिपोजिट्स का पता लगाने के अतिरिक्त बेनीफिसियेशन और अपग्रेडेशन तकनीकों के विकास हेतु अनु. एवं विकास कार्यों पर भी बल दिया जा रहा है।

मेकॉन लिमिटेड

अनु. एवं वि. उत्पादों के वाणिज्यिकरण की दिशा में, मेकॉन एमबीटी अर्जुन तथा अन्य बख्तरबन्द वाहनों हेतु सॉलिड स्टेट माइक्रोक्लाइमेट कण्ट्रोलिंग यूनिट (एमएसएमसीयू) सप्लाय करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एण्ड एलाइड साइंसेज (डीआईपीएस), डीआरडीओ, दिल्ली से आर्डर लेने में सफल रहा है।

एसएसएमसीयू को उच्च परिवेशी ताप या मरूस्थलीय स्थानों में कार्यरत रक्षा कार्मिकों के लिए मेकॉन द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया था। इस एसएसएमसीयू को एमबीटी अर्जुन टैंक में जोड़ा गया और सीवीआरडीई, चेन्नई में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। इस तरह की यूनिट का एक अंतिम सफल प्रदर्शन आजमाइश राजस्थान (भारत पाक सीमा पर) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में की गयी।

पूर्ण किये गये नियतकार्य/ परियोजनाएं

- रक्षा कार्मिकों के लिए हीटिंग ग्लव्स और जुराबें सप्लाय करने के लिए डीआरडीओ से प्राप्त आर्डर के वाणिज्यिक आधार पर प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किये गये।
- “ठण्डे क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल्स के लिए थर्मो इलेक्ट्रिकली हीटेड ऑयल फिल्टर” सफलतापूर्वक विकसित किया गया और भारतीय पेटेंट के लिए आवेदन किया गया।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों के विचाराधीन नयी अनु. एवं. विकास परियोजनाएं

- आयरन ओर अल्ट्रा फाइन्स का उपयोग करने के लिए 0.5 मिलियन टन/वर्ष क्षमता का मिनि पैलेट प्लांट देश में ही तैयार करने हेतु सेल, आरडीसीआईएस के साथ संयुक्त संशोधित प्रस्ताव।
- आरएसपी, सेल के ब्लास्ट फर्नेस नंबर 4 के लिए स्टोव हीटिंग मॉडल तथा ऑटोमेटिक स्टोव चेंजओवर के संबंध में संयुक्त प्रस्ताव।



अन्य अनु. एवं विकास प्रयास

- तीन पेटेण्ट्स सील किये गये (पेटेण्ट सं. 198979, 195457 और 198129)
- प्रक्रियाधीन पेटेण्ट-एक (पेटेण्ट फाइलिंग सं. 1429 के ओएल/2007)

भारत रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

- स्पाइनल बाण्डेड फंक्शनल रिफ़ैक्टरीज जैसे कि टॉप वेल ब्लाक, बाटम वेल ब्लाक, पोरस प्लग ब्लाक, अधिक लैंडल लाइफ के लिए अपर नोजल तथा लोवर नोजल का विकास।
- मौजूदा प्रचालनात्मक पैरामीटरों के साथ अधिक लम्बी टैप होल लेंथ और कास्टिंग अवधि प्राप्त करने के लिए विशेष क्वालिटी टॉप होल क्ले का विकास।
- 40,000 मिलियन टन तप्त धातु थ्रूपुट स्ट्रेट लाइफ लक्षण वाले विशेष हाई ग्रेड ट्रफ मिक्स बेस (एल्यूमीना+सिलिका 82 %) का विकास।
- 100%+3.2 मीटर टैप होल लेन्थ प्राप्त करने के लिए स्पेशल रेसिन बांडेड मडगन मास का विकास।
- एसएमएस-II कनवर्टर में कम्बाइण्ड ब्लोइंग टेक्नीक युक्त टूर सराउण्डिंग ब्रिक्स का विकास।

उपरोक्त कम्पनीगत अनु. एवं विकास गतिविधियों में ब्रिक्स की मीयाद बढ़ाने में मदद मिली है, जिससे फलतः कम्पनी की आय में बढ़ोतरी हुई है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

केआईओसीएल की अनु. एवं विकास गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य हेमेटाइट अयस्क से पेलेट प्लाण्ट चलाने की जरूरतों के अनुरूप प्रक्रिया विकास/संशोधनों के जरिये क्वालिटी में सुधार लाना है।

उपलब्धियाँ

अपेक्षित कन्सट्रेंट को लगभग 1600 ब्लेन आकार का प्राप्त करने के लिए, 10 मि.मी. लौह अयस्क चूर्ण को 1600 ब्लेन तक ग्राइण्ड करने हेतु ग्राइण्डिंग सुविधा तैयार की गयी है और वह प्रचालनाधीन है। समस्त तीन मिल लाइनों के लिए डेरिक स्क्रीन चालू कर दी गयी है और अल्ट्रा चूर्ण को अलग करने के लिए वह उत्पादन लाइन में हैं। पेलेट बनाने में हेमेटाइट अयस्क का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया और प्रौद्योगिकीय संशोधनों हेतु मेटकेम कनाडा इनकारपोरेट से उनके प्रोसेस लेब्रोरेटर कोरेम, कनाडा के माध्यम से सहायता ली जा रही है। विभिन्न एजेंसियों से लिये गए हेमेटाइट अयस्क की प्राप्ति, दुलाई, हैंडलिंग, ब्लेडिंग, भंडारण और ग्राइडिंग के लिए मंगलौर स्थित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास निम्न प्रकार से किया गया है:

- रेलवे वैनो में आने वाले लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए केआईओसीएल के पिग आयरन कॉम्प्लेक्स के निकट रेलवे साइडिंग का निर्माण।
- रेलवे साइडिंग से पेलेट प्लाण्ट भण्डारण स्थल तक लौह अयस्क चूर्ण को उतारने, भण्डार करने और ले जाने के लिए वृहत मैटीरियल हैंडलिंग सुविधा का निर्माण।
- पेलेट फीड मैटीरियल बनाने के लिए हेमेटाइट लौह अयस्क को ग्राइण्ड करने हेतु वेट ग्राइडिंग सिस्टम तैयार करना तथा हेमेटाइट अयस्क से पेलेट्स के उत्पादन के अनुकूल पेलेट प्लाण्ट का संशोधन ।

परियोजना स्थिति (अनु. एवं. विकास)

- | | |
|---|---|
| ● 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार चालू परियोजनाओं की कुल सं. | 4 |
| ● पूरी कर ली गयी परियोजनाओं की संख्या | 1 |
| ● 2007-08 में योजनागत परियोजनाओं की संख्या | 2 |

टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)

टाटा स्टील में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां दो प्रमुख प्रयोजनों से निष्पादित की जा रही है:

- नयी प्रौद्योगिकी और उत्पादों का विकास करना, जिससे कम्पनी को प्रतिस्पर्धा लाभ मिलता है।
- ग्राहकों के लिए मूल्य संवर्धन करना।

वर्तमान तथा भविष्य की प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनु. एवं विकास गतिविधियों में अधिकांशतः निम्नलिखित 7 विशेष क्षेत्रों पर बल दिया जाता है:

- भारतीय कोकिंग कोयले से, संप्राप्ति बरकरार रखते हुए, 8% ऐश कोयला उत्पादन करना।
- लौह अयस्क का बेनिफिसियेशन पूरा करना।

- ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता बेहतर करना
- इस्पात उत्पादन में फास्फोरस की मात्रा कम करना
- ऑटोमोबाइल्स के लिए हाई स्ट्रेन्थ, हाई टक्टिलिटी सपाट उत्पाद तैयार करना
- फेरो क्रोम-विद्युत लागत में कमी
- कोटिंग्स-जिंक की खपत को कम करना

सहयोग:

विश्व में श्रेष्ठ अनुसंधान समूहों का फायदा उठाने के लिए, टाटा स्टील का अनुसंधान एवं विकास समूह अग्रणी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा संस्थाओं से सहयोग ले रहा है। आगन्तुक वैज्ञानिकों की अवधारणा कार्यान्वित भी की गयी। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ख्याति के तीन वैज्ञानिक प्रोफेसर आर.के. रे, प्रोफेसर ए.के. लाहिड़ि और प्रोफेसर टी.सी.राव अनु. एवं विकास में 3-9 माह व्यतीत कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अनेक वैज्ञानिक नियमित रूप से टीएसएल में आते रहते हैं। वर्तमान में इस प्रभाग में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले 98 अनुसंधानकर्ताओं और 41 गैर-अधिकारियों (सुपरवाइजर और कामगार) की एक टीम कार्यरत है। 98 अनुसंधानकर्ताओं में से, पीएचडी उपाधि वाले 35, एमटेक/एमइंजी की उपाधि वाले 54 और बीई/बीटेक उपाधि वाले 9 लोग हैं।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर)

आईपीआर को अनु. एवं विकास का एक प्रमुख हथियार माना जाता है, जिससे अनुसंधान की विलक्षणता, मौलिकता और प्रयोजन मूलकाता परिलक्षित होती है। फाइल किये गये और प्रदत्त बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष	प्रदत्त	फाइल किये
2005-06	20	82
2006-07	53	74
2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)	35	22

आंतरिक प्रकाशन

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (सितंबर तक) में 10 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में अनु. एवं विकास व्यवसायविदों द्वारा प्रकाशित शोध-पत्रों की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

कैलेंडर	10 प्रमुख पत्रिकाओं में शोध-पत्रों की संख्या
2005	20
2006	34
2007	18
2008 (सितम्बर तक)	19

हितलाभ

अनु. एवं विकास प्रयासों के कुछ हितलाभ नीचे उल्लिखित हैं:

- **इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) ग्रेड स्लैब के सोकिंग टाइम में कमी** : आईएफ स्लैबों के सोकिंग टाइम में कमी आने से एक ओर जहां सी आर स्ट्रिप की सर्फेस क्वालिटी बरकरार रही है वहीं हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) की उत्पादकता 166 से बढ़कर 250 टन प्रति घंटा हुई है। इसके फलस्वरूप 14.67 करोड़ रु. प्रति वर्ष की आवर्ती बचत हुई है।
- **इस्पात उद्योग के लिए रबड़ कवरींग रोलस**: इस प्रयास के चलते निम्नलिखित नतीजे के साथ 13.28 करोड़ रु. की आवर्ती बचत हुई है:
 - स्ट्रेट लाइफ में लगभग: 300% की वृद्धि
 - ग्रूव फार्मेशन, लेयर सेपरेशन, स्लिपेज, कटमार्क इत्यादि जैसे बड़ी चूकों के कोई संकेत नहीं
 - सर्विस लाइफ विस्तार के परिणाम-ब्रेक डाउन टाइम में कभी, शटडाउन फ्रिक्वेंसी में कमी, निर्बाध उत्पादन, अनुरक्षण लागत में कमी तथा तैयार स्टील क्वाइलों में कम क्वालिटी आने की प्रवृत्ति में कमी।



जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों से मिले लाभ

- सिण्टर में उत्पादकता तथा क्वालिटी सुधार, जिसके परिणामस्वरूप सिण्टर की उत्पादकता 31.6 से बढ़कर 35.3 टन/एम²/प्रति दिन हुई है।
- बेहतर क्वालिटी सिण्टर का उत्पादन करने के लिए एक प्रक्रिया का विकास।
- सिण्टरिंग के लिए चुनिंदा ग्रेन्युलेशन प्रक्रिया का प्रयोगशाला में विकास।
- बेलारी-हास्पेट क्षेत्र के साफ्ट एवं फ्रेगाइल आयरन ओर फाइन्स से हाईब्रिड सिण्टर का प्रयोगशाला में विकास।
- हाई बेसिसिटी (1.3 तक) पेलेट्स का उत्पादन करने के लिए प्रक्रिया विकास ताकि ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता को बेहतर किया जा सके।
- यार्ड में सिण्टर की भण्डार क्षमता बढ़ाने के लिए एक नयी प्रक्रिया का विकास।
- कोयला ब्लेण्ड तथा उसके सलक्षणों के अनुकूलन के जरिये कोक ओवन में उत्पादकता तथा क्वालिटी में सुधार।
- आर्द्रता को 4% से कम लाने के लिए नया कोयला ड्रायर लगाकर कोरेक्स की उत्पादकता में सुधार, कोयला चयन के लिए नये पैरामीटरों जैसे कि सीसीएसआर एवं सीसीआरआई (पेटेण्टीकृत) का आरंभ और मेल्टर-गैसफायर में सिण्टर चूर्ण का उपयोग (पेटेण्टीकृत)।
- बेहतर पेलेट क्वालिटी तथा बेहतर क्वालिटी के कोयले का उपयोग कर शाफ्ट जाम हो जाने की घटनाओं में कमी लाकर कोरेक्स की उपलब्धता में सुधार।
- ब्लास्ट फर्नेस में बर्डन (पेलेट/सिण्टर/ओर) वितरण का अनुकूलन करके ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता में सुधार ताकि उसकी उत्पादकता में 2.1 टन/एम³/दिन से 2.3 टन/एम³/प्रति दिन का 10% तक का सुधार आ जाए।
- ब्लास्ट फर्नेस के लिए एक हर्थ वियर प्रिडिक्शन माडल का विकास।
- ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग दर में कमी।
- बीएफ-1आयरन रनर में सिण्टर चूर्ण का उपयोग करके बाहरी डी-सिलिकनाइजेशन के लिए एक नयी प्रक्रिया।
- एपीआई X 70 ग्रेड स्टील का विकास।
- भारत में अपनी तरह की पहली, हॉट मेटल प्री-ट्रीटमेण्ट सुविधा को चालू किया गया, जिसके फलस्वरूप पैरामीटरों का तेजी से अनुकूलन हो पाया और प्रक्रिया का सुगमता से स्थिरीकरण हुआ।
- इस्पात संप्राप्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए आईआईटी, कानपुर के साथ संविदागत अनुसंधान।
- री-हीटिंग फर्नेस में हवा/ गैस अनुपात के अनुकूलन और नियंत्रण द्वारा हॉट स्ट्रिप मिल संप्राप्ति में सुधार।
- पेलेटाइजिंग डिस्क का उपयोग कर कोल्ड बाण्डेड एग्लोमरेशन के जरिये लौह-युक्त टोस अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया का विकास, जोकि एक पर्यावरणगत चिंता का विषय है।

एस्सार स्टील लिमिटेड (ईएसएल)

वर्ष 2007-08 में अनुसंधान एवं विकास की खास-खास बातें:

- ऑटो एप्लिकेशन के लिए एसपीआरसी-35/40 सीआरसीए स्टील का विकास (आटोमोटिव उद्योग के लिए डेण्ट रोधी आईएफ स्टील का सफलतापूर्वक विकास)।
- ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए डीओएमईएक्स 650 स्टील प्लेटों का विकास (पहला परीक्षण सफल रहा जिसमें माल ने विनिदेशनों के मौलिक गुणधर्म को पूरा किया। यह स्टील परंपरागत बीएस के 46 का विकल्प रहेगा जोकि लंबी चेसिस और क्रॉस मेम्बर एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त होता है)।
- क) हॉट स्ट्रिप मिल-आरओटी तापमान पूर्वानुमान और ख) माइक्रो-स्ट्रक्चर इवोल्यूशन मॉडल के लिए गणितीय मॉडल का इन-हाऊस विकास (यह मॉडल आरओटी पर स्ट्रिप के तापमान प्रोफाइल को तय करने के लिए बहुत उपयोगी होगा और परिणामस्वरूप कूलिंग के प्रत्येक चरण पर माल के माइक्रो-स्ट्रक्चरल का काम करेगा। इसमें दोहरे चरण (एफ+एम) स्टील के विकास हेतु कूलिंग पैटर्न स्थापित करने के लिए आवश्यक डमी परीक्षणों की क्षमता में कमी आयेगी।
- एपीआई 5एल एक्स-80 और एपीआई 5 एलएक्स-65 ग्रेड स्टील लाइन पाइप एप्लीकेशन का विकास।

- कैटरपिलर विनिर्देशनों 1ई 1242 के अनुसार हाई स्ट्रेन्थ प्लेट्स का विकास (6.00 10.00 मि.मी. मोटाई रेंज में 550/620 मेगा पास्कल मिनीयम वाईएस तथा टीएस वाली हाई स्ट्रेन्थ प्लेटें विकसित की गयी जो कि आयात का विकल्प है।

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल)

हिसार स्थित जेएसएल नए सेगमेंट में प्रवेश करने तथा चुनौतीपूर्ण बाजार परिवेश के साथ खुद को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया सुधार तथा अनुकूलीकरण द्वारा नये उत्पाद विकास, मौजूदा उत्पादों की क्वालिटी का अपग्रेडेशन तथा लागत में कमी लाने पर बराबर बल दे रहा है। अनु. एवं विकास की खास-खास बातें नीचे दी गयी हैं:

- डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील 2304 ग्रेड का विकास। कैमिकल, पेट्रोकेमिकल तथा पेपर पल्प कारखानों को हॉट रोल्लड तथा एनीलड प्लेटें सप्लाई की गयी।
- विभिन्न मीडिया में क्रोम निकिल-एमओ (316 एल) ग्रेड को प्रतिस्थापित करने के लिए 216 एल का विकास, जो चीनी रिफाइनरी को सफलतापूर्वक सप्लाई किया गया।
- लिक्विड ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन टैंकों का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त क्रायोजनिक एप्लीकेशन हेतु 201एलएन ग्रेड का विकास।
- रेअर अर्थ सेरियम युक्त ताप रोधी स्टेनलेस स्टील 30815 का विकास।
- ग्राहक की जरूरत के मुताबिक अपेक्षित यांत्रिकीय गुणधर्म वाले निकिल रहित आईआरएसएम-44-97 और 409 एम ग्रेड का विकास।
- बहुत अच्छी स्ट्रेन्थ, कठोरपन और टूट-फूट रोधी गुणों वाला न्यूनतम 15% क्रोमियम युक्त निकिल रहित आस्टेनितिक स्टेनलेस स्टील का विकास।
- वाशिंग मशीन ड्रम एप्लीकेशन के लिए 430 फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का विकास।
- ऑटोमेटिव उद्योग के लिए बेहतरीन कर्षण क्षमता से युक्त फेरिटिक ग्रेड 436 एलएम का विकास।
- सुपीरियर ऑक्सीडेशन तथा कोरोजन रेजिस्टेंस और ऑटोमेटिव एक्जस्ट एप्लीकेशन के लिए फेरिटिक ग्रेड 439 का विकास।
- सुपीरियर पिंटिंग एवं क्रेवाइस कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए फेरिटिक ग्रेड 441 का विकास।
- कम निकिल युक्त आस्टेनितिक के स्टेनलेस स्टील के एलपीजी सिलिण्डर का विकास (प्रगति पर)।
- 216 एल तथा 201 एलएन ग्रेडों के लिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का विकास।

जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), रायगढ़

उत्पाद विकास

- रेल एवं यूनिवर्सल बीम मिल में एशिया के सबसे बड़े 800X300 और 900X300 पैरेलल फ्लेंज बीम सेक्शन का विकास
- 255 मि.मी. व्यास वाले राउण्ड सेक्शन की कास्टिंग
- 320 मि.मी. चौड़ी प्लेट की रोलिंग।


प्रक्रिया विकास

- सिण्टर के आप्टिमम आरआई और आरडीआई के लिए रसायन का अनुकूलन।
- प्लेटों की स्टार क्रैकिंग हटाने के लिए रसायन का अनुकूलन।
- पेट्रोग्राफिक अध्ययनों द्वारा कोयले का लक्षण वर्णन तथा कार्बनीकरण के लिए कोयला ब्लेण्डों का अनुकूलन।
- 460 कि.ग्रा. की कोक दर तथा 514 कि.ग्रा. प्रति टन तप्त धातु ईंधन दर के साथ ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता 2.5 टन/एम³ तक प्राप्त की गयी।
- कम बॉलेटाइल मैटर (वीएम) आयातित पल्वेराज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयले के साथ ब्लेण्ड करके ब्लास्ट फर्नेस में 10% कैप्टिव हाई वीएम और हाई ऐश वाशड कोल का इंजेक्शन।
- सेकण्डरी रिफाइनिंग स्लैग की रिसाइक्लिंग।
- पायलट कोक ओवन के साथ पूर्ण कोयला लक्षण-की प्रयोगशाला की सुविधा।

प्रौद्योगिकीय विकास

- ब्लास्ट फर्नेस की गैस का उपयोग करने के लिए सिण्टर प्लाण्ट के इग्निशन हर्थ के बर्नरों का सिंगल फ्यूएल से दोहरे फ्यूएल में परिवर्तन।
- ठोस अपशिष्ट को कम करने तथा लागत में कमी लाने के लिए सिण्टर मेकिंग तथा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में धातुकर्मीय





कचरे जैसे मिल से निकलने वाले छिलके और फ्लू डस्ट को मिलाना।

- कोयला खानों में टाप साइज फीड कोयले को 75 मि.मी. से बदलकर 25 मि.मी. करना।
- रेल तथा यूनिवर्सल बीम मिल में हॉट सौ ब्लेड्स की फ्लेम हार्डनिंग का यंत्रीकरण।
- फोर्स्ट ड्राफ्ट द्वारा कूलिंग बेड पर स्ट्रक्चरल की फोर्स्ट कूलिंग।

विवेच्य वर्ष में जारी अनु. एवं विकास कार्य

- डीआरआई भट्टियों में एक्रिशन फार्मेशन को कम करना।
- डीआरआई भट्टियों में एअर ट्यूब खराबियों को दूर करना।
- ब्लास्ट फर्नेस की कोक दर में कमी लाना तथा उत्पादकता बढ़ाना।
- सिंगल रैंक तथा ब्लेण्डेड कोल का पेट्रोग्राफिक तथा फ्लूइडिटी विश्लेषण।
- लौह अयस्क तथा इसके खनिज लक्षण का अध्ययन करना तथा फास्फोरस और एल्युमिना कम करने की पद्धति ढूँढ निकालना।
- स्ट्रक्चरल्स में जंग लगने की प्रवृत्ति में कमी लाने विषयक अध्ययन।

इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आईआईएल)

खास-खास बातें

- बॉटम पर्जिंग में संशोधन-पोरस प्लग्स द्वारा स्ट्रिंग का अनुकूलन। यह परियोजना आरडब्ल्यूटीएच एएसीएचईएन यूनिवर्सिटी, जर्मनी से तकनीकी सहायता लेकर कार्यान्वित हो रही है।
- ड्यूएल फेस स्टील-डीपी 300 का उत्पादन। यह परियोजना आरडब्ल्यूटीएच एएसीएचईएन यूनिवर्सिटी, जर्मनी से तकनीकी सहायता लेकर कार्यान्वित हो रही है।
- 15.88 मि.मी. मोटाई के लिए एपीआई-एक्स 65 का उत्पादन विकास प्रक्रियागत है। यह परियोजना सालजिटर मेनेसमैन फोर्शुंग जीएमबीएच तथा श्री मैल्कम ग्रे से तकनीकी सहायता लेकर कार्यान्वित की जा रही है।
- अमेरिकन पेट्रोलियम इस्टिट्यूट (एपीआई) ग्रेड स्टील का उत्पादन। यह परियोजना सालजिटर मेनेसमैन फार्शुंग जीएमबीएच से तकनीकी सहायता लेकर कार्यान्वित की जा रही है।
- 14.30 से 19.80 मि.मी. मोटाई में एपीआई एक्स 70 का विकास तथा आईएफ स्टील का विकास-संयुक्त विकास परियोजना जो 5 वर्ष के लिए एसएमएस जर्मनी के साथ हाथ में ली गयी है।
- विभिन्न नये-नये अनुप्रयोगों के लिए इस्पात में बने एचआर क्वाइल का परीक्षण। यह सेलजिटर मेनेसमैन फोर्शुंग जीएमबीएच में निष्पादित हो रहा है।
- वर्तमान में आईआईएल ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन के लिए विभिन्न ग्रेड के उत्पाद विकसित कर रहा है।

प्रौद्योगिकीय सुधार

- ड्यूअल फेस स्टील डीपी 600 की 3.0 से 4.5 मि.मी. मोटाई में सफल रोलिंग की गयी।
- 14.3 मि.मी. मोटाई में एपीआई एक्स 65 विकसित किया गया ।
- निर्यात बाज़ार के लिए 2.1 से 5 मि.मी. मोटाई वाला एलपीजी स्टील सामान्य ग्रेडों में विकसित किया गया।

अध्याय – VII ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन

किसी क्षेत्र या कम्पनी का अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों दृष्टि से आंकलन करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता एक महत्वपूर्ण प्रतिमान के रूप में होता है। इस्पात मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। क्योटो प्रोटोकॉल और एशिया पसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लीन डेवलपमेंट एण्ड क्लाइमेट (एपीपीसीडीसी) के तत्वावधान में, इस्पात मंत्रालय ऊर्जा दक्ष स्वच्छीकरण टेक्नोलाजी को अंगीकृत करने में मदद कर रहा है। बड़ी संख्या में लौह एवं इस्पात कारखानों ने ऊर्जा दक्ष स्वच्छ टेक्नोलॉजियों को अंगीकृत करने और इस तरह से कार्बन क्रेडिट लेने के लिए मेजबान देश की स्वीकृति ले ली है। अब तक नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी द्वारा 58 ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है जिससे 66 मिलियन टन कार्बनडायऑक्साइड में कमी आयेगी। इस्पात मंत्रालय अन्य सभी लौह एवं इस्पात कम्पनियों से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कह रहा है।

अलग-अलग लौह एवं इस्पात कम्पनियों द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अपनाए गये और अपनाए जा रहे उपायों की खास-खास बातें नीचे दी गयी हैं :

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- सेल ने कानून द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने और जहां उचित हो, पर्यावरण संरक्षण हेतु निगमित दायित्व के चार्टर में यथा उल्लिखित स्वैच्छिक वचनबद्धताओं के जरिये, महज अनुपालन से आगे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किये हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैयार भागीदारी की यह एक संकल्पना है, जो सभी एकीकृत इस्पात कारखानों पर लागू है।
- सेल कारखानों ने पर्यावरण और ऊर्जा कार्यनिष्पादन के क्षेत्र में पुनः सुधार के लिए लगातार प्रयास किये हैं, जो निम्नलिखित सूचकों द्वारा प्रमाणित होते हैं :

सूचक	2005-06	2006-07	2007-08* (अप्रैल-सितम्बर)
विशिष्ट कच्चा माल खपत (टन/प्रति टन कच्चा इस्पात)	3.2	3.23	-
विशिष्ट ऊर्जा खपत (गीगा कैलरीज/प्रति टन कच्चा इस्पात)	7.24	7.16	7.24
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन(कि.ग्रा./प्रति टन कच्चा इस्पात)	2.50	2.30	2.29
विशिष्ट जल खपत (घन मीटर/प्रति टन कच्चा इस्पात)	5.26	4.33	4.46
विशिष्ट एफ्ल्युएंड डिस्चार्ज (घन मीटर/प्रति टन तैयार इस्पात)	2.98	2.73	2.71

* अर्न्तम आंकड़े

ऊर्जा संरक्षण उपाय

विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाने की दिशा में, सेल के एकीकृत इस्पात कारखाने कच्चे माल की क्वालिटी और टेक्नोलाजी के आलोक में अपनी सीमाओं को देखते हुए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। सेल के अंतर्गत विभिन्न इस्पात कारखानों में प्रति टन कच्चा इस्पात पर होने वाली वास्तविक ऊर्जा खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(गीगा कैलरीज प्रति टन कच्चा इस्पात)

संयंत्र	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)
बीएसपी	6.79	6.82	7.07
डीएसपी	7.37	7.07	7.25
आरएसपी	8.46	7.98	7.74
बीएसएल	7.13	7.09	7.07
आईएसपी	8.46	8.19	8.20
सेल (संपूर्ण)	7.24	7.16	7.23

वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वित की गयी कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण योजनाएं संयंत्रवार नीचे सूचीबद्ध की गयी हैं :

भिलाई इस्पात कारखाना (बीएसपी)

- ब्लूमिंग एवं बिलेट मिल में 800 टन शियर के लिए थाइरिस्टर कंट्रोल का फैब्रिकेशन तथा उत्थापन।
- ब्लास्ट फर्नेस 4 में स्टाक हाउस में ऊर्जा दक्ष ड्राई फॉग डस्ट सप्रेसन सिस्टम का संस्थापन।
- रेल मिल के फर्नेस 1 एवं 2 में साइड बर्नर का संस्थापन।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना (डीएसपी)

- स्टीम ब्लास्ट एवं ब्लास्ट लीकेजों की ऑन लाइन सीलिंग।
- स्टीम लाइन्स तथा अन्य हॉट सर्फेसों का इंसुलेशन।

राउरकेला इस्पात कारखाना (आरएसपी)

- ब्लास्ट फर्नेस-4 स्टोवों के लिए वैकल्पिक ब्लास्ट फर्नेस गैस लाइन को चालू करना।
- सिण्टर प्लांट 1 के दोनों स्ट्रेण्ड में सिण्टर बेड पर स्टीम इम्पिन्जमेंट शुरू किया गया।
- कोयला रसायन विभाग में द्वितीय वैपर एब्जार्शन चिलर चालू ।

बोकारो इस्पात कारखाना (बीएसएल)

- क्रॉस लीकेज को रोकने के लिए 238 ओवनों में ड्राइ गनिटिंग।
- रनिंग बैटरी नंबर 7 एवं 4 में 9-2 पुशिंग सिरीज से बदलकर 5-2 पुशिंग सिरीज।
- पूंजीगत मरम्मत के बाद ब्लास्ट फर्नेस 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन का पुनरारंभ।
- कोल्ड रोलिंग मिल की एनीलिंग लाइन में 92 बेसों में 24 कि.वा. मोटर के स्थान पर 18 कि.वा. की मोटरें लगाना।

इस्को इस्पात कारखाना (आईएसपी)

- बैटरी 8 और 9 के कोल हैण्डलिंग बंकर में इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट मापतोल फीडर संस्थापित करना।
- बॉयलर प्लांट में यूनिट बी के लिए ब्लास्ट फर्नेस गैस फायरिंग।

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2007-08 में अनेक ऊर्जा संरक्षण योजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

उत्सर्जन एवं विसर्जन स्तर

सेल में भंडार स्थानों से उड़ने वाले धूल-धूसर की मात्रा में कमी आयी है। वर्ष 1995-96 में इसकी मात्रा 12.6 कि.ग्रा./टन कच्चा इस्पात थी, वर्ष 2006-07 में घटकर 2-3 कि.ग्रा./टन कच्चा इस्पात रह गयी। सेल के इस्पात कारखानों में जल खपत में भी निरंतर कमी आयी है, वर्ष 1995-96 में जहां 17.3 घनमीटर/टन कच्चा इस्पात जल की खपत होती थी वह 2006-07 में 4.58 घनमीटर/टन कच्चा इस्पात रह गयी।

भिलाई इस्पात कारखाने में, खपत स्तर 3.19 घनमीटर/टन कच्चा इस्पात है जो विश्वभर के श्रेष्ठ कार्यानिष्पादन से तुलनीय है (कोरस: 3.0 घनमीटर / टन कच्चा इस्पात, पोहांग: 3.97 घनमीटर/टन कच्चा इस्पात 2005 के आंकड़े)।

सेल के सभी कारखाने एफ्लुएण्ट डिस्चार्ज और आस-पास की वायु गुणवत्ता के संबंध में पर्यावरण विषयक गुणवत्ता मानदण्डों को पूरा कर रहे हैं। जहां तक इस्पात कारखानों के प्रमुख भंडार स्थानों के धूल-धूसर उड़ने की बात है- वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का 91% अनुपालन रहा है। जहां अनुपालन नहीं हो रहा है, वहां संबंधित कारखानों ने कार्रवाई आरंभ कर दी है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सेल कारखानों में से निकलने वाले अपशिष्टों का उपयोग आंतरिक पुनः उपयोग में किया जा रहा है और तत्पश्चात होने वाली प्राप्ति को बाहरी एजेंसियों को बेचा जा रहा है। ठोस अपशिष्ट का वर्ष वार उपयोग नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	ठोस अपशिष्ट का सृजन ('000 टन)	उपयोग (%)
2005-06	7840.63	69.5
2006-07	7816.10	78.7
2007-08 (अप्रैल-अक्टूबर)	4815.00	71.3



सेल की दिल्ली-राजहारा खान में औषधि वाटिका का एक दृश्य।

पर्यावरणीय वृक्षारोपण

पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी कारखानों और खानों में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सेल के इस्पात कारखानों में और उसके आस-पास वर्ष 2006-07 में 65 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1,68,699 पौधे लगाये गये, जबकि वर्ष 2005-06 में 63.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,45,5212 पौधे लगाये गये थे। इसकी डल्ही-राजहारा खानों ने औषधीय पौधे लगाकर सप्तगिरी पार्क के बड़े हिस्से को औषधि वाटिका के रूप में विकसित किया है।

भण्डार स्थानों से उड़ने वाले धूल-धूसर को नियंत्रित करने के लिए चालू वर्ष में उठाये गये कदम की खास-खास बातें :


कारखाना	शॉप	की गयी कार्रवाई
आरएसपी	सिण्टर प्लांट-1	इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रिसिपिटेटर (ईएसपी) इंटरनल्स एवं स्ट्रेण्ड-1 के इलेक्ट्रिकल्स बदल दिये गये हैं (कुल स्ट्रेण्डों की सं. 2); ईएसपी के 40 प्रतिशत सक्शन हुड्स बदल दिये गये हैं।
	हाई प्रेशर बॉयलर 5 एवं 6	दोनों ही बॉयलरों के लिए ईएसपी के बेहतर डिजाइन को संस्थापित करने का प्रस्ताव आरंभ किया गया है।
बीएसएल	सिण्टर प्लांट राँ मेटैरियल्स प्लांट	मल्टी साइक्लान्स के स्थान पर ईएसपी लगाये जा रहे हैं बेहतर डिजाइन वाले नये ईएसपी लगाये जा रहे हैं।

अवक्रमित भूमियों का पर्यावरणीय पुनरुद्धार

सेल की अवक्रमित खानों तथा सेल के ऐश पाण्ड के पारिस्थिक पुनर्वास के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। आरंभ में, अवक्रमित स्थल के पर्यावरणीय पुनरुद्धार के लिए पूर्णापानी लाइमस्टोन और डोलामाइट खदान को चुना गया है। पूर्णापानी में उत्खनित पिट में मत्स्यपालन विकसित किया गया है। पर्यावरणीय पुनरुद्धार कार्य सेल की बरसुआ और काल्टा लौह अयस्क खानों में भी शुरू किया गया है।

आईएसओ 14001 से संबद्ध पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुसार, सेल और भी पर्यावरणीय संरक्षण के लिए अपने विभिन्न कारखानों और इकाइयों में प्रबंधन प्रणाली तैयार कर रहा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001 के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त करना शामिल है। इस दिशा में वह आंतरिक पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रणाली का भी सहारा ले रहा है ताकि गतिविधियों के समस्त पहलुओं में पर्यावरणीय असर को कम किया जा सके। अभी तक सेल की निम्नलिखित इकाइयों को ईएमएस प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जा चुका है :



- बीएसपी (समूचा कारखाना और टाउनशिप)
- बीएसएल (समूचा कारखाना)
- डीएसपी (स्टील मेल्टिंग शॉप तथा समूचा मिल क्षेत्र)
- आरएसपी (सिलिकन स्टील मिल, सिण्टर प्लांट-II, हॉट स्ट्रिप मिल, प्लेट मिल, पर्यावरण इंजीनियरी विभाग)
- आईएसपी (रोलिंग मिल कांप्लेक्स)
- एसएसपी (समूचा कारखाना)
- डल्ली लौह अयस्क खान
- मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खान
- किरीबुरू लौह अयस्क खान
- बोलानी अयस्क खान

सेल की शेष इकाइयों में उत्तरोत्तर ईएमएस कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है।

नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन के लिए पहल

सेल अपने परिसरों में सौर ऊर्जा को अपनी विभिन्न इकाइयों में उपयोग में लाने के लिए काफी समय से प्रयासरत है।

वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहल

ओज़ोन कम करने वाले द्रव्यों को हटाना

सेल ने अपनी 6 उत्पादन इकाइयों अर्थात् भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना, इस्को इस्पात कारखाना तथा सेलम इस्पात कारखाना में क्लीनिंग साल्वेन्ट के रूप में प्रयुक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड (सीटीसी) के स्थान पर ट्राइक्लोरोइथाइलीन का उपयोग करने के लिए यूएनडीपी के साथ मिलकर एक अम्ब्रेला परियोजना योजना हाथ में ली है। सेल अपने कारखानों में इस परियोजना के अंतर्गत वित्तपोषित उपकरणों से भावी उत्पादन गतिविधियों में ओडीएस का प्रयोग बन्द कर देगा।



पुर्नापानी, उड़ीसा में खनन के उपरान्त बने तालाब में मत्स्यपालन।

इस परियोजना का उद्देश्य सेल के ऊपर कथित कारखानों में इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीनों और आक्सीजन प्लांट (स्टोरेज टैंक, सिलिण्डर, रोटर्स स्टेर्स, पाइपिंग इत्यादि हेतु क्लीनिंग साल्वेण्ट के रूप में लगभग 268 मीट्रिक टन सीटीसी का प्रयोग समाप्त करना है। परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी यूएनडीपी है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का ओजोन कक्ष समन्वयन एजेंसी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16 करोड़ रु. है। अभी तक समस्त 6 कारखानों को यूएनडीपी द्वारा सप्लाई किया हुआ उपकरण प्राप्त हो गया है। अन्य सहायक सुविधाओं को लगाने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है।

स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)

सीडीएम के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए, सेल ने आरएसपी में दिसंबर 2003 में वेस्ट हीट रिकवरी के अंतर्गत “विद्युत उत्पादन हेतु स्टील मेल्टिंग शॉप-II से एलडी गैस रिकवरी” नामक एक परियोजना आरंभ की थी। आरएसपी परियोजना अब 6 जुलाई 2007 को यूएनएफसीसीसी के साथ पंजीकृत है और प्रति वर्ष कार्बन इमिशन रिडक्शंस (सीईआर) 8536 टन कार्बन डाइऑक्साइड करेगी। सेल ने अपने कारखानों में सीडीएम कार्यान्वयन के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है और 71 परियोजनाएं चिन्हित की हैं जिनमें भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना तथा इस्को इस्पात कारखाना स्थित 5 एकीकृत इस्पात कारखानों को शामिल किया है, जिनमें सीडीएम का लाभ उठाने की संभावना है।

पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मान

पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में सेल के कारखानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए गोल्डन पीकॉक विशेष सम्मान, सीआईआई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सरस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2006, आईओडी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित गोल्डन पीकॉक इनोवेशन पुरस्कार 2006, बीएसपी तथा आरएसपी के लिए वर्ष 2007 में पर्यावरण प्रबंधन में असाधारण उपलब्धियों के लिए धातु क्षेत्र में ग्रीनटेक गोल्ड पुरस्कार, बीएसपी के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, 2007, डीएसपी के लिए ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2007, इंदिरा गांधी मेमोरियल एक्सिलेंट पाल्युशन कंट्रोल पुरस्कार, इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल उत्कृष्ट प्रदूषण नियंत्रण कार्यान्वयन पुरस्कार और पर्यावरण अभिनवता सेवाओं के लिए गोल्डन पीकॉक अभिनव उत्पाद/सेवा पुरस्कार।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

पर्यावरण प्रबंधन तथा अपशिष्ट प्रबंधन

उत्सर्जनों/प्रदूषणों का वर्तमान स्तर

धुआं उत्सर्जन, ध्वनि, बैटरियों और कचरे से फ्यूगिटिव उत्सर्जन के सभी मानदण्ड स्वीकार्य सीमा के अंदर हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए नाइट्रिफिकेशन-डीनाइट्रिफिकेशन की एक परामर्शदात्री परियोजना टीपीई रूस को प्रदान की गयी है और सिविल, यांत्रिक तथा वैद्युत निर्माण का कार्य 55 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर चल रहा है। यह परियोजना 2009 में चालू हो जाने की आशा है।

प्रमुख परियोजनाएं (कार्यान्वयन अधीन/कार्यान्वित)

- तीन कण्टीन्यूअस एम्बियंट एयर मानीटरिंग स्टेशन 1.35 करोड़ रु. की लागत पर लगाये गये हैं। चौथे एम्बियंट एयर स्टेशन के लिए आर्डर दे दिया गया है और देशज उपकरण सप्लाई कर दिया गया है तथा आयातित उपकरण जनवरी 2008 तक सप्लाई होने की आशा है।
- 2 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 10 कण्टीन्यूअस आन-लाइन स्टैक मानीटरिंग सिस्टम संस्थापित कर चालू कर दिये गये हैं। शेष 10 कण्टीन्यूअस आन लाइन स्टैक मानीटरिंग सिस्टम के लिए आर्डर कर दिया गया है और उपकरण का उत्पादन कार्य चल रहा है।
- स्टील मेल्टिंग शॉप में फ्यूगिटिव इमिशन को नियंत्रित करने की एक योजना 50 करोड़ रु. की लागत पर मुहैया करायी जा रही है और परामर्श सँविदा हेतु दिसंबर 2007 में आर्डर कर दिये गये थे।
- एसएमएस तथा मिलों में कूलिंग अनुप्रयोगों के लिए पानी की क्वालिटी को मेकअप करने के लिए टाउनशिप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (250 क्यूबिक मीटर/प्रति) से सीवेज के पानी का उपचार करने हेतु एक अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन परियोजना 12 दिसंबर 2005 को चालू की गयी थी।
- कार्य अंचल परिवेश को और बेहतर बनाने के लिए 716 लाख रु. की लागत पर चार केलसिनिंग एवं रिफ्रेक्टरी मैटीरियल प्लांट में हाई टेम्परेचर मेम्ब्रेन बैग मुहैया कराये जा रहे हैं और चालू होने की तय समय सीमा 31 दिसम्बर, 2008 है।
- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स लगाये गये हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन

(मिलियन टन में)

	2005 - 06	2006 - 07	2007-08 (अप्रैल-अक्टूबर)
कुल सृजन	3.805	3.929	2.009
कुल उपयोग (%)	65.9%	80.76%	82.40%

पर्यावरण पुरस्कार

- पालमपुर में 11 जून 2006 को विश्व पर्यावरण फाउण्डेशन द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार।
- भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) द्वारा 17 फरवरी, 2006 को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में नेतृत्व एवं उत्कृष्टता पुरस्कार-2005 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति हेतु
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2006, लगातार चौथे वर्ष प्रथम पुरस्कार
- जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार-2006

ऊर्जा प्रबंधन

ऊर्जा खपत

(गीगा कैल./टन कच्चा इस्पात)

2005-06	6.45
2006-07	6.53
2007-08 (अप्रैल-नवम्बर)	6.60

ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए किये गये/किये जा रहे उपाय एवं भावी योजनाएं

- ब्लास्ट फर्नेस स्टोवों का वायु ईंधन अनुपात अनुकूलित करके ब्लास्ट फर्नेस में विशेष हीट खपत 2006-07 के 496 मेगा कैलरीज/टन तप्त धातु से घटाकर 2007-08 (अप्रैल-नवम्बर) में 494 मेगा कैलरीज/टन तप्त धातु लायी गयी।
- मिक्सर आपरेशन का अनुकूलन करके एसएमएस में विशेष हीट खपत 2006-07 के 34 मेगा कैलरीज/टन तरल इस्पात के मुकाबले घटाकर 2007-08 (अप्रैल-नवम्बर) में 33 मेगा कैलरीज/टन तरल इस्पात लायी गयी।
- नवम्बर 2007 में लाइट एंड मीडियम मर्चेट मिल रिहीटिंग फर्नेस 2 का एअर रैक्यूपरेटर बदला गया।
- विशिष्ट हीट खपत सुधारने के लिए वायर रॉड मिल रिहीटिंग फर्नेस का गैस रैक्यूपरेटर बदला गया।
- जून 2007 में विशिष्ट हीट खपत सुधारने के लिए रिहीटिंग फर्नेस 1 के गैस रैक्यूपरेटर की मरम्मत की गई और रिहीटिंग फर्नेस 2 का गैस की मीडियम मर्चेट एंड स्ट्रक्चरल मिल का एअर रैक्यूपरेटर बदला गया
- विद्युत ऊर्जा खपत कम करने के लिए वैरियबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स (वीएफडी) की स्थापना।
- चिलड जल संयंत्र 3 में विद्यमान चिलर की जगह एक ऊर्जा किफायती चिलर लगाया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

पर्यावरण एवं गुणवत्ता प्रबंधन

वर्ष 2007-08 (दिसंबर 2007 तक) के लिए पर्यावरण निगरानी अध्ययन यह दर्शाता है कि एनएमडीसी की सभी उत्पादन परियोजनाओं में समस्त मानक निर्धारित दिशानिर्देशों के अंदर हैं।

चार प्रमुख उत्पादन परियोजनाओं, बेलाडीला: निक्षेप-14-11सी, निक्षेप-5, दोनीभलाई एवं डायमण्ड खनन परियोजना, पन्ना को आईएसओ 14001-2004 से सम्मानित किया गया है। कंपनी को दोनीभलाई आयरन ओर माइन, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, बेलाडीला आयरन ओर परियोजना निक्षेप-5, 10 और 1ए एवं निक्षेप-14/11 सी के लिए आईएसओ 9001-2000 प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण

पिछले 3 वर्षों में प्रति टन उत्खनित लौह अयस्क की विद्युत ऊर्जा खपत निम्नानुसार रही है :

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2005-06	1.98	1.80
2006-07	2.10	1.82
2007-08 (दिसंबर 2007 तक)	2.05	1.91

एनएमडीसी ने एक बाहरी एजेंसी के जरिये दोनीमलाई लौह अयस्क खान के लिए ऊर्जा अंकेक्षण निष्पादित किया है और इसी तरह का अंकेक्षण कार्य बैलाडीला लौह अयस्क खान, बछेली काम्प्लेक्स के लिए हाथ में लिया जा रहा है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

पर्यावरण विकास एवं पर्यावरणीय संरक्षण

मॉयल ने कम्पनी की खानों में व्यापक वनारोपण में अगुवाई की जिसमें खान क्षेत्रों के भूमि-उद्धार और निकली हुई मिट्टी के ढेरों को ठिकाने लगाने पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए अथक अनुसंधान एवं विकास की सहायता ली गयी। इससे खान का परिवेश सुधारने में मदद मिली। संपोषणीय एवं पर्यावरण अनुकूल खनन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत जैव प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, हरा-भरा प्रभाव छोड़ने तथा भूक्षरण को रोकने के लिए कुछ इलाकों में झाड़ियां तथा घास लगायी गयी है।



डा. अखिलेश दास, माननीय इस्पात राज्य मंत्री विण्ड फार्म प्रोजेक्ट के अपने दौरे पर मॉयल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री के.एल. मेहरोत्रा के साथ (बाएं) और नागदा हिलस, इंदौर स्थित मॉयल के 4.8 मेगावाट विण्ड फार्म प्रोजेक्ट का एक दृश्य (दाएं)

वनारोपण की स्थिति तथा भावी योजना

कम्पनी के पास कुल लीज होल्ड क्षेत्र 1804.545 हेक्टेयर है, जिसमें से 515.69 हेक्टेयर या मोटे तौर पर 28.5 प्रतिशत खुदी हुई मिट्टी के ढेरों का है। पौधरोपण मौसम में 2007-08 तक वनारोपण अंतर्गत कवर किया गया कुल क्षेत्र 586.131 हेक्टेयर है। पौध रोपण मौसमों में 2007-08 तक 17 लाख से अधिक पौधे लगाये जा चुके हैं, जिसमें से सुरक्षित बचे पौधों की दर 80% है। जिन प्रमुख किस्मों के पौधे लगाये गये हैं वे हैं- शीशम, अमलतास, सागौन, नीम, यूकेलिप्टस, और आम। कम्पनी के पास लीज होल्ड क्षेत्र में जो भूमि है और जिसे पौधरोपण गतिविधियों के लिए अलग किया जा सकता है उसमें से लगभग तीन चौथाई भूमि को पौधरोपण के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण तथा दक्षता के संबंध में पहल:

प्रति टन किलोवाट खपत	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)
मैंगनीज अयस्क	7.30	7.26	7.20
ईएमडी	2351	2253	2235
फैरो मैंगनीज	2891	2877	2849

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन चूँकि एक परामर्शदात्री संगठन है, अतः यह अपने आप में वृहत पैमाने के किसी कारखाने या मशीनरी का प्रचालन/विनिर्माण नहीं करता जिसके लिए ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उसे विशेष प्रयास करने की जरूरत हो। तथापि, मेकॉन द्वारा अपने ग्राहकों के लिए इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं जिन्हें कि ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण मुद्दों से दोचार होना पड़ता है। कुछ उदाहरण हैं :

- मेकॉन ने सीडीएम के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग का लाभ उठाने के लिए प्रोजेक्ट आइडिया नोट (पीआईएन) एवं प्रोजेक्ट डिज़ाइन डायग्राम (पीडीडी) तैयार करने में विशेषता हासिल की है।
- मेकॉन ने राजस्थान के विभिन्न जिलों, पहाड़ी और सुदूरवर्ण क्षेत्रों, दार्जीलिंग, जलपाइगुड़ी, कूच बिहार, बांकुरा, उत्तरी खड़गपुर, बर्दवान तथा पश्चिम बंगाल के बीरभूम वन प्रभाग के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनारोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड (एनईडी) से वन मूल्यांकन परियोजना हाथ में ली है।
- मेकॉन ने अपने द्वारा अभियांत्रिकी किये जा रहे उत्पादन कारखानों से शून्य उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरी प्रयास किये हैं। मेकॉन को ईआइए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों से आर्डर प्राप्त हुए हैं। मेकॉन ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सितंबर 2006 की नयी अधिसूचना के अंतर्गत-ईआइए/ईएमपी अध्ययनों को हाथ में लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
- मेकॉन की पर्यावरण इंजीनियरी प्रयोगशाला जोकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है, वायु, जल, ध्वनि, सीवेज तथा मिट्टी की गुणवत्ता की सैम्पलिंग, टेस्टिंग एवं विश्लेषण के लिए भी अपनी सेवाएं निजी तथा सरकारी दोनों में विभिन्न इस्पात कारखानों और अन्य क्षेत्रों को प्रदान करती है। मेकॉन ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से देश में स्पंज लौह कारखानों के लिए पर्यावरण विषयक मानदण्ड और मानक तैयार किये हैं और सीपीसीबी द्वारा उसे सिग्नल प्लाण्टों के लिए पर्यावरणीय तथा ऊर्जा बचाने वाले मानक तैयार करने को कहा गया है।
- मेकॉन टर्नकी आधार पर सेल के भिलाई इस्पात कारखाने की प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं सहित एफ्लुएण्ट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट एवं पम्प हाऊसों के पुनरुद्धार का कार्य निष्पादित कर रहा है। मेकॉन परामर्शदाता के रूप में आईएसपी, बर्नपुर में कोक ओवन बैटरी सं.10 के पुनर्निर्माण तथा कोक ओवन एफ्लुएण्ट्स के डीग्रेडेशन के लिए बायोलाजिकल आक्सीडेशन एवं डीफिनोलाइजेशन (बीओडी) प्लाण्ट तथा साथ ही आईएसपी, बर्नपुर के 2.5 मि.ट. विस्तार के लिए भी बीओडी प्लाण्ट का कार्य निष्पादित कर रहा है। इसके अलावा, मेकॉन ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न अन्य उद्योगों के लिए सीवेज उपचार संयंत्र, सीवेज सुविधाओं और अन्य कचरा उपचार सुविधाओं का विस्तृत इंजीनियरी कार्य किया है।

भारत रिफ़्रेक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सुधार के लिए बीआरएल द्वारा उठाये गये कुछ कदम निम्नवत हैं :

- ऑयल बर्नरों का बेहतर-आटोमाइजेशन प्राप्त करने के लिए फर्नेस ऑयल की प्री-हीटिंग की जाती है।
- फ्युएल पम्प तथा इंजनों के नोजल का नियमित अंतराल पर केलिब्रेशन
- ग्रीन ब्रिक्स के समुचित सेटिंग पैटर्न का अंगीकरण
- इंजनों के लिए सिफारिश किये गये लुब्रिकेटिंग ऑयल का उपयोग
- बिजली की खपत कम करने के लिए गैर जरूरी स्विचों को बन्द करना
- उत्पादक गैस प्लाण्ट का कोक से कोल फायर्ड में परिवर्तन

पर्यावरण प्रबंधन

- संबंधित राजकीय प्रदूषण बोर्ड से कम्पनी की सभी इकाइयों ने वैध सहमति प्राप्त कर ली है आवेदन कर दिया है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों में डीडस्टिंग इकाइयां लगाई गयी हैं। बीआरएल ने प्रदूषण स्तर का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की थी तथा उनके द्वारा दिये गये सुझाव को कार्यान्वित किया जा रहा है। निर्धारित मानदण्डों का दृढ़ता से पालन किया जा रहा है।
- कम्पनी के किसी भी प्लाण्ट में किसी तरह का ठोस अपशिष्ट पैदा नहीं होता है।

ऊर्जा प्रबंधन

प्रति इकाई उत्पादन पर ऊर्जा खपत :

विवरण	2005.06	2006.07	2007-08 (सितम्बर, 2007 तक)
बिजली (किलोवाट)	209	216	210
कोयला (किलोग्राम)	201	173	172
फर्नेस ऑयल (लीटर)	91	76	75

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

पर्यावरण प्रबंधन

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल, वायु, परिवेशी वायु, ध्वनि स्तर एवं टोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषय में निर्धारित सभी मानदण्डों को निर्धारित सीमा में कायम रखा जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में कम्पनी ने प्रचालनगत इकाइयों की ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। कम्पनी ने प्रति टन स्पंज आयरन 120 यूनिट विद्युत खपत की सामान्य रेंज के मुकाबले 31 मार्च 2008 तक प्रति टन स्पंज आयरन 110 यूनिट विद्युत खपत का स्तर पाने का लक्ष्य रखा है।

प्रोसेस ऊर्जा खपत के क्षेत्र में, कम्पनी कोयले के रसायन तथा भौतिक रासायनिक लक्षणों में रूपभेदों के बावजूद दिसंबर, 2007 तक (अर्न्तम) 1.38 टन/प्रति टन स्पंज आयरन रिडक्टण्ट खपत का स्तर कायम कर सकता है। ऊर्जा संरक्षण के एक उपाय के रूप में, कम्पनी ने कैप्टिव पावर प्लाण्ट (सीपीपी) के लिए पुररुद्धार तथा संशोधन कार्यों और वेस्ट हीट रिकवरी (डब्ल्यूएचआर) हेतु 1.65 लाख रु. की राशि भी निवेश की है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

पर्यावरण प्रबंधन

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, कुद्रेमुख परियोजना स्थल पर 31 दिसंबर, 2005 को खनन कार्य बन्द कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यों जैसे कि डी-सिल्टिंग, चेक बन्द का निर्माण इत्यादि को निष्पादित नहीं किया जा सकता क्योंकि 3203.55 हेक्टेयर की वन भूमि (कुल 4605 हेक्टेयर लीज क्षेत्र में से) कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क में शामिल है और विधान के अनुसार राष्ट्रीय पार्क में गैर-वन गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं है।

मंगलौर ओर पेलेट प्लाण्ट, पत्तन सुविधाओं तथा कैप्टिव पावर प्लाण्ट में पर्यावरण प्रबंधन

- वायु तथा जल गुणवत्ता मानीटरिंग के संबंध में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक मानदण्डों का कार्य के समस्त क्षेत्र में पालन किया जा रहा है।

कम्पनी को मंगलौर प्रतिष्ठान के लिए वैध आईएसओ 14001 आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 18001 प्रमाणपत्र मिला हुआ है। कम्पनी ने एमएसडब्ल्यू नियम 2000 के अंतर्गत टाउनशिप में पैदा होने वाले कूड़ाकरकट के वैज्ञानिक निपटान के लिए अधिकार प्राप्त किया है।

ऊर्जा संरक्षण

पैलेट संयंत्र में विगत 2 वर्षों और अप्रैल से दिसम्बर, 2007 में ऊर्जा की खपत:

वर्ष	2005.06	2006.07	(दिसम्बर 2007 तक)
प्रति टन पेलेट विद्युत खपत	37.53 * किलोवाट/ प्रति टन	111.17** किलोवाट/ प्रति टन	88.63** किलोवाट/ प्रति टन
000 के कैलरीज में प्रति टन हीट खपत	121.10	262.0	238.00



*केवल पेलेटाइजेशन के लिए ऊर्जा

**ऊर्जा में ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन तथा पेलेटाइजेशन शामिल है

नोट : पेलेट प्लांट प्रचालन में मैग्नेटाइट अयस्क के स्थान पर हेमाटाइट अयस्क का उपयोग होने के परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत बढ़ गयी है। पेलेट प्लांट, मंगलौर में प्रचालनगत समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

ब्लास्ट फर्नेस में विशिष्ट ऊर्जा खपत एवं कोक दर:

वर्ष	विशिष्ट ऊर्जा किलोवाट/ प्रति टन तप्त धातु	कोक दर कि.गा./प्रति टन तप्त धातु
2005-06	212	739
2006-07	191	721
2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक)	231	752

टाटा स्टील लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन

विशिष्ट ऊर्जा खपत

जी कैल/प्रति टन कच्चा इस्पात :

वर्ष	योजना/लक्ष्य	वास्तविक कार्यनिष्पादन	विगत वर्ष से सुधार %
2005.06	6-842	6-959	0-09
2006.07	6-815	6-717	3-48
2007-08	6-662	6-685 *	0-49*

*2007-08 के आंकड़े अप्रैल-नवंबर के हैं।

वर्ष 2006-07 की मुख्य-मुख्य बातें

- पावर हाउस संख्या 3 में चार स्ट्रोक टाइप वाले बॉयलरों का कोयला फायरिंग से बाय प्रोडक्ट गैस फायरिंग में परिवर्तन, जिससे विद्युत उत्पादन में कोयले की खपत में कमी।
- एलडी गैस की 37 सामान्य घन मीटर प्रति टन कच्चा इस्पात के स्तर से 56 सामान्य घन मीटर प्रति टन कच्चा इस्पात स्तर की बढ़ी हुई रिकवरी। रिकवर की गयी एलडी गैस को पावर हाउसों में उपयोग के लिए बीएफ गैस के साथ मिश्रित किया जाता है।
- पावर हाउस संख्या 4 के टर्बो जनरेटर सेटों के वैक्यूम में वृद्धि से विद्युत साइकल दक्षता बढ़ी।
- पावर हाउस बॉयलरों में वेरियेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, हॉट स्ट्रिप मिल ब्लोअरों और डिस्कलर पम्पों की स्थापना।
- ई ब्लास्ट फर्नेस में हाई टॉप प्रेशर में वृद्धि जिससे ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता में वृद्धि तथा ब्लास्ट फर्नेस कोक दर में कमी।

वर्ष 2007-08 के लिए कार्य योजना

- एच ब्लास्ट फर्नेस में टॉप रिकवरी टर्बाइन का संस्थापन
- एलडी शॉप संख्या 2 से अतिरिक्त एलडी गैस रिकवर करने के लिए एलडी गैस नेटवर्क में संशोधन
- ब्लास्ट फर्नेस ब्लोइंग के लिए भाप की खपत कम करने के लिए ब्लोअर में स्प्लिट ब्लोइंग
- सी ब्लास्ट फर्नेस के हाई टॉप प्रेशर में वृद्धि

पर्यावरण प्रबंधन

- पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली को आईएसओ-14001:2004 के अनुसार संशोधित किया गया था। ड्यूपोण्ट की सिफारिशों से व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएस-18001) को एकीकृत किया गया था। ईएमएस तथा ओएचएसएस प्रमाणपत्रों के लिए दोनों प्रणालियों को सफलतापूर्वक नवीकृत किया गया।
- विशिष्ट ऊर्जा खपत जो वित्त वर्ष 2006 में 6.959 जी.कैल./टन कच्चा इस्पात थी, को वित्त वर्ष 2007 में घटाकर 6.720 जी.कैल./टन कच्चा इस्पात किया गया।

- विशिष्ट जल खपत जो वित्त वर्ष 06 में 7.46 घन मीटर/टन कच्चा इस्पात थी, को घटाकर वित्त वर्ष 07 में 6.62 घनमीटर/टन कच्चा इस्पात किया गया।
- जल प्रदूषित करने वाले विसर्जक पदार्थों को वित्त वर्ष 06 के 0.18 कि.ग्रा./टन कच्चा इस्पात से घटाकर वित्त वर्ष 07 में 0.15 कि.ग्रा./टन कच्चा इस्पात के स्तर पर लाया गया।
- भंडारस्थल से उड़ने वाले धूल-धूसर का स्तर, जो वित्त वर्ष 06 में 2.28 टन/टन कच्चा इस्पात था, को वित्त वर्ष 07 में घटाकर 2.13 टन/टन कच्चा इस्पात के स्तर पर लाया गया।
- निकलने वाली कार्बन डाईआक्साइड का स्तर, जो वित्त वर्ष 06 में 2.28 टन/टन कच्चा इस्पात था, वित्त 07 में घटाकर 2.13 टन/टन कच्चा इस्पात के स्तर पर लाया गया।
- कम्पनी ने वर्ष 2005-06 के लिए अपनी छठी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की। टाटा स्टील को “सस्टेनेबिलिटी बायनियल बेंचमार्क सर्वे 2006-07” में शामिल एकमात्र भारतीय कम्पनी होने का गौरव प्राप्त है। यह सर्वेक्षण शीर्षस्थ 100 ग्लोबल कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टों से संबंधित है।
- एलडी स्लैग का मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग करने के लिए झारखण्ड सरकार तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से फील्ड परीक्षण। इन परीक्षणों के उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं।
- पिछले तीन वर्षों में ठोस अपशिष्ट का उपयोग स्तर निरंतर काफी ऊंचा रहा है यानी 80 प्रतिशत, विवरण नीचे दिया गया है :

मदें	2005-2006	2006-2007	2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)
कुल सृजन	3150944	3392048	1624786
% उपयोग	80.20	84.80	84.11

वर्ष 2007-08 के लिए कार्य योजना

- एलडी 1 में सेकेण्डरी फ्यूम एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम (ईएसपी) का संस्थापन
- सीडीएम के अंतर्गत ऊर्जा बचत परियोजना का विकास
- भंडारस्थल से उड़ने वाले धूल-धूसर का स्तर घटाकर 50 मि.ग्रा./प्रति सामान्य घन मीटर तक लाने के लिए मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण अपस्कर का अपग्रेडेशन
- प्रमुख प्रक्रिया भंडारस्थानों में कण्टीन्यूअस इमिशन मॉनीटरिंग सिस्टम (सीईएम) का संस्थापन
- 6 मिलियन गैलन प्रति दिन जल रिकवरी के लिए सुसुनघड़िया और गरमनाला अपशिष्ट जल पुनःप्रयोग परियोजनाएं चालू।
- आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) की निगरानी तथा ओएचएसएस 18001:1999 का पुनः सर्टिफिकेशन
- पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएचएस) प्रबंधन प्रणाली में डुपॉन सुरक्षा रिफारिशों का समावेशन
- पर्यावरण प्रबंधन विभाग (ईएमडी) प्रयोगशाला में पर्यावरणीय मॉनीटरिंग एवं विश्लेषण सुविधाओं का उन्नयन

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू)

ऊर्जा प्रबंधन

(जी कैल/प्रतिटन कच्चा इस्पात)


	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)
ऊर्जा खपत	5.81	6.10	6.97

ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए किये गये उपाय एवं भावी योजनाएं :

जेएसडब्ल्यू ने उपलब्ध श्रेष्ठ तकनीकी को अपनाकर ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन किया है :

- इसने लौह उत्पादन के लिए ऊर्जा दक्ष 'कोरेक्स' टेक्नोलॉजी का मार्ग प्रशस्त किया है
- स्टेम चार्जिंग तथा 85 मे.वा. अपशिष्ट ताप विद्युत के सह-उत्पादन के साथ प्रथम 1.2 एमटीपीए नॉन-रिकवरी कोक ओवन्स केवल ऊर्जा दक्ष ही नहीं है बल्कि पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया भी है।





- अन्य अपनाये गये परम्परागत ऊर्जा बचाने वाले उपाय हैं:
 - क) एलडी गैस रिकवरी,
 - ख) 100% कण्टीन्यूअस कास्टिंग,
 - ग) स्लैबों की सर्वाधिक हॉट चार्जिंग ,
 - घ) ब्लास्ट फर्नेसों में कोल इंजेक्शन,
 - ङ) स्टोवों में हाई हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर।

जेएसडब्लू उन अनुपम कारखानों में एक है जहां 100% विद्युत इस्पात कारखाने के उप-उत्पाद ईंधनों में से उत्पादित की जाती है। इसने निम्नलिखित के जरिये विशिष्ट ऊर्जा खपत कम करने की महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की है:

- हीटिंग रिजाइम्स तथा अनुवर्ती विलंब रणनीतियों का नैदानिक अध्ययन।
- ऊर्जा उपयोग का निरंतर अंकेक्षण तथा उच्च स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उसकी नियमित अनुवर्ती कारवाई।
- इसने श्रेष्ठतम पद्धतियों के साथ बेंचमार्किंग करके प्रत्येक इकाई के लिए विशिष्ट ऊर्जा दर तय कर दी है जिसमें स्थानीय बाधाओं का विधिवत ध्यान रखा गया है।
- प्रत्येक स्तर के लिए अनुकूल समस्त स्तरों के कार्मिकों को प्रशिक्षण।
- इंटरएक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम का विकास।

पर्यावरण प्रबंधन तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उत्सर्जन/प्रदूषण का जो वर्तमान स्तर है वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और/ अथवा राजकीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित मानक मानदण्डों की पुष्टि करता है।

वर्ष 2007-08 में प्रदूषण कम करने के लिए की गयी कारवाई

- क) साइड स्टीम फिल्टर्स एवं वॉटर रिसाइक्लिंग फिल्टर्स जैसे उपायों को अपनाने के चलते, जल खपत स्तर में कमी आयी है और यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा तय 8.0 घन मीटर प्रति टन इस्पात के मुकाबले घटकर 3.5 घन मीटर से नीचे लाया गया है।
- ख) बीओएफ शॉप के लिए सेकेण्डरी फ्यूम एक्सट्रैक्शन सुविधा को पर्यावरण संरक्षण के लिए निगमित दायित्व (सीआरईपी) के मार्च 2008 के तय समय से पहले चालू कर दिया गया है।
- ग) अपशिष्ट आर्गेनिक पदार्थों को भस्म करने के लिए 2 करोड़ रु. की लागत पर एक 250 कि.ग्रा./घंटा क्षमता वाला इंसिनेरेटर चालू किया जा रहा है।
- घ) बायो स्टील की नयी टेक्नोलाजी पर आधारित बीओएफ स्लैग के ग्रेन्युलेशन के लिए आर्डर दे दिया गया है। इससे बीओएफ स्लैग का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- ङ.) पलेट तथा सिण्टर प्लाण्ट में 100% गारे का उपयोग करने की योजना तैयार की गयी है और उसे मार्च 2008 तक चालू किया जाएगा।
- च) यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की सहायता से इस्पात उत्पादन में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करने की एक परियोजना शुरू की जा रही है।
- छ) लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग समाप्त करने तथा उसकी जगह कोरेक्स गैस लाने की व्यवस्था की जा रही है।
- ज) विवेच्य वर्ष में, पंजीकरण के लिए एक योजना भेजी गयी है जिसमें 0.7 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड बचाने की संभाव्य व्यवस्था है।
- झ) अन्य 18 परियोजनाओं के लिए परियोजना दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें 2 मिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड बचाने की संभाव्य व्यवस्था है।
- ञ) दो कण्टीन्यूअस एएक्यू स्टेशनों को चालू किया गया है। इसके चलते अब 3 एएक्यू मानटरिंग स्टेशन हो गये हैं।
- ट) 3 और एएक्यू के लिए आर्डर दे दिया गया है जिससे प्रदूषण स्तरों की व्यापक निगरानी करने में मदद मिलेगी।
- ठ) वर्ष 2007 में ठोस अपशिष्टों का उपयोग प्रतिशत 70-96% की रेंज में रहा।

इस्पात इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आईआईएल)

ऊर्जा प्रबंधन

ऊर्जा अंकेक्षण अगस्त, 2006 में किया गया था। निम्नलिखित परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है और वे प्रगति पर हैं:

- वैद्युत ऊर्जा खपत कम करने के लिए कम्प्रेस्ड एअर सिस्टम का संशोधन।
- लैडल हीटिंग स्टेशन पर लैडल हीटिंग बर्नरों में ईंधन की खपत कम करने के लिए लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) के स्थान पर प्रोपेन के साथ ब्लेण्ड की गयी निःशुल्क उपलब्ध बीएफ गैस का उपयोग।
- ईंधन की खपत कम करने के लिए कोक ड्राईंग यूनिट में वर्तमान एलडीओ (100% एलडीओ) फायर्ड बनर्स के स्थान पर बीएफ गैस और एलडीओ का उपयोग।
- वर्तमान ईंधन खपत कम करने के लिए 16 टीपीएच बॉयलर हीट फीड वाटर हेतु डी.जी. सेट (11.8 मेगावाट) में वेस्ट हीट रिकवरी प्रणालियों की स्थापना।

पर्यावरण प्रबंधन

उत्पादन सुविधाएं वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों से युक्त हैं। कच्चे मालों को ले जाने के दौरान परिवेशी वातावरण और कार्य अंचल में उड़ने वाले धूल-धूसर को नियंत्रित करने के लिए, कनवेयर सिस्टम पर निम्नलिखित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था की गयी है:

- जेटी पर कच्चा माल स्थानांतरण स्थलों पर डस्ट सप्रेसन सिस्टम लगाये गये हैं।
- जेटी से प्लांट तक समूचा कनवेयर सिस्टम एक बन्द सिस्टम है।

एफ्लुएण्ट उपचार एवं निपटान

स्पंज आयरन प्लांट में अपशिष्ट जल को क्लासिफायर में संसाधित किया जाता है। इसका उपयोग अपरिष्कृत तत्वों तथा भारी व व्यर्थ के अंशों को हटाने के लिए किया जाता है। हॉट स्ट्रिप मिल में, अपशिष्ट जल को फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिये फिल्टर किया जाता है। इस प्रकार समूचे उपचारित जल को उत्पादन प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस प्लांट में, क्लीनिंग प्लांट से लौटा गरम अपशिष्ट जल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में लाया जाता है। सेटल हो गये स्लज को वैक्यूम ड्रम फिल्टर में भेजा जाता है, जो उसमें से आद्रता घटक को हटाता है। फिल्टर किया हुआ जल कूलिंग टावर में भेजा जाता है और उसका उपयोग गैस क्लीनिंग प्लांट में किया जाता है। हॉट स्ट्रिप मिल और ब्लास्ट फर्नेस प्लांटों से कोई एफ्लुएण्ट नहीं निकलता। उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली

परिवेशी वायु में उड़ने वाले धूल-धूसर को नियंत्रित करने के लिए, एकीकृत इस्पात कारखाने में निम्नलिखित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की व्यवस्था की गयी है:

- रॉ मैटीरियल ट्रांसफर प्वाइंट्स डस्ट सप्रेसन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं।
- पर्याप्त स्टैक ऊँचाई के साथ डस्ट डिस्चार्ज प्वाइंट पर पर्याप्त रूप से अभिकल्पित डस्ट संग्रहण प्रणाली कार्य कर रही है।
- गैस क्लीनिंग प्लांट (जीसीपी 1 और 11) तथा ब्लास्ट फर्नेस गैस क्लीनिंग प्लांट
- स्टाक हाउस तथा बैग फिल्टर डी-डस्टिंग सिस्टम।
- कास्ट हाउस फ्यूम एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम
- डस्ट कैचर एव सप्रेसन सिस्टम
- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर।

पर्यावरणीय प्रयोगशाला

इस्पात इण्डस्ट्रीज, डोलवी के पास समर्पित पर्यावरण प्रयोगशाला है जिसमें जल, वायु, स्टैक इमिशन एवं ध्वनि मॉनीटरन का विश्लेषण निष्पादित करने के लिए योग्य और प्राशिक्षित कर्मीदल है। इसकी विश्लेषण रिपोर्ट वैधानिक प्राधिकरणों जैसे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है। संबंधित प्राधिकारियों को वार्षिक पर्यावरणीय अंकेक्षण रिपोर्ट भी नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 14001

कंपनी ने अपने स्पंज आयरन कारखाने के लिए आईएसओ 14001 कार्यान्वित की है।



जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल), हिसार

पर्यावरण प्रबंधन

वायु उत्सर्जन प्रबंधन (स्वच्छ वायु प्रबंधन)

इसके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तथा स्टील मेल्टिंग शॉप की रिफाइनिंग इकाइयों में धूल-धूसर तथा ध्वनि प्रदूषण स्तर कम करने के लिए वर्ष 2007 में दो 'डॉग हाउस' संस्थापित और चालू किये गये थे। वैधानिक अपेक्षाओं को सीमा में रखने के लिए सभी प्रोसेस इमिशन स्टेशनरी स्रोतों को प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली से जोड़ा गया है:

- स्टेक एमिशन में पार्टिकुलेट मैटर: एसएमएस 10 मि. ग्रा./एन एम³ से कम
- स्टेक एमिशन में पार्टिकुलेट मैटर: रोलिंग मिलों में 20 मि. ग्रा./एनएम³ से कम।
- धुएं को निकलकर आसपास के वातावरण में फैलने से बचाने के लिए पिकलिंग लाइनों से पैदा होने वाली फ्लू गैस/धुएँ का उपचार करने हेतु एपी-1, एपी-2, एपी-3 और एपी-4 में डी-नॉक्स सिस्टम लगाया गया है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन

एफ्लुएण्ट डिस्चार्ज का शून्य स्तर सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित सुविधाएं लगायी हैं:

- औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र
- रिंस वॉटर ट्रीटमेंट रिसाइकिल संयंत्र
- घरेलू अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र
- रिक्स आस्मोसिस संयंत्र

प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन

वायु उत्सर्जन प्रबंधन की दृष्टि से प्रदूषण उपायों के लिए अनुमानतः 155 करोड़ रु. के पूंजीनिवेश से निम्नलिखित उपकरण लगाये गये हैं:

- एसएमएस 1 और 11 में चार डॉग हाऊस
- मौजूदा एपीसी का अपग्रेडेशन तथा नये एपीसी का संस्थापन
- एपी 1 से एपी 4 लाइन्स में 4 डी-नॉक्स का संस्थापन
- सभी शोडों में इण्डस्ट्रियल क्रास वेंटिलेशन एवं रूफ एक्स्ट्रेक्टर्स
- नये-नये ईटीपी की संस्थापना तथा मौजूदा ईटीपी का उन्नयन
- सीवेज एवं इण्डस्ट्रियल एफ्लुएण्ट को आरओ सिस्टम तथा फिर वितरण नेटवर्क तक ले जाने के लिए नया ड्रेनेज सिस्टम
- कार्यालय एवं आवासीय कालोनियों तथा पड़ोस के गांवों के लिए पेय जल पूर्व-उपचार प्रणाली
- समुचित मेश-नेट और करेक्टन इंपरिवियस लाइनिंग युक्त रिसाइक्लिंग हेतु वेस्ट जल भंडारण टैंकों, स्ट्रॉम जल भंडारण और उपचारित आरओ जल भंडारण टैंकों का निर्माण।
- अलग-अलग बिन्स, रेक्स इत्यादी के निर्माण के साथ नया अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड आरंभ किया गया है
- स्क्रैप यार्ड में नया स्क्रैप हैण्डलिंग सिस्टम
- सेफ स्लैग ट्रांसपोर्टेशन, हैण्डलिंग एवं डिस्पोजल सिस्टम का अपग्रेडेशन तथा स्लैग से धातु की रिकवरी के लिए 6 एमवीए सब मर्ज्ड आर्क फर्नेस का सुदृढीकरण।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (6 एमवीए एसआरएफ में स्लैग से धातु रिकवरी)

पूरे ठोस अपशिष्ट जैसे कि प्रोसेस स्लैग, पिकलिंग अपशिष्ट, एपीसी उपकरण की हॉपर रिकवरी को मिलाया जाता है और मेटलिक प्राप्त करने के लिए उसे 6 एमवीए क्षमता वाले सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस में प्रोसेस किया जाता है। जहां 6 मि.मी. से अधिक वाले स्लैग (58.5% तक) को सड़क निर्माण, आंतरिक फ्लोरिंग, पार्क/लॉन के सौंदर्यीकरण के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है, वहीं पाउडर के रूप में स्लैग (41.5%) को सीमेण्ट उद्योगों द्वारा सीआरईपी लक्ष्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

ऊर्जा प्रबंधन

जेएसएल के पास मौजूदा पर्यावरणीय विधानों/मानक की लीक पर सभी प्रचालनगत गतिविधियों के नियंत्रण, मानीटरन एवं समीक्षा के लिए क्यू-एसएचई (गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण) की एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली है और वह श्रेष्ठ औद्योगिक कार्य संहिता का पालन कर रहा है। इस स्टेनलेस स्टील विनिर्माता इकाई का लक्ष्य आईएस/आईएसओ 9001: 2000 क्यूएमएस, आईएस/आईएसओ 14001: 2004 ईएमएस ओएचएसएस 18001: 1999 तथा पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित उत्पादन की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्य संवर्धन गतिविधियों को जारी रखना है।

ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए किये गये/ किये जा रहे उपाय

- वाटर पम्पों, हाइड्रोलिक पम्पों, कूलिंग टावरों, एअर कम्प्रेसर तथा ब्लोअर्स के लिए वेरियेबल स्पीड ड्राइव्स मुहैया किये गये हैं।
- एनीलिंग फर्नेस की दहन दक्षता के अनुकूलन के लिए, वायु/ ईंधन अनुपात कंट्रोलर लगाये गये हैं।
- प्रति टन उत्पादित आक्सीजन पर बिजली की खपत कम करने हेतु नया आक्सीजन संयंत्र चालू।
- ईंधन खपत और नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए कदम उठाये गये।
- प्रमुख द्वार और स्ट्रीट लाइट की प्रकाश व्यवस्था सौर ऊर्जा से बदली गई।

जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), रायगढ़

पर्यावरण प्रबंधन

विगत चार वर्षों से अधिक समय में कंपनी का प्रचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और/या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निर्धारित मानक मानदंडों के तहत किया जा रहा है।

वर्तमान वर्ष में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्न कदम उठाए गये :

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

ब्लास्ट फर्नेस

- रॉ मैटीरियल हैंडलिंग क्षेत्र : पानी का छिड़काव कर फ्यूजिटिव धूल एकत्रित की जाती है।
- ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया : साइक्लोन और द्विस्तरीय वेंचुरी स्क्रबर (गैस क्लीनिंग प्लांट)
- स्टॉक हाउस/जंक्शन प्वाइंट्स : स्टेक हाउस से जंक्शन प्वाइंट्स उत्सर्जन/हस्तांतरण रोकने के लिए पल्स जेट बैग फिल्टर्स और स्टेक से स्वच्छ हवा प्रवाहित हो रही है।
- सर्वमज्द आर्क फर्नेस : बर्नरों से कार्बन ऑक्साइड एवं कार्बन डाईऑक्साइड को जलाने के बाद वेस्ट गैस को फ्यूम एक्सट्रैक्शन के जरिये निकाला जा रहा है।
कार्बन डाईऑक्साइड-मुक्त गैस को बैग फिल्टर के जरिये पास किया जाता है। बैग फिल्टर में गैस एकत्रित हो जाती है। धूल-मुक्त गैस स्टेक के जरिये प्रवाहित की जाती है।

डीआरआई वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर (डब्ल्यूएचआरबी)

- डीआरआई भट्टियां : फ्लू गैस को डस्ट सेटलिंग चेंबर के जरिये निकाला जाता है, जहां गैसों को आंशिक रूप से झूलते हुए धूल कणों से मुक्त किया जाता है और इस पूर्णतः जला दिया जाता है। डब्ल्यूएचआरबी के हीट एक्सचेंजर के जरिये गैसों प्रवाहित होती हैं, उसके उपरांत गैसों की इलेक्ट्रोस्टैटि प्रेसिपिटटर (ईएसपी) के जरिये पास किया जाता है और फिर स्टेक से निकली जाती है।
- ट्रांसफर प्लाइंट्स : सक्शन हूड के जरिये फ्यूजिटिव डस्ट बैगों में एकत्रित का जाती है। स्टेक से स्वच्छ गैस प्रवाहित की जाती है।
- निजी विद्युत संयंत्र : बॉयलरों से फ्लू गैस प्रवाहित होती है और स्टेक से निकल जाती है।

स्टील मेल्टिंग शॉप

- ईएफ और लैडल फर्नेस : फ्यूम एक्सट्रैक्शन प्रणाली के जरिये गैसों खींची जाती हैं और फिर कार्बन ऑक्साइड से कार्बनडाई ऑक्साइड में बदलने के लिए दहन चेंबर में भेजा जाता है। इसके बाद गैसों का तापमान 130-150 डिग्री सेंटीग्रेड करते हुट वाटर कूलड डक्टों के जरिये और फिर धूल कण निकालने के लिए बैग फिल्टर में उपचरित किये जाते हैं।

- पीजीपी एवं लाइम भट्टी : डक्ट कलेक्टर के जरिये और फिर वेट वेंचुरी स्क्रबर के जरिये गैसों को निकला जाता है। उपचारित गैस को स्टेक के जरिये निकाला जाता है।

- कोक ओवन प्लांट : कोक ओवनों से वेस्ट गैसों को पूर्णतः जलाया जाता है और उत्पन्न हीट को स्टीम एवं बाद में बिजली बनाने के लिए वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में उपयोग किया जाता है। गैसों को पूरी तरह जला कर स्टेक के जरिये निकलने दिया जाता है।





लाइमस्टोम-डॉलोमाइट प्लांट

: सेंट्रिफ्यूगल फैन और मोटर युक्त उच्च दक्षतायुक्त पल्स जेट टाइप बैग फिल्टर की डस्ट एक्स्ट्रैक्शन प्रणाली, इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल, सक्शन हूड्स, डक्ट सपोर्ट, चिमनी डस्ट हॉपर्स, डैंपर्स, डस्ट कंडीशनर, समेत डक्ट वर्क, इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

सिंटर प्लांट

प्रोसेस और डिडस्टिंग

: ईएसपी स्थापित किये गये एवं फ्लू गैस को कॉमन स्टेक से निकाला जाता है।

जल प्रदूषण नियंत्रण

प्लांट ने शून्य डिस्चार्ज की स्थिति बनाये रखने के लिए क्लोज वाटर सर्किटिंग अरेंजमेंट अपनाया है। दो मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा, दो और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किये जा रहे हैं ताकि बाग और बागवानी गतिविधियों के लिए 100: उपचारित जल उपयोग किया जा सके।

टोस अपशिष्ट प्रबंधन

कम्पनी ने वर्ष 2005-06 और 2006-07 में चार, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, स्लज एवं डस्ट और फ्लाई ऐश के रूप में 100% टोस अपशिष्ट को उपचारित/रिसाइकिल किया। वर्ष 2006-07 में सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस स्लैग, का उपचार 2005-06 में 92% से बढ़कर 2006-07 100% हुआ था।

ऊर्जा प्रबंधन

वर्ष 2007-08 में ऊर्जा की खपत 5.58 गीगा कैलरी/प्रतिटन कच्चा इस्पात थी जबकि 2006-07 में यह 5.6 गीगा कैलरी थी। ऊर्जा खपत में कमी के लिए उठाये गये उठाये जा रहे कदम तथा इसके लिए भावी योजनाएं:

- 1681 घन मीटर क्षमता वाले नये ब्लास्ट फर्नेस डेनिली कोरस का संस्थापन, जिससे तप्त धातु उपयोग में वृद्धि के चलते ब्लास्ट फर्नेस की समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी आयी।
- अपशिष्ट हॉट रिकवरी बॉयलरों में 5 एयर-प्रीहीटर्स संस्थापित।
- ड्युएल फायर्ड बॉयलर (1x63 टीपीएच) का संस्थापन। आंशिक रूप से कोयले की जगह ब्लास्ट फर्नेस गैस का उपयोग।
- नॉन रिकवर टाइप के पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन प्लांट का संस्थापन
- कोक ओवन प्लांट का संस्थापन होने के कारण, कोक ओवन के उपयोग से अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा पैदा हुई।
- पेट्रो-ईंधन की जगह प्रोड्यूसर गैस का उपयोग।
- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में कोक इंजेक्टर द्वारा मेटलर्जिकल कोक फाइनस का आरंभ जो कि सीपीसी का सस्ता विकल्प है।
- अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा सृजन हेतु डीआरआई-भट्टियों से सेंसिबल हीट आफ-गैस का इस्तेमाल करने के लिए 10 वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलरों (डब्ल्यूएचआरबी) की स्थापना की गई।

भावी योजनाएं

- पेट्रो ईंधन को बदलकर नये प्रोड्यूसर गैस प्लांट का संस्थापन
- यूनिट-3 पावर प्लांट से अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए नये ब्लास्ट फर्नेस, बीएफ-2 की ब्लास्ट फर्नेस गैस का उपयोग।
- ब्लास्ट फर्नेस में कोक की खपत कम करने लिए नये ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ-2) में पल्वेराइज्ड कोल इंजेक्शन।
- पैदा हुई अतिरिक्त भाप का उपयोग करने के लिए पावर प्लांट-II, फेज-III में पीआरडीएस की संस्थापना।
- एसएमएस-II में मिल स्केल का उपयोग ।
- 4000 घन मीटर क्षमता का नया ब्लास्ट फर्नेस लगाया जाएगा।
- ब्लास्ट फर्नेस से ग्रेन्युलेटेड स्लैग का उपयोग करने के लिए सीमेण्ट प्लांट लगाया जायेगा।



एस्सार स्टील लिमिटेड (ईएसएल)


एस्सार ने अपनी समस्त इकाइयों के लिए आयातित, अत्याधुनिक तथा स्वच्छ उत्पादन टेक्नोलॉजियां अपनाई हैं:

- प्रतितन कच्चा इस्पात आधार पर जल की खपत कम करने पर निरंतर ध्यान केन्द्रित। वर्तमान खपत लगभग 2.59 घन मीटर/ टन कच्चा इस्पात है। एस्सार स्टील को “वाटर मैनेजमेण्ट बियाॅण्ड द फेन्स” में उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-शोहराब गोदरेज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- टेक्नोलॉजी में निरंतर पूंजी निवेशों तथा संशाधनों के परिणामस्वरूप कार्य क्षेत्र एमिशनस एवं स्टैक एमिशनस में निरंतर सुधार आया है।
- एसिड रिकवरी प्लाण्ट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तथा पुनरुद्धार कार्य ताकि एमिशनस के स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
- हॉट ब्रिक्वेटेड आयरन (एचबीआई) प्लाण्ट में हाई एफिशियन्सी वेन्चुरी स्क्रबर्स की व्यवस्था ताकि पार्टिकुलेट तत्वों का उत्सर्जन नियंत्रित किया जा सके। इसमें लौह अयस्क चूर्ण की रिकवरी और पेलेटाइजेशन के बाद उसके पुनः उपयोग में भी मदद मिलती है।
- पार्टिकुलेट तत्वों (पीएम) के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल वेक्यूम डी-डस्टिंग-सिस्टम का संस्थापन।
- नाइट्रोजन के आक्साइडों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक गैस/तरल प्राकृतिक गैस/ नेफ्था आधारित पावर प्लाण्ट में लो एनओएक्स जनरेंटिंग बर्नर्स का उपयोग।
- ऑयल स्किमर्स से युक्त औद्योगिक एफ्लुएण्ट के उपचार के लिए एफ्लुएण्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट, क्लेरिफायर्स एवं एफ्लुएण्ट रिसाइकिल तथा रियूज सिस्टम का संस्थापन/ वर्तमान में, 95% उपचारित एफ्लुएण्ट को रिसाइकिल किया जा रहा है।
- कारखाने और टाउनशिप में उपचारित सीवेज को पौधरोपण तथा हरित पट्टी विकास के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।
- पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों को निष्पादित करने, पर्यावरणीय गुणवत्ता का मानीटरन करने अर्थात् एफ्लुएण्ट्स स्टैक एमिशनस, एम्बियण्ट एअर क्वालिटी तथा ध्वनि स्तर) तथा नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन कक्ष (ईएमसी) स्थापित किया गया है। 5 अत्यंत योग्य तथा अनुभवी पर्यावरण कार्मिक इस कक्ष की कार्य-व्यवस्था देख रहे हैं।

पर्यावरण गुणवत्ता सुधारने के लिए पिछले 3 वर्षों के अंदर निम्नलिखित अतिरिक्त पहल कार्य किये गये हैं:

- अधिक सक्शन प्राप्त करने के लिए फ्यूम एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम (एफईएस) में अतिरिक्त बैग फिल्टर्स एवं आईडी फैन की संस्थापना।
- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएफ) में सेण्ट्रल वेक्यूम डी-डस्टिंग सिस्टम की संस्थापना।
- धूल-धूसर (डस्ट) उत्सर्जन को कम करने के लिए नाइट्रोजन गैस युक्त हॉट डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) फीडिंग शूट की संस्थापना।
- लैडल फर्नेस (एलएफ) के लिए बेहतर डस्ट सक्शन हेतु बूस्टर फैनस का संस्थापन।
- धूर-धूसर उत्सर्जन को कम करने के लिए एलएफ कवर और रिब के बीच के अंतर को कम किया गया।
- सड़कों से डस्ट का रि-सस्पेंशन रोकने के लिए 1505 मीटर दूरी तक स्थायी (पाइपलाइन) छिड़काव प्रणाली लगायी गयी।
- कनवेयर्सों के ट्रांसफर प्वाइण्ट्स में स्पिंकरलर्स की संस्थापना।
- कैप्टिव पावर प्लाण्ट एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित 100% पानी का पुनः उपयोग तथा हॉट रोलड कोल प्लाण्ट से निकलने वाले उपचारित एफ्लुएण्ट का उपयोग बागवानी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।
- हॉट ब्रिक्वेटेड आयरन (एचबीआई) से आंशिक अपशिष्ट जल की धुलाई के लिए पुनः उपयोग (पाइपलाइन) स्पिंकरलिंग सिस्टम तथा वेट स्क्रीनिंग।
- एचबीआई में ऑयल स्किमर की संस्थापना।
- छलकाव तथा उससे होने वाले तेल के नुकसान को रोकने के लिए अपशिष्ट तेल एवं तेल बैरलों के भण्डारण हेतु प्रत्येक प्रयोक्ता विभाग में कैंटोनमेंट क्षेत्र।
- ग्रीनबेल्ट प्रोग्राम अपनाया गया।
- विभिन्न उपयोगों के लिए स्रोत स्थान पर ही कचरे को अलग-अलग करने के लिए समुचित स्टोरेज बिन्स के जरिये बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सभी प्रकार के ठोस अपशिष्टों का पुनः एवं बेहतर उपयोग।





अध्याय-VIII

सूचना टेक्नालॉजी का विकास

इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूचना टेक्नालॉजी की संरचना, विकास और उसके उपयोगों से संबंधित मामलों का नवीकरण करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

इस्पात मंत्रालय

सूचना टेक्नालॉजी संरचना

- मंत्रालय के कम्प्यूटर केन्द्र में विंडोज 2003 सर्वर्स: पेंटियम पर आधारित उपभोक्ता प्रणालियां, दस्तावेजों की इमेजिंग के लिए स्कैनर और हैवी ड्यूटी लेजर प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा, केन्द्र में स्विचिज और हब्स जैसे लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) इक्विपमेंट की भी सुविधा है, जो पूरे मंत्रालय में फैले लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इंटरनेट के साथ-साथ इंटरनेट पर आधारित उपयोगों के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) केन्द्रीय सुविधा के अलावा, मंत्रालय में डेस्कॉ/अनुभागों में कार्मिकों के पास लगभग 150 पेंटियम आधारित उपभोक्ता प्रणालियां भी हैं जो वर्तमान में विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर और कार्यालय स्वचालन के लिए उपयोगी हैं।
- मंत्रालय में 150 नोड्स वाली लैन प्रणाली काम कर रही है और इसका i) इलेक्ट्रॉनिक डायरी ii) फाइलों/दस्तावेजों की शेरिंग, iii) मंत्रालय के अनुभागों/डेस्कॉ में लम्बित वार्षिक प्रतिवेदनों/संसदीय प्रश्नों, लंबित आवेदन पत्रों की जांच एवं निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भों, जन प्रतिवेदनाओं, संसदीय आश्वासनों, रिक्त पदों की स्थिति, एसीसी मंजूरी/समीक्षा/अपील से जुड़े मामलों, ड्राफ्ट ऑडिट पैराज और iv) मंत्रालय के डेस्कॉ/अनुभागों से संसदीय प्रश्नों का संकलन और उन्हें ई-मेल के जरिए राज्यसभा और लोकसभा में भेजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों/डेस्कॉ/अनुभागों को इंटरनेट पर सूचना भेजने तथा इंटरनेट से वांछित सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

मंत्रालय में ई-गवर्नेंस एप्लिकेशंस उपयोगों और कागजमुक्त कार्यालय के सिद्धांत को बढ़ावा

- ई-प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत, समस्त मंत्रालय में एक इंटरनेट पोर्टल पर सूचनाएं/परिपत्र/कार्यालय आदेश का आदान-प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक बुलेटिन बोर्ड की सेवाएं कर्मचारियों के लिए प्रदान की गई हैं।
- इस पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक डाक/डायरी/दस्तावेजों को आगे बढ़ाने की सुविधाएं हैं। इस पोर्टल में कार्य का फ्लो और वर्क रूटिंग उपयोग जैसे नोट शीट्स और दस्तावेजों की ई-फाइलिंग और मंजूरी की सुविधा है।
- अवकाश एवं अग्रिमों की मंजूरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्र, पहचान-पत्र, स्टाफ कार बुकिंग आय कर, दूरभाष सूची, मंत्रालय के अधिकारियों/अनुभागों/डेस्कॉ के ई-मेल पते, निर्देशिका, संगठनात्मक चार्ट, गतिविधि की सुविधा भी मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को मंत्रालय के इंटरनेट पोर्टल पर प्रदान की गई है।
- पोर्टल पर कर्मचारियों का विवरण, वेतन विवरण, सामान्य भविष्य निधि विवरण, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालय आदेशों और कार्यालय परिपत्रों के लिए बुलेटिन बोर्ड सेवाएं और भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति रिक्तियों/पदों के बारे में जानकारी दी जाती है।
- इंटरनेट पोर्टल में महत्वपूर्ण संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, जन प्रतिवेदनाओं, मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों की अवस्था एवं स्थिति, लम्बित समीक्षा/अपील मामलों, अदालती मामलों, ऑडिट पैराज, इत्यादि की सुविधा है ताकि मामले कम समय तक लम्बित रहें और निर्णय लेने में देरी कम हो सके।
- भारत सरकार की ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मंत्रालय में निम्न वेब आधारित प्रणालियां कार्यान्वित की जा रही हैं:
 - i) आरटीएस-एमआईएस - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त निवेदनों एवं अपीलों की निगरानी सुविधाएं। यह प्रणाली मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यान्वित की गई है। इस प्रणाली को केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने विकसित किया है।

- ii) मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन परिवेदनाओं के निवारण सुविधा हेतु सीपीग्राम्स और पेंशन धारकों के परिवेदनाओं की निवारण हेतु सॉफ्टवेयर कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट

- मंत्रालय की वेबसाइट (<http://www.steel.gov.in>) इंटरनेट पर द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा इसमें इस मंत्रालय तथा इस्पात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।
- मंत्रालय एवं उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच जी2जी द्विभाषी इंटरफेस की सुविधा है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मासिक/ तिमाही कार्यनिष्पादनों की सूचना ऑन-लाइन प्राप्त की जाती है ताकि सूचना एकत्र करने कैबिनेट समरी बनाने और तिपाही कार्यनिष्पादन समीक्षा करने में देरी कम की जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा

- इस्पात मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन, तेजी से निर्णय लेने, कार्यपालकों के समय का सदुपयोग बढ़ाने और यात्रा खर्च कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की गई है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सूचना टेक्नोलॉजी की पहल

सेल के पास सूचना टेक्नोलॉजी पहल के लिए एक सुव्यवस्थित रणनीति है। कम्पनी ने 2010 तक 26 मिलियन टन तप्त धातु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए विकास योजना बनाई है जिसके अंतर्गत संगठन भर में सूचना जरूरत की व्यापक पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता केन्द्रित प्रणालियों, लागत में क़िफ़ायत, लाभप्रदता में बढ़ोतरी, उत्पादों की गुणवत्ता और स्टेकहोल्डरों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सूचना टेक्नोलॉजी उपयोगों पर प्रमुख बल दिए जाने की व्यवस्था की गई है। योजना में सूचना टेक्नोलॉजी संचार नेटवर्क सुदृढ़ करने, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण (पीपीसी) स्थापित करने, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और मैनुफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन सिस्टम (एमईएस) के कमप्यूटरीकरण एवं कार्यान्वयन की व्यवस्था की गई है। भिलाई इस्पात कारखाना ईआरपी कार्यान्वयन की योजना बना रहा है जिसे बाद में अन्य इकाइयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाएगा और प्रत्येक कारखाने द्वारा पीपीसी व एमईएस का कार्यान्वयन किया जाएगा।

सेल ने देश भर में निम्न सूचना टेक्नोलॉजी पहल की है, उनमें से कुछ पहले ही कार्यान्वित कर ली गई हैं और शेष को पूर्ण किया जा रहा है:

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : मई 2006 में चालू, यह वर्तमान रूप में देश भर में सेल के सभी कारखानों/इकाइयों, आरआईएनएल, एनएमडीसी और इस्पात मंत्रालय को कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जोड़ा गया है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन, तेजी से निर्णय लेने, कार्यपालकों के साथ का सदुपयोग बढ़ाने और यात्रा खर्च कम करने के लिए किया जा रहा है।
- नेटवर्किंग: सेल के पास बीएसएनएल/एमटीएनएल लीज्ड लाइन्स, आईएसडीएन और वीएसएटी के बैकअप के साथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)का उपयोग करते हुए सभी एकीकृत इस्पात कारखानों के यूनिट कार्यालयों को जोड़ती हुई सेल वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) है। सभी एकीकृत इस्पात कारखानों में फाइबर ऑप्टिक पर आधारित एरिया नेटवर्क्स हैं।
- ई-कॉमर्स-टेंडर वेबसाइट: अगस्त 2006 में चालू, सेल ने अपने इस्पात कारखानों/इकाइयों द्वारा सभी टेंडरों को अपलोड करने के लिए एक अलग टेंडर वेबसाइट www.sailtenders.co.in बनाई है। इस वेबसाइट को इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है। इस साइट पर टेंडर से संबंधित सभी सूचनाएं होती हैं और सभी विक्रेता इसे देख सकते हैं। सेल की टेंडर वेबसाइट में लाइव ओपन टेंडर्स, सूचना/परिपत्र, सीमित टेंडर्स, मानक नियम एवं शर्तें, विक्रेता पंजीकरण प्रपत्र, विक्रेता एक्स्प्लोरेशन (सिंगल टेंडर मदों हेतु) और कॉट्रेक्ट विवरण, इत्यादि सूचनाएं होती हैं। सेल अपनी टेंडर वेबसाइट पर 2005 से टेंडर दस्तावेज अपलोड करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर रहा है, जो सूचना टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2000 के अनुरूप हैं।

बाज़ार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कीमतों पर मोलभाव और खरीद करने में पारदर्शिता के लाभ के साथ 2001-02 में रिवर्स ऑक्सन के जरिए ई-प्रोक्योरमेंट कार्यान्वित करने वाला सेल पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। वर्ष 2001-02 में इस प्रक्रिया द्वारा 19 करोड़ रुपये के सौदे हुए थे, जो 2006-07 में बढ़कर 801 करोड़ रुपये पहुंच गए।

ई-सेल्स: सेल में फॉरवर्ड ऑक्सन के जरिए ई-सेल्स 2002-03 में शुरू हुई और 2002-03 में 53 करोड़ रुपये के सौदे बढ़कर 2006-07 में 1,906 करोड़ रुपये हो गए।

ई-पेमेंट: सेल के कर्मचारियों का वेतन ई-पेमेंट के जरिये एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंकों द्वारा किया जा रहा है। आपूर्तिकर्ताओं को भी ई-पेमेंट की जा रही है। सेल ने अपने प्रमुख कारखानों/ यूनिटों में भी अदायगी के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदत्त ई-पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी और कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग जैसी विभिन्न प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई-पेमेंट के जरिये भुगतान पाने वालों में विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, सांविधिक

देनदारियां जैसे सेंट्रल एक्साइज, टीडीएस, सेवाकर इत्यादि, रेलभाड़ा, विदेश व्यापार महानिदेशक के शुल्क और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान पाने की सहमति देने वाले अन्य लोग शामिल हैं।

कर्मचारी सेवाएं

कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण, एलटीसी/एलएलटीसी नकदीकरण जैसी ऑन-लाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कारखानों/यूनिटों में इंटरनेट वेबसाइट्स विकसित की गई हैं। कर्मचारियों को वेबसाइट पर परिपत्र, आदेश, प्रपत्र, पे स्लिप, भविष्य निधि की स्थिति जैसी सूचनाएं उपलब्ध हैं। कारखानों/यूनिटों के कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए ई-कियोस्क लगाये गये हैं।

सीमित निविदा इंकवायरी के जरिये देशज उपभोग्य सामग्री/स्पेयर्स के लिए सेल में ऑन-लाइन ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ईपीएस) कार्यान्वित की जा रही है। यह प्रणाली आयात और खुली निविदाओं के लिए भी प्रयोग में लायी जाएगी। ईपीएस में आम तौर पर, खुली निविदाएं, ट्रांसपोर्ट, रिवर्स ऑक्सन, स्टैंडर्ड कम्प्यूनिकेशन, डिजिटल हस्ताक्षर, इत्यादि शामिल हैं। ईपीएस पर ऑन-लाइन सौदे सर्वर के एसएसएल सर्टिफिकेशन के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। सेल के कारखानों/यूनिटों में ईपीएस कार्यान्वित करने के लिए



श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष, "सेल" 29 मार्च 2007 को इस्पात भवन, नई दिल्ली में ई-क्योस्क (सरल ई-सेवा) का उद्घाटन करते हुए।

मेटल-जंक्शन के साथ मई 2007 में करार पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत प्रथम चरण में यह प्रणाली बोकारो, दुर्गापुर, इस्को, मिश्र इस्पात कारखानों में और दूसरे चरण में सेलम इस्पात कारखाने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, वीआईएसएल और रॉ मैटीरियल्स डिविजन में कार्यान्वित की जानी है। इसको आगामी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसे फिलहाल भिलाई इस्पात कारखाने में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सेल निगमित कार्यालय ने अपने केंद्रीय विपणन संगठन के साथ मिलकर एक प्रणाली ईजाद की है, जिसका इस्तेमाल एसबीआई पोर्टल के जरिए ई-रीसिप्ट प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए एसबीआई ने आवश्यक सॉफ्टवेयर पहले ही विकसित कर लिया है। इस सुविधा के जरिये सेल का कोई भी निगमित ग्राहक, जिसका एसबीआई में बैंक खाता हो, एसबीआई की वेबसाइट अर्थात् <http://www.onlinesbi.com> पर जाकर सेल की किसी भी शाखा के बैंक खाते में भुगतान कर सकता है। शाखाओं को हिदायत दी गई है कि वे इस सुविधा के बारे में सेल के निगमित ग्राहकों को अवगत करायें। ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं का तेजी से कार्यान्वयन करते हुए, सेल अपने व्यवसाय को ई-रूट के जरिये बढ़ाने में समर्थ होगा। प्रणालियों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सौदों में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने (वीएसपी) में सूचना टेक्नोलॉजी (आई टी) विभाग उन विभागों में से एक है, जिनको कारखाने की परियोजना अवस्था से ही शुरू कर दिया गया था। यह विभाग परियोजना निष्पादन के लिए पर्ट/ सीपीएम चार्टर्स, तकनीकी प्रलेखन सूचना प्रणाली, कांटेक्ट, बिलिंग, परियोजना निष्पादन के लिए रूसी विशेषज्ञों के पे रोल इत्यादि जैसी वीएसपी निर्माण के दौरान डाटा प्रोसेसिंग जरूरतों को पूरा किया करता था। आईटी विभाग द्वारा वीएसपी के सभी आंतरिक उपभोक्ताओं को आईटी-सेवाएं एवं आईटी-इनेबल्ड सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में शामिल हैं: सॉफ्टवेयर विकास, सर्विस और अन्य बुनियादी सेवाओं का प्रचालन एवं मदद, प्रोसेस कंट्रोल का प्रचालन एवं मदद, आईटी बुनियादी सेवाओं की साइजिंग, खरीद एवं स्थापना।



आरआईएनएल में प्रोसेस कंट्रोल सेण्टर


प्रोसेस कंट्रोल

आईटी विभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रोसेस कंट्रोल का क्षेत्र है। स्वचालन एवं कम्प्यूटरीकरण की दृष्टि से वीएसपी की रोलिंग मिलें भारतीय इस्पात उद्योग में अपने किस्म की पहली हैं। रोलिंग, कटिंग, गाइडिंग, कूलिंग इत्यादि जैसे सभी प्रचालनों को बड़ी बारीकी से कंप्यूटरों का उपयोग करते हुए किया जाता है।

आरआईएनएल में प्रचलित कुछ आईटी प्रणालियां निम्न हैं: उपस्थिति रिकार्डिंग, विपणन प्रणाली, सीआईएसएफ गेट एकाउंटिंग, कांटेक्ट बिलिंग, कॉस्टिंग, वित्तीय लेखे, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, इंटरनेट एवं इंटरनेट वेबसाइट, अनुरक्षण प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, पे-रोल, उत्पादन योजना एवं नियंत्रण, कच्ची सामग्री प्रबंधन, मरम्मत शॉप शिड्यूलिंग और “वेगन सूचना एवं ट्रेकिंग”।

आरआईएनएल में ई-कॉमर्स का कार्यान्वयन

- i) ई-ऑक्शन के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर निश्चित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
- ii) सभी खुली निविदाएं वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती हैं।
- iii) अतिरिक्त/स्क्रेप मदों का निपटारा फिजिकल ऑक्शन, निविदाओं के साथ-साथ ई-ऑक्शन के जरिये किया जा रहा है। वर्ष 2007-08 के दौरान तीन ई-ऑक्शन किये गये और ई-ऑक्शन के जरिये अब तक 94.78 लाख रुपये मूल्य का माल बेचा गया।
- iv) 100% टेंडर विक्रय ई-ऑक्शन पद्धति से किया जाता है।
- v) वर्ष 2007-08 के दौरान सड़क परिवहन ठेकों को खुली निविदाओं में सील बंद प्राइस बिड प्राप्त करने की पद्धति को बदल कर ई-ऑक्शन पद्धति किया गया।
- vi) वर्ष 2005 के दौरान कोक ओवंस के उप-उत्पादों-टार एवं बेंजोल उत्पादों जैसे कोयला रसायनों के विक्रय के लिए ई-ऑक्शन कार्यान्वित किया गया। परंतु उस समय उपभोक्ताओं से अपर्याप्त रुझान को देखते हुए इसे जारी नहीं रखा जा सका। विवेच्य वर्ष के दौरान, दिसम्बर 2007 से उप-उत्पादों का विक्रय करने के लिए ई-ऑक्शन कार्यान्वित करने की योजना है। इसको व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए अखिल भारतीय समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन देने की योजना बनाई जा रही है।
- vii) वर्तमान रूप में, कुल भुगतानों में से लगभग 33% भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किये जा रहे हैं।
- viii) निविदाओं/ रुचि की अभिव्यक्ति इत्यादि और दिये गये टेंडरों/ ठेकों को वेबसाइट पर डाला जा रहा है। इनसे संबंधित विभागों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इसके अलावा ठेके की सामान्य शर्तें, ठेके के नियम एवं शर्तें, डाउनलोड किये जा सकने वाले रूप में आवेदन-पत्र/प्रपत्र, ठेकेदारों के बिल अदायगियों की स्थिति, अखिल भारतीय स्तर पर प्रबंध प्रशिक्षुओं की भर्ती के आवेदन पत्रों की ऑन-लाइन प्राप्ति, को वेबसाइट पर डाला जा रहा है।
- ix) सभी उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल पर क्यूएमएस डाक्यूमेंटेशन को आईएसओ 9001:2000 के अनुसार उपलब्ध किया गया है।
- x) ऑन-लाइन शिकायत समाधान प्रणाली विकसित की गई है और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।



- xi) इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) विभाग की स्थापना की गई है, जिसका ध्येय अन्य बातों के अलावा, अपने विक्रेताओं और उपभोक्ताओं इत्यादि के साथ ई-बिज़नेस करने में आरआईएनएल की सामर्थ्य बढ़ाना है।
- xii) कर्मचारियों को अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ सीधे ही बातचीत करने की जरूरत को पूरा करने के लिए एक मंच 'चेयरमेन ऑन-लाइन स्कीम' शुरू की गई है।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने सामान के क्रय, अतिरिक्त मदों एवं स्क्रेप का विक्रय, भारतीय बाज़ार में लौह अयस्क का मौके पर विक्रय, धन का अन्तः परियोजना स्थानांतरण के साथ-साथ रेल भाड़े के भुगतान के लिए ई-कॉमर्स के कार्यान्वयन, ई-क्रय के क्षेत्र में ई-ऑक्सन और ई-पेमेंट में अच्छी प्रगति हुई है। मुख्यालय में विक्रेताओं/ अपूर्तिकर्ताओं को ऑन-लाइन भुगतान आजमाइशी तौर पर शुरू किया गया है।

मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल ने कंपनी के सभी कार्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण सिस्टम विभाग की स्थापना की है। महत्वपूर्ण सूचना टेक्नोलॉजी पहल में शामिल हैं:

- 206 कंप्यूटरों की स्थापना, जिनमें से 89 कंप्यूटर मुख्यालय में है और शेष 117 कंप्यूटरों को खानों में वितरित किया गया है।
- नॉवेल 4.2 और विंडोज-2003 प्लेटफार्म पर लोकल एरिया नेटवर्क्स (लैन) मुख्यालय के साथ-साथ दो प्रमुख खानों-बालाघाट और डोंगरी बुजुर्ग में सुचारु रूप से चल रहे हैं। अन्य खानों में लैन विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।
- नियमित आधार पर डाटा बेस/ सूचना और अन्य संसाधनों का प्रभावी आदान-प्रदान करने के लिए दूर-दराज़ स्थित सभी उत्पादन यूनिटों को मुख्यालय से वीसेट के जरिये जोड़ा गया है।
- ई-मेलिंग और डाटा हस्तांतरण सुविधाओं के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को शेर्यड 1 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिये इंटरनेट की सुविधा दी गई है।

मॉयल ने खरीद और विक्रय में अप्रैल 2006 से ई-कॉमर्स कार्यान्वित किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान फेरो मैंगनीज और फेरो मैंगनीज स्लैग के अलावा, डोंगरी बुजुर्ग खान के मैंगनीज ओर के ऑक्साइड और डाइऑक्साइड ग्रेड को भी ई-विक्रय में शामिल किया गया जिसके उत्साहवर्द्धक परिणाम रहे। एमएसटीसी के जरिये कुल 8 ई-विक्रय आयोजित किये गये।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

मुख्यालय और रांची, विशाखापट्टनम, नागपुर, बोकारो, भिलाई और कोलकाता परियोजना यूनिटों में ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं/ कर्मचारियों को ई-पेमेंट करने और अन्य ई-कॉमर्स गतिविधियों की ओर बढ़ने के लिए कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के ज़रिए एचएससीएल/ सीपत यूनिट में ई-टेंडरिंग सुविधा प्रदान की है। एचएससीएल, नई दिल्ली, चैन्नई और बंगलौर यूनिटें भी शीघ्र ही कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने लगेंगी। कंपनी के मुख्यालय और बोकारो, भिलाई, कोलकाता परियोजना और हैदराबाद कार्यालयों में वेतन का भुगतान नियमित रूप से ई-पेमेंट के ज़रिए किया जा रहा है।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन वर्तमान रूप में कंपनी के लिए आईटी बुनियादी सुविधा एवं इंटीग्रेटेड सूचना प्रबंधन प्रणाली का स्वयं विकास करने पर बल दे रहा है। इस संगठन ने एक संपूर्ण वेब इनेबल्ड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली कार्यान्वित करने का निश्चय किया है जो निम्न पर विशेष बल के साथ संगठन की सभी गतिविधियों को शामिल करेगी:

- परियोजना प्रबंधन
- ठेका प्रबंधन
- वित्तीय प्रबंधन
- संसाधन योजना एवं प्रबंधन

ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडरों से निविदायें आमंत्रित करने के लिए इस प्रणाली की जरूरतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रस्तावित प्रणाली मार्च 2009 तक कार्यान्वित होने की आशा है।

ई-कॉमर्स गतिविधियां

- वेब इनेबल्ड प्रणाली के जरिये विक्रेताओं का पंजीकरण एवं टेंडरिंग किया जाता है।
- हर माह प्रस्तुत किये गये आदेशों को मेकॉन की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
- सेवा कर की अदायगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो रही है।

भारत रिफ़ैक्टरीज़ लिमिटेड (बीआरएल)

बीआरएल की एक यूनिट में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) पैकेज विकसित किया जा रहा है और उसे 2007-08 के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। कंपनी का भंडारीडह रिफ़ैक्टरीज़ प्लांट भी शीघ्र ही भविष्य निधि लेखों को कंप्यूटरीकृत करने जा रहा है। ई-गवर्नेंस पर बल जारी रखा गया है जिसके फलस्वरूप कंपनी की सभी खुली निविदाएं अब वेबसाइट पर डाली जाती हैं।

बीआरएल ऑन-लाइन रिवर्स ऑक्शनों के जरिये निम्न क्षेत्रों में भाग लेता है:

- विभिन्न सेल यूनिटों के स्लाइड गेट रिफ़ैक्टरीज़ (सभी सेल यूनिटें इस मद को 100% ऑन-लाइन रिवर्स ऑक्शन के जरिये खरीद रही हैं) बीआरएल इस क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रहा है (सेल की कुल जरूरत का 25% से 30%)।
- ब्लास्ट फर्नेस ट्रफ कास्टेबल (सेल की कुछ यूनिटें इस मद का 100% ऑन-लाइन रिवर्स ऑक्शन के जरिये खरीद रही हैं) - बीआरएल इस क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रहा है (सेल यूनिटों की कुल जरूरत का 60%)।
- एएसपी को अल्यूमिना-मैगनेशिया कास्टेबल-बीआरएल 1 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रहा है (एएसपी की कुल जरूरत का 60%)।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने 2006-07 में ई-खरीद सेवाएं शुरू की हैं। परंतु पहला ऑन-लाइन सौदा 2007-08 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड की ओर से विस्फोटकों की खरीद के लिए किया गया। खरीदी गई कुल मदों की कीमत 850 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए रिवर्स ऑक्शन के जरिये 19 किग्रा. और 35 किग्रा. सिलेंडरों की खरीद की गई। कुछ ई-खरीद सेवाएं एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को भी प्रदान की गई। एमएसटीसी विभिन्न औद्योगिक मदों के क्रैताओं एवं विक्रेताओं को अपने बिज़नेस सौदे सम्पन्न करने के लिए वर्चुअल मार्केटप्लेस प्रदान करने हेतु एक ई-शापिंग मॉल विकसित कर रहा है। एमएसटीसी ने 2007-08 (नवम्बर 2007 तक) ई-कॉमर्स (ई-विक्रय और ई-खरीद) के जरिये लगभग 2600 करोड़ रुपये के बिजनेस सौदे किये और आशा है कि 2007-08 के अंत तक यह आंकड़ा 3500 करोड़ रुपये पार कर जायेगा। प्रणालियों में सुधार प्रयास के रूप में, एमएसटीसी के ई-कॉमर्स प्रभाग ने 16.11.2007 से आईएसओ 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)


एफएसएनएल अपने निगमित कार्यालय, भिलाई और 9 प्रचालन यूनिटों के ज़रिए इस्पात कारखानों के वर्क्स परिसरों में विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। ईआरपी पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें ई-खरीद, ई-अदायगी इत्यादि शामिल हैं और अगले वित्त वर्ष के दौरान इस पैकेज के कार्यान्वित होने की आशा है।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कंपनी की आईटी प्रणाली डाटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में ऑरेकल युक्त सन सर्वर- 280 आर का नया वर्ज़न है। यह प्रणाली वर्तमान रूप से कंपनी की जरूरतों को पूरा कर रही है। जैसे कि एसआईआईएल का एनएमडीसी में विलय हो रहा है, आईटी क्षेत्र में कोई नई पहल नहीं की गई है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

स्क्रैप/ अतिरिक्त मदों का निपटान सितम्बर 2004 से एमएसटीसी, बंगलौर के जरिये ई-ऑक्शन द्वारा किया जा रहा है। विगत वित्त वर्ष में मंगलौर और कुद्रेमुख में चार ई-ऑक्शन हुए। वेब टेंडरिंग-कम-रिवर्स ऑक्शन द्वारा ई- प्रोक्यूरमेंट ऑक्शन वर्ष 2003-04



में शुरू हुआ था। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान निजी बिजली संयंत्र के लिए 1000 मीट्रिक टन कास्टिक सोडा विप्रो के जरिये ई-प्रोक्चूर किया गया था और कंपनी को लगभग 1.80 लाख रुपये का अनुमानित रूप से वित्तीय लाभ हुआ था। ई-खरीद की सीमा आरंभ में 5 लाख रुपये और अधिक रखी गयी थी। 2006 के दौरान समीक्षा के बाद इस कंपनी में इसे संशोधित कर 15 लाख रूपये कर दिया गया।

बर्ड ग्रुप की कंपनियां (बीजीसी)

बीजीसी द्वारा आज की तिथि में लौह अयस्क चूर्ण/ ढेले की टेंडरिंग मेटल जंक्शन पर आधारित ई-ऑक्शन पद्धति से की जा रही है।

अध्याय . IX

सुरक्षा


किसी भी उद्योग के क्रियाकलाप में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल उसके कर्मचारियों व कामगारों, वरन् पर्यावरण एवं राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह और इस्पात उत्पादन एक जटिल एवं जोखिम भरी गतिविधि होने के नाते, चोट और दुर्घटनाएँ रोकना, कार्य करने का स्वस्थ वातावरण प्रदान करना और हर संभव जोखिमों से सुरक्षा को पर्याप्त मान्यता देना एवं ध्यान रखना होगा। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुरक्षा पर दिए जा रहे बल पर प्रकाश डाला गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल की एक व्यापक सुरक्षा नीति है, जो अपने अत्यंत मूल्यवान संसाधनों अर्थात् मानव संसाधन का ध्यान रखने के महत्वपूर्ण मसले पर शीर्ष प्रबंधन की वचनबद्धता को रेखांकित करती है। सेल में निगमित, यूनिट और शॉप स्तरों पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। सेल सुरक्षा संगठन नामक निगमित सुरक्षा यूनिट है जो विभिन्न कारखानों/ यूनिटों में चलाई जा रही प्रचालनगत/ अग्नि सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय, निगरानी, प्रोत्साहन एवं विस्तार करती है और कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन पर समुचित निगमित बल प्रदान करती है। इसके अलावा, सेल में संबंधित कारखानों और यूनिटों का सुरक्षा प्रबंधन देखने के लिए कंपनी के हर कारखाने/ यूनिट में संपूर्ण सुरक्षा इंजीनियरी विभाग हैं। शॉप फ्लोर पर विभागीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा का निकट से ध्यान रखा जाता है। विभिन्न कारखानों/ यूनिटों के साथ-साथ सेल सुरक्षा संगठन स्तर पर निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:

- कोई भी कार्य सम्पन्न करने से पहले हर कार्य में सुरक्षा के पूर्ण एहतियात बरते जाते हैं। मानक प्रचालन प्रविधियों (एसओपी) और मानक अनुरक्षण प्रविधियों (एसएमपी) में सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया गया है।
- सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के क्षेत्र में वार्षिक कार्य-निष्पादन योजनाएँ तैयार की गई हैं और कारखानों और सेल सुरक्षा संगठन द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।
- प्रमुख विभागों, खास तौर पर जोखिम भरे क्षेत्रों का समय सारणी के अनुसार आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा ऑडिट होता है और इससे निकले बिन्दुओं का निराकरण किया जाता है।
- नियमित सभी कर्मचारियों को सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ब्रीदिंग उपकरण इत्यादि जैसे सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निःशुल्क दिये जाते हैं। ये उपकरण ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों के अनुरूप दिये जाते हैं। ऐसा न करने की स्थिति में ये सेल द्वारा जारी किये जाते हैं और इनकी कीमत ठेकेदार से ले ली जाती है।
- दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी प्रमुख मरम्मतों/ शट डाउनों की दिन-रात निकट से निगरानी की जाती है।
- जांच सूची के आधार पर असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की नियमित निवारक जांच कर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- गैस लाइंस, स्टीम लाइंस, प्रेशर वेसेल्स, माल उठाने वाले उपकरण, विद्युत स्थापनाएं, विद्युत संचालित मशीनें, हाइड्रॉलिक लाइंस और एकांत स्थान, ऊँचाई पर काम करते वक्त, इत्यादि जैसे कार्यों जहां अनेक एजेंसियां कार्यरत हों, ऐसे जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए कार्य-परमिट/प्रोटोकॉल प्रणाली प्रचलन में है।
- कर्मचारियों को जोखिमों के प्रति सचेत रहने एवं सावधानी बरतने के लिए दुर्घटना संभावित जगहों पर कार्य/क्षेत्र विशेष चेतावनियां प्रदर्शित की जाती हैं। ग्रास रूट स्तर तक सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।
- ऑन-साइट आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई हैं और आपदा स्थिति की तैयारी का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से अभ्यास किये जाते हैं।
- सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक कार्यवाहियों की जाती हैं।
- ठेकेदार के कामगारों को गेट पास जारी करने से पहले, सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, कार्य करवाने वाली एजेंसी द्वारा कार्य शुरू करने से पहले कार्य विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास गतिविधि के अंतर्गत विभागाध्यक्षों, लाइन प्रबंधकों एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा, गैस सुरक्षा, रेल/सड़क सुरक्षा, लौह, इस्पात और कोक निर्माण में सुरक्षा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न स्थानों में सुरक्षा प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ प्रविधियों की जानकारी के लिए क्षेत्र विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- क्रैन ऑपरेटर्स, लोको ऑपरेटर्स, पोर्टर्स, रिगर्स, वेल्डर्स, गैस कटर्स, इलेक्ट्रिशियनों, हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट ऑपरेटर्स इत्यादि जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों को कौशल आधारित कार्य विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विभिन्न कार्यशालाओं, अभियानों, प्रतियोगिताओं, इत्यादि के जरिये गृहणियों एवं बच्चों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है।





- किसी भी किस्म की सड़क दुर्घटना रोकने के लिए शिफ्ट बदली के घंटों के दौरान भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। बिना क्रेश हेलमेट के किसी भी टू व्हीलर वाहन चालक को कारखाना परिसर के अंदर आने की इजाजत नहीं होती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए अचानक जांच भी की जा रही है।
- सेल के निदेशक (तकनीकी) की अध्यक्षता एवं कार्य निदेशक (सुरक्षा) उपाध्यक्ष के रूप में इस्पात उद्योग की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़ी संयुक्त समिति नामक एक द्विपक्षीय मंच है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे इस मंच में सेल के इस्पात कारखानों एवं यूनिटों, आरआईएनएल, टाटा स्टील, इस्पात समूह, एस्सार एनआईएनएल और केन्द्रीय एवं कारखाना स्तरीय मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व है। सुरक्षा के प्रति चेतना जागृत करने के लिए यह समिति अपने सदस्य संगठनों के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुरक्षा प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। यह समिति मजदूर संघ प्रतिनिधियों के सहयोग एवं मदद से अपने सदस्य कारखानों के लिए नीतियां एवं मार्गदर्शन तैयार करती है एवं कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण उपायों की निगरानी और अन्य सहक्रियात्मक उपायों के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप संभावित जोखिमों को कम करने, समाप्त करने में मदद मिली है। वर्ष 2007-08 के दौरान सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां एवं विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:

- 6 विभागों में 1 मिलियन हानि समय चोट मुक्त जन घंटे प्राप्त किये गये।
- कारखानों की विभिन्न यूनिटों में वर्क्स की भारी मरम्मत गतिविधियों की सुरक्षा कार्मिकों द्वारा रात-दिन निगरानी की जाती है।
- स्टील मेल्टिंग शॉप के मिक्सर शॉप स्थित टीएलसी पिट में विस्फोट रोकने के लिए ऑटो डिवाटरिंग प्रणाली विकसित एवं स्थापित की गई।
- अमोनियम सल्फेट प्लांट में जंग लगी शीट्स को बार-बार बदलने का जोखिम रोकने के लिए सीजीआई शीट्स की जगह पॉलिकारबोनेट रूफ शीट्स प्रदान की गई।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में प्रशिक्षण केन्द्र हैं और इनमें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अधीन आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये केन्द्र मौलिक प्रशिक्षण, पुनश्चर्चा प्रशिक्षण तथा कौशल वाले व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण तथा ड्यूटी पर आहत होने पर क्या करें, इस बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी करते हैं। एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन प्रचालन, यांत्रिक एवं विद्युत स्थापनाओं के लिए कानूनी जरूरत के अनुरूप पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों को नामित/ नियुक्त किया जाता है।

प्रत्येक प्रचालनरत खान में खान स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक का संचालन वरिष्ठ अधिकारियों, यूनियन के प्रतिनिधियों और खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस) अधिकारियों के साथ परियोजना स्तर पर वर्ष के दौरान किया गया है जिसमें सुरक्षा कार्यनिष्पादन और उसका मूल्यांकन किया गया है और सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है। डीएमपी, पन्ना को छोड़कर सभी उत्पादन इकाइयों में वर्ष के दौरान बैठकें हुई हैं। मुख्यालय में वर्ष में एक बार नियमित रूप से त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक प्रचालनरत खान एवं पिट में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। हर माह आयोजित सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा मामलों पर चर्चा और कार्य वातावरण से संबंधित सुधार कार्य किए जाते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस हेल्थ, नागपुर ने सभी परियोजनाओं में डोजीमेटरी और इक्विपमेंट वायब्रेशन अध्ययन पूर्ण कर लिये हैं। सभी परियोजनाओं में समस्त मूलभूत सुविधाओं ये युक्त व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अर्हता प्राप्त डॉक्टरों द्वारा चलाए जाते हैं। एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के तहत सभी परियोजनाओं में समय-समय पर नियमित रूप से कानूनी प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा जांच की जाती है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

सभी खानों के कामकाज का माइन मेट, माइन फोरमैन एवं अर्हता प्राप्त खनन इंजीनियरों जैसे सक्षम सुपरवाइजरों द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। वर्कमेन निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, खान प्रबंधक एवं एजेंटों द्वारा चलती शिफ्ट के दौरान सुरक्षा जांच भी की जाती है। उप महाप्रबंधक (सुरक्षा) के नेतृत्व में मुख्यालय में आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के साथ समन्वय किया जा रहा है और खानों का समय-समय पर निरीक्षण हो रहा है। खानों में नियमित रूप से सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित होती हैं जहां कामगारों के प्रतिनिधि के साथ दिन प्रति-दिन के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा होती है। असुरक्षित कार्यों और खान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक विश्लेषण किया जाता है।

वर्तमान वर्ष 2007-08 के दुर्घटना आंकड़े घटती प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, दिसम्बर 2006 तक 31 खान दुर्घटनाओं की तुलना में दिसम्बर 2007 तक 16 दुर्घटनाएं हुईं।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के मार्ग दर्शन के अनुसार नियमित व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की जा रही है। कंपनी की सुरक्षा नीति को 9वें सुरक्षा सम्मेलन की अनुसंशाओं के अनुरूप बनाया गया है। कंपनी ने डोंगरी बुजुर्ग माइन और बालाघाट माइन के लिए जोखिम आकलन के जरिये स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन का अध्ययन शुरू किया है। प्रशिक्षण केन्द्र, मुंसार में कामगार, निरीक्षकों एवं कामगारों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन सब दृढ़ प्रयासों से खान दुर्घटना आवृत्ति में कमी आई है।

मॉयल की कांडरी एवं मुंसार खानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2006 प्राप्त किए, जबकि डोंगरी बुजुर्ग खान को दीर्घतम दुर्घटना आवृत्ति दर हेतु पुरस्कृत किया गया है।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के ध्येय से संपूर्ण वर्ष के लिए तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुरक्षा और उससे जुड़े क्षेत्रों पर विशेष कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। सुरक्षा और उससे जुड़े पहलुओं पर ऐसे कार्यक्रमों को कर्मचारियों के हितलाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और अन्य इसी तरह की प्रतिष्ठित एजेंसियों के जरिये लिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, कंपनी में सुरक्षा दिवस समारोह भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है और कर्मचारियों द्वारा इन प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को समुचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने सुरक्षा संहिता तैयार की है और उसको कार्यान्वित करने के लिए समुचित कदम उठाये गये हैं। इसके अलावा कंपनी निर्माण गतिविधियों से जुड़े सभी मानकों का अनुपालन करती है। इस्पात कारखानों/यूनिटों में कंपनी के 80% से अधिक कामगार कार्य कर रहे हैं, जहां पर संपूर्ण सुरक्षा विभाग हैं।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के डिजाइन एवं परामर्शदात्री कार्यालय हैं और इनके पास कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। तथापि, परियोजना स्थलों पर सभी जरूरी सुरक्षा से संबंधित सावधानियां बरती जाती हैं और फलस्वरूप वर्ष के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

बीआरएल द्वारा सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और सभी कारखानों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)


वर्ष के दौरान, सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने के प्रयास किये गये। कंपनी के कर्मचारियों में सुरक्षा अनुशासन को आत्मसात करने के लिए एक सुरक्षा समिति गठित की गई एवं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। वर्ष के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

केआईओसीएल के सभी जगहों पर सुरक्षा विभाग प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। यह कम्पनी अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को विशेष महत्व देती है। कम्पनी द्वारा अपनाए गए एक महत्वपूर्ण मानक में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कामगारों की सहभागिता है। सुरक्षा समितियों के सदस्यों के साथ सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा जांच की जाती है। हर माह आयोजित सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। खामियां अगर कोई हों तो उनका निराकरण करने और सुधार के लिए समुचित कार्यवाई की जाती है। सुरक्षा के प्रति चेतना जागृत करने एवं मानव संसाधनों के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्य क्षेत्र, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, अग्निशमन, सकारात्मक चिंतन, पर्यावरण, गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से जुड़े पुनश्चर्या प्रशिक्षण जरूरत के मुताबिक नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

बर्ड समूह के अधीन खनन कम्पनियां खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सुरक्षा उपाय करती हैं। इनमें खानों और ढुलाई मार्गों का सुरक्षा नियमों के अनुसार रख-रखाव, खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा कवच, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, सुरक्षा नारों का प्रदर्शन, अग्निशमन अभ्यास दिखाने का प्रबंध, खान कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाना व उसमें भाग लेना शामिल हैं।



अध्याय - X

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

इस्पात मंत्रालय में अनु. जाति/अनु. जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पूर्व सैनिकों/पुरुषों और महिला कर्मचारियों की संख्या के बारे में 9 जनवरी, 2008 की स्थिति:

पदों का वर्गीकरण	पदों पर कार्यरत कर्मियों की संख्या*	पुरुष	महिलाएं	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ.पि. वर्ग	शा. विक.	पूर्व-सैनिक
क	42	38	4	3	2	-	-	-
ख	104	65	39	14	6	2	-	-
ग	58	51	7	13	5	3	2	-
घ	67	65	2	30	8	4	1	-
कुल	271	219	52	60	21	9	3	-

शा. विक.-शारीरिक विकलांग

* इसमें माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री और माननीय इस्पात राज्य मंत्री का व्यक्तिगत स्टाफ शामिल है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अनु. जाति/अनु. जन जाति और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निम्न प्रमुख गतिविधियां चलाई:

- सेल अनु. जाति/अनु. जन जाति के योग्य बच्चों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में 14 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।
- सेल अपने कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट-कम-मींस एवं मेरिट छात्रवृत्तियां और जवाहर लाल नेहरू विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इनमें से 20% छात्रवृत्तियां अनु. जाति/अनु. जन जाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
- भिलाई इस्पात कारखाने ने 1.4.2004 से प्रधानमंत्री ट्रॉफी फंड से अनु. जाति/अनु. जन जाति के बच्चों के लिए 18 छात्रवृत्तियां शुरू की हैं।
- राउरकेला इस्पात कारखाने ने 2006-07 से चिकित्सा, इंजीनियरी, इत्यादि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आस-पास के गांवों के अनु.जाति/अनु.जन जाति के 6 चुनिंदा बच्चों को पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 1,00,000 रु. की छात्रवृत्ति (प्रत्येक बच्चे को) शुरू की है।
- सेलम इस्पात कारखाना आस-पास के स्कूलों के अनु. जाति/अनु. जन जाति के बच्चों को नि:शुल्क यूनीफार्म तथा पुस्तकों के अतिरिक्त, वार्षिक आधार पर 10 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।
- भिलाई, बोकारो और राउरकेला इस्पात कारखानों के कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में अनु. जाति/अनु. जन जाति के बच्चों से ट्यूशन फी नहीं ली जाती। इन स्कूलों में अधिक से अधिक आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाये गये हैं।
- कंपनी ने स्थानीय जनसंख्या में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, कुछ इस्पात नगरियों के साथ-साथ दूसरी जगहों पर स्कूल बिल्डिंग के निर्माण हेतु जमीन प्रदान की है। इस आशय से बोकारो इस्पात कारखाने में अनु. जाति/अनु. जन जाति के बच्चों के लिए 12 कमरों का हॉस्टल आवंटित किया गया।
- भिलाई इस्पात कारखाने ने अनु. जाति/अनु. जन जाति के 20 बच्चों को हर वर्ष अपनाकर एक नई पहल की है। वर्तमान रूप में भिलाई ने 95 अनु.जाति/अनु. जन जाति के बच्चों को अपना लिया है। भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा इनकी शिक्षा, खाने और रहने की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है।
- बोकारो इस्पात कारखाने ने ज्ञान ज्योति योजना के तहत 15 बिरहोर जनजाति के बच्चों को अपनाया है। इनके समग्र विकास के लिए नि:शुल्क शिक्षा, खाने और रहने, चिकित्सा एवं खेल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- चिरिया स्थित कंपनी द्वारा प्रायोजित डीएवी स्कूल में 51 जन जातीय छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- सेल इस्पात कारखाने हर वर्ष डा. भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर समारोह का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर बच्चों और आम जनता में बाबा साहेब के संदेश को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- सेल ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2007 का आयोजन 31 दिसम्बर, 2007 को दुर्गापुर इस्पात कारखाने में किया गया जिसमें 16 गांवों के 1,458 ग्रामीणों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया।
- प्रत्येक प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र में एक ऐसा स्कूल खोला गया है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के ध्येय से निःशुल्क यूनीफार्म, पुस्तकें, स्टेशनरी मदों के अलावा मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है।

सेल में अनु. जाति/अनु. जन जाति के कर्मचारियों का समूहवार प्रतिनिधित्व (31.12.2007 की स्थिति)

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारी. विक.	महिलाएं	पूर्व सैनिक
क	16221	2101	907	944	48	616	15
ख	48294	5698	3820	4084	322	3008	92
ग	64854	10866	11135	5522	391	3004	347
ग (सफाई कर्मचारी)	1235	909	155	4	2	485	0
कुल	130604	19574	16017	10554	763	7113	454

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल ने सीएसआर के तहत कुछ योजनाएं शुरू की हैं, जो आस-पास के गांवों के अनु. जाति/अनु. जन जाति एवं कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचायेंगी, ये योजनाएं निम्न हैं:

- मड्डीवणिलम में एक आदर्श इस्पात ग्राम बनाया जा रहा है। निर्माण के बाद कमजोर वर्गों को तरजीह देते हुए चिन्हित लाभ प्राप्तकर्ताओं के सुपुर्द करने के लिए इसे जिला प्रशासन को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- इस्पात विकास एवं संवर्धन संस्थान (इंस्टैग), कोलकाता के जरिये स्टील बुलॉक कार्टर्स डिजाइन करवाई गई और कमजोर वर्गों को तरजीह देते हुए इनका वितरण जिला प्रशासन के जरिये किया जायेगा।
- पडेरू मंडलम के एक आदिवासी गांव सालगू में नशा-मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- आदिवासी क्षेत्रों में मच्छरदानियां वितरित की गईं।
- दुर्गुवाणिलम एससी कॉलोनी के अपर प्राइमरी स्कूल में लकड़ी की बेंचें वितरित की गईं।
- एप्पागारूवु, देवरापल्ली मंडलम नार्सीपत्तनम के नजदीक लांबासिंगी गांव और अन्य जन जातीय क्षेत्रों में नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, इत्यादि के लिए चिकित्सा शिविर लगाये गये।
- कमजोर वर्ग के लोगों समेत महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम - जैसे हल्का मोटर वाहन ड्राइविंग, लिक्विड ब्लू प्रिपेरेशन, ड्रेस-मेकिंग, ब्यूटी केयर, एम.एस. ऑफिस/पीसी प्रशिक्षण और प्री-स्कूल टीचर प्रशिक्षण का आयोजन जन शिक्षण संस्थान के जरिये आर एच कॉलोनियों और आदिवासी क्षेत्रों में किया गया। इस संस्थान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों हेतु राष्ट्रीय संस्थान, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है।
- आरएच कॉलोनियों और आदिवासी क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम।

शैक्षणिक श्रेष्ठता पुरस्कार

वार्षिक मेरिट पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 1991 से अनु.जाति/अनु.जन जाति के छात्रों के लिए डा. बी. आर. अम्बेडकर नाम से एक नकद पुरस्कार चल रहा है। 10वीं/12वीं के परीक्षा परिणामों के आधार पर 10 नकद मेरिट पुरस्कार (500 रु. प्रत्येक) एवं 10 नकद मेरिट पुरस्कार (250 रु. प्रत्येक) विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने के प्रत्येक स्कूल के अनु.जाति/अनु.जन जाति के क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय रैंक वाले छात्रों को दिये जाते हैं।

सकल जनशक्ति में 31.12.2007 को अनु.जाति/अनु. जन जाति का प्रतिनिधित्व नीचे दिया जा रहा है:

31.12.2007 को समूहवार जनशक्ति								
समूह	जनशक्ति	पुरुष	महिलाएं	अनु. जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारी. विक.	पूर्व-सैनिक
क	4895	4636	259	840	278	829	0	0
ख	2624	2569	55	422	148	554	8	16
ग	6352	6271	81	1084	448	1093	24	53
घ	2582	2531	51	421	179	619	25	19
कुल	16453	16007	446	2767	1053	3095	57	88

- क - कार्यपालक और कनिष्ठ अधिकारी
 ख - अत्यंत कुशल
 ग - कुशल
 घ - अकुशल

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 31.12.2007 को कर्मचारियों की कुल संख्या 5,633 थी, जिसमें से 1,014 अनुसूचित जाति (18%), 1,193 अनुसूचित जन जाति (21.18%) और 604 अन्य पिछड़ा वर्ग (10.72%) से संबंधित थे:

पदों का वर्गीकरण	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जति		अनु. जन जति		अन्य पिछड़ा वर्ग	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
समूह - क	938	135	14.39	44	4.69	118	12.58
समूह - ख	1028	150	14.59	182	17.70	65	6.32
समूह - ग	2325	463	19.91	592	25.46	177	7.61
समूह - घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1191	221	18.56	316	26.53	235	19.73
समूह - घ (सफाई कर्मचारी)	54	41	75.93	3	5.56	0	0
एमसीपीआरएल* (एस 1)	52	3	5.77	27	51.92	0	0
एमसीपीआरएल	45	1	2.22	29	64.44	9	20
कुल	5633	1014	18.00	1193	21.18	604	10.72

* मक: क्लीनिंग पीस रेंटिड लेबर

परियोजनाओं द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में और आस-पास किए गए विभिन्न सामुदायिक/परिक्षेत्रीय कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

सामुदायिक/परिक्षेत्रीय विकास गतिविधियां

एनएमडीसी एक जिम्मेदार निगमित सदस्य के रूप में, अपने निगमित दर्शन पर चलते हुए स्थानीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ प्रगति का फल बांटने के प्रति वचनबद्ध रहा है। एनएमडीसी ने वर्ष 2006-07 के दौरान सामुदायिक/परिक्षेत्रीय विकास गतिविधियों पर 2,466.18 लाख रुपये खर्च किए। इसमें आदिवासियों/ग्रामवासियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया करने का 316 लाख रु. का खर्च शामिल है और यह राशि वर्ष 2007-08 में (दिसंबर 2007 तक) 2,136 लाख रुपये थी।

कौशल विकास कार्यक्रम

एनएमडीसी ने अपने बैलाडिला कॉम्प्लेक्स में आठवीं पास जनजातीय युवाओं की रोजगार संभावना बढ़ाने के लिए “कौशल विकास कार्यक्रम” नामक विशेष योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इन्हें परियोजना की विभिन्न गतिविधियों में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी को यूनिफार्म, अन्य सुरक्षा उपकरण और साजो-सामान प्रदान करने के अलावा हर माह जेब खर्च दिया जाता है। इनके कौशल, कार्यनिष्पादन और ज्ञान में सुधार लाने के लिए नियमित कक्षाएं भी होती हैं और उनको स्थानीय रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत उन्हें रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल 6786 कर्मचारियों के साथ एक श्रम प्रधान संगठन है। कुल जनशक्ति का लगभग 77.58% अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से है। मॉयल ने अनु. जाति/अनु. जन जाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं :

- आदिवासी गांवों को अपनाना
- आर्थिक विकास के लिए रेशम पालन में प्रशिक्षण
- आस-पास की खानों में स्कूलों को सहायता
- नेत्र चिकित्सा/ रक्तदान/ शिशु कल्याण शिविरों का आयोजन
- पेय जल योजना के लिए ग्राम पंचायतों को अनुदान सहायता
- बुजुर्ग एवं विकलांग लोगों के पुनर्वास में लगी सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना
- जनजातीय महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए सिलाई मशीनें

समूह	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
क	26	5	35	142	208
ख	25	10	35	109	179
ग	288	260	319	606	1473
घ	921	1383	1958	664	4926
कुल	1260	1658	2347	1521	6786

कंपनी की जनशक्ति 31 दिसम्बर, 2007 को निम्नवत रही :

उपरोक्त में से 882 महिला कर्मचारी हैं।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में अनु. जाति/अनु. जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्गों/ शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण, छूट, रियायत के संबंध में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है। विभागीय पदोन्नति समितियों के साथ-साथ चयन समितियों में (भर्ती के मामले में) अनु. जाति/ अनु. जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करने और भविष्य में उच्च स्थिति ग्रहण



करने के लिए उन्हें तैयार करने हेतु उनके कार्य से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2007-08 (31 दिसम्बर 2007 तक) के दौरान 2 अनु. जाति, 2 अनु. जन जाति एवं 4 अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया। इसके साथ एमएसटीसी द्वारा अनु. जाति/अनु.जन जाति कर्मचारी परिषद् को सभी संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गई। यह परिषद् मुख्य रूप से कम्पनी के आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है।

अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक विकलांग/पूर्व सैनिकों की 31.12.2007 को स्थिति :

समूह	कुल	अ.जाति	अ.ज.जाति	अ.पि. वर्ग	शारीरिक विकलांग	पूर्व सैनिक
क	140	18	9	17	3	0
ख	111	30	5	2	3	1
ग	29	4	0	5	1	0
घ	18	8	1	1	1	0
कुल	298	60	15	25	8	1

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कंपनी की 31.12.2007 को रोजगार सांख्यिकी निम्न है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या		अनु.जाति		अनु. जन जाति		पूर्व-सैनिक		शारिरिक विकलांग	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
क	154	01	12	-	04	-	01	-	-	-
ख	494	07	59	-	28	-	07	-	-	-
ग	476	12	123	03	98	-	44	-	01	-
घ (सफाई कर्मचारी समेत)	03	-	03	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1127	20	197	03	130	-	52	-	01	-

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं तैयार की हैं और उनका कर्मचारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ कार्यान्वयन किया है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए एक योजना कार्यान्वित की है, जिसके तहत पास के गांव में सरकारी स्कूल के अनु.जाति, अनु.जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कक्षा IX, X और XII के प्रथम 3 मेधावी बालकों एवं बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें एवं कापियां निःशुल्क वितरित की जाती हैं। यह योजना शैक्षणिक सत्र 1998-99 से शुरू की गई है और उसके लिए 20,000 रूपये की वार्षिक राशि आवंटित की गई है। कंपनी ने शैक्षणिक सत्र 2006-07 से एफएसएनएल की सभी 9 यूनिटों के लिए भी 20,000 रु./ प्रति यूनिट वार्षिक राशि आवंटित की है और चिन्हित सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अनु. जाति/अनु. जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र मेधावी छात्रों को पाठ्य पुस्तकों/कापियों के बजाय स्कूल यूनीफार्म दी जाती हैं।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- एचएससीएल उन क्षेत्रों में, जहां अनु. जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांग वाले आधिकांश कर्मचारी रहते हैं, स्कूल मुहैया करने में मदद करता आया है।
- पेय जल की आपूर्ति के लिए मदद दी जाती है।

- उपभोक्ता के परियोजना स्थलों पर आंवटित जमीन में कामगारों को बिजली, पानी एवं सफाई व्यवस्था इत्यादि के साथ आश्रय स्थल बनाने के लिए प्लॉट दिये जाते हैं।
- परियोजना स्थलों पर स्कूल के मामले में अनु. जाति/अनु.जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांग कर्मचारियों के बच्चों को उचित प्राथमिकता दी जाती है।
- अनु. जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांग कर्मचारियों को भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- एचएससीएल में उपरोक्त बातों का सदैव अनुसरण किया गया है, परंतु विद्यमान नाजुक स्थिति के कारण किफायती उपाय अपनाये जा रहे हैं और परिहार्य खर्चों को कम किया जा रहा है।

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	पूर्व-सैनिक	शारी. विकलांग	महिला कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8
क	292	20	2	22	-	3	3
ख	220	8	1	12	1	3	7
ग	944	123	73	47	-	3	42
घ	48	9	4	3	-	-	1
कुल	1504	160	80	23	1	9	53

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में समाज के कमजोर वर्ग (अनु.जाति, अनु.जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की मौजूदा रोजगार स्थिति निम्न है:

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	अनु.जन जाति	पूर्व-सैनिक	शारी. विकलांग	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला कर्मचारी
क	1530	202	90	3	3	154	102
ख	58	12	13	2	0	17	6
ग	135	29	50	13	3	24	23
घ	6	0	4	0	0	0	1
कुल	1729	243	157	18	6	195	132

कल्याण गतिविधियां

मेकॉन की सामुदायिक विकास समिति ने समाज के कमजोर वर्गों (अनु. जाति, अनु. जन जाति और पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों) के कल्याण के लिए सामुदायिक शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण, वृक्षारोपण, सामुदायिक औषधि, आदर्श ग्राम, रांची जिले के आदिवासी गांव में संसाधन सृजना कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन योजना/कार्यक्रम चलाए हैं।

अनु. जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं- इनके बच्चों को उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं।

भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

धन के संकट के बावजूद, कंपनी फैक्टरी क्षेत्र में और उसके आस-पास बसे लोगों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना करने में सफल रही है।

जनशक्ति

क्रम संख्या	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जन जाति	पूर्व-सैनिक	शारी. विकलांग	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिलाएं
1	क	198	11	08	01	01	41	04
2	ख	239	21	16	0	04	59	10
3	ग	838	90	104	06	01	405	10
4	घ	404	61	82	01	05	176	86
	कुल	1679	183	210	08	11	681	110

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

जनशक्ति

क्रम संख्या	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जन जाति	पूर्व-सैनिक	शारी. विकलांग	महिलाएं	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	क	57	16	2	-	1	1	-
2	ख	49	9	3	-	-	1	-
3	ग	127	24	6	-	3	4	-
4	घ	70	13	12	-	-	13	-
	कुल	303	62	23	-	4	19	-

भर्ती एवं पदोन्नतियां

भर्ती एवं विभिन्न पदों पर पदोन्नति के मामले में अनु.जाति/अनु.जन जनजाति के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभ, रियायतें दी जाती हैं। अनु. जाति/अनु. जन जाति के लिए आरक्षित पदों पर कोई भर्ती बकाया (बैकलॉग) नहीं हैं।

प्रशिक्षण

यह कम्पनी मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र में स्थित है एवं अर्हता प्राप्त अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में संस्थानों से फ्रेशर्स की भर्ती की जाती है और इन अनु.जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों को जॉब पर रहते हुए इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें और उनको प्रशिक्षण के बाद नियमित पदों पर समाहित किया जा सके।

सामाजिक गतिविधियां

कम्पनी ने आस-पास के क्षेत्रों में परिक्षेत्रीय विकास गतिविधियों की देख-भाल के लिए एक छोटा चिकित्सा कक्ष खोला है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी समय-समय पर स्थानीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के लाभ के लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके अंतर्गत कम्पनी द्वारा आस-पास के गांवों में स्थानीय डॉक्टरों की मदद से निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया और दवाइयां वितरित की गयीं। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ आस-पास के आदिवासी गांवों के अन्य बच्चों की शिक्षा जरूरतों को भी पूरा करने के लिए एक हाईस्कूल का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय जनता, खास तौर पर अनु. जाति/अनु.जन जाति के बच्चे शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। फैक्टरी में एवं आस-पास रहने वाली स्थानीय जनता को किन्नेरासानी पेय जल जलाशय से क्लोरीन युक्त पेय जल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कर्मचारियों की संख्या

31 दिसंबर, 2007 को कुल कर्मचारियों की संख्या निम्न है:

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	संबंधित वर्ग के कर्मचारी					महिला कर्मचारी
		अ.जा.	अ.ज.जा.	पूर्व-सैनिक	शा.विक.	अ.पिछड़ा वर्ग	
क	403	54	11	-	3	58	12
ख	99	3	2	1	2	11	22
ग	1026	155	45	14	11	182	27
घ	123	48	12	-	4	17	20
कुल	1651	260	70	15	20	268	81

कल्याण गतिविधियां

- कंपनी ने एक आधुनिक टाउनशिप, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं इत्यादि स्थापित करते हुए कुद्रेमुख और मंगलौर में संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की हैं। टाइप "ए" और "बी" क्वार्टर्स के 10% एवं टाइप "सी" और "डी" क्वार्टर्स के 5% अनु.जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किये गये हैं।
- वर्ष 2006-07 के दौरान, कर्मचारियों के बच्चों के लिए 55 मेरिट एवं मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्तियां मंजूर की गईं। इन 55 छात्रवृत्तियों में से 20% अर्थात् 11 अनु. जाति/अनु.जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। वर्ष के दौरान, अनु. जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों के बच्चों से मात्र 10 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और इन सबको छात्रवृत्ति मंजूर की गई। अनु. जाति/अनु.जन जाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी के वास्ते पात्रता हेतु अर्हता मानक अर्थात् प्रथम श्रेणी या 60% से जो भी अधिक हो, को शिथिल कर 50% कर लिया गया है।

भर्ती


कैलेंडर वर्ष 2007 (जनवरी से नवंबर) के दौरान, समूह "क" में 10 उम्मीदवारों (5 सामान्य, 4 अनु. जाति और 1 अनु.जन जाति वर्ग) की भर्ती की गई।

बर्ड ग्रुप की कम्पनियां

वर्तमान रोजगार : अनु.जाति-23% अनु. जन जाति-47% और अन्य पिछड़े वर्ग-11%

कल्याणकारी गतिविधियां:

- शैक्षिक सुविधाएं - बर्ड ग्रुप के अधीन ओएमडीसी और बीएसएलसी कंपनियां आस-पास के स्कूलों और कॉलेजों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये कम्पनियां इमारतों के निर्माण, अध्ययन सामग्रियों की व्यवस्था, फर्नीचर, स्कूल बसों, इत्यादि की व्यवस्था के रूप में सहायता प्रदान करती हैं।
- अस्पताल सुविधाएं-ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा संचालित अस्पतालों में मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और कर्मचारियों का इलाज किया जाता है।
- कमजोर वर्ग के कर्मचारियों और आस-पास के ग्रामवासियों को भी कुएं, ट्यूबवैल इत्यादि की खुदाई कर पेय जल मुहैया कराया जाता है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच-कम्पनी ओएमडीसी और बीएसएलसी के अपने अस्पतालों में विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो, इत्यादि कार्यक्रम चलाती है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत ओएमडीसी द्वारा समय-समय पर कमजोर वर्ग के कर्मचारियों तथा आस-पास के ग्रामवासियों को एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, ऑडियोमीट्री, ईसीजी, फेफड़ों की जांच, दांतों की जांच, ऑप्रेसन थिएटर इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।



अध्याय - XI

सतर्कता

इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां एवं उपलब्धियां

मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर की गई है। सीवीओ एक उप सचिव, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के रूप में कार्य करता है। इस मंत्रालय द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता इकाई प्रमुख के रूप में सीवीओ की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परामर्श से की जाती है। मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में औपचारिक तिमाही बैठकों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भेजी गई विवरणियों और कथनों के जरिये सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करता है। इसके अलावा पिछले बकाया लंबित संदर्भों के आधार पर मंत्रालय ने जरूरत पड़ने पर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। वर्ष के दौरान, सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की दो बैठकें हुईं, जिनमें उपक्रमों में कार्यानिष्पादन की समीक्षा की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवारक सतर्कता और पद्धति सुधार प्रणालियों पर विशेष बल दिया गया। सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निर्देशों एवं मार्गदर्शन से युक्त सीवीसी से प्राप्त सभी परिपत्रों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी परिपत्रित किया गया। इसकी प्रगति की जांच कार्रवाई करते हुए निगरानी की गई।



श्री प्रत्युश सिन्हा, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 24 सितम्बर, 2007 को इस्पात मंत्रालय के सतर्कता सम्मेलन में अपना उद्बोधन देते हुए। चित्र में श्री इलियास जॉर्ज, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, श्री आर.एस. पाण्डेय, सचिव इस्पात, श्री एस.के.रूंगटा अध्यक्ष सेल तथा सेवानिवृत्त एडमिरल आर.एच.ताहिलयानी, अध्यक्ष, ट्रांसपरेसी इंटरनेशनल, भारत भी परिलक्षित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को पुनः निम्न निर्देश दिये गये:

i) अपने संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इंटीग्रिटी पैक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें एवं समन्वय करें,

ii) विगत वर्ष में प्राप्त अपने सतर्कता विभागों के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करें, और

iii) अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हर संभव तरीके से ई-कॉमर्स अपनाने के लिए सतर्कता की दृष्टि से मदद प्रदान करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पारदर्शिता को बढ़ावा

सतर्कता विभागों हेतु आईएसओ प्रमाणीकरण

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च स्तरीय निष्ठा के साथ एक पारदर्शी ढांचे में रहकर कार्य हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उपक्रमों की सतर्कता मशीनरी की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए एक गतिविधि शुरू की गई थी। फलस्वरूप, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, मेकॉन, केआईओसीएल, एचएससीएल, बीआरएल और मॉयल ने 2006-07 के दौरान अपने सतर्कता विभागों के लिए आईएसओ 9001-2000 प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। एमएसटीसी और एफएसएनएल के सतर्कता विभागों से वर्तमान वर्ष के दौरान आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने की आशा की जा रही है।

इंटीग्रिटी पैक्ट

क्रय एवं विक्रय और टेंडर करने की प्रक्रिया के क्षेत्रों में व्यापक रूप से सौदों में पारदर्शिता एवं मानकता लाने के ध्येय से, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इंटीग्रिटी पैक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया। इंटीग्रिटी पैक्ट सार्वजनिक ठेकों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सरकार, बिजनेस एवं सभ्य समाज की मदद करने के लिए 1990

के दशक में ट्रांसपेरिन्सी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक उपाय है

वर्ष के दौरान, मंत्रालय के अधीन उपक्रमों ने सभी प्रमुख खरीदों और ठेकों के लिए, निविदाकर्ताओं के साथ खरीद एवं ठेकों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने के लिए इंटीग्रेटी पैकट कार्यान्वित किया है। इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के 24 सितंबर, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित सतर्कता सम्मेलन में 9 सार्वजनिक उपक्रमों-सेल, एनएमडीसी, मॉयल, एमएसटीसी, केआईओसीएल, मेकॉन, एचएससीएल, एफएसएनएल और बीआरएल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत के साथ सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किये। आरआईएनएल ने पहले ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत के साथ मार्च 2007, में सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर कर लिये थे। इन सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर होने के साथ, स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल) को छोड़कर, जिसका शीघ्र ही एनएमडीसी में विलय होने वाला है, इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रम इंटीग्रेटी पैकट के दायरे में आ गये हैं। सहमति-पत्रों का ध्येय "इंटीग्रेटी पैकट" के कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधारना है। कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, मंत्रालय और सीवीसी से नामों की मंजूरी के बाद सार्वजनिक उपक्रमों ने इंटीग्रेटी पैकट कार्यक्रम के लिए निष्पक्ष बाह्य मॉनिटरों को भी रखा है। ये मॉनिटर इंटीग्रेटी पैकट करार के उल्लंघन के बारे में इनको संदर्भित किसी भी मामले की जांच करेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ई-कॉमर्स

कार्यक्षमता बढ़ाने और मार्गीय लागत एवं भ्रष्टाचार कम करने के लिए, मंत्रालय अपने सार्वजनिक उपक्रमों में ई-कॉमर्स बढ़ाने की वकालत करता आया है। फलस्वरूप, मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निरंतर ई-कॉमर्स पद्धति अपनाई है।

निवारक सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों की भी पहचान की थी और विद्यमान प्रणालियों को सम्यक बनाने के लिए उपाय सुझाने के वास्ते कार्य पद्धति के गहन अध्ययन के क्षेत्र में पहल समेत उस पर आवश्यक कार्रवाई की गयी थी। सार्वजनिक उपक्रमों में की गई सतर्कता गतिविधियों की उपलब्धियां निम्न हैं:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल द्वारा निम्न पहल की गई हैं:

- भिलाई इस्पात कारखाने में महत्वपूर्ण मदों की पहचान एवं इनकी खरीद के लिए पांच सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं का चयन
- केंद्रीय विपणन संगठन, दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा जारी मूवमेंट प्लान के तहत विभिन्न मिलों से माल प्राप्तकर्ताओं को प्रमुख उत्पादों, डिफेक्टिव्स, की प्रेषण प्रणाली की समीक्षा।
- राउरकेला इस्पात कारखाने में वे-ब्रिज प्रचालन की शुरुआत के लिए प्रणाली अध्ययन।
- बोकारो इस्पात कारखाने में दवाइयों की स्थानीय खरीद प्रणाली की समीक्षा।
- इस्को इस्पात कारखाने के आधुनिकरण एवं विस्तार के लिए विभिन्न पैकेजों के बिलों की प्रोसेसिंग करने के लिए सम्पूर्ण मार्गदर्शिका निकालना।
- केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) के परिवहन एवं जहाजरानी विभाग हेतु परिवहन ठेके के टेंडर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया-प्रणाली में सुधार।
- मिश्र इस्पात कारखाने में गड़बड़ी (मैनिपुलेशन) रोकने के लिए 60 टन वे-ब्रिज के मौजूदा साफ्टवेयर में सुधार का सुझाव।
- लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र परिसर में डीजी सेटों को चलाने हेतु ईंधन की खपत की हैंडलिंग एवं रिकार्डिंग की समीक्षा।

सतर्कता पहल के फलस्वरूप खामियों की पहचान की गई और समाधान किया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2007-08 के दौरान, प्रणालीगत सुधारों के लिए निम्न क्षेत्रों की पहचान की गई है और उनका अध्ययन किया जा रहा है:

- केंद्रीय भंडार के स्क्रेप निपटान अनुभाग द्वारा नीलामी के जरिये अतिरिक्त एवं स्क्रेप सामग्री का निपटान।
- अल्यूमीनिय कॉयल्स की ड्रॉअल एवं यूज प्रणाली।
- वेबसाइट के जरिये शिकायतें दर्ज करने एवं निगरानी की गुणवत्ता।



इंटीग्रिटी पैक्ट

आरआईएनएल ने इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन के लिए 29.3.2007 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (भारत) के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इस्पात मंत्रालय के अधीन पहले और भारत में सार्वजनिक उपक्रमों में द्वितीय संगठन होने का श्रेय प्राप्त कर लिया है। प्रबंधन द्वारा निर्धारित संबंधित मूल्यों के बराबर एवं अधिक मूल्य की परियोजनाओं, संकायों, सामग्री प्रबंधन एवं विपणन से जुड़े सभी ठेकों में 1 अप्रैल, 2007 से इंटीग्रिटी पैक्ट कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। आरआईएनएल में इंटीग्रिटी पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए दो जाने-माने व्यक्तियों को निष्पक्ष बाह्य मॉनिटरों के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (भारत) की स्वीकृति ले ली गई है। अब तक, संगठन द्वारा इंटीग्रिटी पैक्ट के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

आरआईएनएल की सतर्कता एक प्रभावी प्रबंधकीय उपाय साबित हुआ है। प्रणालियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों की पहचान, अचानक/गुणवत्ता जाँच का संचालन, चौकसी बढ़ाना, और रेल/सड़क वेमेंट्स और रि-वेमेंट्स जैसे उपाय किये गये। मौजूदा प्रक्रिया प्रणालियों में जहाँ जरूरी हुआ सतर्कता की टिप्पणीयाँ को सुधारात्मक कार्रवाई/सुधार के लिए सम्बंधित को सूचित किया गया है। अचानक नियमित जांचों के फलस्वरूप, सतर्कता विभाग ने क्रय और ठेकों हेतु वर्तमान प्रणालियों को सुधारने, विक्रेताओं की सूची निवारक सतर्कता की दृष्टि से, इस मसले पर सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप कुछ प्रतिरोधक निविदा धाराओं में संशोधन के मद्देनजर प्रोसेसिंग अवस्था में निविदाओं की जांच पर अधिक बल दिया ताकि अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा आ सके। अद्यतन करने और भर्ती एवं पदोन्नति नियमावलियों को अद्यतन करने के लिए प्रणाली में सुधार करने का सुझाव दिया। सीवीसी मार्गदर्शन के अनुरूप वर्क्स मैनुअल तैयार किया जा रहा है।

मेकॉन लिमिटेड

प्रणाली सुधार के लिए निम्न क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- प्रशिक्षण और गृहपत्रिकाओं, समाचार पत्रों जैसे आंतरिक सम्प्रेषण माध्यमों और अपने वेबसाइट के जरिये कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति आम जागरूकता लाना।
- सूचना टेक्नोलॉजी और सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पारदर्शिता में सुधार।
- टेंडर बनाना, मूल्यांकन करना, ठेका देना, क्रय और भर्ती प्रणालियाँ।
- कंपनी के वित्तीय सौदे।
- संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती।
- इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में परिवर्तन।

इसके अलावा, कर्मचारियों में सतर्कता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, टेंडर बनाने, मूल्यांकन करने, ठेका देने, क्रय एवं भर्ती प्रणाली, वित्तीय सौदों, इत्यादि के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

सतर्कता विभाग ने निम्न योगदान किया है:

- क्रय पुस्तिका का नवीकरण, जिसे 16 वर्ष पहले तैयार किया गया था। संशोधित मैनुअल में ई-कॉमर्स से संबंधित परिवर्तन शामिल किये जा रहे हैं।
- विक्रय मैनुअल की तैयारी।
- भर्ती प्रणाली का नवीकरण और सम्यक बनाने का कार्य चल रहा है।

गुणवत्ता से संबंधित सेवाओं, वार्षिक रिपोर्ट, भर्ती विज्ञापन, कंपनी का विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिकायत दर्ज करने की प्रविधि, अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण, निविदा सूचनाएं एवं पेलेट्स की बिक्री हेतु पैनल में रखी गई पार्टियों को सीमित टेंडर इंकवायरीज भी कंपनी की वेबसाइट: www.kudremkhore.com पर डाली गयी हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड

- सतर्कता विभाग सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए नियमित जांच करता है, जिसमें खामियों का पता लगाने एवं प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न प्रणालियों के कार्यान्वयन की अचानक जांच शामिल है।
- इस विभाग ने एनएमडीसी की क्रय प्रणालियों की सम्पूर्ण जांच पड़ताल कर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, खास तौर पर पूंजीगत सामान की खरीद के संबंध में, जहां अनेक मामलों में निविदा विनिर्देशों में विचलन पाया गया।
- प्रविधियों के अंतिम संशोधन लंबित होने तक, पूंजीगत खरीद के लिए प्रक्रिया निश्चित करने और मैटीरियल्स मैनुअल, जिस किसी भी रूप में वर्तमान समय में हो, का सख्ती से अनुपालन करने के लिए आंतरिक परिपत्र जारी किये गये।

- प्रेस विज्ञापन के साथ-साथ कंपनी के ई-पोर्टल के जरिये आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए विक्रेता सूची को भी अद्यतन बनाया गया है।
- सेवा पुस्तिका में कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं आयु को ठीक करने के लिए भी कार्रवाइयां की गईं।
- स्पॉट टेंडर के स्थान पर, प्रेस विज्ञापन एवं वेबसाइट विज्ञापनों के जरिये विक्रेताओं की नई सूची तैयार कर सीमित टेंडर इंकवायरी के लिए भी कार्रवाइयां की गईं।
- जब तक वर्क्स मैनुअल तैयार नहीं हो जाता तब तक सिविल और मैकेनिकल वर्क्स में विभिन्न प्रणालियों के संबंध में आंतरिक परिपत्र जारी कर कार्रवाई की गई।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

सतर्कता कार्मिकों ने अचानक/नियमित जांच की और प्रणालियों/प्रविधियों में सुधार के लिए सुझाव दिये:

- ठेकेदारों के बिलों की निकट से निगरानी के लिए सतर्कता प्रशासन सुधारने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिये गये।
- कंपनी ने 5 लाख रुपये से अधिक सम्पन्न हुए ठेके से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाये। ठेकेदारों को 5 लाख रुपये से अधिक ठेकों की अदायगी की स्थिति भी कंपनी की वेबसाइट पर डाली जाती है
- कंपनी ई-पेमेंट के जरिये भुगतान करने के लिए कदम उठा रही है।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कार्यपालकों में नियमों एवं प्रविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया। सीवीसी द्वारा टेंडरिंग पर जारी सभी परिपत्रों का अनुपालन किया गया और प्रत्येक यूनिट प्रमुख और विभागाध्यक्ष को सुलभ संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया। शीर्ष कार्यपालकों के साथ निगमित स्तर के साथ-साथ यूनिट स्तर पर अनेक विचार-विनिमय सत्र आयोजित किये गये। अनेक परियोजना स्थलों पर नियमित एवं अचानक जांच की गई और भावी कार्य में इस तरह की चूक रोकने के लिए सभी यूनिटों में मार्गदर्शक परिपत्र जारी किये गये।

भारत रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

प्रणाली सुधार के लिए निम्न क्षेत्रों की पहचान की गई:

- (क) कच्चा माल;
- (ख) वित्त विभाग;
- (ग) भंडार; और
- (घ) अनुरक्षण विभाग।

नियमित और अचानक जांच की गई और संबंधित विभाग को सख्त अनुपालन एवं अनुरक्षण के लिए सीवीसी से प्राप्त मार्गदर्शन परिपत्रित किये गये।

एमएसटीसी लिमिटेड

लौह अयस्क निर्यात के पांच सौदों की जांच की गई और कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया।

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

मौजूदा क्रय मैनुअल का प्रणालीगत सुधार के लिए अध्ययन किया गया। सभी यूनिटों और मुख्यालय द्वारा खरीदी जा रही उचित मर्दों के सभी एल-1 आपूर्तिकर्ता को, उचित कीमत सुनिश्चित करने के ध्येय से, उस विशेष मद के लिए सभी यूनिटों/मुख्यालय में निविदा आमंत्रित करने हेतु शामिल करने की सलाह दी गई। अन्य प्रावधानों के साथ उपरोक्त अनुशंसाओं को भी नवीकृत मैनुअल में शामिल किया जा रहा है।

कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे चिकित्सा खर्च के दावों को भी प्रणाली सुधार के लिए चिन्हित किया गया है और इस सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाये गये हैं जैसे समय-समय पर कंपनी के पैनल वाले डाक्टरों की सूची की समीक्षा और कर्मचारियों के 500 रुपये प्रतिमाह से अधिक के चिकित्सा दावे की व्यापक छानबीन करते हुए सत्यापन के उपरांत ज्यादा बिलिंग वाले डाक्टरों को सूची से हटाना।

मैगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्रों में प्रमुख रूप से टेंडरिंग प्रविधियों से जुड़े थे। मॉयल के सतर्कता विभाग ने टेंडरिंग प्रविधि सुधारने





और ठेका कार्यों को में पारदर्शिता लाने के लिए कुल मिलाकर चार परिपत्र जारी किये। सीवीसी और इस्पात मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सभी मार्गदर्शन और निर्देशों को शामिल करते हुए वर्क्स मैनुअल, कांटेक्ट मैनुअल और क्रय मैनुअल को भी अद्यतन किया गया है।

बर्ड ग्रुप की कंपनियों (बीजीसी)

संवेदनशील कार्य क्षेत्रों की जांच के उपरांत निम्न अनुसंशाएँ की गईं :

- सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किये जाने हैं। बर्ड समूह की विभिन्न कंपनियों में विभिन्न उत्पादन केन्द्रों से खनिज के उत्पादन एवं विक्रय का प्रतिदिन का रिकार्ड कायम रखने के लिए मुख्यालय स्थित एमआईएस प्रणाली को सुचारु बनाया जाना है। कंप्यूटर पर प्रतिदिन के आधार पर प्रत्येक खान में विभिन्न खानों के उत्पादन एवं विक्रय किये गये खनिजों की डिलीवरी का डाटाबेस बनाना है।
- प्रत्येक उत्पादन केन्द्र/खदान के निकास द्वार पर वे-ब्रिजों की स्थापना और ये वे-ब्रिज कंप्यूटर से जुड़े हों ताकि प्रत्येक उत्पादन केन्द्र से वास्तविक समय में प्रत्येक टुक द्वारा भेजे जा रहे खनिजों की स्वतः रिकार्डिंग सुनिश्चित हो सके और प्रतिदिन प्रत्येक खदान के निकास द्वार से भेजे गये खनिजों और रेलवे साइडिंग में प्राप्त खनिजों के रिकार्ड का मिलान हो सके।
- खनिजों के विक्रय विज्ञापनों की पहुंच व्यापक बनाने के लिए एनआईसी पोर्टल का उपयोग। ई-ऑक्शन से “शून्य” प्रस्ताव मिलने के बावजूद भी खनिजों की बिक्री ई-ऑक्शन के जरिये की जायेगी।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर, इस्पात मंत्रालय में 12 से 16 नवम्बर, 2007 की अवधि में “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया गया। मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समुचित बैनर



श्री पी. के. बिश्नोई, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आरआईएनएल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता समाचार पत्रिका “स्पंदन” के आरंभिक अंक का विमोचन करते हुए।

एवं पोस्टर लगाये गये। सचिव (इस्पात) द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और ठेकेदारों की अनेक सार्वजनिक उपक्रमों में संबंधित वाणिज्यिक विभागों के साथ “प्रस्तुतियां-सह-परिचर्चा सत्रों” का आयोजन किया गया। अनेक सार्वजनिक उपक्रमों में जाने-माने व्यक्तियों द्वारा संबंधित विषयों पर भाषण एवं प्रस्तुतियां दी गईं। सार्वजनिक उपक्रमों में स्कूली बच्चों के लिए निबंध लेखन, स्लोगन प्रतियोगिताएं, पेंटिंग और व्याख्यान प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आरआईएनएल में सतर्कता विभाग की “स्पंदन” नामक गृह समाचार पत्रिका (तिमाही) के प्रथम अंक का विमोचन सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2007 के दौरान कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया। इस सप्ताह के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के सूचना टेक्नोलॉजी विभाग की मदद से विकसित ऑन-लाइन “शिकायत समाधान प्रणाली” का भी उद्घाटन किया।

अध्याय - XII परिवेदना निवारण तंत्र

इस्पात मंत्रालय का परिवेदना कक्ष

इस्पात मंत्री का परिवेदना कक्ष इस्पात मंत्रालय में जुलाई, 2004 से कार्य कर रहा है। यह कक्ष इस्पात मंत्री के कार्यालय में या सीधे इस कक्ष के पास प्राप्त जन-साधारण तथा उपभोक्ताओं की इस्पात तथा इस्पात उत्पादों से संबंधित परिवेदनाओं/ शिकायतों/ सुझावों के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करता है। इसके अलावा, जन-साधारण से याचिकाएं प्राप्त करने एवं उनका निपटान करने के लिए, मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को परिवेदना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में, कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों के लिए पृथक प्रभावी आंतरिक परिवेदना निवारण तंत्र मौजूद हैं। परिवेदना पद्धति सतत रूप से विचार-विमर्श और कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशनों की सहमति के बाद तैयार की गई। सेल के संयंत्रों/इकाइयों में परिवेदना तीन चरणों में निपटाई जाती हैं और अनियमितताओं, कार्यशर्तों, स्थानांतरण, छुट्टी, सौंपे गये कार्यों और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित उठाई गयी परिवेदनाओं के लिए प्रत्येक चरण पर कर्मचारियों को अवसर दिया जाता है। परिवेदना प्रबंधन की जांची-परखी प्रणाली के जरिए इस प्रकार के मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है। तथापि, संयंत्रों में विद्यमान भागीदारी स्वरूप के परिवेश को ध्यान में रखते हुए अधिकांश परिवेदनाओं का समाधान अनौपचारिक रूप से किया जाता है। यह प्रणाली विस्तृत, सरल और उदार है तथा कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

1.4.2007 से 31.12.2007 के बीच जन/कर्मचारी परिवेदना की स्थिति निम्नवत है:

1.4.2007 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	31.12.2007 लंबित मामलों की संख्या
18	2834	2784	68

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

जन परिवेदनाएं

जन परिवेदना निवारण प्रणाली को सुचारु बनाया गया है और आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं आदि की परिवेदनाओं को शामिल करने के लिए इसका दायरा व्यापक बनाया गया है और इस तरह की परिवेदनाओं की प्राप्ति एवं निपटारे को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जा रहा है। जन परिवेदनाओं को केन्द्रीयकृत रूप से देखने एवं निगरानी करने के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ कार्यपालक को नामित किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में आवश्यक बल प्रदान किया जा सके। जन परिवेदनाओं का समय सारणी के अनुसार निवारण करने की दृष्टि से पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है।

कर्मचारी परिवेदनाएं

आरआईएनएल में क्षेत्रीय परिवेदना समाधान मंच (एजीआरआईएफ) और केन्द्रीय परिवेदना समाधान मंच (सीईएनजीआरआईएफ) नामक समिति प्रणाली के जरिये कर्मचारियों की परिवेदनाओं को देखने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। कर्मचारियों की परिवेदनाओं के समाधान का संयोजन आंचलिक कार्मिक कार्यपालकों द्वारा किया जाता है जो संकलन, कंप्यूटरीकरण तथा निगरानी के लिए कर्मचारियों से प्राप्त परिवेदनाओं और निपटायी गई परिवेदनाओं की संख्या संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं। परिवेदनाओं के निपटान की समूची प्रणाली की निगरानी केन्द्रीय रूप से कार्मिक समन्वयन अनुभाग द्वारा किया जाता है।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी मुख्यालय में महाप्रबंधक और चारों उत्पादन परियोजना में हरेक परियोजना प्रमुख परिवेदना तंत्र के प्रमुख हैं। यह तंत्र संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। तथापि प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या काफी कम है और इस कारण इनका कंप्यूटरीकरण नहीं हो पाया है। इस संगठन में जन संपर्क काफी कम होने के कारण कोई समय सीमा आदि निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी जब कोई जन परिवेदना (प्रेस सहित) प्राप्त होती है, उसका तत्परता से निपटारा किया जाता है। कर्मचारी/जनपरिवेदनाओं की मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट स्थिति बताते हुए मंत्रालय को भेजी जाती है। एनएमडीसी द्वारा 01.04.2007 से 31.12.2007 अवधि के दौरान कोई कर्मचारी/जन परिवेदना प्राप्त नहीं हुई।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

- मॉयल में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की परिवेदना के निपटान की अपनी प्रक्रिया है। इसी के अनुरूप नियमानुसार कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है।

- मॉयल की परिवेदना निपटान प्रणाली में इस कार्य के लिए नामित हर यूनिट में एक परिवेदना अधिकारी होता है। मुख्यालय के लिए नामित परिवेदना अधिकारी यूनिटों के परिवेदना अधिकारियों की गतिविधियों का बेहतर निष्पादन के लिए समन्वय करता है।
- जन परिवेदनाएं- सभी परिवेदना अधिकारियों को अपने पास आई जन परिवेदना के निपटान के तौर-तरीके की जानकारी दी गई है। जन परिवेदनाओं के निपटारे के लिए अपनाई गई नीति अतीत में विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त निर्देशों पर आधारित है।
- यूनिट परिवेदना अधिकारी से मासिक रिपोर्ट के जरिये प्राप्त आकलन के साथ मुख्यालय अधिकारियों द्वारा की गई जांच के आधार पर मुख्यालय में सभी परिवेदनाओं की निगरानी की जाती है।

एमएसटीसी लिमिटेड

आम लोगों तथा कर्मचारियों की परिवेदनाओं को देखने के लिए एक जन-परिवेदना प्रकोष्ठ बनाया गया है। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में इस प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में व्यापक प्रचार किया गया है। प्राप्त परिवेदनाओं की, संबंधित विभागाध्यक्ष और यदि शिकायत सामूहिक स्वरूप की है तो कभी-कभी कर्मचारी यूनियन के परामर्श से इस प्रकोष्ठ में जांच की जाती है। चूँकि एमएसटीसी एक बहुत ही छोटा संगठन है जिसके प्रत्येक विभाग/कार्यालय में अधिकतम 20 से 30 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की विभागाध्यक्षों एवं यहां तक कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तक सीधे पहुंच है। इसलिए औपचारिक कर्मचारी परिवेदना निवारण तंत्र की स्थापना की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाव हेतु भी एक समिति गठित की गई है।

01.04.2007 से 31.12.2007 की अवधि में जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति:

क्र. स.	परिवेदना की श्रेणी	1.4.2007 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	31.12.2007 को लंबित मामलों की संख्या
1.	कर्मचारी परिवेदनाएं	5	15	20	शून्य
2.	जन परिवेदना	शून्य	1	1	शून्य
	कुल	5	16	21	शून्य

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल एकीकृत इस्पात कारखानों को स्क्रैप वसूली और प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है। अतः कंपनी का जन-साधारण के साथ सीधे संपर्क नहीं है। फिर भी, यदि जनता से कोई परिवेदना मिलती है तो उसका तुरन्त निवारण किया जाता है।

कर्मचारियों की परिवेदनाओं के निवारण के लिए परिवेदना निवारण योजना उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष की पूर्ण संतुष्टि सहित निर्धारित समय में परिवेदना का निवारण किया जाता है।

01.04.2007 से 31.12.2007 के बीच जन/कर्मचारी परिवेदनाओं की स्थिति निम्न है:

परिवेदना की श्रेणी	1.4.2007 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	31.12.2007 को लंबित मामलों की संख्या
कर्मचारी परिवेदनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जन परिवेदना	6	3	1	8

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान जन/कर्मचारी परिवेदना निवारण मसलों से संबंधित अनुपालन किया गया।

मेकॉन लिमिटेड

जन परिवेदनाएं

मेकॉन का आमतौर पर आम जनता से सम्पर्क नहीं होता है। परंतु किसी भी किस्म की प्रताड़ना से संबंधित किसी भी विशिष्ट शिकायत को परिवेदना के रूप में माना जाता है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या आम जनता से कोई परिवेदना लंबित नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्वागत

कक्ष के नज़दीक यह सूचना दी गई है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आम जनता किस अधिकारी से संपर्क कर सकती है। जन परिवेदनाओं से संबंधित मामलों में आम जनता के प्रतिनिधियों को विभाग के संबंधित अधिकारियों और उपरोक्त पदनामित अधिकारियों से मिलने का मौका दिया जाता है। मेकॉन ने जन परिवेदनाओं का निपटारा करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी अधिकारियों को पदनामित किया है और आम जनता के सूचनार्थ इसको समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के जरिये व्यापक रूप से प्रचार किया गया है।

कर्मचारी परिवेदनाएं

मेकॉन में कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निवारण करने के लिए त्रि-स्तरीय परिवेदना प्रणाली है। कर्मचारियों की परिवेदना पर विचार एवं निवारण करने के लिए कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक कर्मचारियों से युक्त एक परिवेदना सलाहकार समिति है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा महिला कर्मचारियों की परिवेदनाओं या शिकायतों को देखने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें एक वरिष्ठ महिला इंजीनियर बतौर अध्यक्ष हैं। अनु० जाति/अनु० जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निवारण करने के लिए एक पृथक कक्ष भी है। वर्तमान रूप से किसी भी कर्मचारी से कोई परिवेदना प्राप्त नहीं हुई है।

विभिन्न तलों/कार्यालयों में सुझाव/शिकायत पेटियां रखी गई हैं और कर्मचारी प्रबंधन के सामने अपनी शिकायत/ दृष्टिकोण रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर, गैर-कार्यपालक कर्मचारी और कार्यपालक कर्मचारी अपने मसलों/परिवेदनाओं को कंपनी द्वारा मान्यताप्राप्त क्रमशः मेकॉन एंजिनीयर्स यूनियन और मेकॉन एक्जीक्यूटिव एसोसियेशन के जरिये प्रस्तुत करना पसंद करते हैं।

भारत रिफ़्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

कंपनी में त्रि-स्तरीय शिकायत समाधान मशीनरी की शुरुआत के साथ परिवेदनाओं का निवारण निर्धारित समयबद्ध प्रणाली के तहत किया जाता है। जन संपर्क विभाग के प्रभारी अधिकारी को परिवेदनाओं का तेजी से समाधान करने के लिए परिवेदना समाधान प्रणाली की निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया है।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

वर्ष के दौरान, कंपनी मामलों से संबंधित जन परिवेदनाओं का निवारण करने के लिए एसआईआईएल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की गई, जो नियमित रूप से जन परिवेदनाओं का निवारण कर रही हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

केआईओसीएल में परिवेदना निवारण की स्पष्ट प्रक्रिया है, जो कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों दोनों पर लागू है। सन 1977 में इसकी शुरुआत से ही यह योजना संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और मान्यता प्राप्त मजदूर संघों या कार्यपालक एसोसिएशन, किसी भी पक्ष से, इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। संगठन में कर्मियों की संख्या सीमित होने के कारण शिकायतों की पहचान आसानी से हो जाती है तथा निचले स्तर पर ही उनका निवारण हो जाता है।

जब भी कंपनी को लिखित में जनता से कोई शिकायत मिलती है, उसकी तुरन्त स्वीकृति की जाती है। ऐसी शिकायत की ध्यान से जांच की जाती है तथा तुरन्त कार्रवाई के लिए उसका विश्लेषण किया जाता है। जन/कर्मचारी परिवेदनाओं के निवारण के लिए दो निदेशकों, एक महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक बतौर निदेशक पदनामित किये गये हैं ।

1.4.2007 से 31.12.2007 के बीच कर्मचारी/ जनपरिवेदनाओं की स्थिति निम्नवत है:

परिवेदना की श्रेणी	1.4.2007 को बकाया परिवेदनाएं	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	31.12.2007 को लंबित मामलों की संख्या
कर्मचारी परिवेदनाएं	शून्य	4	1	3
जन परिवेदनाएं	1	1	-	2

अध्याय - XIII

निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सभी उपक्रमों में निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी नियमों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2007-08 (31 दिसम्बर, 2007 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति:

कर्मचारियों की संख्या		निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल + एचआई + एलडी)	निःशक्त व्यक्तियों का % (कालम 3 और कालम 1)
(1)		(2)			(3)	(4)
समूह	सं.	बीएल*	एचआई**	एलडी#		
क	42	-	-	-	-	-
ख	104	-	-	—	-	-
ग	58	-	1	1	2	3.45
घ	67	-	-	1	1	1.49

* बीएल: नेत्रहीन और अल्प दृष्टि

** एचआई: बधिरता

एलडी: गति विषयक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षपात

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

31 दिसंबर, 2007 को निःशक्तता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति:

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल	निःशक्त व्यक्तियों का % (संदर्भ का. 2)
		1	3	4		
		वीएच	एचएच	ओएच	वीएच+एचएच+ओएच	
क	16221	0	5	43	48	0.30
ख	48294	17	25	282	322	0.67
ग	64854	21	23	347	391	0.60
ग (सफाई कर्मचारी)	1235	0	1	1	2	0.16
कुल	130604	38	54	673	763	0.58

वीएच - नेत्रहीनता

एचएच- बधिरता

ओएच - हड्डी रोग विकलांगता

सेल द्वारा शारीरिक विकलांग लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाएं/नीतियां

- सेल अपने कर्मचारियों के शारीरिक विकलांग बच्चों की शिक्षा में मदद पहुंचाने के लिए छात्रवृत्ति देता है।
- सेवा के दौरान विकलांग हुए कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत चिन्हित पदों पर पुनः तैनात किया जाता है। उन्हें जयपुर बूट और व्हील चेयर, इत्यादि जैसी समुचित चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
- विकलांग कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटन में विशेष रियायत दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को इसे भूतल पर आवंटित करने के लिए ध्यान रखा जाता है।
- सेल कर्मचारी के ऐसे वयस्क भाई या बहन को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है, जो विकलांग हो और कर्मचारी पर आश्रित हों।
- विकलांग कर्मचारियों को अतिरिक्त विशेष यात्रा भत्ता दिया जाता है।
- सेल के कारखानों में विकलांग व्यक्तियों को दुकानें, एसटीडी बूथ, मिल्क बूथ, हॉकर्स लाइसेंस इत्यादि आवंटित किये जाते हैं।
- कारखानों में नितान्त रूप से विकलांगों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के वास्ते विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कुछ कारखानों में विकलांगों के लिए खेल के मैदान निश्चित किए गये हैं। भिलाई में विकलांगों के प्रोत्साहन के लिए ईस्ट जोन डिजेबल्ड क्रिकेट और इंटरस्टेट डिजेबल्ड क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।
- विकलांग लोगों में विश्वास की भावना जमाने के लिए विश्व विकलांगता दिवस, संगीतमय कार्यक्रम, ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता, इत्यादि का आयोजन किया जाता है।



सेल ने 20 अगस्त, 2007 को जवाहर भवन, नयी दिल्ली में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को वितरण हेतु राजीव गांधी फाउण्डेशन को मोटरचालित वाहन भेंट किये।

- सेल के कारखानों में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद करते हुए मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए शिक्षण केन्द्रों का सृजन सुगम बनाने में विशेष पहल की गई है:
 - भवन/बुनियादी सुविधाओं की मदद
 - विशेष प्रशिक्षण उपकरण
 - चिकित्सा सहायता, इत्यादि

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2007-08 (31.12.2007 की स्थिति) के दौरान निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति :

समूह	अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या (अर्थात् 7.2.1996)	कॉलम 1 में से निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल (बीएल + एचआई + एलडी)	निःशक्त व्यक्तियों का % (कॉलम 3 एवं कॉलम 1)
		1	2	3		
		बीएल	एचआई	एलडी		
क	63	-	-	2	2	3.17
ख	-	-	-	-	-	-
ग	143	3	1	2	6	4.20
घ	84	1	1	2	4	4.76
कुल	290	4	2	6	12	4.14

संकेतक: बीएल - नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि,
एचआई - बधिरता,
एलडी - गति विषयक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात

निःशक्त लोगों के लिए अतिरिक्त कल्याण गतिविधियां

आरआईएनएल ने सीएसआर पहल के रूप में, बधिर, शारीरिक विकलांग एवं अलग तरह के अपंग बच्चों और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए निःशक्त पुनर्वास कार्यक्रमों को चलाया है। लाभान्वित होने वाले लोगों की पहचान करने के लिए पुनर्वास शिविरों का आयोजन किया गया। गरीब एवं जरूरतमंदों को निम्न उपकरण/सहायता प्रदान की गई:

- कैलिपर्स
- नेत्रहीनों के लिए वाकिंग स्टिक्स
- ट्रासिकिल्स
- सुनने की मशीन
- क्रचेज
- व्हील चेयर्स
- कृत्रिम अंग

आरआईएनएल द्वारा विजयनगरम में “लाइफलाइन एक्सप्रेस” अर्थात् चलता-फिरता अस्पताल के अंग के रूप में भी निःशक्त पुनर्वास शिविरों का आयोजन किया गया।

विस्टील महिला समिति (उक्कुनगरम में महिलाओं का स्वयं सेवी संगठन) द्वारा संचालित अपंग बच्चों के एक विशेष स्कूल “अरुणोदय स्पेशल स्कूल” को आरआईएनएल से निम्न मदद दी जा रही है:

- पर्सनल कंप्यूटर
- विशेष रूप से डिजाइन की गई एक बस
- 10 लाख रुपये का विशेष अनुदान
- स्कूल और बस का संचालन एवं रख-रखाव
- बहु-विकलांगता वाले बच्चों में आत्म विश्वास जगाने के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- एक स्कूल बिल्डिंग

वर्ष 2007-08 के दौरान, निःशक्त पुनर्वास शिविरों के आयोजन पर 23 लाख रुपये खर्च किये गये, जिनमें लगभग 1500 लोग लाभान्वित हुए। आरआईएनएल ने प्रतिव्यक्ति लगभग 1534 रुपये खर्च किये।

एनएमडीसी लिमिटेड

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल बीएल+ एचआई+एलडी	निःशक्त व्यक्तियों का %	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण*	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई
1	2			3	4	5	6
समूह	बीएल	एचआई	एलडी		0.57%	एनएमडीसी एक खनन कंपनी है और उस पर खनन अधिनियम के प्रावधान व नियम लागू होते हैं। अतः सुरक्षा कारणों से विकलांग व्यक्तियों को उन पदों पर नहीं रखा जा सकता जिन पर खान/कारखानों में कार्य करना हो।	एनएमडीसी में इस समय विभिन्न पदों पर 32 निःशक्त कर्मी हैं। जब कभी भविष्य में भर्तियां होती हैं तो शारीरिक रूप से विकलांग पात्र व्यक्तियों को उनके लिए उपयुक्त पदों पर रोजगार देने हेतु पूरा विचार किया जाएगा।
क-938	-	-	3	3			
ख-1028	-	-	10	10			
ग-2325	-	-	14	14			
घ-1245	-	0	5	5			
एमसीपीआरएल (एसआई) 52	-	-	-	-			
एमसीपीआरएल 45	-	-	-	-			
कुल 5633	-	0	32	32			

संकेतक: बीएल - नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई-बधिरता, एलडी-गति विषयक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात
 *निःशक्तता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 3% से कम नहीं, जिसमें से निम्न में से प्रत्येक के लिए 1% आरक्षण

(i) नेत्रहीन एवं अल्प दृष्टि (ii) बधिरता (iii) गति विषयक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात

निःशक्त व्यक्तियों के हितलाभ के लिए किये गये उपाय

एनएमडीसी ने अपनी योजनाओं/नीतियों के तहत निम्न हितलाभ प्रदान किये हैं:

- आम दरों से दोगुना मासिक परिवहन भत्ता
- सभी मदद उपकरणों/कृत्रिम अंगों का प्रावधान
- सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट
- पदोन्नतियों में समान अवसर
- किसी कर्मचारी को रोजगार के दौरान चोट लगने से विकलांगता आने की स्थिति में वैकल्पिक समुचित पद पर पुनः तैनाती।
- स्वयं एवं पत्नी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ
- कर्मचारी हितलाभ योजना: यदि कोई कर्मचारी अपने जॉब के लिए चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य पाया जाता है तो सेवामुक्त होते समय उसके 60% वेतन + मंहगाई भत्ता के बराबर मासिक हितलाभ कर्मचारी को उसकी नोशनल सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिलता रहेगा। इसके लिए कर्मचारी को अपनी ग्रेच्युटी की राशि कंपनी में जमा करनी होगी, जिसे सेवानिवृत्ति की नोशनल तिथि को बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा। इस नोशनल तिथि से पहले यदि कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो मासिक हितलाभ की राशि नामित व्यक्ति को इस नोशनल तिथि की समाप्ति तक मिलनी जारी रहेगी और जमा राशि नामित को लौटा दी जाती है। यह सीपीएफ, अवकाश नकदीकरण इत्यादि जैसे अन्य हितलाभों की अदायगी के अलावा है।
- एनएमडीसी ने समय-समय पर ऑर्थोपेडिक चिकित्सा शिवरों का भी आयोजन कर अनेक स्थानीय आदिवासियों का उपचार/ऑपरेशन किया। एनएमडीसी द्वारा उन्हें वैशाखियां, तिपहिया वाहन और कृत्रिम अंग इत्यादि निःशुल्क प्रदान किये गये।
- बैलाडिला कांप्लेक्स के निःशक्त व्यक्तियों को संभव मदद पहुंचाने की दृष्टि से एनएमडीसी द्वारा विकलांगों के स्वीकार पुनर्वास संस्थान, सिकंदराबाद के जरिये बैलाडिला कांप्लेक्स और दोगिमलाई परियोजना में निःशक्तता पहचान शिविर लगाये गये। इसके फलस्वरूप कुल 15 निःशक्त व्यक्तियों को जरूरी मदद एवं उपकरण दिये गये।





श्री रामविलास पासवान, माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री 15 जनवरी, 2008 को बैलाडीला, एनएमडीसी में शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को ट्राइसिकल भेंट करते हुए।

मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

शारीरिक विकलांग लोगों के उत्थान में लगे सामाजिक संगठन को वित्तीय मदद:

- जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को ट्राइसिकल का प्रावधान।
- विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने का प्रावधान।
- बधिरता के शिकार व्यक्तियों को सुनने के कृत्रिम उपकरणों का प्रावधान
- नेत्रहीन व्यक्तियों को उनकी आँखों के ऑपरेशन के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने का प्रावधान।



श्री रामविलास पासवान, माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, मॉयल के अध्यक्ष सह-प्रबंध-निदेशक श्री के.एल. मेहरोत्रा के साथ नागपुर में चिकित्सा कैम्प के उद्घाटन के दौरान शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को ट्राइसिकल वितरित करते हुए।

निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण की स्थिति :

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	चिन्हित पदों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या	%
क	208	30	-	-
ख	179	85	1	0.56
ग	1473	260	7	0.47
घ	4926	95	8	0.16
कुल	6786	470	16	0.24

मॉयल एक खनन कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियां दूरदराज के क्षेत्रों में भूमिगत खानों में होने के नाते, खान अधिनियम एवं मेटलिफेरस खान विनियमनों के तहत सांविधिक प्रतिबंधों की वजह से एवं सुरक्षा कारणों से यह संभव नहीं है कि निःशक्त व्यक्तियों को खानों में घोर परिश्रम वाले कार्य पर तैनात किया जाये। चिन्हित वर्ग में पिछले 10 वर्ष से कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है।

एमएसटीसी लिमिटेड

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या		कुल बीएल+एचआई+एलडी	निःशक्त व्यक्तियों का % (कां. 3 एवं का. 1)
	(1)	(2)		
समूह		एचआई	एलडी	
क	137	-	3	2.14
ख	110	1	2	2.70
ग	29	-	1	3.44
घ	18	1	-	5.55
कुल	294	2	6	2.68

वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 की स्थिति) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, के कार्यान्वयन :

'समूह "ख" में कोई भर्ती नहीं की गई।

संकेतक : बीएल - नेत्रहीन या कम दृष्टि, एचआई-बधिरता, एलडी-गति विषयक अपंगता अथवा प्रमाणितकीय पक्षाघात

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति:

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल बीएल+ एचआई+ एलडी	निःशक्त व्यक्तियों का %	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
	1	2	3					
समूह	बीएल	एचआई	एलडी	-	-	निम्न (क) देखें	निम्न (ख) देखें	
क	:157	-	-	-	-			
ख	: 531	-	-	-	-			
ग	: 458	-	-	-	-			
घ	:03	-	-	-	-			
कुल	: 1149							

संकेतक : बीएल - नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई-बधिरता, एलडी- गति विषयक अपंगता अथवा प्रमाणितकीय पक्षाघात

क) एफएसएनएल एक स्क्रैप प्रसंस्करण कम्पनी है, जो एकीकृत इस्पात कारखानों को सेवाएं प्रदान कर रही है। इस कम्पनी की प्रचालन गतिविधियां हर मौसम में खुले क्षेत्र में चलाई जाती हैं। इसके अलावा, प्रचालन गतिविधियों के लिए बॉलिंग क्रैन्स, मैग्नेटिक सेपरेटर्स, डोजर्स, डम्पर्स, इत्यादि जैसे प्रमुख भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से निःशक्त लोगों के लिए एफएसएनएल का परिवेश/कार्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। इसलिए विकलांग लोगों को इस क्षेत्र में कार्य पर लगाना उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।

ब) जहां संभव हो, एफएसएनएल द्वारा ऐसे व्यक्तियों से समूह "ग" में कार्यालय का काम लिया जा रहा है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 की स्थिति) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन :

समूह	कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			कुल	कॉ.2के संबंध में कॉ.6 का %
		3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7
		वीएच	एचएच	ओएच		
क	303	0	0	3	3	1%
ख	221	0	0	3	3	1.3%
ग	957	2	0	1	3	0.31%
घ	50	0	0	0	0	-
कुल	1531	2	0	7	9	0.59%

मेकॉन लिमिटेड

कम्पनी ने "निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995" के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन में 30.11.207 को कुल जनशक्ति 1706 है। इनमें से निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग से संबंधित 5 व्यक्ति "क", "ख", "ग" और "घ" विभिन्न पदों पर हैं (क:2, ख: शून्य, ग:3 और घ: शून्य)।

भारत रिफ़्रेक्टरीज़ लिमिटेड (बीआरएल)

वित्तीय सीमाओं और बाधाओं के कारण, बीआरएल निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए विशेष योजनाएं/नीतियां शुरू करने में असमर्थ रहा है। निःशक्त अधिनियम, 1995 की धारा 47 के तह प्रावधान के मद्देनज़र, रोजगार के दौरान अपंग होने पर कभी भी किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त। रैंक में कमी नहीं की गई।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

अधिनियम के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों के लिए अपेक्षित 3% के विपरीत कंपनी में वर्तमान रूप से यह 1.32% है। विवरण निम्न है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या	शारीरिक विकलांगों की संख्या			कुल विक. की सं.	विक. का %
		बीएल	एचआई	एलडी		
क	57	-	-	1	1	1.75
ख	49	-	-	-	-	-
ग	127	-	-	3	3	2.36
घ	70	-	-	-	-	-
कुल	303	-	-	4	4	1.32

शारीरिक विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के कारण कमी है और 1995 से कंपनी में विभिन्न कारणों से कोई भर्ती नहीं हुई है और वर्तमान रूप से शीघ्र ही इस कंपनी का विलय एनएचडीसी में किया जा रहा है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

विभिन्न समूहों में 31.12.2007 को शारीरिक तौर पर विकलांग कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या	कुल बीएल + एचआई + एलडी	निःशक्त व्यक्तियों का % (कॉ.3 एवं कॉ.1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है तो उसका कारण*	
1	2	3	4	5	
समूह	बीएल एचआई एलडी				
क	403	1 - 2	3	0.74	*
ख	99	- - 2	2	2.02	
ग	1026	1 2 8	11	1.07	#
घ	123	- 3 1	4	3.25	
कुल	1651	2 5 13	20	1.21	

संकेतक: बीएल- नेत्रहीनता एवं कम दृष्टि, एचआई-बधिरता, एलडी-गति अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात।

*निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिशत 3 से कम नहीं, जिसमें से निम्न में से प्रत्येक के लिए 1%आरक्षण

i) नेत्रहीन एवं कम दृष्टि ii) बधिरता iii) गतिविषयक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात

जब कभी कंपनी दूसरी जगहों/नई परियोजनाओं में नई खनन लीज़ प्राप्त करती है, उस समय सांविधिक दायित्वों के अनुसार, कंपनी में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।

केआईओसीएल अपने सभी कार्य-कलापों में पर्याप्त सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं विशेषकर जहां विकलांग काम करते हैं, उपलब्ध कराता है और सुनिश्चित करता है कि विकलांगता किसी भी प्रकार से काम में आड़े नहीं आए। कार्य वातावरण इस तरह से सदैव कायम रखा जाता है कि निःशक्तता शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की उत्पादकता कार्य निष्पादन पर किसी प्रकार से बाधक न बने। चिन्हित पदों पर शारीरिक विकलांगता के कारण भर्ती व पदोन्नति के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।


शारीरिक विकलांगों को निम्न रियायतें दी जा रही हैं:

- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन अग्रिम प्रदान किया जाता है।
- कुद्रेमुख टाउनशिप में, शारीरिक विकलांग कर्मचारियों (हड्डी रोग) को किसी किस्म की असुविधा/मुश्किल से बचाने के लिए क्वार्टर भी प्रशासनिक कार्यालय के नजदीक और भूतल पर दिये जाते हैं।
- परन्तु शारीरिक विकलांगों के हितलाभ के लिए अलग बजट आवंटित नहीं किया जाता है।

* आंकड़ा कम होने के कारण

केआईओसीएल एक अत्यंत परिष्कृत एवं पूर्णतः यांत्रिकीकृत संगठन है जहां तकनीकी क्षेत्रों में शारीरिक निःशक्त व्यक्तियों की तैनाती एक संभावित सुरक्षा जोखिम है। प्रचालन उच्च परिष्कृत हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट द्वारा किया जाता है। जैसे कि ब्लास्टिंग से शिप लोडिंग तक संपूर्ण खनन प्रचालन कंप्यूटर नियंत्रित है, खनन गतिविधियों में मैनुअल लेबर की तैनाती बहुत कम होती है और समूह "ग" और "घ" पदों पर अधिकांशतः तकनीकी जनशक्ति है जहाँ शारीरिक निःशक्त को काम पर लगाने की गुंजाइश बहुत कम है।

अक्टूबर, 2002 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31.12.2005 से कुद्रेमुख में खनन गतिविधियां बंद करने के निर्णय के मद्देनजर और फलस्वरूप कंपनी के अन्य जगहों पर पुनः तैनाती के लिए कुद्रेमुख में उपलब्ध अतिरिक्त जनशक्ति के कारण, भर्ती मात्र अत्यंत जरूरी होने पर ही की जा रही है। अतिरिक्त जनशक्ति की कंपनी की दूसरी जगहों पर तैनाती के समय शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। वर्ष 1999 से 2007 के बीच (31.12.2007 तक) स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों के कारण कुल 719 कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया, जिनमें से 18 कर्मचारी विकलांग वर्ग के थे।



अध्याय - XIV हिन्दी का प्रगामी उपयोग

इस्पात मंत्रालय

हिन्दी का प्रगामी उपयोग

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा केन्द्र की राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 के दौरान सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिक उपयोग किया है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी उपयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा इसकी देख-रेख की जा रही है। सीधे संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के प्रभार के अंतर्गत दो हिन्दी अनुभाग हैं। हिन्दी कार्यान्वयन अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य देखता है और इस अनुभाग में एक अनुभाग अधिकारी, एक सहायक, एक निम्न श्रेणी लिपिक और एक चपरासी है। हिन्दी अनुवाद अनुभाग हिन्दी अनुवाद से जुड़े कार्य देखता है और इसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, तीन कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, एक निम्न श्रेणी लिपिक और एक चपरासी है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। यह समिति मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2007 तक समिति की ऐसी तीन बैठकें आयोजित हो गई हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति

इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का 30 नवम्बर, 2004 को पुनर्गठन किया गया था। वर्ष के दौरान समिति की 23 अक्टूबर, 2007 को बैठक हुई।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। केन्द्र सरकार के 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में



डॉ. अखिलेश्वर दास, माननीय इस्पात राज्यमंत्री 29 नवंबर, 2007 को स्टील रूम, उद्योग भवन में पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए।

हिन्दी में पत्र जारी सुनिश्चित रूप से करने के लिए मंत्रालय में जांच बिंदुओं को चिन्हित किया गया है।

राजभाषा शील्ड/ट्रॉफियां

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार), इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (द्वितीय पुरस्कार) और इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार) और 'ग' क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक राजभाषा शील्ड रखी गई है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उनके वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार पर उपक्रमों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय में हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को भी पदक से सम्मानित किया जाता है।

हिन्दी में मौलिक कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में मौलिक कार्य के लिए राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई नकद प्रोत्साहन योजना मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही है।

हिन्दी में श्रुतलेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना

मंत्रालय में हिन्दी में श्रुतलेख करवाने वाले अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना चल रही है।

हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार

इस्पात उद्योग तथा इससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में तकनीकी पुस्तकें लिखने के लिए नगद पुरस्कार देने की एक योजना भी मंत्रालय में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 20,000 रुपये, 16,000 रुपये और 10,000 रुपये की राशि दी जाती है।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 सितम्बर, 2007 को माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री एवं माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा अपील जारी की गई। मंत्रालय में 14 से 28 सितम्बर, 2007 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान, एक हिन्दी कार्यशाला और विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिन्दी/हिन्दी टाइपराइटिंग/हिन्दी स्टेनोग्राफी

ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें सेवा में प्रशिक्षण जरूरी हो, को हिन्दी/ हिन्दी टाइपिंग/ हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना बनाई गई है। मंत्रालय में समूह "घ" कर्मचारियों को छोड़कर, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पास हिन्दी का कार्यवाहक ज्ञान है। जहां तक हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी का सवाल है, 21 निम्नश्रेणी लिपिकों और 31 आशुलिपिकों में से, 11 निम्न श्रेणी लिपिकों एवं 30 आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि का ज्ञान है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर बल जारी रखा। कंपनी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली से लगातार चौथे वर्ष अपनी हिन्दी गृह पत्रिका "इस्पात भाषा भारती" के लिए प्रथम पुरस्कार और कार्यालयी कामकाज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इस्पात मंत्रालय से एक अन्य पुरस्कार समेत निगमित/कारखाना/यूनिट स्तरों पर अनेक पुरस्कार



श्री गणतंत्र ओझा, निदेशक (कार्मिक), सेल 14 सितंबर, 2007 को माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल से "इस्पात भाषा भारती" को प्रदत्त प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

अर्जित किये हैं। देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वश्रेष्ठ हिन्दी गृह पत्रिका घोषित होने पर भारत सरकार ने “इस्पात भाषा भारती” को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 14 सितम्बर, 2007 को हिन्दी दिवस के अवसर पर निदेशक (कार्मिक) ने माननीय गृह मंत्री से प्राप्त किया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में अप्रैल से दिसम्बर, 2007 के दौरान हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्नवत है:

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें 10.05.2007, 29.09.2007 और 22.12.2007 को आयोजित की गईं और इन बैठकों में आरआईएनएल में हिन्दी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत उल्लिखित सभी दस्तावेजों को द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा “क”, “ख” और “ग” क्षेत्रों के पत्र व्यवहार के लिए निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।
- आरआईएनएल मुख्यालय में सितम्बर, 2007 के दौरान हिन्दी दिवस एवं सप्ताह मनाया गया। कंपनी के विपणन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसी तरह के आयोजन दिसम्बर, 2007 के दौरान किये गये, जहां क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत कार्य कर रही शाखाओं ने भी भाग लिया। वीएसपी के इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने पूरी रुचि के साथ हिस्सा लिया।
- वर्ष के दौरान 230 कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान 75 कर्मचारियों को कम्प्यूटर में “शुशा फॉट्स” के जरिये हिन्दी का उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया। इस अवधि में 14 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें हिन्दी का कार्यवाहक ज्ञान रखने वाले 114 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी ने वर्ष 2007-08 के दौरान अपनी समस्त उत्पादन इकाइयों एवं मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयास जारी रखे। प्रशासनिक के साथ-साथ तकनीकी क्षेत्रों में भी राजभाषा के उपयोग के लिए प्रयास किए गए। मुख्यालय के साथ-साथ उत्पादन यूनिटों में वर्ष के दौरान राजभाषा तकनीकी/व्यावसायिक संगोष्ठियां/ तकनीकी प्रस्तुतियां आयोजित हुईं।

एनएमडीसी ने 14 सितम्बर, 2007 को वर्ष 2005-06 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्राप्त की। एनएमडीसी ने 19 दिसम्बर, 2007 को वर्ष 2006-07 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उपक्रम, हैदराबाद-सिकंदराबाद से भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

वर्ष के दौरान, मॉयल ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों एवं उसके नियमों एवं आदेशों के प्रचार एवं कार्यान्वयन के प्रयास जारी रखे। कंपनी की हिन्दी गृहपत्रिका “संकल्प” हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए निबंध लेखन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, कविता एवं लेख जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है। मॉयल की खानों में लगभग 92% काम हिन्दी में किया जा रहा है। जैसा कि कंपनी इस्पात मंत्रालय से विगत 10 वर्षों से प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती आ रही थी, “चल वैजयंती” पुरस्कार स्थायी रूप से कंपनी को दे दिया गया है।

एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करती है। कंपनी में हिन्दी दिवस मनाया जाता है और निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता इत्यादि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं और विजेताओं को पुरस्कार दिये गये। हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग और हिन्दी टाइपिंग के लिए भी नकद पुरस्कार दिये जाते हैं।

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कर्मचारियों को अपना रोजमर्रा का कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित करने के लिए, कंपनी में “हिन्दी दिवस” और “हिन्दी पखवाड़ा” आयोजित किया जाता है और हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता/हिन्दी वाद-विवाद इत्यादि जैसी विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को समुचित पुरस्कार दिये जाते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार/ मंत्रालय के मार्गदर्शन/दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है और कंपनी में कार्यान्वित किया जाता है।

एचएसएनएल को 23 अक्टूबर, 2007 को विशाखापत्तनम में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में “इस्पात राजभाषा शील्ड” (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग, भारत सरकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न उत्साहजनक प्रयास किये। निगमित एवं यूनिट स्तरों पर नियमित अंतराल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने के अलावा, कंपनी ने सभी स्तरों के अपने अधिकारियों को सरकारी नोटिंग और ड्राफ्टिंग में हिन्दी का उपयोग करने के लिए प्रेरणा स्वरूप व्यापक अभियान चलाया। राजभाषा के उपयोग के बारे में सरकारी मार्गदर्शनों का अनुपालन किया जाता है। वर्ष के दौरान हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), कोलकाता द्वारा एचएससीएल को सरकारी कामकाज में हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए “राजभाषा शील्ड पुरस्कार 2006-07” से सम्मानित किया गया।

मेकॉन लिमिटेड

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि से, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए अभिप्रेरित करने और हिन्दी कार्यान्वयन का प्रचार-प्रसार कर उसे सुगम बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई गईं। मेकॉन के मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किये गये हैं। हिन्दी प्रशिक्षण देने के अलावा, कार्यालयी कामकाज हिन्दी में करने के लिए कर्मचारियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं और क्विज़ प्रतियोगिताओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेकॉन के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के मार्गदर्शन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची ने वर्ष के दौरान राजभाषा सेमिनारों का आयोजन किया। मुख्यालय और इसके साइट कार्यालयों में 14 से 20 सितम्बर, 2007 के दौरान हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

भारत रिफ़्रेक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर बल जारी रखा। कार्यालयी कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियां चलाई गईं। वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी को 2004-05 और 2006-07 के लिए क्रमशः इस्पात राजभाषा ट्रॉफी और इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया।

संज आयरन इण्डिया लिमिटेड

कंपनी ने अप्रैल से दिसम्बर, 2007 के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किया और 193 दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया। हिन्दी के प्रगामी उपयोग को बढ़ाने के लिए नोटिंग और ड्राफ्टिंग एवं हिन्दी प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये। समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें बुलाई गईं। 14.09.2007 को हिन्दी दिवस मनाया गया और कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार दिये गये।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कंपनी राजभाषा हिन्दी के प्रगामी उपयोग के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है।

कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिया गया। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नकद पुरस्कार और वेतन वृद्धियाँ भी दी गईं। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को कार्यालयी कार्य हिन्दी में करने के प्रति सजग बनाने, प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं, ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हुईं और इन बैठकों में विगत तिमाही के दौरान प्रगति की समीक्षा की गई। कंपनी के सभी कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी कार्यक्रमों और अनेक हिन्दी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये। इस वर्ष नकद पुरस्कार की राशि दोगुनी कर दी गई। कर्मचारियों को अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के ध्येय से, वर्ष के दौरान 4 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कंपनी बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है और नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करती है।



अध्याय - XV महिला सशक्तिकरण

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं एवं मानकों को मान्यता देते हुए कार्य में महिलाओं को बराबरी के दर्जे का उल्लेख किया और निर्णय दिया कि कार्यस्थल में यौन शोषण महिलाओं की मर्यादा के विरुद्ध है और भारतीय संविधान की धारा 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी रोजगारदाताओं को, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों अथवा निजी क्षेत्र में, यौन शोषण रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। शिकायतों की सुनवाई की व्यवस्था के अंग के रूप में, सभी संगठनों में शिकायत समिति गठित की जाए जिसमें तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व हो तथा जिसकी प्रमुख कोई महिला हो और जिसमें कम से कम आधे सदस्य महिलाएं हों।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं समाधान करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिनमें तीन सदस्य महिलाएं हैं और इसकी प्रमुख संयुक्त सचिव स्तरीय महिला अधिकारी है। इस समिति को 2007-08 के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली, जो मंत्रालय में महिला कर्मीदल की आम संतुष्टि का व्यापक सूचक है।

वित्त मंत्रालय एवं महिला व बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में जेंडर बजट कक्ष की भी स्थापना की गई, जिसका ध्येय मंत्रालय में इस संकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना है। यद्यपि 2006-07 तक इसे कार्यान्वित करने की कोई योजना नहीं थी, फिर भी 11वीं योजना के लिए मंजूर नई योजना “लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन” में कुछ अंश शामिल करने के प्रयास किये जायेंगे, जिससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ पाने वाले समूह के रूप में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।

इस्पात मंत्रालय की अंतर्गत आने वाले सभी उपक्रमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। संबंधित विवरण संक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्र में लगभग 6666 महिला कर्मचारी हैं, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 5% है। यद्यपि ऐतिहासिक एवं परंपरागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एक श्रम-प्रधान विनिर्माता उद्योग सेल में अधिक कर्मचारी पुरुष हैं, परंतु समय के साथ अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों ने कार्य संभाल लिया है, यहां तक कि महिलाएं शॉपफ्लोर्स की सख्त कार्य परिस्थितियों में भी कार्य कर रही हैं।

महिला-पुरुष में समानता एवं महिला सशक्तिकरण से समाज का तेजी से विकास होता है, यह मानते हुए भिलाई में 1957 में महिला समाज की स्थापना की गई थी जब औद्योगिक परिसर बन रहा था। 4 अगस्त, 1957 को मात्र 50 सदस्यों की इस क्रांतिकारी संस्था से अन्य सेल कारखानों को भी अपने महिला समाज/समूह विकसित करने की प्रेरणा मिली। ये सामुदायिक कल्याण के सूत्रधार बन गये हैं और सेल ने इन्हें सहायक उद्योग का दर्जा दिया है। कारखाना स्तरीय इन विभिन्न संगठनों के आज की तारीख में 4000 सदस्य हैं और ये 15 राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से सम्बद्ध हैं। ये खास तौर पर कमजोर वर्ग की महिलाओं या अनु. जाजि/अनु. जन जाति समुदायों की महिलाओं के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। ये सदस्य अंदरूनी रूप से धन



सेल कारखानों में महिला समाज महिलाओं को अपनी जीविका कमाने के लिए सशक्त बना रहा है।

जुटाकर दस्ताने, मसाले, साबुन, बैग इत्यादि बनाने समेत विभिन्न कार्यों का संचालन/प्रचालन कर रहे हैं और महिला कॉलेजों एवं असमर्थ लोगों के पुनर्वास के लिए योगदान कर रहे हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की दृष्टि से भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में सेल ने अपनी यूनिटों में 1998 में शिकायत समितियों का गठन किया है। ये समितियां कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए हैं। इस तरह से सेल ने विभिन्न पहल करके महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए प्रयास किये हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2007-08 के दौरान (31.12.2007 तक) महिला सशक्तिकरण के लिए की गई कुछ पहल नीचे दी जा रही हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र महिला (विप्स) कक्ष संगठन के अंदर और बाहर महिलाओं को सशक्त बनाने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। विप्स ने 09.08.2007 को अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।
- विप्स ने अगस्त, 2007 के दौरान विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने में विप्स की "उत्कृष्टता का एक दशक" नामक दशकीय समारोह में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया।
- वर्ष के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए विप्स ने चिकित्सा सेवाओं समेत राहत कार्य किये।
- संगठन में जेंडर संबंधों में सुधार के लिए, 3 जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रमों का संचालन किया गया।
- महिला कर्मचारियों को संगत बाह्य कार्यक्रमों में शामिल होने और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित विदेशी दौरों पर जाने के लिए प्रायोजित किया जाता है।
- विगत वर्ष 2006-07 के 431 के मुकाबले महिला कर्मचारियों की संख्या 2007-08 में 445 है। महिलाएं जनशक्ति का 2.7% हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए आरआईएनएल के पास विशेष कक्ष है जिसकी गतिविधियों की योजना एवं रूपरेखा विप्स की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बैठकों समेत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुनरावलोकन के आधार पर तैयार की जाती है।


एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 251 महिला कर्मचारी हैं जो उसकी कुल जनशक्ति 5633 (31.12.2007 के अनुसार) का लगभग 4.5% है। कंपनी चयन, भर्ती तैनाती हो या पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। एनएमडीसी में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और एनएमडीसी के बोर्ड में 3 स्वतंत्र निदेशक महिलाएं हैं। मुख्यालय और विभिन्न परियोजनाओं में अलग वाशरूम, रेस्तरूम/लंचरूम इत्यादि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एनएमडीसी स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, इत्यादि के प्रति जागरूकता वाले प्रशिक्षण के लिए भी महिला कर्मचारियों को प्रायोजित किया गया है। कंपनी के सभी संवैधानिक दायित्वों की झलक, महिला कर्मचारियों के लिए बनाई गई नीतियों में मिलती है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसरण में, सभी परियोजनाओं और मुख्यालय में शिकायत समितियों का गठन किया गया है। महिला कर्मचारी के नेतृत्व में यह समिति प्राप्त शिकायतों की स्थिति का जायजा लेने के लिए समय-समय पर मिलती है। अभी तक शोषण का कोई मामला नहीं आया है। संबद्ध निर्देशों को व्यापक रूप से वितरित किया गया और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए समुचित प्रावधान करने के लिए वर्ष 1998 में आचरण नियमावली को संशोधित किया गया है। एनएमडीसी ने अपनी दूरदराज स्थित खानों में महिलाओं में आम जागरूकता लाने के लिए टोस प्रसास किये। परियोजनाओं में कार्य कर रही महिलाओं की सक्रिय सहभागिता से स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, एड्स नियंत्रण पर सूचनाप्रद कार्यक्रम और अन्य सामाजिक मामलों से जुड़े विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल में 882 महिला कर्मचारी हैं जो 31.12.2007 को कुल 6786 जनशक्ति का 12.99% है। महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए, वर्ष 1999 में महिला डॉक्टर सहित तीन अधिकारियों की एक शिकायत समिति गठित की गई। कंपनी की किसी भी खान या इसके निगमित कार्यालय से कोई भी उत्पीड़न का मामला नहीं आया है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए दिशा-निर्देशों के व्यापक रूप से परिपत्र वितरित किए गए।

कंपनी की सभी खानों में महिला मंडलियां दक्षता से कार्य कर रही हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और पौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविरों, नेत्र चिकित्सा शिविरों, परिवार नियोजन इत्यादि जैसी सामुदायिक गतिविधियों को मुख्य रूप से दूर-दराज के खान क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के लाभ के लिए निरंतर आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस



के रूप में मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कंपनी प्रसूति अवकाश, परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करती है। कंपनी ने अपनी खानों में क्रेच स्थापित किये हैं और माताओं को बच्चों के लिए समय दिया जाता है। सीएसआर गतिविधियों के अंग के रूप में खानों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाये गये हैं जिनमें दूरदराज से आनेवाली महिलाएं शामिल होती हैं। इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैंडिल, वाशिंग पाउडर, धुलाई का साबुन, बांस की टोकरी बनाने, सिलाई और अन्य विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी सार्वजनिक क्षेत्र महिला कक्ष (विप्स) का आजीवन सदस्य है और वर्ष 2007-08 के दौरान उनकी महिला कर्मचारियों ने विप्स के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। विप्स के पूर्वी क्षेत्र की कोषाध्यक्ष एमएसटीसी से है।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वेतन की अदायगी, कार्यघंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण पहलुओं, प्रसूति हितलाभ इत्यादि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के आधार पर, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए कंपनी की आचरण नियमावली में समुचित प्रावधान करके संशोधन किया गया है। यौन उत्पीड़न के शिकार की शिकायतों को देखने के लिए दिसम्बर 2000 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस शिकायत समिति में वरिष्ठ महिला कर्मचारी बतौर अध्यक्ष, मान्यता प्राप्त यूनियन से एक प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों से तीन लोग शामिल होते हैं। हर वर्ष कंपनी की महिला कर्मचारियों द्वारा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और एफएसएनएल के साइट कार्यालयों और निगमित कार्यालय में समारोह/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी प्रसूति अवकाश और परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करती है। एड्स, घर की सुरक्षा एवं कंपनी की गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के ध्येय से कर्मचारियों की पत्नियों को हर वर्ष कामगार शिक्षा बोर्ड के जरिये “परिवार प्रशिक्षण” प्रदान किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल में 31.12.2007 को 3 महिलाएं कार्यपालक, 10 गैर-कार्यपालक एवं 41 निम्न स्तरीय पदों पद थे - विभिन्न यूनियनों में इस तरह कुल 54 कर्मचारी तैनात। अधिकांश महिला कर्मचारियों को बोकारो और भिलाई में पदस्थापित किया गया है। कंपनी में महिला कर्मचारियों की कोई मान्यताप्राप्त संस्था नहीं है। फिर भी, कंपनी के प्रबंधन द्वारा महिला कर्मचारियों के हितों एवं विशेषाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न से न गुजरना पड़े।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता है और पुरुष-महिला में भेदभाव नहीं किया जाता। कंपनी में कुल 126 महिला कर्मचारी हैं। एक उचित संख्या में महिलाएं कार्यपालक वर्ग में कार्य कर रही हैं और उनमें से अनेक वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणियों में हैं। एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है जो कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न और अन्य समस्याओं का निदान करती है। कंपनी द्वारा संचालित विभिन्न समितियों और सामाजिक कल्याण यूनियनों में भी महिला कर्मचारियों को नामित किया गया है। मेकॉन छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन योजना प्रदान करती है। मेकॉन द्वारा संचालित सामुदायिक विकास केन्द्र प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित अनेक पाठ्यक्रमों का संचालन कर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देता है। हर वर्ष इस कार्यक्रम से कमजोर वर्ग की लगभग 200 स्थानीय महिलाएं लाभान्वित होती हैं।

भारत रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित विशेष धारा 5(35) को आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली में शामिल किया गया है, जिससे कि कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। शिकायतों की जांच के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। जहां तक बीआरएल का सवाल है, किसी भी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली है।


स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

आज की तारीख में कंपनी में 19 महिला कर्मचारी हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस्पात मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करने के लिए महिलाओं की शिकायत समिति का गठन किया गया है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

वेतन की अदायगी, कार्य घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पहलुओं, प्रसूति हितलाभ, इत्यादि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों/सांविधिक प्रावधानों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। कुल 1651 कर्मचारियों में से 81 महिला कर्मचारी हैं, जो कुल जनशक्ति का 4.9 % है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के आधार पर, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कंपनी की आचरण नियमावली में समुचित धारा जोड़कर संशोधन किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए सितम्बर, 1998 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। शिकायत समिति में एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक बतौर अध्यक्ष मान्यता प्राप्त यूनियन से तीन नामित महिला प्रतिनिधि और एक तीसरी पार्टी सदस्य के रूप में कर्नाटक उच्च-न्यायालय की महिला एडवोकेट शामिल हैं। केआईओसीएल में एक महिला मंच-सार्वजनिक क्षेत्र महिला कक्ष (विप्स) कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी इस मंच की सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स का आजीवन सदस्य है। केआईओसीएल से विप्स के साथ संपर्क के लिए बारी-बारी से संयोजकों को नामित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा महिला कर्मचारियों (सदस्य) को विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में शामिल होने के लिए भेजा जाता है।





अध्याय - XVI नवीन पहल/अभिनव योजनाएं

इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहल

इस्पात उपभोक्ता परिषद्

सन् 1986 में एक उपभोक्ता परिषद् का गठन किया गया था। इस परिषद् में सरकार, लौह और इस्पात निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं, गृह निर्माताओं और संबंधित उद्योगों को शामिल किया गया है। इस परिषद् का उद्देश्य लौह और इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, गुणवत्ता एवं बाजार प्रवृत्तियों के मामले में केन्द्र सरकार को सलाह देना एवं मदद करना है। इस्पात उपभोक्ता परिषद् की 21 वीं बैठक 20 अगस्त, 2007 को माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में इस्पात उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न मसलों यथा नये स्टॉकयाडों को खोलने और उनके कामकाज की ऑन-लाइन निगरानी, घरेलू इस्पात की कीमत प्रवृत्ति की निगरानी, प्रचलित उत्पाद एवं आयात शुल्कों की समीक्षा, इस्पात सामग्री की उपलब्धता, इत्यादि, पर विस्तार से चर्चा की गई।



श्री रामविलास पासवान, माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल स्टील कंज्यूमर्स काउंसिल मीटिंग में उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए। चित्र में उनके साथ परिलक्षित हैं (बाएं से दाएं) : श्री के.ए.एस. देव, संयुक्त सचिव (इस्पात), श्री ए.के.रथ, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, श्री आर.एस. पाण्डेय, सचिव इस्पात, श्री एस.के.रूंगटा, अध्यक्ष "सेल" तथा श्री पी.के. बिश्नोई, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आरआईएनएल।

इस्पात कीमत निगरानी

सन् 1991 में अपने विनियंत्रण से, देश में इस्पात क्षेत्र अपनी घरेलू एवं निर्यात कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार इस्पात कीमतों को नियंत्रित नहीं करती। इसका निर्धारण बाजार करता है, प्रमुख रूप से यह आपूर्ति-मांग की स्थिति और आयात की आगमन लागत के आधार पर निर्धारित होती हैं। जून 2006 में राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद् की बैठक में, इस्पात उपभोक्ताओं के निवेदन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक इस्पात कीमत निगरानी समिति (एसपीएमसी) का गठन किया गया। इस समिति में आर्थिक अनुसंधान यूनिट (ईआरयू), प्रमुख इस्पात निर्माताओं एवं इस्पात उपभोक्ता संगठनों के सदस्य शामिल किये गये हैं। यह समिति इस्पात उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों की कीमतों में बदलाव की निगरानी करेगी, भिन्नता पर विचार एवं विश्लेषण करेगी, समुचित मॉडल के आधार पर भावी कीमत से संबंधित रणनीति तैयार करेगी और इस्पात उत्पादन, खपत और व्यापार के साथ-साथ रणनीतियों की अनुशंसा करेगी। यह समिति इस्पात निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के बीच एक संपर्क सूत्र प्रदान करती है। यह समिति एक निरीक्षक के रूप में कार्य करती है और यह देखती है कि बाजार में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष

माहौल बना रहे। वर्ष 2007-08 के लिए अनुदान मांग पर कोयला और इस्पात की स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट में विहित अनुशंसाओं के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, कोल इण्डिया लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड को इस्पात कीमत निगरानी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति ने अब तक जनवरी, मार्च, जून और अक्टूबर 2007 में चार बैठकें बुला ली हैं। बैठकों के दौरान इस समिति ने इस्पात कीमत में बदलावों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिलाया और उद्योग को लंबे उत्पादों की मांग में वृद्धि के मद्देनजर अपनी उत्पाद श्रृंखला के साथ-साथ दीर्घकालीन क्षमता विस्तार करने की सलाह दी। निर्माताओं को लम्बे उत्पादों की एक्स-फैक्टरी कीमतों पर नियंत्रण रखने एवं इस्पात की घरेलू मांग के साथ-साथ अपने निर्यात में संतुलन कायम करने की भी सलाह दी गई।

अंतः मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन

देश में प्रमुख इस्पात निवेशों को तेजी से साकार करने में मदद पहुंचाने के ध्येय से माननीय प्रधानमंत्री ने देश में प्रमुख इस्पात निवेशों से जुड़े मसलों की निगरानी एवं समन्वय करने के लिए एक अंतः मंत्रालय समूह (आईएमजी) के गठन को मंजूरी दे दी है। सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में, आईएमजी के सदस्य हैं- औद्योगिक प्रोत्साहन एवं नीति विभाग, माइंस, पर्यावरण एवं वन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी के सचिवगण, रेल बोर्ड का सदस्य (यातायात) और संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवगण। आईएमजी का कार्यक्षेत्र प्रमुख इस्पात क्षमताओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए उपायों की समीक्षा एवं समन्वय करना है और बुनियादी सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धता, जल्दी पर्यावरण स्वीकृति, जमीन और पानी जैसे अन्य संसाधनों की उपलब्धता और पुनर्वास से जुड़े मसलों जैसी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है। आईएमजी की बैठक बुलाने से पहले, 17.08.2007 को इस्पात मंत्रालय में, 3 मिलियन टन या अधिक मौजूदा/प्रस्तावित क्षमता वाले सभी प्रमुख इस्पात निवेशकों की विस्तार से बैठक में विचार-विमर्श हुआ। इस विचार विमर्श के आधार पर, एक विस्तृत कार्य सूची नोट तैयार किया गया एवं सभी आईएमजी सदस्यों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया। आईएमजी की पहली बैठक इस्पात मंत्रालय में 30.10.2007 को प्रमुख इस्पात निवेशकों की समस्याओं एवं उठाये गये मसलों पर विचार करने के लिए हुई। आईएमजी ने मसलों की गहराई से जांच की एवं अनुपालन के लिए कार्य बिंदुओं की सूची निकाली जिनकी अगली बैठक में समीक्षा की जानी है।

लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन

मौजूदा सशक्त समिति तंत्र के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास पहल एवं पूंजी निवेश में मदद करने के अलावा, इस्पात मंत्रालय ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अभिनव तंत्र विकसित किया है।


इस्पात क्षेत्र के लिए 11वीं योजना में, 118 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ “लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना” नामक एक नयी स्कीम शामिल की गयी है। यह स्कीम अभी बनने के चरण में है।

इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इस्पात अनुसंधान एवं विकास मिशन (एसआरडीएम) नामक “वर्चुअल सेंटर” स्थापित करने का निश्चय किया है, जो प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनियों के वित्तीय योगदान से, अन्य बातों के अलावा, असाधारण/अभिनव अनुसंधान एवं विकास योजनाओं को हाथ में लेगा। स्टेक होल्डरों के परामर्श से इसके प्रचालन के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आईआईटी, खड़गपुर में एक स्टील टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का भी निश्चय किया गया है, जो मैटलर्जिकल इंजिनियरी, खास तौर से लौह और इस्पात क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस परियोजना को हाल ही में 22.26 करोड़ रु. की लागत से 5 वर्ष के लिए मंजूर किया गया। उसके बाद आईआईटी, खड़गपुर द्वारा यह सेंटर संस्थान के अन्य उत्कृष्टता केन्द्रों की तरह संचालित किया जायेगा।

चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

उपभोक्ताओं को गुणवत्ता इस्पात उपलब्ध कराने के ध्येय से, मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए, गृह एवं निर्माण में प्रयुक्त 17 इस्पात उत्पादों, प्रेशर वेसेल और बॉयलर में प्रयुक्त प्लेट्स, ट्रांसफॉर्मरों एवं मोटरों के लिए इलेक्ट्रिकल शीट्स, छत निर्माण एवं पैनेल बनाने के लिए गैलवेनाइज्ड शीट्स, डिब्बा बंद एवं भोज्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त टिन प्लेट्स, इत्यादि की पहचान कर ली है। इन उत्पादों की पहचान इस्पात उद्योग एवं संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर की गई है और औपचारिक आदेशों को जारी करने के लिए, इन अनुशंसाओं को उपभोक्ता मामले मंत्रालय भेजा गया था। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 12.11.2007 को जारी कर लिया गया है और शीघ्र ही इसे अधिसूचित कर लिया जायेगा। यह गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सरकारी गजट में इसकी प्रकाशन तिथि से 6 माह की अवधि के बाद प्रभावी हो जायेगा। इस अवधि के अंदर, निर्माताओं को अपने उत्पादों की आंतरिक अथवा बाह्य जांच कराने के लिए परीक्षण एवं निरीक्षण की समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी और इस आदेश के जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर अपने उत्पादों पर मानक चिन्ह का उपयोग करने के लिए भारत मानक ब्यूरो से लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो। इस आदेश के जारी होने के बाद, निम्न-स्तरीय उत्पादों का उत्पादन विक्रय या वितरण और भंडारण प्रतिबंधित होगा और ऐसे उत्पादों, यदि कोई हों, का निपटान स्कैप के रूप में किया जाना होगा। उपरोक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से उपभोक्ताओं को प्रमाणीकृत गुणवत्ता युक्त विशिष्ट इस्पात उत्पादों को उपलब्ध कराने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे इन विशिष्ट



उपयोगों के लिए गुणवत्ता इस्पात पर बल देने और निम्न स्तरीय उत्पादों की आपूर्ति के खिलाफ कानूनी सहारा लेने का उपभोक्ताओं को अधिकार भी मिल जायेगा। आदेश जारी होने के बाद, इस्पात मंत्रालय ने उद्योग/संगठनों में आदेश की प्रति परिपत्रित करने जैसी बाद की कार्रवाई की है। इनको आदेश के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए इनके साथ एक बैठक भी बुलाई गई ताकि इस आदेश के लागू होने की तिथि 12 मई, 2008 से गुणवत्ता उत्पादों का उत्पादन एवं विक्रय सुनिश्चित किया जा सके। इस्पात मंत्रालय इस आदेश को कार्यान्वित/लागू करने के लिए समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की बाद की कार्रवाई कर रहा है।

स्वच्छ विकास मेकनिज्म (सीडीएम) के तहत पहल

मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समागम (यूएनएफसीसीसी) के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उदार व्यवस्थाओं में से एक सीडीएम है जो धारण करने योग्य एवं पर्यावरण-अनुकूल टेक्नोलॉजियों के कार्यान्वयन में मदद पहुंचाता है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) का गठन किया है जो पात्र परियोजनाओं को मेजबान देश मंजूरी (एचसीए) प्रदान करेगा। अब तक, लगभग 700 परियोजनाओं को एचसीए मिल गई है जिनमें भारत में लौह और इस्पात कारखानों के 58 प्रस्ताव शामिल हैं। इन परियोजनाओं से 66 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड के समतुल्य ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण में मदद मिलेगी और 2012 तक प्रमाणित एमिशन रिडक्शन (सीईआर) सृजित किये जायेंगे जिनका अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार किया जाना है। इनसे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जो वर्तमान दर से प्रति सीईआर यूनिट 15 से 25 यूरो के बीच है। फलस्वरूप, कंपनियों के साथ-साथ राष्ट्र को भारी लाभ होगा। इस्पात मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों को इन सीडीएम परियोजनाओं को शीघ्रता से विकसित करने के लिए मनाने की पहल कर दी है।

पर्यावरण-अनुकूल टेक्नोलॉजियों की ओर कदम

स्वच्छ विकास और मौसम पर एशिया प्रशांत पार्टनरशिप (एपीपीसीडीसी) सात देशों आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिल कर काम करने की एक अभिनव पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी है, जो प्रदूषण में कटौती, ऊर्जा सुरक्षा और मौसम में बदलाव के मसलों को पूरा करने के लिए स्वच्छ, अधिक दक्ष टेक्नोलॉजियाँ विकसित एवं स्थापित करने में इस तरह से तेजी ला रही है कि धारण योग्य आर्थिक विकास को बल मिल रहा है। इस पार्टनरशिप के तहत, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आठ कार्यदल हैं और लौह एवं इस्पात के मसलों के लिए स्टील टास्क फोर्स नामक एक विशेष कर्ष दल हैं। स्टील टास्क फोर्स का जापान अध्यक्ष देश है और भारत सह-अध्यक्ष है। ऊर्जा किफायती, पर्यावरण-अनुकूल टेक्नोलॉजियों के विकास/संस्थापन के लिए अनेक परियोजनाएं भी चिन्हित की गई हैं। भारतीय इस्पात कारखानों ने अपने कारखानों में ऊर्जा दक्षता एवं पर्यावरण-अनुकूल टेक्नोलॉजियों में अंतराल की पहचान करने के लिए विकसित देशों के विशेषज्ञों से जांच करवाने का प्रस्ताव किया है। कारखाना जांच के बाद, कारखानों में अपनाते के लिए समुचित परियोजना प्रस्तावों का चयन किया जायेगा। इस योजना के तहत 2007-08 में सेल के राउरकेला इस्पात कारखाने को चुना गया है। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजियों में अंतराल की पहचान करने के ध्येय से जापान के एक कार्यदल ने 14-17 जनवरी, 2008 के दौरान भारत आकर राउरकेला इस्पात कारखाने का जांचपरक अध्ययन किया। इसके लिए धन जुटाने की पद्धति एवं स्रोतों इत्यादि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

लौह अयस्क चूर्ण का अधिक उपयोग करने के प्रयास

इस्पात मंत्रालय के अधीन आर्थिक अनुसंधान यूनिट द्वारा “भारत में लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग” पर किये गये एक अध्ययन के अनुसार, घरेलू इस्पात उद्योग में 2005-06 के दौरान 37.77 मिलियन टन लौह अयस्क ढेला और 41.175 मिलियन टन लौह अयस्क चूर्ण की खपत हुई। इस तरह से, घरेलू इस्पात उद्योग की कुल खपत का 52.2% चूर्ण खपत था। इस अध्ययन में कहा गया है कि परंपरागत रूप से भारतीय इस्पात उद्योग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आपूर्ति होने की वजह से उच्च श्रेणी का ढेला अधिकांशतः उपयोग कर रहा था। परंतु आजकल संरक्षण के विचार से और उच्च श्रेणी लौह अयस्क की सीमित उपलब्धता के साथ-साथ कीमत पक्ष को भी देखते हुए, भारतीय इस्पात उद्योग ने समुचित बेनीफिसियेशन एवं एग्लोमरेशन (सिंटरिंग एवं पेलेटाइजेशन) के उपरांत, निम्न श्रेणी लौह अयस्क चूर्ण का भी उपयोग आरंभ कर दिया है। इस अध्ययन से पुनः यह निष्कर्ष निकला है कि विभिन्न क्षमता विस्तार योजनाओं और नये इस्पात कारखानों के टेक्नोलॉजी पर्यावरण (मैटरिक्स) का एग्लोमरेटिड चूर्ण का उपयोग करने वाली टेक्नोलॉजियों के प्रति भारी झुकाव है। इसके फलस्वरूप चूर्ण की मांग में भारी वृद्धि होगी और खनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले इस अतिरिक्त (चूर्ण) का भी समाधान हो जायेगा। इस अध्ययन के अनुसार, देश में इस्पात उत्पादन में चूर्ण का अंश 2005-06 के दौरान 52.2% से पुनः बढ़कर 2011-12 में 69.5% और 2019-20 में लगभग 72% होने का अनुमान है। घरेलू लौह अयस्क चूर्ण के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के ध्येय से भारत में लौह अयस्क के बेनीफिसियेशन एवं एग्लोमरेशन (सिंटरिंग एवं पेलेटाइजेशन) को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने राज कर संबंधी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा की है।

ज्ञान का विस्तार और अनुभव का आदान-प्रदान

इस्पात मंत्रालय ने “स्टील टास्क फोर्स” (एसटीएफ) की तीसरी बैठक एवं स्वच्छ विकास और मौसम पर एशिया प्रशांत पार्टनरशिप का 13-16 मार्च, 2007 के दौरान कोलकाता में आयोजन किया, जिसमें भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, चीन, जापान और आस्ट्रेलिया नामक सभी एसटीएफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। एसटीएफ की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, चुनिंदा इस्पात कारखानों में स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजियों के डिफ्यूजन में मदद करने का काम जापानी विशेषज्ञों को सौंपने का भी निश्चय किया गया।

इस्पात मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर 26-27 मार्च 2007 को नई दिल्ली में “स्टील समिट



श्री आर. एस. पाण्डेय, सचिव (इस्पात) 1 अक्टूबर, 2007 को इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित इण्टरनेशनल सेमिनार ऑन आयरन ओर बेनिफिसिएशन एंड पैलेटाइजेशन का उद्घाटन करते हुए। चित्र में उनके साथ परिलाक्षित हैं (बाएं से दाएं) श्री ए. के. रथ, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्री पी. गणेशन, अध्यक्ष, सह-प्रबंध निदेशक, केआईओसीएल, श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष “सेल” तथा श्री ए. सी. आर. दास, औद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय।

श्री एस. के. रूंगटा, सभा को संबोधित करते हुए। मंच पर उनके साथ हैं डॉ. यू.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय ।



2007” का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। अपने प्रमुख भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने विज़न 2020 और भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा समता और सामाजिक दायित्व के उद्देश्यों को पूरा करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अदा की जाने वाली निश्चित भूमिका पर चर्चा की।

इस्पात मंत्रालय ने 1.10.2007 को नई दिल्ली में लौह अयस्क बेनीफिसियेशन एवं पेलेटाइजेशन पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार की मुख्य विषयवस्तु निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का बेनीफिसियेशन कर उपयोग बढ़ाने और वर्तमान रूप से बड़ी मात्रा में चीन को निर्यात किये जा रहे लौह अयस्क चूर्ण का पेलेटाइजेशन जैसी एग्लोमरेशन प्रणालियों से अधिकतम उपयोग करना भी था। इस सेमिनार में देश-विदेश के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार से लौह अयस्क खनिकों और लौह एवं इस्पात निर्माताओं में जागरूकता एवं उत्साह बढ़ा है। यह आशा की जा रही है कि लौह अयस्क चूर्ण पर आधारित पेलेट्स उत्पादित करने के लिए व्यापक ग्रीनफील्ड क्षमता साकार होगी।

बुनियादी बाधाओं का समाधान

इस्पात उद्योग, इस्पात मंत्रालय और भारतीय रेल बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है जो इस्पात क्षेत्र के लिए रेल सुविधाओं में प्रमुख बाधाओं की पहचान करेगी। इस्पात मंत्रालय ने प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्रों खास तौर पर उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बुनियादी खामियों और जरूरतों का मुआयना करने के लिए अपने आर्थिक अनुसंधान यूनिट (ईआरयू) को एक अध्ययन कार्य भी सौंपा था। हाल ही में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर ली है। इसमें इस्पात उद्योग में प्रस्तावित विस्तार को पूरा करने के लिए परिवहन (रेल, सड़क और बंदरगाह), जलसंसाधनों और बिजली के क्षेत्र में बुनियादी जरूरतों पर बल दिया गया है। संबंधित मंत्रालयों को इस रिपोर्ट से अवगत करा दिया गया है और अंतः मंत्रालय ग्रुप (आईएमजी) की अगली बैठक में इन मसलों पर चर्चा की जायेगी।

इस्पात क्षेत्र के आंकड़ों में सुधार

काफी कुछ समय से यह माना जाता रहा है कि इंडक्शन फर्नेस और रि-रोलिंग क्षेत्रों के अनुमान कम स्तर पर थे, जो अधिकांशतः इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस की उत्पादन प्रणाली द्वारा कच्चे इस्पात के आंकड़ों को कम रिपोर्ट करने की वजह से हुआ। इससे बदले में सेमी-फिनिश एवं रि-रोलिंग (लम्बे उत्पाद) क्षेत्रों के उत्पादन आंकड़े प्रभावित हुए। ठीक इसी समय, कुल तैयार इस्पात उत्पादन में स्टैंड अलोन तैयार उत्पादन को क्रय किये गये तैयार इस्पात कच्चे माल (इनपुट) में भी शामिल करने की वजह से सपाट इस्पात उत्पादों में दोहरी गिनती की समस्या पेश आई।

इस्पात मंत्रालय ने इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 2006 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें सदस्यगण उद्योग एवं शैक्षणिक जगत से थे। सुधारात्मक कार्रवाइयों से क्षमता और उत्पादन एवं खपत में सपाट और लम्बे उत्पादों के आंकड़ों के अनुपात के संशोधित आंकड़े मिले। कच्चे इस्पात के संशोधित आंकड़ों के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2006 (जनवरी-दिसम्बर) की गणना दिखाती है कि वर्ष के दौरान भारत ने 49.45 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त किया।

स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) का आधुनिकरण एवं विस्तार

राष्ट्र के आर्थिक विकास में हाल ही की तेज रफ्तार के नक्शे कदम पर, सेल अपनी उत्पादन क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। बढ़ती विश्व प्रतिस्पर्धा के इस युग में, सेल विश्व इस्पात उत्पादन के मानचित्र पर एक प्रमुख निर्माता बने रहने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है। सेल ने अपनी वर्तमान 14.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 26 मिलियन टन करने के लिए एक विस्तार योजना शुरू की है। सेल कारखानों/यूनिटों का आधुनिकीकरण लगभग 53,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिसम्बर 2010 तक पूर्ण होने की आशा है।



श्री रामविलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री 21 सितंबर, 2007 को "सेल" के बोकारो इस्पात कारखाने में पुनर्निर्मित प्रदूषण मुक्त कोक ओवन बैटरी सं. 5 का उद्घाटन करते हुए।

आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना में प्रमुख बल सर्वश्रेष्ठ आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर है, जो किफायती होने के साथ-साथ ऊर्जा बचत करने वाली एवं पर्यावरण अनुकूल भी होनी चाहिए। इस तरह से विस्तार योजनाएं इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा, पुरानी टेक्नोलॉजी हटाने, ऊर्जा खपत कम करने, उत्पाद श्रृंखला में सुधार, अर्ध तैयार इस्पात की समाप्ति, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के नवीकरण और सभी कारखानों में अधिक उत्पादन करने में मदद पहुंचाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के ध्येय से बनाई गयी हैं।

इस्को इस्पात कारखाना, बर्नपुर एवं सेलम इस्पात कारखाना, सेलम के अनेक प्रमुख पैकेजों के लिए आदेश प्रस्तुत किये जाने के साथ 2010 तक सेल की विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। कारखाना-वार क्षमता विस्तार नीचे दिया गया है:

(आंकड़ें वार्षिक मिलियन टन में)

कारखाना	तप्त धातु		विक्रेय इस्पात	
	वास्तविक 2006-07	विस्तार के बाद	वास्तविक 2006-07	विस्तार के बाद
भिलाई (बीएसपी)	4.82	7.50	4.22	6.53
दुर्गापुर (डीएसपी)	2.06	3.50	1.70	2.83
राउरकेला (आरएसपी)	2.12	4.50	1.94	3.88
बोकारो (बीएसएल)	4.59	7.44	3.86	6.53
इस्को (आईएसपी)	0.78	2.91	0.40	2.37
वीआईएलएस	0.24	0.33	0.13	0.22
मिश्र इस्पात सयंत्र	-	-	0.14	0.43
सेलम इस्पात सयंत्र	-	-	0.18	0.34
कुल	14.61	26.18	12.58	23.13

इस्को इस्पात कारखाने (आईएसपी) के लिए सभी 16 पैकेजों के लिए 17.9.07 तक स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी कर दिये गये थे और समय सारणी के अनुसार सभी पैकेजों के लिए ठेकों पर भी हस्ताक्षर कर लिये गये हैं। एसएसपी के मामले में सभी 14 पैकेजों के लिए स्वीकृति पत्र लगातार 14.9.2007 तक जारी कर दिये गये थे और ठेकों पर हस्ताक्षर कर लिये गये हैं।


बोकारो इस्पात कारखाने (बीएसएल) में सभी 15 पैकेजों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और सभी खोल दी गई हैं। एक आदेश प्रस्तुत कर दिया गया है और दूसरे आदेश की प्रस्तुति का कार्य चल रहा है। भिलाई इस्पात कारखाने (बीएसपी), राउरकेला इस्पात कारखाने (आरएसपी) एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाने (डीएसपी) के लिए क्रमशः 15, 16 और 15 प्रमुख पैकेज हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सेल अब तक अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली गतिविधियों की समय-सारणी पर चलने में कामयाब रहा है जैसे परियोजना संगठनों का सुदृढीकरण, प्रणालियों का विकास, योजना एवं निगरानी, परियोजना स्थल की प्रारंभिक गतिविधियों के आदेश एवं निष्पादन, परामर्शदाताओं की नियुक्ति और परामर्शदाताओं से विनिर्देशों की प्राप्ति के बाद निविदाएं जारी, इत्यादि।

इस्पात मंत्रालय द्वारा सेल के आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।



माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, श्री राम विलास पासवान 4 जनवरी, 2008 को राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के शिलान्यास समारोह के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए। चित्र में परिलक्षित हैं (दाएं से बाएं), श्री जुएल ओरम, सांसद, श्री राम चन्द्र पासवान, सांसद, श्री नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री उड़ीसा, श्री आर. एस. पाण्डेय, सचिव, इस्पात, श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष सेल तथा श्री बी. एन. सिंह, प्रबंध निदेशक, राउरकेला इस्पात कारखाना।



माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने 4 जनवरी 2008 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के राउरकेला इस्पात कारखाने (आरएसपी) में बनाई जा रही 5वीं ब्लास्ट फर्नेस स्थल पर कारखाने के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक उपस्थित थे। इसी तरह से, माननीय मंत्री द्वारा 9 फरवरी, 2008 को छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की उपस्थिति में भिलाई इस्पात कारखाने (बीएसपी) के आधुनिकीकरण एवं विस्तार की आधारशिला रखी गई। आधुनिकीकरण पैकेज से गतिशील इस्पात परिदृश्य में इन कारखानों को एक महत्वपूर्ण निर्माता के रूप में स्थापित करने अलावा, इस क्षेत्र में प्रगति एवं खुशहाली लाने में भी मदद मिलेगी।

आरआईएनएल (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) के विस्तार की स्थिति

भारत सरकार ने 28 अक्टूबर, 2005 को विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है। मंजूरी की तिथि से प्रथम अवस्था को पूर्ण करने के प्रस्तावित समय सारणी क्रमशः 36 माह और द्वितीय अवस्था की 48 माह है। प्रथम अवस्था (विस्तार जारी) में वर्तमान क्षमता 3.6 मिलियन टन को बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन किया जाएगा।

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय इस्पात नीति और देश में बढ़ती हुई इस्पात मांग को देखते हुए, कंपनी ने अपनी निगमित योजना 2020 तैयार की है। निगमित योजना के तहत 4 चरणों में 2019 तक क्षमता का विस्तार करते हुए 16 मिलियन टन करने की योजना बनाई गई है। प्रथम चरण (विस्तार जारी) में क्षमता बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन की जाएगी। द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण में उत्पादन क्षमता क्रमशः बढ़कर 2011 तक 8.5 मिलियन टन, 2015 तक 13 मिलियन टन और 2019 तक 16 मिलियन टन होगी।

कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति

विदेश में कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण/इक्विटी सहभागिता

देश में इस्पात उत्पादन के बढ़े हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रमुख निर्णायक विदेशों से कोकिंग कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति है। विश्व बाजार में कोकिंग कोयले की आपूर्ति अस्थिर है और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है। इस्पात निर्माताओं द्वारा प्रमुख विस्तार/निवेश योजनाओं की घोषणा के चलते कच्चे माल सुरक्षित करना एक प्रमुख चिंता बन कर उभरी है। इस्पात उत्पादन के लिए जरूरी प्रमुख कच्चा माल कोयला और लौह अयस्क हैं। वर्ष 1919-20 तक लगभग 70 मिलियन टन कोकिंग कोयले की जरूरत होगी, जिसमें से 85% आयात किया जायेगा। फलस्वरूप, विदेशी सीमाओं में कोकिंग कोयला खानों में इक्विटी सहभागिता के अधिग्रहण के लिए पुरजोर प्रयास करने की जरूरत महसूस की गई और सरकार को इस्पात एवं कोयला कंपनियों द्वारा विदेश में संयुक्त उद्यमों और इक्विटी सहभागिता करने को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। सरकार ने स्पेशल परपज व्हीकल एसपीवी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव 8 नवम्बर, 2007 को मंजूर कर लिया है। इस एसपीवी का नामकरण कोल वेंचर्स इंटरनेशनल (सीवीआई) किया गया है। इस एसपीवी की आरंभिक इक्विटी पूंजी 3,500 करोड़ रुपये होगी। सदस्य कंपनियों द्वारा इक्विटी अंशदान इस तरह है: सेल-1,000 करोड़ रुपये, सीआईएल-1,000 करोड़ रुपये, आरआईएनएल-500 करोड़ रुपये, एनएमडीसी-500 करोड़ रुपये, एनटीपीसी-500 करोड़ रुपये। एसपीवी ने एक कंसोर्टियम के रूप में अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य आरंभ कर दिया है।

लौह अयस्क की उपलब्धता एवं संरक्षण सुनिश्चित करना

- लौह अयस्क की कुल उपलब्धता (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमानित) 1.4.2005 को 25.2 बिलियन टन है। इसमें से मैग्नेटाइट रिसोर्स 10.6 बिलियन टन (कुल का लगभग 40%) और 14.6 बिलियन टन हेमेटाइट है। वर्तमान रूप से बहुत कम मैग्नेटाइट अयस्क का खनन हो रहा है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण के कारणों से इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हेमेटाइट अयस्क भंडारों में से 18.6% उच्च श्रेणी, 50.6% मध्यम श्रेणी, 28.4% निम्न श्रेणी का है जबकि 2.4% अवर्गीकृत है।
- भारत में प्रति व्यक्ति 10 टन लौह अयस्क भंडार है। ब्राजील में 120 टन प्रति व्यक्ति और आस्ट्रेलिया में 900 टन प्रति व्यक्ति लौह अयस्क भंडार है। हाल ही के वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात में भारी तेजी आई है। इसमें 2000-01 में 37.49 मिलियन टन से बढ़कर 2006-07 में 93.79 मिलियन टन, लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2006-07 के दौरान, भारत में लौह अयस्क उत्पादन 180.917 मिलियन टन हुआ जिसमें से 93.79 मिलियन टन निर्यात किया गया और लगभग 77.00 मिलियन टन की देश में खपत हुई। वर्तमान रूप से, लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 45% की देश में खपत हो रही है और 55% उत्पादन निर्यात किया जा रहा है। उत्पादन और निर्यात की इस वृद्धि दर के हिसाब से, संपूर्ण लौह अयस्क भंडार 20 वर्षों में समाप्त हो जायेगा।

- लौह अयस्क निर्यात से संबंधित नीति को अपना लक्ष्य इस्पात उत्पादन क्षमता में निवेश की ओर बनाना चाहिए ताकि कच्चे माल का निर्यात करने के बजाय, मूल्य संवर्धित एवं तैयार उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिले।
- लौह अयस्क का संरक्षण खास तौर पर उच्च गुणवत्ता युक्त, नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। भारत की तुलना रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से होनी चाहिए जो घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए अपने कच्चे माल का संरक्षण करते हैं, न कि ब्राजील और आस्ट्रेलिया से जहां भारत के मुकाबले क्रमशः लौह अयस्क की उपलब्धता 12 गुना और 90 गुना अधिक है।
- गुणवत्तायुक्त लौह अयस्क के संरक्षण में मदद करने के लिए 62% और अधिक लौह मात्रा वाले लौह अयस्क चूर्ण एवं सभी किस्म के डेला अयस्क के निर्यात पद 300 रु. प्रतिटन निर्यात शुल्क लगाया गया है। 62% से कम लौह मात्रा वाले लौह अयस्क चूर्ण पर 50 रु. प्रतिटन निर्यात शुल्क लगाया गया है।
- इस्पात मंत्रालय देश में लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने एवं सीमित संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोकने के लिए प्रोत्साहन हटाने के पक्ष में है।
- अधिक भंडारों का पता लगाने एवं वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए भी अधिक निवेश होने चाहिए।

विलय एवं अधिग्रहण

सामंजस्यपूर्ण विलयों के जरिये बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने एवं इस्पात क्षेत्र में विद्यमान प्रवृत्तियों के अनुरूप, इस्पात मंत्रालय ने अनेक प्रस्तावों को लिया है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के विलय के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार चल रहा है और आशा है कि इनमें से अधिकांश शीघ्र पूर्ण कर लिये जायेंगे। विवरण नीचे दिया जा रहा है:


किस्को का केआईओसीएल में विलय

सन् 1995 में क्रुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल), मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड (सभी इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणधीन सार्वजनिक उपक्रम) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किस्को की स्थापना कच्चा लोहा और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप (डीआईएसपी) का उत्पादन करने के लिए की गई थी। पिग आयरन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई और मई 2001 में 2.00 लाख टन वार्षिक तप्त धातु उत्पादन क्षमता से युक्त इस कॉम्प्लेक्स ने प्रचालन शुरू किया, जिसमें से तप्त धातु के कुछ भाग से डक्टाइल आयरन स्पन पाइपों के उत्पादन के लिए किये जाने का प्रस्ताव था। डक्टाइल आयरन स्पन पाइप उच्च मार्जिन के साथ एक तैयार उत्पाद होने के नाते इस संयुक्त परियोजना की लाभप्रदता सुनिश्चित थी। परंतु उस दौरान विद्यमान खस्ता बाजार हालात के चलते, पब्लिक इक्विटी के लिए प्राइमरी बाजार में नहीं पहुंच सका और डीआईएसपी प्लांट समय सारणी के अनुसार नहीं स्थापित किया जा सका। भारी घाटे के कारण, इसकी नेट वर्थ (शुद्ध मूल्य) का क्षय हुआ और 2003 में इस कंपनी को बीआईएफआर को सौंप दिया गया। ठीक इसी समय, केआईओसीएल ने संपूर्ण इक्विटी अधिग्रहित कर ली और किस्को सहायक कंपनी बन गई। केआईओसीएल द्वारा प्रस्तुत विलय/पुनर्वास योजना के आधार पर, बीआईएफआर ने अपने दिनांक 18.06.2007 और 18.07.2007 के आदेश द्वारा 1.04.2007 से प्रभावी तिथि से किस्को का केआईओसीएल के साथ विलय मंजूर कर लिया है। तदनुसार, 1.4.2007 से हर व्यावहारिक दृष्टि से किस्को का केआईओसीएल में विलय हो गया है। विलय के बाद सकारात्मक नेट वर्थ प्रदर्शित करता हुआ समेकित तुलन-पत्र बीआईएफआर में दायर किया जाना है ताकि उसके रिकार्ड से किस्को का नाम हटाया जा सके। किस्को का केआईओसीएल में विलय होने के बाद, केआईओसीएल ने डक्टाइल आयरन स्पन पाइप परियोजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करने का निश्चय किया है और अगले 2 वर्ष में इस परियोजना को पूरा किया जाना है। विलय के बाद पिग आयरन प्लांट के कार्य निष्पादन में सुधार देखा गया।

एसआईआईएल का एनएमडीसी में विलय

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल) की 1975 में स्थापना, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम (यूएनडीपी)/ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) की मदद से, देश में बहुतायत से उपलब्ध लौह अयस्क एवं नॉन-कोकिंग कोयले का उपयोग करते हुए स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए देश जरोटरी किलन आधारित टेक्नोलॉजी विकसित करने के ध्येय से की गई थी। यह टेक्नोलॉजी जर्मनी से आयात की गई थी और प्लांट आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के पालोचा में स्थित है। सन् 1980 में 30,000 टन वार्षिक क्षमता का पहला कारखाना चालू किया गया और उतनी ही क्षमता का दूसरा कारखाना 1985 में चालू हुआ। आरंभ में, कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी के विकास पर बल दिया। बाद में लक्ष्य बदलकर स्पंज लोहे का वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन एवं विक्रय हो गया। आंतरिक एवं बाह्य दोनों किस्म की विभिन्न बाधाओं के कारण कंपनी स्पंज लौह व्यवसाय में काफी लम्बे असे से लाभ नहीं कमा सकी और कंपनी का संचित घाटा, खासकर 1993-99 के दौरान इस्पात बाजार में मंदी के कारण, निरंतर बढ़ता गया। भारत सरकार ने कंपनी को सन् 2000 में एक वित्तीय पुनर्गठन पैकेज प्रदान किया जिसमें ब्याज माफ करने एवं ऋण को इक्विटी में बदलने की व्यवस्था थी। इसके बाद कंपनी को विनिवेश के लिए सौंप दिया गया। परंतु समग्र तकनीकी-आर्थिक कार्य निष्पादन में निरंतर सुधार, बाजार रुख में सुधार





एवं वित्तीय पुनर्गठन, के कारण कंपनी का 2000-01 के दौरान कार्याकल्प हुआ और बाद के वर्षों में भी कंपनी ने लाभ कमाना जारी रखा। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस कंपनी को विनिवेश सूची से हटा लिया गया क्योंकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बनाई गई नीति के अनुसार यह लाभ कमाने वाली कंपनी हो गई है।

इस्पात मंत्रालय ने अपने नियंत्रण अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के विलय प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया। एनएमडीसी की कच्चे माल की सामर्थ्य और स्पंज लोहे के प्रस्तावित क्षमता विस्तार को देखते हुए, एसआईआईएल का एनएमडीसी में विलय करने की अनुशंसा की है। दोनों कंपनियों द्वारा ड्यू डिलिजेंस पूर्ण कर ली गई है। परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन भी पूर्ण कर लिया गया है। दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार, जो एसआईआईएल में स्टेक होल्डर भी है, ने एसआईआईएल का एनएमडीसी में विलय करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। विलय की यह प्रक्रिया सितम्बर, 2008 के अंत तक पूर्ण होने की आशा है।

सेल द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) का अधिग्रहण और विलय

सचिव, विनिवेश विभाग के नेतृत्व में विलय की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए एक शक्ति सम्पन्न समिति का जनवरी, 2006 में गठन किया गया था। सेल निदेशक मंडल ने 24.3.06 को आयोजित अपनी 312वीं बैठक में नकद अदायगी कर एनआईएनएल की इक्विटी शेयर पूंजी अधिग्रहित और बाद में इसका सेल में विलय करने के लिए सिद्धांततः मंजूरी प्रदान की। एनआईएनएल द्वारा अपने व्यवसाय का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को नियुक्त किया गया था। आईडीबीआई ने अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट एनआईएनएल को सौंप दी है, जिसे कंपनी के प्रमुख शेयर धारकों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था। दो प्रमुख शेयरधारकों अर्थात् उड़ीसा सरकार और एमएमटीसी ने आईडीबीआई द्वारा एनआईएनएल के शेयरों के मूल्यांकन पर अपनी राय व्यक्त की। इस्पात मंत्रालय ने अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उड़ीसा राज्य सरकार के साथ मामला आगे बढ़ाया।

एमईएल का सेल के साथ विलय

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ ग्रुप की इस मंजूरी कि एमईएल का सेल के साथ विलय होना चाहिए, के अनुसरण में सेल के निदेशक मंडल ने 25.05.06 को आयोजित अपनी 314वीं बैठक में और एमईएल के बोर्ड ने 26.05.06 को आयोजित 193वीं बैठक में एमईएल का सेल के साथ विलय करने के लिए सिद्धांततः मंजूरी दे दी है। एमईएल के शेयरों का मूल्यांकन पहले ही कर लिया गया है, जबकि अदला-बदली अनुपात (स्वैप रेशियो) निश्चित करने के लिए सेल के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन चल रहा है, जिसके आधार पर एमईएल शेयर धारकों को सेल के शेयर आवंटित किये जायेंगे। विलय प्रक्रिया के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ विभिन्न मसलों का समाधान करने की जरूरत होगी जैसे सेल के पक्ष में एमईएल की जमीन हस्तांतरण के लिए “अनापत्ति” प्राप्त करना, इत्यादि, जो काम चल रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से “अनापत्ति” मिलने की तिथि से 8-10 माह के अंदर वास्तविक विलय प्रक्रिया पूर्ण होने की आशा है।

भारत रिफ्रेक्टरीज़ लिमिटेड (बीआरएल) का सेल के साथ विलय

सेल निदेशक मंडल से 22.9.06 को देनदारी मुक्त (क्लीन स्लेट) आधार पर सेल के साथ बीआरएल का विलय करने के संबंध में सिद्धांततः मंजूरी प्राप्त हुई थी और इसकी सूचना 13.10.06 को इस्पात मंत्रालय को दी गई। बीआरपीएसई ने बीआरएल के लिए वित्तीय पुनर्गठन पैकेज की भी अनुशंसा की थी। बीआरएल की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया और उसके बाद विलय प्रक्रिया के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी।

निस्को का अधिग्रहण एवं उसका पुनः विकास

नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (निस्को) की लगभग 125 एकड़ जमीन सहित परिसम्पत्तियों का देनदारी-मुक्त (क्लीन स्लेट) आधार पर अधिग्रहण करने के लिए, सेल को शून्य लागत पर निस्को के हस्तांतरण की दृष्टि से अंतिम स्वीकृति प्रदान करने के वास्ते पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से निवेदन किया गया है। सेल ने निस्को स्थित मौजूदा मिल को संशोधित करने और 48.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (सड़क-16 करोड़ रुपये, टीएमटी मिल-27.89 करोड़ रुपये, आकस्मिक व्यय-4.389 करोड़ रुपये) से 45380 टन वार्षिक एफई 500 ग्रेड टीएमटी बार्स का उत्पादन करने के लिए रोलिंग सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। निस्को और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा निस्को की जमीन का डिजीटल सर्वेक्षण एवं संपर्क सड़क परियोजना हेतु प्रस्तावित मार्ग जैसी आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं। राज्य सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के आधार पर निस्को की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं इनका पुनः विकास करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू की जायेगी।

स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, कालिकट, केरल का अधिग्रहण

कंटीनयुअस कास्ट बिलेट्स का उत्पादन करने हेतु 50,000 टन वार्षिक क्षमता के स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने केरल राज्य सरकार के जरिये अपने पुनरुद्धार के लिए सेल से जरूरी मदद मांगी है। जून से दिसम्बर, 2007 तक सेल द्वारा प्रदान किए गये तकनीकी मार्गदर्शन की वजह से एससीएल के कार्य निष्पादन में लगभग 18% का सुधार आया। सेल ने स्क्रेप खरीदने के लिए दिसम्बर, 2007 में 5 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त व्यापार अग्रिम भी प्रदान किया। एससीएल द्वारा उत्पादित बिलेट्स को आगे कनवर्जन एवं विक्रय के लिए सेल द्वारा खरीदा जायेगा। यह निश्चय किया गया था कि संयुक्त उद्यम पद्धति के जरिये एससीएल का अधिग्रहण करने के लिए शर्तों पर चर्चा और फैसला करने के लिए सेल को एक कार्यदल भेजना चाहिए। सेल कार्यदल ने 18.01.08 को केरल सरकार के साथ इस मसले पर विचार-विमर्श किया। सेल और केरल सरकार के बीच इस आशय के सहमति-पत्र पर मार्च, 2008 के दौरान हस्ताक्षर होने की संभावना है।

एचएससीएल का पुनरूद्धार एवं पुनर्गठन

एचएससीएल के हाल ही के कार्य निष्पादन में सुधार के साथ-साथ, इस्पात क्षेत्र में अधिक निर्माण संबंधी गतिविधियों की जरूरत को देखते हुए, सरकार इस कंपनी के लिए एक संशोधित पुनरूद्धार-सह-पुनर्गठन प्रस्ताव पर भी कार्य कर रही है। बिज़नेस एवं वित्तीय पुनर्गठन योजना का विस्तृत संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए मैसर्स ए.एफ. फर्गुसन को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

बर्ड ग्रुप की कंपनियों का पुनर्गठन पुनः संगठन

बर्ड समूह की कंपनियों का पुनर्गठन/पुनः संगठित करने के लिए डा. जे.के. बागची, पूर्व सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है और उसकी जांच हो रही है।


कुल्टी का पुनरूद्धार

पूर्व इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) के अंग के रूप में, कुल्टी वर्क्स एशिया की सबसे पुरानी आयरन वर्क्स में से एक है। इस्पात कारखानों के लिए नॉन-फेरस और स्टील कास्टिंग्स के विनिर्माण के लिए निजी शॉप होने के नाते, कुल्टी वर्क्स की सेल कारखानों को गुणवत्तायुक्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थीं। एक बीमार यूनिट होने पर, इसे 1994 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया था और 2003 में बंद कर दिया गया था। कुल्टी वर्क्स के बंद हो जाने के बाद, सेल के कारखानों को अनेक नाजुक कलपुर्जों एवं कास्टिंग्स के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। जून 2006 में सेल के साथ इस्को के विलय हो जाने के बाद, कुल्टी वर्क्स में उत्पादन गतिविधियों को फिर से शुरू करने की संभावना



श्री रामविलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, 25 दिसम्बर 2007 को कुल्टी, पश्चिम बंगाल में सेल विकास वर्क्स का उद्घाटन करते हुए। चित्र में साथ में परिलक्षित हैं: श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय विदेश मंत्री, श्री प्रियरंजन दासमुंशी, माननीय केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री आर. एस. पाण्डेय, सचिव इस्पात तथा श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष, सेल।

का अध्ययन किया गया और सेल निदेशक मंडल ने जुलाई, 2007 में कुल्टी स्थित गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेल में विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन को देखते हुए, आगामी वर्षों में कास्टिंग्स और मशीनरी की अधिक जरूरत पड़ने की आशा है। सेल विकास वर्क्स नामक सेल की एक पृथक यूनिट के रूप में कुल्टी स्थित गतिविधियां फिर शुरू करने का निश्चय इस जगह के पुनर्जीवन, विकास और स्थानीय लोगों को आर्थिक हितलाभ पहुंचाने में मदद करने के अलावा सेल की विस्तार योजनाओं को बल प्रदान करने के ध्येय से किया गया है। माननीय इस्पात मंत्री ने 25.12.07 को कुल्टी स्थित सेल विकास वर्क्स की प्रचालन गतिविधियों की शुरुआत का उद्घाटन किया। आरंभ में शुरू की जाने वाली सुविधाओं में नॉन-फेरस और स्टील फाउंड्री, मशीन शॉप एवं अन्य सहायक सेवाएं शामिल हैं।



सामरिक पहल हेतु संयुक्त उद्यम एवं सहमति-पत्र

झारखण्ड राज्य सरकार के साथ सहमति-पत्र:

सेल ने आरंभ में 6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता और बाद में बढ़ाकर 12 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के साथ, झारखंड में एक नई ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी गई है। राज्य सरकार के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

एकीकृत इस्पात संयंत्र हेतु संयुक्त उद्यम

छत्तीसगढ़ में प्राथमानतः बस्तर क्षेत्र में 4 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का इस्पात कारखाना लगाने के लिए 17.08.2007 को संबंधित निदेशक मंडलों की मंजूरी से सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी के बीच एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। अप्रैल, 2008 तक परियोजना स्थल चयन एवं आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मेकॉन को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी के निवेदन पर, 17.10.2007 को एनएमडीसी, सेल, आरआईएनएल और मेकॉन के प्रतिनिधियों के साथ रायपुर में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बैठक की, जिसमें प्रस्तावित इस्पात कारखाने की स्थापना से जुड़े जमीन, लौह अयस्क, पानी, बिजली, इत्यादि के मुद्दों पर विचार किया गया। इस बैठक में दिये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्रवाई प्रगति पर है।

बीसीसीएल के साथ सहमति-पत्र

सेल ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की 16 टॉप सीम स्थित मूनिडीह माइन के प्रथम चरण नवीकरण के लिए 166 करोड़ रुपये का आसान ऋण प्रदान करने के वास्ते 27 अप्रैल, 2006 को एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस योजना के अंतर्गत कोयला उत्पादन जारी रखने के लिए पुराने लांगवाल इक्विपमेंट को बदलने का विचार किया गया है। इस सीम से 0.66 मिलियन टन वार्षिक रॉम कोयला 0.46 मिलियन टन वार्षिक वाशड कोकिंग कोयला का संपूर्ण उत्पादन सेल इस्पात कारखानों के लिए उपलब्ध किया जायेगा।



श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष, "सेल" तथा श्री सुंग-सिक चो, सीनियर एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एवं बोर्ड सदस्य, पोस्को 16 अगस्त, 2007 को नयी दिल्ली में सहमति-पत्र हस्ताक्षर समारोह में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए।

पोस्को के साथ सहमति-पत्र

सेल ने पोस्को के साथ निम्न प्रमुख विशेषताओं के साथ एक सामरिक गठनबंधन के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये:

- निगमित रणनीति योजना के क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान;
- व्यावसायिकों अर्थात् इंजीनियरों एवं टेक्नीशियनों का विनिमय;
- खानों के विकास के क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान;
- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), प्रोसेस इंप्रूवमेंट (पीआई) और सिक्स सिग्मा जैसी बिज़नेस प्रणालियों के क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान;
- एक दूसरे के मौजूदा विपणन एवं वेयर हाउस नेटवर्क का संयुक्त रूप से उपयोग;
- कोकिंग कोयला, निकिल एवं फेरो अलॉयज के क्रय और परिवहन वेसेल्स की सेवाओं में समन्वय; और
- संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

मॉयल के साथ सहमति-पत्र

सेल ने 26 जून, 2007 को मॉयल के साथ एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत 225 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजी परिव्यय से 50:50 भागीदारी पर भिलाई में फेरो-मैंगनीज और सिलिको-मैंगनीज प्लांट की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की योजना है।

आईएल एंड एफएस आईडीसी के साथ सहमति-पत्र

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने तमिलनाडु में सेलम स्थित इस्पात क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव के वास्ते स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना के लिए सितम्बर, 2007 में आईएल एंड एफएस इंफ्रक्सट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईआईडीसी) के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। आईआईडीसी, एक निवेश बैंकिंग संस्था-आईएल एंड एफएस (इंफ्रक्सट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श एवं परियोजना विकास गतिविधियों में कार्य कर रही है। इसको अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक बुनियादी परियोजनाओं के विकास के लिए एकीकृत एवं सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता हासिल है। सेल और आईआईडीसी इस प्रस्तावित एसपीवी में बराबर अनुपात में इक्विटी शेयर रखेंगे, जिसकी स्थापना एक माह अंदर एसईजेड की विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर दी जायेगी। सेल के सेलम इस्पात कारखाने (एसएसपी) के नजदीक के क्षेत्र में यह एसईजेड विकसित किया जाना है। एसईजेड में स्थापित की जाने वाली संभावित यूनितों को इमारतों के वास्तुशिल्पीय अलंकरण, रेलवे उपयोग, दुग्ध संयंत्र, रसायन एवं औषधि संयंत्रों, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग हेतु मशीनें, ट्यूब्स और पाइप्स, मोटर वाहन कलपुर्जे, लिफ्ट के पैनल इत्यादि बनाने के लिए कस्टमाइज्ड इस्पात उत्पादों को प्रदान करते हुए सेल एक प्रमुख सूत्रधार की भूमिका अदा करेगा। सेल की विकास योजना के तहत प्रस्तावित सुविधाओं के चालू हो जाने के उपरांत स्टेनलैस इस्पात का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ने जा रहा है और कारखाने के इस बढ़े हुए उत्पादन के कुछ भाग की सुनिश्चित मांग की इस प्रस्तावित उद्यम में संभावना से सेल को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सेल को एक एसईजेड विकासकर्ता के रूप में जमीन का लीज किराया, कर रिआयतों और एसईजेड को सेवाओं के प्रावधान से दिये जाने वाले हितलाभ दिये जायेंगे। सहमति-पत्र में प्रस्तावित है कि एसईजेड को सेल जमीन प्रदान करेगा, जबकि परामर्श एवं अन्य संबंधित सेवाएं आईआईडीसी द्वारा प्रदान की जायेगी।




दिल्ली-राजहरा से जगदलपुर वाया रावघाट 235 किलोमीटर लंबी नयी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए छत्तीसगढ़ में 11 दिसंबर 2007 को सेल, भारतीय रेल, एनएमडीसी तथा छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह आयोजन (बाएं से दाएं) डा. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय रेल मंत्री, श्री रामविलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, श्री टी. आर. वेल्, माननीय रेल राज्य मंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

सीमेंट संयंत्र हेतु संयुक्त उद्यम

सेल और जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड (जेएएल) ने भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। भिलाई इस्पात कारखाने के ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और सतना माइंस के लाइमस्टोन का उपयोग करते हुए 2.2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के इस सीमेंट कारखाने में सेल का इक्विटी योगदान 26% होगा। इस परियोजना की लागत 612 करोड़ रुपये है और इसका वित्तपोषण 70% ऋण और 30% इक्विटी के जरिये किया जायेगा।

दिल्ली-राजहरा से रावघाट रेलवे लाइन विकसित करने हेतु सहमति-पत्र

छत्तीसगढ़ में दिल्ली-राजहरा से वाया रावघाट जगदलपुर तक 235 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 11 दिसम्बर, 2007 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), एनएमडीसी लिमिटेड, रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बीच एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। इस नई रेलवे लाइन से लौह अयस्क, खनिज, इस्पात, खाद्यान्न एवं वन



उत्पादों के परिवहन में मदद मिलेगी। इस परियोजना का दो चरणों में निर्माण किया जायेगा। पहला चरण डल्ली-राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर है जबकि दूसरा चरण रावघाट से जगदालपुर 140 किलोमीटर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2004-05 के कीमत स्तर पर 968.60 करोड़ रुपये है। प्रथम चरण पांच वर्षों में पूरा हो जायेगा और इसका संपूर्ण खर्चा 304 करोड़ रुपये सेल उठायेगा। दूसरे चरण की लागत 640 करोड़ रुपये आयेगी, जिसमें भारतीय रेल का योगदान (376 करोड़ रुपये-57%), सेल (141 करोड़ रुपये-21%), छत्तीसगढ़ राज्य सरकार (76 करोड़ रुपये-12%) और एनएमडीसी (70 करोड़ रुपये-10%) होगा। प्रथम चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

भारतीय रेल के साथ करार

भारतीय रेल के अधीन रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के साथ सेल ने 19 दिसम्बर, 2007 को एक ट्रेफिक गारण्टी करार भी किया है जिसके तहत पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन का इस्तेमाल करते हुए 5 लाख टन आयातित कोकिंग कोयले का परिवहन सुनिश्चित किया गया है। सेल ने हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड में अपने इक्विटी योगदान के रूप में 2.5 करोड़ रुपये का चेक भी सौंप दिया है। आरवीएनएल एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के रूप में इस कंपनी की स्थापना उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह को समुद्र तट से दूर क्षेत्रों से जोड़ने के लिए 82 किलोमीटर लंबी रेल लाइन विकसित करने के लिए की गई है।

इस कंपनी में एक सामरिक निवेशक की हैसियत से, सेल को 2010 के बड़े हुए उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयातित कोकिंग कोयला पहुंचाने के वास्ते भारतीय रेल द्वारा जरूरी संख्या में रेक्स प्रदान किये जायेंगे। सेल से कुछ गतंव्य स्थलों के लिए माल भाड़ा भी कम लिया जायेगा।



श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष सेल तथा श्री बी. मुत्थुरमन, प्रबंध निदेशक टाटा स्टील 3 जनवरी, 2008 को भारत में कोयला खनन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए।

टाटा स्टील के साथ सहमति-पत्र

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और टाटा स्टील लिमिटेड (टाटा स्टील) ने भारत में कोयला खनन के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) स्थापित करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये। यह जेवीसी भारत में कोयला भंडारों की पहचान, अधिग्रहण एवं विकास का कार्य करेगी। सेल और टाटा स्टील के एक संयुक्त कार्यदल द्वारा इस आशय के लिए लगभग

600 मिलियन टन आरक्षित भंडार युक्त चार उपयुक्त मीडियम कोकिंग कोयला भंडारों का झारखंड राज्य में मूल्यांकन किया जा रहा है। इन भंडारों का आवंटन हो जाने के बाद यह जेवीसी सेल और टाटा स्टील द्वारा निजी उपयोग के लिए खनन प्रचालन का विकास एवं निष्पादन करेगी। दोनों ही कंपनियां अपनी इस्पात उत्पादन क्षमताओं का विस्तार कर रही हैं और इनको कोकिंग कोयला जैसे प्रमुख कच्चे माल के सुरक्षित स्रोतों की जरूरत है।

इक्विपमेंट आपूर्ति के लिए एचईसी के साथ सहमति-पत्र

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने अपने जारी आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना के वास्ते उपकरणों की आपूर्ति के लिए, देश के सबसे बड़े एकीकृत इंजीनियरी कॉम्प्लेक्स, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के साथ एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। एचईसी द्वारा सेल कारखानों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए जरूरी टॉरपेडो लैडल कार्स, टांसफर कार्स, स्लैब डिस्पैच कार्स, रोल्लस, ईओटी क्रॅस और अन्य यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति की जायेगी। एचईसी के साथ सहमति-पत्र से सेल को विकास योजना अवधि के दौरान प्रतियोगी दामों पर महत्वपूर्ण उपकरणों एवं कलपुर्जों को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सन् 1958 में एचईसी की स्थापना प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों, खास तौर पर इस्पात को पूंजीगत उपकरणों, मशीनी औजारों का विनिर्माण एवं आपूर्ति करने के लिए की गई थी। इस कंपनी ने 1970 के दशक में बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना और 1990 के दशक में भी सेल कारखानों के आधुनिकीकरण के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों के लिए गुणवत्तायुक्त उपकरणों की आपूर्ति की है।

सेल गैर-प्राथमिक क्षेत्रों जैसे बिजली (एनटीपीसी और डीवीसी), ई-कॉमर्स (टाटा के साथ मेटल जंक्शन), स्टील सार्विस सेंटर (बीएमडब्ल्यू) में विभिन्न संयुक्त उद्यम कंपनियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा है।

एनएमडीसी का सीएमडीसी के साथ सहमति-पत्र

एनएमडीसी ने बैलाडिला डिपोजिट 13 माइन को 10 मिलियन टन वार्षिक क्षमता हेतु एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये।


मॉयल का बीएचपी बिलीटन, दक्षिण अफ्रीका के साथ सामरिक गठबंधन

भारत में उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क के अत्यंत सीमित भंडार हैं। इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के कारण कुछ वर्षों से मैंगनीज अयस्क और फेरो अलॉयज की मांग में भारी वृद्धि हुई है। देश में मैंगनीज अयस्क एवं फेरो अलॉयज की उपलब्धता एवं जरूरत के बीच भारी मांग अंतराल देखने को मिलेगा।

इस पहलू को देखते हुए मॉयल बिजनेस विकास हेतु निम्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम की संभावनाओं को तलाशता रहा है:

- इस्पात उद्योग एवं मैंगनीज अयस्क के विकास के अनुरूप घरेलू बाजारों हेतु विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का अनुकूलतम उपयोग।
- दक्षिण अफ्रीका में 4000 मिलियन टन प्रमाणित आरक्षित भंडार हैं जो विश्व भंडारों का लगभग 80% है। परंतु यहां विश्व उत्पादन का मात्र 18% होता है और इसलिए मैंगनीज अयस्क की जरूरत को यहां से प्राप्त करने की विशाल संभावनाएं हैं।
- मॉयल ने विश्व के सबसे बड़े मैंगनीज अयस्क निर्माता बीएचपी बिलीटन से उच्च श्रेणी निम्न फॉस्फोरस मैंगनीज अयस्क आयात करने के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस आयातित अयस्क को मॉयल के निम्न/मध्यम श्रेणी उच्च फॉस्फोरस मैंगनीज अयस्क के साथ मिलाकर, एक समुचित मिश्रण बनाया जायेगा, जो आगामी वर्षों में फेरो अलॉय उद्योग की मांग पूरी करेगा।
- मॉयल और बीएचपी बिलीटन के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यदल बनाया गया है और इसकी दो बार वार्ताएं/दौरे हो चुके हैं। तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली गई और मॉयल एवं बीएचपी बिलीटन के अयस्कों का उपयोग करते हुए, आजमाइशी (ट्रायल) आधार पर एक समुचित मिश्रण बनाने का निश्चय किया गया है।
- दक्षिण अफ्रीका में 1,00,000 टन वार्षिक क्षमता के फेरो अलॉय संयंत्र की स्थापना के लिए अवधारणा अध्ययन (कांसेप्ट स्टडी) रिपोर्ट तैयार हो गई है।





अध्याय - XVII

मान्यता एवं पुरस्कार

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने विभिन्न श्रेणियों में अपने बेहतरीन कामकाज के लिए निरंतर अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किये। वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कारों को नीचे रेखांकित किया गया है :

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने वर्ष 2007-08 के दौरान अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न पुरस्कार/सम्मान प्राप्त किये। कुछ प्रमुख पुरस्कार निम्न हैं:

- भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सेल को 7 मई, 2007 के दिन बिजनेस वर्ल्ड-फिक्की-एसईडीएफ निगमित सामाजिक दायित्व पुरस्कार-2006 से सम्मानित किया। सन् 1999 में इस पुरस्कार की स्थापना से यह पहली बार हुआ है कि एक सार्वजनिक



श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष सेल (बीच में) तथा श्री गणतंत्र ओझा निदेशक (कार्मिक) सेल 7 मई 2007 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम से बिजनेस वर्ल्ड-फिक्की- एसईडीएफ निगमित सामाजिक दायित्व पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए।

क्षेत्र के उपक्रम ने यह पुरस्कार जीता है। यह सेल द्वारा शिक्षा, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल, सफाई संचार/ सड़कें, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद, विरासत संरक्षण, इत्यादि के क्षेत्रों में निगमित सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की दिशा में नई पहल करने के लिए दिया गया है।

- सेल ने वर्ष 2004 के लिए 4 प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार (2 श्रमवीर और 2 श्रमश्री पुरस्कार) प्राप्त किये। इस सम्मान को प्राप्त करने का गौरव कुल 10 कर्मचारियों (आठ भिलाई इस्पात कारखाने से और 2 विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट से) को मिला। ये पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 27 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में दिये।
- सेल ने वर्ष 2006-07 के लिए “सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्टता एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु स्कोप पुरस्कार” की प्रतिष्ठित गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त की।
- सेल ने 30 अक्टूबर, 2007 को मुम्बई में कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड (एनआईसीएमएआर) पुरस्कार 2007 के अंतर्गत “सबसे बड़ी एवं लाभ कमाने वाली इस्पात कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) होने पर प्रथम रैंक प्राप्त किया।



श्री एस. के. रूंगटा, अध्यक्ष "सेल" 15 फरवरी, 2008 को माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास पहल की श्रेणी में 'असाधारण उपलब्धि' के लिए फिक्की वार्षिक पुरस्कार 2006-07 प्राप्त करते हुए।


- सेल के 51 कर्मचारियों को वर्ष 2006 के लिए प्रतिष्ठित "विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार 7 अक्टूबर 2007 को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में दिये गये।
- वर्ष 2007 के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने ने कुल नौ राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (पांच विजेता एवं चार उपविजेता) प्राप्त किये।
- सेल इस्पात कारखानों के कुल 77 सदस्यों ने 24-27 अक्टूबर, 2007 के दौरान बीजिंग, चीन में आयोजित क्वालिटी सर्किल के अंतरराष्ट्रीय समागम में हिस्सा लिया। टीम सदस्यों ने इस समागम में 2 रजत एवं 2 कांस्य पदक प्राप्त किये।
- सेल को फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नवम्बर, 2007 में प्रदान किये गये कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी बेस्ट इन क्लास पुरस्कार 2007 के तहत "मोस्ट इन्ोवेटिव इंडस्ट्री रिसोर्स" वर्ग में उप-विजेता घोषित किया गया।
- सेल 27 नवम्बर, 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वर्ग में प्रतिष्ठित सीएनबीसी-टीवी 18 "एंग्लॉयर्स ऑफ चॉयस पुरस्कार 2007" का विजेता रहा।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को 5 जनवरी, 2008 को ईस्टियूट ऑफ डायरेक्टर्स के "गोल्डन पीकाॅक इन्ोवेटिव प्रोडक्ट्स/सर्विस पुरस्कार-2007" का विजेता चुना गया। गोल्डन पीकाॅक पुरस्कार निर्माण, मोटर वाहन, रक्षा इत्यादि जैसे उच्च विकास क्षेत्रों में अभिनव मूल्य संवर्धित उत्पादों के विकास की दिशा में भारी उपलब्धियों का प्रतीक है। उत्पाद विकास अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की प्रमुख गतिविधियों में है जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
- सेल को 15 फरवरी, 2008 के दिन ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास पहल वर्ग में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए "फिक्की वार्षिक पुरस्कार 2006-07" से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2007-08 के दौरान आरआईएनएल को दिये गये सम्मान और पुरस्कार निम्न हैं:

- "स्कोप बेस्ट इंटरप्राइज पुरस्कार" के रूप में राष्ट्रीय मान्यता: प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/ बैंकों को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी कंपनियों में महिलाओं के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया हो।





भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करते हुए। श्री. के. एल. मेहरोत्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मॉयल के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2007 (खनन क्षेत्र में प्रथम) ले रहे हैं।

- वर्ष 2005-06 के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी (27 सितम्बर, 2007 को घोषित)।
- भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) द्वारा आरआईएनएल को वर्ष 2006-07 में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र दिया गया (1 नवंबर, 2007 को प्रदान किया गया)।
- इनसान द्वारा संगठनात्मक उत्कृष्टता पुरस्कार-2006 (16 फरवरी, 2008 को प्रदान किया गया)
- विशाखापटनम इस्पात कारखाने ने राष्ट्रीय स्तर पर अभिनव सुझावों के लिए चार विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार-2006 प्राप्त किये (7 अक्टूबर, 2007 को प्रदान किये गये)।
- आरआईएनएल के 10 विभागों को अक्टूबर, 2007 और 10 विभागों को फरवरी, 2008 माह में "5 एस" सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। कुल मिलाकर, अब तक आरआईएनएल के 24 विभागों ने "5 एस" सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने के लिए ऐसा पहली बार हुआ है।
- स्टील मेल्टिंग शॉप की "समृद्धि" और लाइट एंड मीडियम मर्चेण्ट मिल की "त्रिशक्ति"- इन दो क्वालिटी सर्किल टीमों के 14 सदस्यों ने 24-27 अक्टूबर के दौरान बीजिंग, चीन में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी सम्मेलन केन्द्र द्वारा आयोजित क्वालिटी कंट्रोल सर्किल के अंतरराष्ट्रीय समागम, 2007 में स्वर्ण पदक प्राप्त किये।
- आरआईएनएल को राजकोष में करों की अदायगी के योगदान एवं वैट प्रावधानों के अनुपालन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने "सर्वश्रेष्ठ डीलर पुरस्कार" प्रदान किया (4 मई, 2007 को प्रदान किया गया)।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

निरंतर बेहतरीन कार्य-निष्पादन के लिए, मॉयल को विविध कार्य क्षेत्रों में अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कारों में से कुछ निम्न हैं:

- वर्ष 2007 के लिए राष्ट्रपति का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ।
- भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा चिकला माइन के लिए 2007 का खनन क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।




एनएमडीसी वर्ष 2006 के लिए लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता हेतु 2 जुलाई, 2007 को राष्ट्रीय पुरस्कार को प्रदान किया गया।

- डोंगरी बुजुर्ग माइन में इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लांट के लिए 2007 का रसायन क्षेत्र में श्रेष्ठता प्रमाण पत्र।
- कंपनी ने हाल ही सम्पन्न खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2007-08 में 32 पुरस्कार प्राप्त किये।

एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी ने 18 मई, 2007 को वर्ष 2005-06 के लिए आईआईआईई इंटरप्राइज एक्सेलेंस पुरस्कार प्राप्त किया।
- एनएमडीसी ने 2 जुलाई, 2007 को लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता हेतु इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।





अध्याय-XVIII

इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन

भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों से काफी कम है। इसलिए देश में इस्पात की खपत बढ़ाने की प्रबल संभावनाएं हैं। जहां आय के बढ़ते स्तर के साथ शहरीकरण और बुनियादी क्षेत्र के विकास से इस्पात का उपयोग बढ़ेगा, वहीं घरेलू मांग को बढ़ाने, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, और वृद्धिपरक खपत पद्धति सृजित करने के लिए दृढ़ प्रयासों की जरूरत है।

घरेलू इस्पात खपत में वृद्धि के लिए जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों में से एक प्रमुख लक्ष्य इस्पात के उपयोग का दृढ़ता से प्रचार करते हुए देश में इस्पात की मांग एवं खपत बढ़ाना है। इस्पात मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर, 2006 को आयोजित बैठक में इस्पात उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पैदा करने के लिए निरंतर अभियान छेड़ने की सख्त जरूरत महसूस की गई थी। देश में वर्तमान रूप से प्रति व्यक्ति खपत, 150 कि.ग्रा. की औसत विश्व खपत और 400 कि.ग्रा. विकसित देशों की खपत की तुलना में महज लगभग 46 कि.ग्रा. है। फलतः माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री द्वारा मार्च 2007 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), जेएसडब्ल्यू लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), एस्सार लिमिटेड, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहभागिता से इस्पात के विभिन्न अभिनव एवं सामान्य उपयोगों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया। वर्ष 2007 के दौरान समाचार एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इस्पात प्रोत्साहन अभियान का प्रमुख ध्येय इस्पात उपयोगों के प्रति जन चेतना जागृत करना है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्टील बुलॉक कार्ट्स डिजाइन कर के, देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की जा रही हैं। स्टील बुलॉक कार्ट्स का डिजाइन इस्पात विकास एवं संवर्धन संस्थान (इंसडैग) द्वारा बनाया गया है और इस योजना को सेल, आरआईएनएल और अन्य निजी क्षेत्र की इस्पात यूनिटों द्वारा प्रायोजित किया गया है। अब तक 600 स्टील बुलॉक कार्ट्स बनाकर वितरित कर ली गई हैं। इन स्टील बुलॉक कार्ट्स की परंपरागत बुलॉक कार्ट से तुलना करते हुए उपयोगिता का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया है। इनका वितरण जिला प्रशासन के जरिये कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देते हुए किया जायेगा।

पुलों, क्रीश बैरियरों, फ्लाइओवरों और भवन निर्माण में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए, इंसडैग को शिल्पकारों/ इंजीनियरों की सेवाएं लेने की सलाह दी गई है जिससे कि किफायती एवं सक्षम रूप में गहन स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन का प्रचार किया जा सके। इंसडैग देश में सीपीडब्ल्यूडी कोड एवं तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए भी कदम उठा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य इस्पात के आम उपयोगों से मिलने वाली मितव्ययिता एवं सामर्थ्य के बारे में जन चेतना जागृत करना है। इस अभियान का पुनः विस्तार किया जायेगा और फ्लाइओवरों, पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्मों के साथ-साथ अन्य इंजीनियरी उपयोगों में अधिक गहन इस्पात स्ट्रक्चरों का उपयोग करने के लिए शिल्पकारों, डिजाइनरों, इंजीनियरों और बिल्डरों को शिक्षित किया जायेगा।

इस्पात का वितरण नेटवर्क

यूपीए सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री ने आम आदमी के हितों की खातिर इस्पात की कीमतें उचित स्तर पर रखने की अपील की थी, जिससे प्रमुख इस्पात निर्माताओं ने 8 सितम्बर, 2006 को मंत्रालय में एक बैठक में इस्पात की आम खपत की मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों में लागू कीमतों पर अपने डीलर नेटवर्क के जरिये उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था और आम आदमी तक इस्पात मदों को पहुंचाने के लिए हर जिले में कम से कम एक डीलर अवश्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। फलतः परिवहन खर्च के साथ-साथ डिस्ट्रिब्यूटर्स, होल सेलरों के मार्जिन का एक बड़ा भाग निर्माताओं द्वारा उठाया जायेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपभोक्ता को लगभग 600-1000 रुपये प्रति टन की राहत मिल रही है। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में आम उपयोग की इस्पात मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सेल और आरआईएनएल देश के सभी जिलों में अपने डीलर नियुक्त करने के ध्येय से तेजी से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। जिला स्तरीय डीलरशिप आवंटित करते समय अनु. जाति / अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश शर्तों में छूट दी गई है।

इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेल द्वारा उठाये गये कदम

- वर्ष 2007-08 के दौरान सेल ने अपने उत्पादों की पहुंच व्यापक करने के लिए 911 नये जिला डीलर नियुक्त किये। इस तरह से देश के 603 जिलों में कुल मिलाकर 1564 डीलर हो गये हैं। अप्रैल-दिसंबर 2007 की अवधि के दौरान 6 नये वेयरहाउस और एक उपभोक्ता संपर्क कार्यालय खोलकर वितरण नेटवर्क का विस्तार किया गया। सेल के पास पहले ही देश भर में फैले 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति अनुसार 37 शाखा विक्रय कार्यालय, 24 उपभोक्ता संपर्क कार्यालय और 56 वेयरहाउस हैं जिससे कंपनी को उपभोक्ताओं की व्यापक रेंज की जरूरतें समय पर पूरी करने में मदद मिलती है।



गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर 26 जनवरी 2008 को नयी दिल्ली में इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत झांकी राजपथ से इण्डिया गेट की ओर बढ़ती हुई। इस झांकी की थीम इस्पात उपयोग तथा बुनियादी ढांचागत विकास के लिए सहायक आधार के तौर पर इस्पात की भूमिका पर आधारित थी।

- 3 नये शाखा विक्रय कार्यालय एवं 6 नये वेयरहाउस स्थापित कर वितरण नेटवर्क का विस्तार किया गया।
- इस्पात के विभिन्न उपयोग के बारे में जागरूक बनाने के लिए, वर्ष के दौरान 9 जगहों (कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी, पटना और नागपुर) पर जिला डीलर बैठकों का आयोजन किया गया।
- आम आदमी की जरूरत के रिबार्स और गैल्वेनाइज्ड शीट्स जैसी व्यापक खपत की मर्दे जिला डीलरों के जरिये बेची जाती हैं। सेल ने छोटे उपभोक्ताओं द्वारा टीएमटी की जरूरत ऑन-लाइन बुक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.straightline.in भी शुरू की है और घर-घर इस्पात पहुंचाने के लिए विकसित व्यवस्था कोलकाता और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से शुरू की जानी है।
- सेल ने डीलरों के जरिये विक्रय को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रचार गतिविधियां चलाई हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं:
 - वाल पेंटिंग्स
 - रेडियो जिंगल्स
 - डीलरों को प्रोडक्ट ब्रोशर/ तकनीकी साहित्य दिया गया।
 - डीलरों को प्रचार मर्दे (कैलेंडर/ पेन/ की चैन) वितरित किये गये।
 - समाचार माध्यम में ऑपरेटिव डीलरों का विज्ञापन/ डीलर ब्यौरा सेल की वेबसाइट पर भी अद्यतन किया गया।
 - डीलरों को निरंतर प्रदर्शन का बढ़ावा देने और सेल इस्पात को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।
 - सेल इस्पात को बढ़ावा देने के लिए सेल नियमित रूप से अपने डीलरों के साथ शिल्पकारों एवं राज मिस्त्रियों की बैठक बुलाता है।



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने ने इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपयोगों की जरूरत पूरा करने के वास्ते नये उत्पादों का निरंतर विकास किये । समुद्रतटीय क्षेत्रों में निर्माण के लिए उच्च मूल्य संवर्धित इस्पात जैसे कॉरोजन रेजिस्टेंट मैटीरियल्स (सीआरएम) और उच्च शक्ति कॉरोजन रेजिस्टेंट मैटीरियल्स (एचएससीआरएम) रेलवे क्लिप के लिए स्प्रिंग स्टील्स, जहाज निर्माण उद्योग में एंकर चेंस बनाने के लिए 27 सी 15 ग्रेड, ट्रांसमिशन लाइन टावरों के लिए वाइजाग टीएलटी ग्रेड, कंटीन्युअस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेड, हाई टेंसाइल फासनरों के लिए बोरॉन ग्रेड इस्पात, लीफ स्प्रिंग्स के लिए एसयूपी 11ए ग्रेड, फासनरों के लिए कोल्ड हेड क्वालिटी (सीएचक्यू) मैटीरियल, मोटर वाहन उपयोग के लिए हाई मैंगनीज स्टील्स इत्यादि समय-समय पर विकसित किये गये।

निर्माण क्षेत्र के लिए उच्च शक्ति रिबार्स की जरूरत को समझते हुए एफई 415 रिबार्स की जगह एफई 500 ग्रेड में रिबार्स विकसित किये गये। मुख्यालय से परियोजना विक्रय प्रभारी एफई 500 ग्रेड रिबार्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी क्षेत्रों में दौरा करते हैं।

- आरआईएनएल ने छोटे उपभोक्ताओं की जरूरत पूरा करने के लिए 131 जिलास्तरीय डीलरों की नियुक्ति की है। वर्ष 2007-08 के दौरान 83 और जिलों तथा 2008-09 में 394 जिलों तक पहुंचने की कार्य योजना भी बनाई गई है।
- जिलास्तरीय डीलरों द्वारा उठाये गये इस्पात में निरंतर वृद्धि हुई है। विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष में उठाई गई इस्पात की मात्रा निम्नवत है:

(टन में)

2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2008)
7331	10434	21595

आरआईएनएल ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इस्पात के उपयोग, उत्पादों की आपूर्ति और उनके उपयोग एवं इस्पात उद्योग के फायदों के बारे में जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियां चला रहा है। विभिन्न किस्म के जागरूकता अभियान निम्नवत है:

- समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में जिलास्तरीय डीलरों के नाम एवं पते का प्रकाशन।
- स्थानीय जिला स्तरीय डीलरों के पतों के साथ जिलों में आरआईएनएल उत्पाद की विज्ञापन होर्डिंग।
- जिला केंद्रों में बस स्टेशनों और जिला केंद्र से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली बसों पर आरआईएनएल उत्पाद विज्ञापन।
- विभिन्न मेलों, औद्योगिक प्रदर्शनियों इत्यादि में आरआईएनएल के स्टॉल।
- जिलास्तरीय डीलरों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत की अधिक इस्पात वाली इमारतों हेतु संकल्पना डिजायन का प्रचार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आरआईएनएल उत्पादों के विज्ञापन की वॉल पेंटिंग्स।
- इस्पात के उपयोग से संबंधित जागरूकता लाने और परस्पर हित के विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श के लिए जिलास्तरीय डीलरों के सम्मेलन का आयोजन।

अध्याय - XIX निगमित सामाजिक दायित्व

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस्पात मंत्रालय के साथ 2007-08 के सहमति पत्रों में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में चिन्हित किया है और सीएसआर गतिविधियों की मंत्रालय द्वारा नजदीक से निगरानी की जा रही है। सभी लाभ कमाने वाले इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सीएसआर के लिए वचनबद्धता की है और सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने वितरण योग्य अतिरिक्त का कम से कम 2% रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2007-08 में सीएसआर के लिए कुल आवंटित बजट में लगभग 230 करोड़ रुपये है और इसमें से प्रमुख योगदान सेल (100 करोड़ रुपये), आरआईएनएल (34 करोड़ रुपये) और एनएमडीसी (89 करोड़ रुपये) से है।

सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों (2007-08) के लिए आवंटित बजट निम्नवत है:

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	राशि
सेल	100 करोड़ रुपये
एनएमडीसी	89 करोड़ रुपये
आरआईएनएल	34 करोड़ रुपये
मॉयल	3 करोड़ रुपये
एमएसटीसी	1.18 करोड़ रुपये
केआईओसीएल	2 करोड़ रुपये
बीआरएल	13 लाख रुपये
एफएसएनएल	6 लाख रुपये
मेकॉन	20.90 लाख रुपये
एसआईआईएल	5 लाख रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित एवं समीक्षा करने के लिए विद्यमान तंत्र को मजबूत करने और समुचित प्रशासनिक एवं वित्तीय पावर्स डेलीगेशन के साथ अपने संबंधित संगठनों में उपयुक्त अधिकारियों को सशक्त बनाने की सलाह दी गई है ताकि अपने संबंधित आवंटित बजट के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों को सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जा सके। पर्यावरण देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक सामंजस्य एवं परिधिय विकास, परिवार कल्याण, पहल और अन्य उपायों पर बल देते हुए सीएसआर गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चल रही हैं। अपने संबंधित कारखानों के आसपास के क्षेत्रों से शुरू करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम धीरे-धीरे अनु. जाति, अनु. जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों वाली आबादी के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां चलायेंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कला, संस्कृति,



स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, खेल और अन्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय, राजकीय एवं प्रतिष्ठित स्थानीय संगठनों को सहायता भी प्रदान की जायेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ से आई विपदा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने प्रभावित राज्यों को तुरंत राहत उपायों की व्यवस्था की। सेल, एनएमडीसी और आरआईएनएल ने बाढ़ राहत उपायों के लिए क्रमशः 5 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये का योगदान किया।



जरूरत के समय, सेल, एनएमडीसी और आरआईएनएल तत्काल बाढ़ राहत सामग्री के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे।

आदर्श इस्पात ग्राम

मंत्रालय द्वारा सभी प्रमुख उत्पादकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने कारखानों के आस-पास गांवों को अपनाएं और सीएसआर के रूप में इन गांवों को आदर्श इस्पात ग्रामों में विकसित करने में मदद पहुंचायें। इनके सम्पूर्ण विकास के लिए प्राथमानतः क्षेत्र में चल रही सरकारी विकास योजनाओं के साथ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और/या लघु उद्योगों के जरिये जीविका प्रोत्साहन के क्षेत्रों में समुचित योजनाएं बनाई जायेंगी। इन प्रयासों में स्टोरेज बिन, बुलॉक कार्ट, स्कूल की इमारतों, पंचायत हॉल, स्वास्थ्य केन्द्रों, वाटर टैंकों, वेटिंग शेडों इत्यादि में खास तौर पर इस्पात का उपयोग किया जायेगा। लगभग 129 गांवों (सेल-79, आरआईएनएल-5, मॉयल-5 और एनएमडीसी-40) को लक्ष्य बनाकर इनको आदर्श इस्पात ग्रामों में विकसित किया जायेगा।

सेल ने आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश) में 79 गांवों को अपनाया है और गांवों को चरणबद्ध तरीके से आदर्श इस्पात ग्रामों में विकसित किया जायेगा। इन गांवों को विकसित सड़कें, बिजली एवं पानी की सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, सफाई, शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, स्वयं सेवी संस्थाओं के जरिये ग्रामीणों के आय बढ़ाने एवं जीविका उपार्जन का प्रशिक्षण जैसी पूर्ण बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस दिशा में सीएसआर प्रयास के अंतर्गत ग्रामीणों के जीवन में सभी क्षेत्रों को छुआ जायेगा और उनको उच्च जीवन स्तर प्रदान

किया जायेगा। राज्यवार 79 गांवों के विवरण की तालिका निम्न है:

राज्य	गांवों की संख्या
बिहार	5
झारखंड	12
उड़ीसा	20
पश्चिम बंगाल	18
छत्तीसगढ़	21
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	1
तमिलनाडु	1
कुल	79

उपरोक्त 79 गांवों से 12 गांवों को वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान आदर्श इस्पात ग्रामों के रूप में तैयार किया जाना है।

मॉयल ने अपने माइनिंग लीजहोल्ड क्षेत्रों के आस-पास निम्न पांच गांवों को अपनाया है:

- महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कुरमुडा गांव
- महाराष्ट्र के भंडारा जिले में इदुरबुची गांव
- महाराष्ट्र के नागपुर जिले में छारगांव
- मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मांझरा गांव
- मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में धनसुआ गांव

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

वित्त वर्ष 2007-08 के लिए, 2006-07 के वितरण योग्य लाभ (लाभांश एवं लाभांश कर के बाद) का 2% सीएसआर बजट हेतु रखा गया है जो लगभग 100 करोड़ रुपये है। आदर्श इस्पात ग्रामों का विकास करने के अलावा, सेल ने निम्न प्रमुख सीएसआर पहल की है:

स्वास्थ्य शिविर

- 11 राज्यों (बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश) की लगभग 4.75 लाख जरूरतमंद आबादी को निःशुल्क चिकित्सा जांच, पैथोलॉजिकल लैब उपचार, दवाई, टीकाकरण, इत्यादि प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2007 तक 267 चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
- स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और टीकाकरण, रक्तदान, जल शुद्धिकरण टैबलेट्स, हैण्डबिल, कंडोम, इत्यादि का वितरण करते हुए स्वास्थ्य से संबंधित मसलों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना है। स्वास्थ्य शिविरों के दौरान बड़ी बीमारियों से पीड़ित ग्रामीणों के उपचार के लिए कारखानों के प्रमुख अस्पतालों में भेजा जाता है। गायनाकॉलोजी, कार्डियोलॉजी, बाल चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, ऑर्थोपेडिक्स इत्यादि के विशेषज्ञ रखने का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा पेसमेकर बदलने और छोटी शल्य चिकित्सा जैसे उपचार भी पीड़ित लोगों के किये जाते हैं।

शिक्षा

पांच एकीकृत इस्पात कारखानों में गरीब तबके के बच्चों के लिए अलग स्कूल स्थापित किये गये हैं। इन स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, स्टेशनरी मदें, सहायक पुस्तकें, यूनीफार्म और दिन का पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है। कंपनी देश में सेल कारखानों/यूनिटों के आस-पास के क्षेत्रों में लगभग 138 स्कूलों की मदद करती हैं। इन शिक्षा के मंदिरों में 80,000 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से बच्चों के लिए अधिकांश स्कूल 1-2 किलोमीटर के दायरे में है जो शिक्षा को आसानी से सुलभ करा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए, सेल द्वारा अब आस-पास के क्षेत्र के 394 गांवों के हजारों बच्चों के लिए गुणवत्तामय शिक्षा प्रदान की जा रही है।

एचआईवी/ एड्स रोकथाम

सेल के सभी कारखानों/यूनिटों में बीमारियों की रोकथाम के लिए की जा रही एक प्रमुख पहल एचआईवी/एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम है। सेल में 1999-2000 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण





संगठन के अंतः क्षेत्रीय सहयोगकर्ता की हैसियत से यह राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। सन् 1999-2000 से कंपनी ने एड्स चेतना कार्यक्रमों में लगभग 6 लाख गैर-कर्मचारियों और 1 लाख कर्मचारियों को शामिल किया है। सन् 2003 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने सेल के एचआईवी एड्स कार्यक्रम को कार्यस्थल हस्तक्षेप हेतु केस अध्ययन के लिए प्रलेखित किया।

पानी

कंपनी दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हर वर्ष औसतन 157 पानी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक सेल कारखाने ने अपने नगर के 20 किलोमीटर के दायरे में गांवों को पीने का पानी मुहैया किया है। यह कार्य बोरवेल्स, हैंडपंप्स, ओवरहेड टैंक, तालाबों, इत्यादि समेत 1831 जल स्रोतों की स्थापना कर किया गया है।

सड़कें

सेल हर वर्ष 33 किलोमीटर पक्की सड़क के निर्माण एवं मरम्मत में लगी हुई है। इस तरह से, कंपनी हर वर्ष लगभग 435 गांवों के 2 लाख लोगों तक आधुनिक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही है।



सेल के बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा बांसगोरा में पुलिया का निर्माण (बाएं) तथा गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना (दाएं)।

खेल कूद

सेल की स्थापना से ही खेल कूद का प्रोत्साहन, उसके निगमित सोच का अभिन्न अंग रहा है। कंपनी ने 4 खेल अकादमियों की स्थापना की है यथा राउरकेला में हॉकी अकादमी, भिलाई में लड़कों और दुर्गापुर में लड़कियों के लिए एथलेटिक्स अकादमियां और बोकारो में फुटबाल अकादमी। खेल गतिविधियों पर निरंतर बल देने से राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में मुकाबला करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद मिली है। एक संगठन के रूप में सेल विभिन्न प्रमुख खेल आयोजनों को भी प्रायोजित कर रहा है।

पर्यावरण

सेल के कारखानों और खानों में गहन वृक्षारोपण किया गया है और सेल कारखानों और खानों में एवं आस-पास अब तक 13.5 मिलियन पौधे रोपे गये हैं। भिलाई इस्पात कारखाने ने 100 किलोमीटर क्षेत्र के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें से 30 किलोमीटर का दायरा 2006-07 के दौरान पूरा किया गया। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में औषधि वृक्षारोपण के तहत आंवले के पौधे लगाये गये।

सहायक उद्योग

सन् 1978 से सेल ने अपनी विभिन्न यूनिटों में हर वर्ष लगातार 42 यूनिटों को सहायक यूनिटों के रूप में चिन्हित किया है। लगभग 1,861 यूनिटों को कंपनी द्वारा सहायक यूनिटों के रूप में मान्यता दी गई है। यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। कंपनी ने अनेक मदों को नितान्त रूप से इन सहायक यूनिटों से खरीदने के लिए आरक्षित रखा है। इन सहायक यूनिटों को हर वर्ष 600 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश मिलते हैं जिसकी वजह से हर वर्ष 700 से अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है। सेल ने सहायक उद्योगों को जमीन, पेयजल की आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं एवं उनको पुनः विकास के लिए सक्षम बनाने में मदद प्रदान की है।

कला एवं संस्कृति का संरक्षण

सेल ने विभिन्न लुप्त हो रही कलाओं को बढ़ावा देकर प्राचीन कला का संरक्षण किया है। इसके लिए उस कला रूप को बढ़ावा देने के आशय से कलाकारों को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के वास्ते एक मंच प्रदान किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

के साथ मिलकर सेल ने लोदी टोंब का संरक्षण करने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ और चंकीगढ़ स्थित पुरातत्व स्थलों में बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं इत्यादि विकसित करने का जिम्मा लिया है। इस तरह के और अनेक स्मारकों को अपनाने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

समाज के प्रति अपने विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान आरआईएनएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियां जारी रखीं। सीएसआर गतिविधियों को अधिक बल देने के लिए एक संपूर्ण सीएसआर विभाग की स्थापना की गई। कंपनी की सीएसआर नीति में प्रोत्साहक, साझीदार, मददगार और सलाहकार की चहुंमुखी रणनीति अपनाई गई है। सीएसआर के अंतर्गत आरआईएनएल ने निम्न प्रमुख पहल की है:

परिधिय विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मडीवणिपलम में एक आदर्श इस्पात ग्राम स्थापित किया जा रहा है। एक पंचायती बैठक हॉल, स्कूल बिल्डिंग, 10 स्टील हट्स और 3 बस शैल्स के निर्माण के लिए इस्पात गहन स्ट्रक्चरों का उपयोग किया जायेगा। इनका निर्माण कार्य 33 लाख रुपये की लागत पर चल रहा है। इस्पात विकास एवं संवर्धन संस्थान (इंसडैग), कोलकाता के जरिये एक नये अंदाज में स्टील बुलॉक कार्ट्स डिजाइन किये गये। प्रदर्शनी के जरिये स्टील बुलॉक कार्ट्स की उपयोगिता को परंपरागत बुलॉक कार्ट की तुलना में दिखाया गया। विजयनगरम जिले में 7.60 लाख रुपये की लागत से 50 स्टील बुलॉक कार्ट्स वितरित किये गये। आईटीडीए के जरिये आदिवासी क्षेत्रों में मच्छरदानियां वितरित की गईं। आरएच कॉलोनियों एवं परिधिय गांवों में भी 124 लाख रूपये की राशि से विकास कार्य किये गये।

सेल और एनएमडीसी के साथ मिल कर बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बाढ़ राहत कार्य किये गये।

शिक्षा

विद्यालय दिवस का आयोजन कर जिला परिषद् स्कूलों के आस-पास के ग्रामीण स्कूली बच्चों की प्रतिभा को पहचाना गया। पुनर्वास कॉलोनियों के सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में स्पिकमैके के जरिये राष्ट्रीय स्तर के जाने-माने कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। स्पिकमैके को 10 लाख रुपये की मदद दी गई। गुरजादा अपाराव की स्थापना कर जिला परिषद् स्कूलों के आस-पास बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। 153 बालिकाओं को 2.5 लाख रुपये की वीएसपी छात्रवृत्ति दी गई। विशाखा विमला विद्यालयम में 8.60 लाख रुपये की 225 निः शुल्क सीटें बालिकाओं को दी गईं। अकेडेमिक स्टॉफ कॉलेज, आंध्र यूनिवर्सिटी के जरिये अध्यापकों के लिए एक उत्कृष्टता कार्यशाला आयोजित की गई। आरआईएनएल ने अरुणोदय विशेष स्कूल की मदद के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किये। स्कूल को 9 लाख रुपये की लागत से विशेष रूप से डिजाइन की गई बस दान की गई।


खेलकूद, सांस्कृतिक एवं विविध गतिविधियां

आरआईएनएल ने एक लाख रुपये की लागत से विशाखा विमला विद्यालयम के जरिये जिला स्तरीय ग्रिड खेलकूद का आयोजन किया। कंपनी ने 3 लाख रुपये की लागत से 300 लोगों के लाभ के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित संस्था-जन शिक्षण संस्था के जरिये पुनर्वास कॉलोनियों में महिलाओं और बेराजगार युवाओं को हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग, लिक्विड ब्लू प्रिप्रेशन, ड्रेस मैकिंग, ब्यूटी केयर, मार्क्रोसॉफ्ट ऑफिस/ पीसी प्रशिक्षण और प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। वृक्षारोपण अभियान के तहत 2 लाख रुपये मूल्य के जतरपा बायोडीजल पौध रोपण किया ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा गतिविधियां

आरएच कॉलोनियों, परिधिय क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों और खानों में माँ और शिशु देखभाल, जीवन शैली प्रबंधन, स्वरोजगार, हरा-भरा पर्यावरण, नशा मुक्ति और एचआईवी/एड्स चेतना अभियान जैसे विभिन्न मसलों के बारे में निवासियों को अवगत कराने के लिए 1 लाख रुपये की लागत से बहु-उद्देशीय समाज सेवा शिविरों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लायंस क्लब की सीडब्ल्यूसी स्थित उक्कनगरम शाखा के जरिये वदलापुडी, डी गोल्लेवणिपलम और अगनमपुडी में निःशुल्क नेत्र, ईएनटी और दंत चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। आरआईएनएल से 5 लाख रुपये की मदद से किंग जॉर्ज अस्पताल, विशाखापतनम के ऑपरेशन थियेटर का नवीकरण किया गया।

विशाखापतनम से 60 किलोमीटर दूर विजयनगरम में लाइफलाइन एक्सप्रेस (चलता-फिरता अस्पताल) को मदद दी गई जिसमें नेत्र शल्य चिकित्सा, कटे ऑट की शल्य चिकित्सा एवं हेयरिंग एड्स एवं दवाइयां वितरित की जाती हैं। विशाखापट्टनम एवं विजयनगरम जिलों में शारीरिक विकलांगों के लिए मई एवं दिसम्बर, 2007 के दौरान विकलांग पुनर्वास अभियान चलाये गये। ट्राईसिकल, व्हील चेयर्स, क्रचेज कैलिपर्स, हेयरिंग एड्स इत्यादि जैसी मदें 990 विकलांगों में वितरित की गईं।



अनकपल्ली और विशाखापट्टनम के बीच एनएच-5 कॉरिडोर पर फ्लेक्स बोर्ड लगाकर एवं आरएच कॉलोनियों में और आस-पास एवं विजयनगरम और कृष्णा जिलों में भी स्थानीय रंगमंच कलाकारों द्वारा एड्स पर नुक्कड़ नाटक कर एड्स चेतना अभियान चलाये गये।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने सीएसआर के अंग के रूप में, अपनी विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं के आस-पास के गांवों में विभिन्न परिधि/सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को शुरू किया। सीएसआर के तहत कुछ प्रमुख परिधि विकास/ सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न हैं:

- चिकित्सा देखभाल
- शिक्षा
- पेयजल
- बुनियादी विकास

यद्यपि चिकित्सा देखभाल एवं पेयजल सुविधाएं काफी पहले शुरू की गई थी, परंतु चिन्हित बल वाले क्षेत्रों में अधिक सुव्यवस्थित विकास कार्य 1989 के आस-पास बड़े पैमाने पर शुरू हुए। एनएमडीसी द्वारा सभी परियोजना क्षेत्रों में कमोवेश समान रूप से किये गये विकास कार्यों में से कुछ हैं:

- स्कूल बिल्डिंग/अतिरिक्त क्लास रूम, यूनीफार्म, टीचिंग एड्स, इत्यादि एवं मेधावी बच्चों को नकद पुरस्कार।
- स्थानीय आदिवासियों/ग्रामीणों को परियोजना अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार (इंडोर और आउटडोर दोनों)।
- अलग से और राज्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन ।
- खुले कुएं, हैंडपम्प इत्यादि का निर्माण कर आस-पास के गांवों में पेय जल व्यवस्था ।
- आस-पास के गांवों को जोड़ती हुई पक्की सड़क एवं पुलिया ।
- आस-पास के गांवों में सामुदायिक भवन, आश्रम, आंगनवाड़ी इत्यादि की व्यवस्था ।
- स्थानीय आदिवासी युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण ।
- गहन सीएसआर कार्यों के लिए गांवों को अपनाता और एनएमडीसी परियोजनाओं के आस-पास एवं अन्यत्र भी विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों का विस्तार
- एनएमडीसी ने जगदालपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 50 करोड़ का वायदा किया है और 20 करोड़ पहले ही दे दिये गये हैं।

विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) का सीएसआर खर्च:

मानक	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर)
सीएसआर (करोड़ रुपये में)	3.35	11.79	13.55	24.66	21.36

- एनएमडीसी बोर्ड द्वारा हर वर्ष सीएसआर बजट में विगत वर्ष की रखी गई आय का 5% रखने का निश्चय किया गया है (वर्ष 2006-07 से)।
- एनएमडीसी संयुक्त राष्ट्र संघ की के मार्गदर्शन में ग्लोबल काम्पैक्ट फोरम का सदस्य बन गया है।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल ने वर्ष 2007-08 के अपने शुद्ध लाभ का 3% सीएसआर पर खर्च के लिए नियत किया है जो 3 करोड़ रुपये बनता है। कंपनी ने परिधि क्षेत्रों के अपने सीमित दायरे से निकलकर, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि अन्य राज्यों में जाकर सीएसआर कार्य किये हैं। कंपनी द्वारा सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निगमित स्तर के साथ-साथ यूनिट दोनों स्तरों पर नियमित निगरानी भी की जा रही है। मॉयल ने बड़े पैमाने पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों के जरूरतमंद लोगों को लगभग 600 ट्राईसिकिल दी गई। इसके अलावा मरीजों की जांच के लिए शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई।

कंपनी ने स्कूलों, सड़क की मरम्मत, पुलिया, नालों का निर्माण, पेयजल, सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा देखभाल, बाल उद्यानों का विकास, स्कूलों का विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट, सौर विद्युत, इत्यादि का प्रावधान जैसे-अनेकों विकास कार्यों का जिम्मा लिया। ये कार्य चल रहे हैं और इनको अनवरत आधार पर किया जाता रहेगा। कंपनी ने कला, संस्कृति, स्वास्थ्य देखभाल, इत्यादि के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं स्थानीय संगठनों को भी सहायता प्रदान की है। कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, “कालिदास महोत्सव” के लिए 50,000 रुपये का योगदान किया, जिसमें हर वर्ष जाने-माने कलाकार आते हैं। कंपनी विगत अनेक वर्षों से इस आयोजन को प्रायोजित करती आई है।




श्री के. एल मेहरोत्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मॉयल तीन अत्याधुनिक चिकित्सा साधनों से युक्त पूर्णतः वातानुकूलित मोबाईल हास्पिटल वैनों की चाबियां माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान को सौंपते हुए (बाएं) और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मॉयल इस वैन में लगे उपकरण के विभिन्न फीचरों के बारे में माननीय मंत्री को बता रहे हैं (दाएं)।

कंपनी ने आपात स्थिति में हृदय संबंधी देखभाल के लिए आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों से युक्त तीन पूर्णतः एअर कंडीशन कार्डियक-कम-ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस मुहैया किये हैं। मल्टी-पैरा मॉनिटर, डिफाइब्रिलेटर मॉनिटर, इंप्यूजन पम्प, इत्यादि जैसे चिकित्सा उपकरणों को मिलाकर, इस एम्बुलेंस की कीमत लगभग 18 लाख रुपये है। उत्तरप्रदेश के जरूरतमंद लोगों को 250 ट्राईसिकिल वितरित किये गये। कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में ट्राईसिकिल के अलावा 550 हियरिंग एड्स और 125 क्रचेज भी वितरित किये। उपरोक्त के अलावा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के गांवों के शारीरिक विकलांगों को 500 ट्राईसिकिल वितरित की गई। मॉयल ने अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान 500 लोगों के मुफ्त मोतियाबिंद के इलाज एवं लेंस प्रत्यारोपण के प्रयोजन के लिए सूरज आई इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। इसका ध्येय “लाइट टु लाइव्स” योजना के तहत अंधेपन के बोझ को कम करना है। यह संस्थान पहले मॉयल माइंस के आस-पास के गांवों से आये लोगों का इलाज करेगा और बाद में इस कार्य को खानों की परिधि से आगे बढ़ायेगा। सूरज आई इंस्टीट्यूट ने इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है और गुमगांव और कांडरी खानों के आस-पास के मुंसार और बेलडोंगरी गांवों में शिविर लगाकर दिसम्बर 2007 तक 300 मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक कर ली गई है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने वर्ष के दौरान निम्न सीएसआर गतिविधियां सम्पन्न कीं:

- वर्ष 2007-08 (दिसम्बर, 2007 तक) के दौरान कंपनी ने गरीब और मानासिक रूप से विकलांग बच्चों, अवयस्क लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित संगठनों को 44 लाख रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की है।



- यह निश्चय किया गया है कि कंपनी सीएसआर का बजट बढ़ाएगी और कोलकाता स्थित कंपनी के मुख्यालय के नजदीक एक झोपड़ बस्ती को भी अपनायेगी और एक गैर-सरकारी संगठन के साथ सहयोग करके प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करेगी।
- कोलकाता स्थित कंपनी के मुख्यालय के निकट एक छोटे पार्क का सौंदर्यीकरण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

कंपनी अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है। एफएसएनएल ने कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के वास्ते एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत, कंपनी ने अपनी यूनिटों के आस-पास स्थित विभिन्न स्कूलों को चुना है और पूर्ण रूप से किताबें, कॉपियां, दो-दो जोड़ी यूनिफार्म और शैक्षणिक उपयोग की अन्य सामग्री इन स्कूलों में पढ़ रहे अनु.जाति, अनु.जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों (बालकों और बालिकाओं) को वितरित की जाती है। उपरोक्त योजना के तहत लगभग 500 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। कंपनी ने इन स्कूलों में फुटबॉल/वॉलीबॉल/हैन्डबॉल और अन्य खेल गतिविधियों के लिए खेल के मैदान विकसित करने और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में भी मदद पहुंचाई है। पर्यावरण संरक्षण और स्कूल के आस-पास स्वच्छ आबो-हवा का सृजन करने की दृष्टि से, कंपनी ने भिलाई के नजदीक, डुंडेरा में स्कूल संपर्क मार्ग के दोनों ओर प्रोटेक्टिंग बैरिकेड के अंदर पौधे लगवाए। इसके अलावा कंपनी उपरोक्त स्कूल में 7.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से शौचालय, इत्यादि सभी सुविधाओं से युक्त एक बड़े हॉल का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वितरण योग्य लाभ उपलब्ध न होने के कारण कंपनी की सीएसआर गतिविधियां बाधित हो रही हैं। कंपनी के लगभग 78% कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य सेल/आरआईएनएल के इस्पात कारखानों - बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों में हैं। इन यूनिटों ने 2007-08 के दौरान निम्न गतिविधियों का आयोजन किया:

- एचएससीएल टाउनशिप में वृक्षारोपण।
- तनाव प्रबंधन कार्यक्रम
- स्वतंत्रता दिवस समारोह
- राष्ट्रीय महत्व के विशेष दिनों में सांस्कृतिक समारोह
- बिहार में बाढ़ सुरक्षा के लिए अस्थायी शेडों का निर्माण

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन द्वारा की जा रही प्रमुख विकासपरक गतिविधियां निम्नवत हैं:

- “सामुदायिक शिक्षा योजना” के तहत, रांची में और आस-पास झोपड़ बस्ती क्षेत्रों/ पिछड़े क्षेत्रों/ ग्रामीण क्षेत्रों और आस-पास के गांवों में चल रहे 12 प्राथमिक शिक्षा केंद्रों में पिछड़े गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- “संसाधन सृजन योजना” के अंतर्गत रांची तथा उसके आस-पास झुग्गी बस्ती इलाकों तथा पिछड़े क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के लिए 8 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहें हैं।
- “सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” के तहत, निम्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है:
 - सामान्य स्वास्थ्य/ औषधि शिविर (रांची और आसपास एवं नजदीक के गांवों में)
 - बिहार में बाढ़ राहत/ स्वास्थ्य शिविर
 - आँखों का ऑपरेशन (मोतियाबिंद)
 - परिवार नियोजन ऑपरेशन
 - एचआईवी/ एड्स चेतना कार्यक्रम
 - झोपड़ बस्ती/ गांवों में ब्लीचिंग पाउडर एवं गमैसिन पावडर का वितरण
 - पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत बच्चों को खुराक
- शोशायर होम (विकलांग लोगों का आश्रय), बरियातु, रांची को निम्न क्षेत्रों में सहायता:
 - अतिरिक्त सुविधाओं/ सेवाओं को समाहित करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस बिल्डिंग का विस्तार
 - क्रचेज, कैलिपर्स, नकली अंगों, ट्राइसिकिल, व्हील चेर, इत्यादि की खरीद
 - चाक बनाने का प्रशिक्षण
 - महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत

● रांची जिले के रूपरू और खुंटी जिले के राय आदिवासी गांवों के युवाओं को प्रशिक्षण एवं मदद निम्न क्षेत्रों में दी जा रही है:

- लाख बनाना
- वर्मिन-कपोस्ट (अर्थवॉर्म खाद) बनाना
- मधुमक्खी पालन
- बागवानी/ कृषि आधारित फार्मिंग।

भारत रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

कम्पनी ने पैसे की कमी के बावजूद, फैक्ट्री क्षेत्र में और आस-पास बसे लोगों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की। पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। वर्ष के दौरान (दिसम्बर, 2007 तक), नजदीक के गांव के बच्चों के लिए स्कूल/ बस प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करने, आस-पास के गरीब लोगों के लाभ के लिए प्राथमिक स्कूल और कक्षा 2 स्तर के स्कूल चलाने पर खर्च किया गया।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर के तहत, 5 लाख रुपये लक्ष्य से अधिक 17 लाख रुपये खर्च किये, जो कंपनी के कर उपरांत लाभ का 4% है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

कंपनी ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर प्रमुख ध्यान देते हुए, सीएसआर गतिविधियों में अपना योगदान किया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कंपनी द्वारा किये गये विभिन्न सीएसआर गतिविधियों से संबंधित कार्यों में से कुछ सक्षिप्त में नीचे दिये जा रहे हैं:

- स्कूलों का संचालन एवं शिक्षा पर अन्य खर्च।
- वन, पर्यावरण एवं अन्य संबंधित मसले।
- दवाइयों का वितरण एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं को आस-पास के क्षेत्रों की आदिवासी जनसंख्या एवं अन्य लोगों तक पहुंचाना।
- राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, होरानाडु में नये कमरों के निर्माण के लिए वित्तीय मदद।
- नेलीबीहु, कुद्रेमुख के स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए पुल के निर्माण के वास्ते स्टील फैब्रिकेशन की आपूर्ति।
- कुद्रेमुख में मंदिर एवं आश्रय के निर्माण के लिए इस्पात एवं ट्रश की आपूर्ति।
- भगवती नेचर कैंप, कुद्रेमुख में ग्रेविटी जल आपूर्ति प्रणाली सुचारु बनाने के लिए वन विभाग, कुद्रेमुख को इस्पात पाइपों की आपूर्ति।
- खेलकूद और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए मैंगलोर और आस-पास के क्षेत्रों में वित्तीय मदद।

वर्ष के दौरान 31.12.2007 तक, कंपनी ने सीएसआर पर लगभग 123 लाख रुपये खर्च कर लिये हैं।

बर्ड ग्रुप की कंपनियों (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप के तहत कंपनियों ने अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं :

- ग्रुप के तहत दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ठकुरानी में एम्बुलेंस सुविधा के साथ एक 20 बेड के अस्पताल का संचालन करती है। इस अस्पताल में आस-पास के गांव के लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता है।
- दि बिरसा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) बीरमित्रपुर में एंबुलेंस सुविधा के साथ एक 40 बेड के अस्पताल का संचालन करती है। इस अस्पताल में आस-पास के गांव के लोगों का नाममात्र दरों पर उपचार किया जाता है।
- ओएमडीसी ने पानी की व्यवस्था प्रदान करने के लिए आस-पास के गांवों में अनेक तालाबों की मरम्मत की है।
- ओएमडीसी और बीएसएलसी दोनों ने बिल्डिंग के निर्माण, अध्ययन सामग्री की व्यवस्था, फर्नीचर, स्कूल बस इत्यादि के प्रावधान के रूप में आस-पास के स्कूलों और कॉलेजों को मदद प्रदान की। अन्य जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया।



अध्याय - XX

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थान

इस्पात मंत्रालय पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मियों का तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थानों की मूल्यवान भूमिका और योगदान के लिए उल्लेख किया जा रहा है:

बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित टास्क फोर्स द्वारा विकसित सिद्धांत के आधार पर पुरी में एक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान की स्थापना की गई। प्रशिक्षण-सह-अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के रूप में यह संस्थान संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के प्रबंधन में है। बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई) की आधार शिला 1 जनवरी 2001 को पुरी में रखी गई। यह संस्थान पंजीयन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 को कार्य करना शुरू किया। जेपीसी के अध्यक्ष बीपीएनएसआई के अध्यक्ष भी हैं। इस संस्थान की स्थापना विश्व एवं भारतीय इस्पात उद्योग में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप घरेलू सेकेंडरी उद्योग को बनाने में मदद करने के लिए की गई है। कैबिनेट ने 20 फरवरी, 2004 को पुरी में जेपीसी की पूंजी से पूर्ण रूप से सुसज्जित संस्थान के रूप में इसकी स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। जब तक संस्थान अपना खर्च स्वयं उठाने लायक न हो जाए, इसके स्थापना व्यय में कमी भी जेपीसी उठाएगी। इस्पात विकास निधि से बीपीएनएसआई को 10 करोड़ रु का अग्रिम दिया गया है, जिस पर ब्याज की राशि से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी। वर्तमान रूप से, यह संस्थान सर्वोदय नगर, पुरी में किराये की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। यह संस्थान यूएनडीपी/ जीईएफ परियोजना के रेजीडेंट मिशन (पूर्वी क्षेत्र) का प्रबंध कर रहा है।

वर्ष 2007-08 के दौरान बीपीएनएसआई द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

- यह संस्थान “लौह और इस्पात उत्पादन एवं कारखाना प्रबंधन” में एडवांस्ड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का संचालन करता है, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2006 से, छात्रों को उद्योग में प्रबंधकीय पदों के लिए तैयार किया जा रहा है। छात्रों ने अपना दूसरा सेमेस्टर पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और अब वे उद्योग में जनवरी 2008 से 6 महीने का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण लेंगे।
- अपने प्रशिक्षण एवं अग्रिम शिक्षा (टीएएफई) कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2007 से यह पाठ्यक्रम कार्यरत कार्यपालकों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है।
- वीसा स्टील, जय बालाजी ग्रुप और गॉटेमैन पीपर्स लिमिटेड ने इस संस्थान के छात्रों को बतौर औद्योगिक प्रशिक्षु के रूप में लेने में रुचि दिखाई है।
- लौह और इस्पात उत्पादन पाठ्यक्रम का एक अन्य बैच जनवरी, 2008 से लिया गया है।

राष्ट्रीय सेकेंडरी इस्पात टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएसएसटी)

प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसों (ईएफएफ) या इंडक्शन फर्नेसों (आईएफ) से युक्त स्टील मेल्टिंग इकाइयों वाले सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और टेक्नोलॉजी नवीकरण की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। सन् 1984 में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित इस्पात रोलिंग उद्योग की सलाहकार समिति ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। प्रमुख रूप से इन जरूरतों और उद्योग की मांग के आधार पर राष्ट्रीय सेकेंडरी इस्पात टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएसएसटी) की एक सोसाइटी के रूप में 18 अगस्त, 1987 को स्थापना की गई। तत्कालीन लौह तथा इस्पात विकास आयुक्त और वर्तमान रूप से संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में यह कार्य कर रहा है। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न हैं:

- अल्पकालीन और दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम चलाकर एवं ज्ञान का आधार बढ़ाकर सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराना।
- अत्याधुनिक तकनीक के बारे में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाओं इत्यादि के जरिये जागरूकता लाना।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
- तकनीकी समस्याओं के निराकरण, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और प्रदूषण स्तर घटाने के लिए उद्योगों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना।



- इस क्षेत्र में अद्यतन तकनीक के बारे में अनुसंधान, विकास और डिज़ाइन कार्य करना।
- उद्योग के लिए प्रलेखन और सूचना पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था करना।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों के बीच आपसी सम्पर्क के लिए एक मंच प्रदान करना।

सेकेंडरी इस्पात के निम्न क्षेत्र संस्थान के कार्य क्षेत्र में हैं:

- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं इंडक्शन फर्नेस
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिलें (हॉट एवं कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड लौह इकाइयां

संस्थान की प्रमुख गतिविधियां

- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां
- मानव संसाधन विकास गतिविधियां
- औद्योगिक सेवाएं/परामर्श
- निम्न परीक्षण सेवाएं:
 - रसायन, ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रयोगशाला
 - मेटलोग्राफिक प्रयोगशाला
 - स्पेक्ट्रोमीटर प्रयोगशाला
 - यांत्रिक एवं एनडीटी प्रयोगशाला
 - विद्युत प्रयोगशाला
 - ऊर्जा लेखा परीक्षण

इस संस्थान ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिए आईएसओ 9001-2000 प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान इस संस्थान द्वारा निम्न अनेक कीर्तिमान एवं विभिन्न पहल की गई:

- इस संस्थान द्वारा इस्पात उत्पादन और रोलिंग टेक्नोलॉजी में कार्योंमुखी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (जेओसीसी) ने 16वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र को 400 से अधिक कुशल/अर्द्ध-कुशल, सुपरवाइजर स्तर के तकनीकी कार्मिक इस पाठ्यक्रम से मिले, जिससे रोजगार का एक नया जरिया खुला है।
- पुणे में जेओसीसी का नया केन्द्र खोला गया ।
- गैरिसन इंजीनियर्स, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी), उत्तरी रेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एवं आवास परिषदों के लिए धात्विक एवं यांत्रिक परीक्षण किये गये।
- यह संस्थान कम्प्यूटर सिम्यूलेशन और रिहीटिंग फर्नेस प्रचालन के ई-डेमोस्ट्रेशन पर विकासपरक परियोजना पर आई आई टी, कानपुर के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- इस संस्थान की मंडी गोबिंदगढ़ स्थित प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला का नवीकरण चल रहा है और शीघ्र ही इसकी सेवाएं उद्योग के साथ-साथ राष्ट्र को समर्पित कर ली जाएंगी।
- यह संस्थान सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी गुणवत्ता, उपलब्धि में सुधार, मूल्य संवर्द्धन और लागत में कटौती के लिए निरंतर तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- सेकेंडरी इस्पात क्षेत्र के कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को सुधारने के लिए मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के जरिये निरंतर मानव संसाधन विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- यह संस्थान इस्पात उद्योग के लिए सेमिनार, अंदरूनी प्रशिक्षण, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। इस संस्थान ने पलक्कड़ (केरल) और चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों का आयोजन किया। चेन्नई में सेमिनार को एक राष्ट्रीय समागम के रूप में मनाया गया था।

- इस संस्थान को अपने प्रशिक्षित और पंजीकृत ऊर्जा लेखापरीक्षकों के जरिए ऊर्जा लेखापरीक्षण करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा पैनल में रखा गया है। राष्ट्र की सेवा में ऊर्जा संरक्षण के लिए सुझावपरक उपायों के साथ, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, बैंकों इत्यादि सहित उद्योगों और भवनों का ऊर्जा लेखापरीक्षण किया जा रहा है।
- प्रयोगशाला परीक्षण के लिए टेस्टिंग और कैलिब्रेशन प्रयोगशाला हेतु राष्ट्रीय एक्रिडिटेशन बोर्ड (एनएबीएल) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मान्यता मिल जाने पर उद्योग को भारी लाभ पहुँचेगा। अगले चरण में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन प्राप्त किया जायेगा।
- देश भर में इस्पात उद्योग में अंदरूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं। अनेक यूनितों ने पहले ही अपने निवेदन प्रस्तुत कर लिये हैं।
- यह संस्थान क्वालिटी और उत्पादकता सुधार कार्यक्रम के लिए केरल मे एक स्टीलमेकिंग और रोलिंग यूनित लगाने की योजना बना रहा है।

इस्पात विकास एवं संवर्धन संस्थान (इन्सडैग)

इस्पात निर्माताओं की पहल पर इन्सडैग की स्थापना की गई और यह संस्थान 26 अगस्त, 1996 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत हुआ। इस संस्था का मिशन सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर कार्य करना है ताकि इस्पात का प्रभावी उपयोग करने और उपभोक्ताओं को उनके पैसे का पूरा लाभ पहुँचाने के तौर-तरीके विकसित किए जा सकें। यह संस्थान मुख्य तौर पर इस्पात उपयोगों में टेक्नोलॉजी के विकास और इस्पात निर्माताओं के लिए बाजार बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह संस्थान कोलकाता स्थित संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के कार्यालय और एक किराए की बिल्डिंग में हैं। उद्योग से मिले आंशिक योगदान के आधार पर कार्य करते हुए आगे बढ़ने की इस संस्थान से आशा की जा रही थी। परंतु इस संस्थान की कुल धन जरूरत का मात्र 20% सदस्यता से मिल रहा है और शेष खर्चा जेपीसी से मिले अनुदान से पूरा किया जाता है।

स्टील डिजाइन पर व्यवसायविदों और शिक्षण संकाय सदस्यों को शिक्षा/ प्रशिक्षण

स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन पद्धतियों और टेक्नोलॉजियों पर देश के संकाय सदस्यों एवं व्यवसायविदों के ज्ञान एवं कौशल बढ़ाने के लिए निम्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और अप्लकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया:

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	के साथ आयोजित
स्टील-कंक्रीट कंपोजिट कंस्ट्रक्शन	बैंगलौर	इंस्ट्रक्ट बंगलौर
स्टील-कंक्रीट कंपोजिट कंस्ट्रक्शन	विशाखापट्टनम	आईडीडीसी, विशाखापट्टनम
डिजायनिंग स्टील स्ट्रक्चर्स विद लिमिटेड स्टेट-इंट्रोड्यूसिंग रिवाइज्ड आईएस 800	चैन्नई	एल एंड टी ईसीसी, चैन्नई
स्टील-कंक्रीट कंपोजिट कंस्ट्रक्शन	कोयंबटूर	कुमारागुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलाजी, कोयंबटूर
फैब्रिकेशन एण्ड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स	नई दिल्ली	मॉडकॉन इंजीनियर्स, नई दिल्ली
डिजायन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील बिल्डिंग्स	बंगलौर	इंस्ट्रक्ट बंगलौर
स्टील इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन- एफिसियेंट कनेक्शंस ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन एंड स्पेस फ्रेस	चैन्नई	एलएंडटी ईसीसी, चैन्नई
प्रोटेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स फ्रॉम कोरोजन एंड फायर	चैन्नई	एलएंडटी ईसीसी, चैन्नई
फैब्रिकेशन एण्ड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स	चैन्नई	एलएंडटी ईसीसी, चैन्नई

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	के साथ आयोजित
स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन - लिमिटेड स्टेट मेथड	भुवनेश्वर, उड़ीसा	सेंटर फॉर इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीजू पटनायक यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी
स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन - लिमिटेड स्टेट मेथड	सूरत, गुजरात	सरदार बल्लभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एसवीएनआईटी)

परामर्श कार्य

कुछ निम्न परामर्श परियोजनाओं पर काम चल रहा है:

- सेल कॉलोनी, रांची स्थित इस्पात प्रगति केन्द्र
- राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए ग्रामीण पुलों एवं पुलियाओं का डिजाइन मैनुअल तैयार करना।
- अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) -(स्थायी एवं अस्थायी दोनों)।

वर्ष के दौरान निम्न उल्लेखनीय घटनाक्रमों से संस्थान की प्रतिष्ठा एवं स्वीकार्यता बढ़ी है:

- “स्टील फॉर लाइफ” विषयवस्तु के साथ - “राष्ट्रीय इस्पात प्रोत्साहन अभियान” चलाने के लिए इंसडैग को नोडल एजेंसी चुना गया।
- इंसडैग ने प्रमुख इस्पात निर्माताओं अर्थात आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एस्सार और इस्पात के साथ मिलकर एक नई परामर्शदात्री कंपनी - स्टीलस्कैप कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड बनाई है। इंसडैग को इस कंपनी से आय सृजन के अलावा, देश में स्टील स्ट्रक्चर्स का व्यापक रूप से प्रदर्शन करने एवं भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- 17 प्रतिष्ठित वास्तुशिल्पियों की सहभागिता के साथ आयोजित राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता में कोलकाता स्थित इंसडैग कार्यालय बिल्डिंग हेतु एक लैंडमार्क स्टील इटेंसिव डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। प्रथम पुरस्कार विजेता को इस आर्किटेक्चरल डिजाइन हेतु आदेश प्रस्तुत किया जायेगा।
- इंसडैग ने “निर्माण में इस्मात” विषय पर 8 कार्यशालाएं आयोजित की, जिनमें स्ट्रक्चरल इंजिनियरों, आर्किटेक्टों, स्टील टेक्नोलॉजीविदों, बिल्डरों और संकाय सदस्यों की अच्छी सहभागिता रही।
- इंसडैग ने अपने योगदान से अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और सेमिनारों में अपनी उपस्थिति का अहसास कराया।



अध्याय - XXI

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

प्रस्तावना

भारत सरकार ने प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने तथा देश में सुशासन स्थापित करने के ध्येय से, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में यह एक कीर्तिमान है। इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा(1), धारा 5 की उप-धारा (1) व (2), धाराएं 12, 13, 15, 16, 24, 27, और 28 को 15 जून 2005 से लागू किया गया और इस अधिनियम के शेष प्रावधान 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुए। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना तथा देश में सुशासन प्रदान करना है और साथ ही साथ सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना को प्राप्त करने में हर नागरिक को समर्थ बनाने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की सुरक्षा करना है। फलस्वरूप, इस तरह की सूचना प्रदान करना सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व बन गया है।

इस्पात मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना के अधिकार अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन करने के लिए, एक अवर सचिव एवं एक सहायक के साथ सचिव स्तरीय सेक्रेटरीयल सहायता प्रदान करने की दृष्टि से एक अलग सूचना अधिकार कक्ष बनाया गया है। एक उप सचिव और एक संयुक्त सचिव को क्रमशः सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। इसके अलावा, दो सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को भी नामित किया गया है। मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अन्य कार्यालयों में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रगति/समुचित कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। 17 मर्दों के मैन्युअल और अपील प्राधिकरण/सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर डाला गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपनी-अपनी वेबसाइट्स पर 17 मर्दों के मैन्युअल का विवरण दिया है और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विवरण से युक्त वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान अकेले इस्पात मंत्रालय को सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए 59 (अर्नातिम) आवेदन प्राप्त हुए हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में कुल मिलाकर वर्ष 2007-08 की प्रथम नौमाही के दौरान 655 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 51 आवेदन इसके निगमित कार्यालय के लिए थे। इन 51 आवेदनों में से 13 मामले सेल कारखानों/ यूनिटों से संबंधित थे, जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित कारखानों/ यूनिटों में भेज दिया गया। शेष 38 मामलों का निपटान कर लिया गया है। “सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व” विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन 5 मई, 2007 को निगमित कार्यालय में सार्वजनिक सूचना अधिकारियों एवं निगमित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए किया गया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल को वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2007) के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत कुल 44 निवेदन प्राप्त हुए, जो विस्थापित लोगों की भर्ती, भूमि अधिग्रहण, निविदाएं, उत्पाद कीमतें, भर्ती व प्रशिक्षण और कंपनी के प्रकाशनों तथा विकलांग उम्मीदवारों जैसे मामलों से संबंधित थे। इनमें से 43 निवेदनों का निपटान अपेक्षित सूचना देकर कर लिया गया है। और 1 निवेदन अस्वीकृत किया गया है। एक मामले में आवेदनकर्ता ने केन्द्रीय सूचना आयोग से अपील की थी। 1 अप्रैल, 2007 से सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत निवेदनों और अपीलों (आरटीआई एमआईएस) की ऑन-लाइन प्रोसेसिंग/निगरानी शुरू की गई। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के तहत सामुदायिक कल्याण केन्द्रों के सहयोग से आस-पास के गांवों में सितम्बर 2007 माह के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सहायता-सह-जागरूकता अभियानों का सूत्रपात किया गया। निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में, संगठन में सूचना के अधिकार अधिनियम मामलों से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के लिए दिसम्बर 2007 माह में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिससे कि वे इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट हो सकें।

एनएमडीसी लिमिटेड

मुख्यालय में कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक और ऑपरेंटिंग मांडिस में उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को बतौर जन सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। निदेशक (वाणिज्यिक) को अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है। इस अधिनियम से संबंधित सभी विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nmdc.co.in में दी गई हैं।

मॉयल ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल ने निगमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों एवं अपनी समस्त खनन यूनिटों भी जन/ सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है। निदेशक (उत्पादन एवं योजना) को इस अधिनियम के तहत बतौर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में। पदनामित किया गया है। सभी जन/ सहायक जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in में भी दिये गये हैं। धारा (4) की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (बी) में वर्णित 17 मैनुअल्स की तैयारी को भी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर पोर्टल में डालने का दायित्व पूरा किया गया है। अपनी वेबसाइट में अद्यतन की गई जानकारी के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए व्यवस्था की गई तथा वर्ष में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया ताकि कर्मचारी इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकें।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रश्नों के जवाब निर्धारित समय सीमा के अंदर दिये जाते हैं।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने प्रमुख जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी का नामांकन कर मैनुअल के 17 मर्दों को अंतिम रूप देकर कंपनी की वेबसाइट www.fsnl.nic.in पर डाल दिया है। तिमाही रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय और केन्द्रीय सूचना आयोग के पास नियमित रूप से भेजी जाती है। सूचना के सभी अनुरोधों का निपटारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के निर्धारित दिशा निर्देशों के मुताबिक किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल में सूचना के अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित किया गया है। कंपनी ने एक प्रमुख जन सूचना अधिकारी एवं सात सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामांकित किया है। कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस अधिनियम के तहत कंपनी के लिए पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं। अप्रैल-दिसम्बर 2007 के दौरान कंपनी ने इस अधिनियम के तहत 44 आवेदन प्राप्त किये और सभी 44 आवेदनों का प्रमुख जन सूचना अधिकारी द्वारा निपटारा कर लिया गया। कुल 27 प्रथम अपील मामले प्राप्त हुए और सभी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटा लिए गये।

मेकॉन लिमिटेड

भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए, मेकॉन ने भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को कार्यान्वित कर दिया है। इस अधिनियम से संबंधित सभी संगत मैनुअल्स को मेकॉन की वेबसाइट www.mecon.co.in पर डाल दिया है। मेकॉन ने मुख्यालय में एक जन सूचना अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय और साइट कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित किया है। जनता द्वारा मेकॉन से पूछे गये प्रश्नों को देखने का जिम्मा इन नामित अधिकारियों का है जो निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक के प्रश्न का जवाब देते हैं।

भारत रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को बीआरएल में कार्यान्वित किया गया है और महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) को मुख्यालय में जन सूचना अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जो बीआरएल की सभी यूनिटों में इस आशय की अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे सहायक जन सूचना अधिकारियों के साथ मिलकर अपने क्रियाकलापों का निर्वाह कर रहे हैं।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार, जब कभी सूचना मांगी जाती है, एसआईआईएल द्वारा प्रस्तुत की जाती है।


कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल)

केआईओसीएल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। मांगी गई सूचना अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि के अंदर दी जाती है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए कंपनी ने जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस अधिनियम के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट में भी दी गई है।

बर्ड ग्रुप की कंपनियां (बीजीसी)

बीजीसी में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए एक जन सूचना अधिकारी एवं एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है।





अध्याय - XXII

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास

इस्पात मंत्रालय को बजट आवंटन का 10% भाग इस आशय के लिए अनुदान मांग में रखने के लिए मुक्त किया गया है। परंतु मंत्रालय के अधीन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस क्षेत्र के कुछ राज्यों में परियोजनाएं लेने में पहल की है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

डागांव, असम में हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग लाइन परियोजना

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास पर बल दिये जाने के अनुरूप एवं बाजार सर्वेक्षण के आधार पर बोर्ड ने जनवरी 1997 में हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग लाइन (एचडीजीएल) की स्थापना की मंजूरी दी थी। यह परियोजना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जीपी/जीसी शीट्स की मांग पूरी करने के लिए लगाई गई। इस कारखाने की आक्कलित क्षमता प्रति वर्ष 40,000 टन की थी और इसकी अनुमानित लागत 42.85 करोड़ रुपये थी।

बाद में यह पाया गया कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। इसलिए मार्च, 2000 में सेल बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना को स्थगित स्थिति में रखा जाये और इस परियोजना को लेने और लगाने के इच्छुक उचित पार्टी की पहचान करने समेत वैकल्पिक रणनीतियों की जांच की जाये। यह कार्य अप्रैल, 2000 में लंबित था।

दिसम्बर 2005 में एन.ई. स्टील एण्ड गैल्वेनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड (एनईएसजीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन किया गया और बाद में सेल से मेकॉन का टर्न की (लगाने-चलाने) ठेका एनईएसजीपीएल को हस्तांतरित करने के लिए जून 2006 में मेकॉन, सेल और एनईएसजीपीएल के बीच हस्तांतरण डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

एचडीजीएल परियोजना की जमीन पर सेल के स्वामित्व के हस्तांतरण के बाद, वित्तीय दस्तावेजों, ठेका दस्तावेजों और एचडी जीएल परियोजना पर सेल द्वारा उठाये गये खर्च के वाउचरों (टाइटल्स और डीड्स समेत) को एनईएसजीपीएल को हस्तांतरित किया जायेगा और संयुक्त कंपनी द्वारा कार्य शुरू किया जायेगा।

गुवाहाटी में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

उपभोक्ताओं द्वारा टेलर मेड इस्पात उत्पादों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से, खास तौर पर उस राज्य में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत है जहां इस्पात कारखाना नहीं है और जहां इस्पात की खपत राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार 2019-20 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति इस्पात खपत को 2 कि.ग्रा. से बढ़ाकर 4 कि.ग्रा. किया जाना है। इस्पात सचिव की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग के कार्यदल ने बल दिया है कि आर्थिक प्रगति और घरेलू क्षेत्र में बढ़ते हुए आय स्तरों के फलस्वरूप इस्पात उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबलता ग्रामीण क्षेत्र में है। परन्तु शहरी क्षेत्रों के विपरीत, ग्रामीण क्षेत्र में इस संभावना को इस्पात की वास्तविक खपत में बदलने के लिए संभावित प्रयास करने की जरूरत होगी।

इसके मद्देनजर सेल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र समेत विभिन्न स्थानों पर स्टील प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना करने का विचार कर रहा है। खास तौर पर निर्माण/आवास क्षेत्र के लिए इस्पात की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए गुवाहाटी को उपयुक्त स्थान चुना गया है, बशर्ते कि राज्य/केन्द्र सरकार कुछ छूट/रियायत दे।

गुवाहाटी में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं हैं-टीएमटी बार मिल, गैल्वेनाइजिंग, कट-टु-लेंथ और कोरूगेशन लाइन, टीएमटी कॉयल्स की डी-कॉयलिंग, स्ट्रेटनिंग और कटिंग। आईआईटी, गुवाहाटी के नजदीक तिलिगाव में इस परियोजना के लिए जगह चुन ली गई है और राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2007 में भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा भूस्वामियों से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए गजट अधिसूचना और विज्ञापन जारी करने का काम किया जा रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपना स्टॉकयार्ड न होने कारण, यह क्षेत्र की इस्पात जरूरत को अपने कोलकाता स्थित स्टॉकयार्ड और कोलकाता के व्यापारियों के जरिये करता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बन रही पन-बिजली एवं अन्य परियोजनाओं को कंपनी द्वारा सीधे ही आपूर्ति भी की जा रही है। मेघालय राज्य में पीडेंग शकप स्थित मित्तुबु लेस्का पन-बिजली परियोजना के लिए कुल 6000 टन इस्पात की आपूर्ति में से, वर्ष 2007-08 के दौरान 5000 टन से अधिक पहले ही आपूर्ति हो गई है। आरआईएनएल ने सिक्किम राज्य में एक प्रमुख पन-बिजली परियोजना के लिए भी लगभग 200 से 300 टन इस्पात उत्पादों की

आपूर्ति की हैं। आरआईएनएल उत्तर-पूर्वी राज्यों की जरूरत की पूरा करने के लिए गुवाहाटी में एक कनसाइनमेंट सेल्स एजेंसी नियुक्त करने की भी योजना बना रहा है।

मेकॉन लिमिटेड

एक इंजीनियरी एवं परामर्शदात्री संगठन के रूप में मेकॉन ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए अनेक परामर्शदात्री, इंजीनियरी एवं परियोजना प्रबन्धन कार्यों को अंजाम दिया है। वर्तमान रूप में मेकॉन इस क्षेत्र में नये प्रस्तावों की तलाश में है।

बर्ड समूह की कंपनियां (बीजीसी)

बीजीसी के स्कॉट एण्ड एक्सबी लिमिटेड (एसएसएल) ने भूजल के उपयोग से मदद करते हुए असम के चाय बागानों के विकास में भूमिका अदा की है। कंपनी ने असम में चाय बागानों के लिए लगभग 600 गहरे ट्यूबवेल लगाए। कंपनी ने बाद में अपनी गतिविधियां त्रिपुरा राज्य तक फैलाई दिसम्बर, 2007 तक राज्य में लगभग 179 गहरे ट्यूबवेल लगा लिये गये हैं। त्रिपुरा राज्य में गहरे ट्यूबवेलों को जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग की ग्रामीण विकास परियोजना के तहत लगाया जा रहा है।


हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

मंत्रालय के अधीन एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) त्रिपुरा राज्य में निम्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कें:
 - (i) चतुर्थ चरण : 30.52 करोड़ रुपये की लागत से 37 किलोमीटर नया संपर्क मार्ग
 - (ii) पंचम चरण : 166.80 करोड़ रुपये की लागत पर 234 किलोमीटर नया संपर्क मार्ग
 - (iii) छठा चरण : 234.35 करोड़ रुपये की लागत से 213 किलोमीटर नया संपर्क मार्ग एवं 107 किलोमीटर एक अन्य सड़क मार्ग का नवीकरण और
 - (iv) एक अन्य 185 किलोमीटर सड़क मार्ग के निर्माण के लिए कंपनी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को सौंप दी गई है।
- 39.39 करोड़ रुपये की लागत से तीन जिला अस्पताओं का निर्माण।

एचएससीएल की उपरोक्त परियोजनाएं विभिन्न किस्म के ठेकापरक कार्य हैं जो संबंधित एजेंसियों द्वारा कंपनी को सौंपे गये हैं।





अनुलग्नक - I

भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिटों, इंडक्शन फर्नेस यूनिटों, रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट/कोल्ड रोलिंग यूनिटों), कोटिंग यूनिटों, वायर ड्राविंग यूनिटों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्क्रैप प्रोसेसिंग जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं सहित लौह और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना, विकास एवं सहायता।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज़ अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कायानाइट और लौह एवं इस्पात में प्रयुक्त अन्य खनिज, परंतु इसमें खनन लीज़ या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।
3. लौह और इस्पात एवं फेरो अलॉयज का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।
4. निम्न उद्यमों, उनकी सहायक कंपनियों समेत, से संबंधित मामले :-
 - (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल);
 - (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
 - (iii) एनएमडीसी लिमिटेड
 - (iv) मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल);
 - (v) एमएसटीसी लिमिटेड;
 - (vi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल);
 - (vii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);
 - (viii) मेकॉन लिमिटेड;
 - (ix) भारत रिफ़ैक्टरीज़ लिमिटेड (बीआरएल);
 - (x) स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल);
 - (xi) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) और
 - (xii) बर्ड ग्रुप की कंपनियां (बीजीसी)।

अनुलग्नक - II

वर्ष 2007-08 के दौरान इस्पात मंत्रालय में प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण (कृपया अध्याय-III देखें)

रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री	श्री राम विलास पासवान
इस्पात राज्य मंत्री	डा. अखिलेश दास
सचिव	श्री आर. एस. पाण्डेय
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री ए.के. रथ (16.11.2007 तक)
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री बी.एस. मीना
संयुक्त सचिवगण	श्री इलियास जॉर्ज श्री के.ए.एस. देव (10.09.2007 तक) श्री अजय कुमार डा. यू.पी. सिंह
आर्थिक सलाहकार	श्रीमती चंद्रलेखा मालवीय
प्रमुख लेखा नियंत्रक	श्रीमती विभा पाण्डेय
औद्योगिक सलाहकार	श्री ए.सी.आर. दास
निदेशकगण	श्री अनिल संत (9.7.2007 तक) श्री जे.पी. शुक्ल श्री निहार रंजन दास श्री नवीन सोई श्री मुखमीत सिंह भाटिया श्री आशुतोष बरनवाल (3.9.2007 तक) श्री संजय मंगल
निदेशक स्तरीय अधिकारीगण	डॉ. नवीन कुमार सहगल, माननीय इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव (21.5.2007 तक) डॉ. सुधीर गर्ग, माननीय इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव श्री जेन आलम, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री के निजी सचिव श्री डी. कासिवा, अपर औद्योगिक सलाहकार
उप सचिव	श्री एल. सिद्धार्थ सिंह श्रीमती विजयलक्ष्मी नंदेंडला (1.12.2007 तक) श्री ओ.पी. कॉटिया (31.12.2007 तक) श्री एम.के. रॉय श्रीमती बी. नलिनी श्रीमती इंद्राणी कौशल
उप सचिव स्तरीय अधिकारीगण	श्री आर.पी. राठी, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी श्री बी.डी. घोष, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार श्री ओ.पी. सेठी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री बी.एस. कौशिक, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के वरिष्ठ पीपीएस



अनुलग्नक - III
प्रमुख एवं द्वितीयक उत्पादकों
का उत्पादन

('000 टन)

क्रम सं.	मद-उत्पादक	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिस.07 (अनंतिम)
I.	कच्चा इस्पात					
	प्रमुख उत्पादक	19756	19738	21402	21868	16178
	एएसपी + वीआईएसएल	256	277	292	309	230
	द्वितीयक उत्पादक					
	ईएएफ यूनिटें(कॉरेक्स एवं एमबीएफ/ईओएफ समेत)	8238	10229	11273	13250	10750
	इंडक्शन फर्नेसें	10477	13193	13493	15390	12450
	कुल (कच्चा इस्पात)	38727	43437	46460	50817	39608
	द्वितीयक उत्पादकों का % अंश	48.3%	53.9%	53.3%	56.4%	58.6%
II.	कच्चा लोहा :					
	प्रमुख उत्पादक	966	625	1007	860	751
	द्वितीयक उत्पादक	2798	2603	3688	4133	3150
	कुल (कच्चा लोहा)	3764	3228	4695	4993	3901
	द्वितीयक उत्पादकों का % अंश	74.3%	80.6%	78.6%	82.8%	80.7%
III	स्पंज लोहा :					
	गैस आधारित	3976	4640	4545	5265	4020
	कोयला आधारित	5901	7897	10280	13080	9880
	कुल (स्पंज लोहा)	9877	12537	14825	18345	13900
IV.	तैयार इस्पात (मिश्र/गैर-मिश्र)					
	प्रमुख उत्पादक	15383	15824	16413	17614	13310
	द्वितीयक उत्पादक	27966	31041	34809	40047	30592
	घटा आईपीटी/स्वयं की खपत	2640	3352	4656	5132	3785
	कुल (तैयार इस्पात)	40709	43513	46566	52529	40117
	द्वितीयक उत्पादकों का % अंश	60.8%	71.3%	74.8%	76.2%	76.3%

ईएएफ : इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
एलडी : लिंज़-डोनाविज़
एमबीएफ : मिनि ब्लास्ट फर्नेस
ईओएफ : एनर्जी ऑप्टिमाइज़िंग फर्नेस
आईपीटी : इंटर-प्लांट ट्रांसफर


अनुलग्नक - IV
कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन

('000 टन)

उत्पादक	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		अप्रैल-दिसंबर 07 (अंतिम)						
	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	% उपयोग			
सार्वजनिक क्षेत्र															
बी एस पी	3925	4743	121%	3925	4582	117%	3925	5054	129%	3925	4799	122%	2944	3732	127%
डी एस पी	1802	1759	98%	1802	1806	100%	1802	1801	100%	1802	1869	104%	1351	1433	106%
आर एस पी	1900	1572	83%	1900	1603	84%	1900	1661	87%	1900	1990	105%	1425	1536	108%
बी एस एल	4360	3754	86%	4360	3835	88%	4360	4228	97%	4360	4067	93%	3270	3097	95%
आई एस पी	380	301	79%	520	357	69%	520	434	83%	500	472	94%	375	352	94%
ए एस पी	234	141	60%	234	150	64%	234	140	60%	234	150	64%	175	114	65%
वी आई एस एल	95	115	121%	118	127	108%	118	152	129%	118	159	135%	89	116	130%
कुल (सेल) :	12696	12385	98%	12859	12460	97%	12859	13470	105%	12839	13506	105%	9629	10380	108%
आर आई एन एल	2910	3403	117%	2910	3452	119%	2910	3494	120%	2910	3497	120%	2182	2319	106%
कुल : (सार्वजनिक क्षेत्र)	15606	15788	101%	15769	15912	101%	15769	16964	108%	15749	17003	108%	11811	12699	108%
निजी क्षेत्र															
टाटा स्टील लिमिटेड	3500	4224	121%	4000	4103	103%	5000	4730	95%	5000	5174	103%	3750	3709	99%
मुंब	5770	5108	89%	6560	6237	95%	7160	6968	97%	9750	8410	86%	8550	7085	83%
अन्य ईएफ यूनिटें/कारिक्स बीओएफ/एमबीएफ-ईओएफ	4484	3130	70%	4566	3992	87%	4542	4305	95%	6844	4840	71%	4940	3665	74%
इंडक्शन यूनिटें	14550	10477	72%	17100	13193	77%	18700	13493	72%	19500	15390	79%	15600	12450	80% फर्नेस
कुल : (निजी क्षेत्र)	28304	22939	81%	32226	27525	85%	35402	29496	83%	41094	33814	82%	32840	26909	82%
सकल योग :	43910	38727	88%	47995	43437	91%	51171	46460	91%	56843	50817	89%	44651	39608	89%

प्रमुख : एस्सर, इस्पात और जिंदल स्टील वर्क्स लिमिटेड





अनुलग्नक - V

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन 2003-04 से 2007-08

(‘000 टन)


श्रेणी ऑक्सीजन	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिस, '07 (अंतिम)
बी एस पी	4743	4582	5054	4799	3732
डी एस पी	1759	1806	1801	1869	1433
आर एस पी	1572	1603	1661	1990	1536
बी एस एल	3754	3835	4228	4067	3097
आई एस पी	301	357	434	472	352
वी आई एम एल	115	127	152	159	116
आर आई एन एल	3403	3452	3494	3497	2319
टी एस एल	4224	4103	4730	5174	3709
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	1608	1875	2268	2643	2300
अन्य ऑक्सीजन प्रणाली	445	510	576	724	600
कुल ऑक्सीजन प्रणाली :	21924	22250	24398	25394	19194
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
ए एस पी	141	150	140	150	114
एस्सार स्टील लि.	1837	2360	2510	3006	2685
इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	1663	2002	2190	2761	2100
जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि.	273	379	564	803	915
लॉयड्स स्टील लि.	338	454	515	537	360
जिंदल स्टेनलेस लि.	484	535	542	585	415
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	1590	2114	2108	2191	1375
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	6326	7994	8569	10033	7964
इंडक्शन फर्नेस	10477	13193	13493	15390	12450
कुल योग :	38727	43437	46460	50817	39608

अनुलग्नक - VI
तप्त धातु का उत्पादन

(‘000 टन)

कारखानें	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिस, '07 (अनंतिम)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई इस्पात संयंत्र	4932	4511	5178	4817	3878
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1982	2017	1953	2064	1620
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1727	1691	1778	2124	1648
बोकारो इस्पात संयंत्र	4108	4132	4707	4588	3502
इस्को इस्पात संयंत्र	641	684	782	775	500
विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट	173	168	205	238	163
राष्ट्रीय इस्पात निगम	4055	3920	4153	4046	2943
योग (क) :	17618	17123	18756	18652	14254
ख. निजी क्षेत्र					
टाटा स्टील लिमिटेड	4466	4347	5177	5552	4145
मिनी ब्लास्ट फर्नेस यूनिट्स	6081	6831	7879	10463	7751
योग (ख) :	10547	11178	13056	16015	11896
कुल योग (क+ख) :	28165	28301	31812	34667	26150





अनुलग्नक - VII कच्चे लोहे का उत्पादन

(‘000 टन)


कारखानें	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिस. '07 (अंतिम)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई इस्पात संयंत्र	121	10	127	40	93
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	51	52	26	38	34
राउरकेला इस्पात संयंत्र	13	9	15	44	25
बोकारो इस्पात संयंत्र	89	74	166	160	90
इस्को इस्पात संयंत्र	222	186	213	177	80
विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट	31	21	21	49	24
राष्ट्रीय इस्पात निगम	439	273	439	352	405
योग (क) :	966	625	1007	860	751
ख. निजी क्षेत्र					
टाटा स्टील लिमिटेड मिनी ब्लास्ट फर्सेस	2798	2603	3688	4133	3150
योग (ख) :	2798	2603	3688	4133	3150
कुल योग (क+ख) :	3764	3228	4695	4993	3901

अनुलग्नक - VIII
तैयार इस्पात का विक्रय हेतु उत्पादन
(गैर-मिश्र एवं मिश्र इस्पात)

('000 टन)

कारखानें	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिस. '07 (अंतिम)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई इस्पात संयंत्र	3013	3200	3238	3232	2677
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	704	702	676	707	513
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1570	1540	1606	1939	1509
बोकारो इस्पात संयंत्र	3259	3439	3504	3612	2621
इस्को इस्पात संयंत्र	246	272	259	316	241
राष्ट्रीय इस्पात निगम	2834	2904	2980	3042	2156
मिश्र इस्पात संयंत्र	37	26	27	29	22
सेलम इस्पात संयंत्र	85	134	171	183	172
विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट	100	102	131	131	92
घटा अंतः संयंत्र हस्तांतरण	20	10	7	15	15
योग (क) :	11828	12309	12585	13176	9988
ख. निजी क्षेत्र					
टाटा स्टील लिमिटेड	3535	3505	3821	4423	3307
प्रमुख	5832	6786	9534	11629	9650
अन्य द्वितीयक उत्पादक	22134	24255	25275	28418	20942
घटा स्वयं की खपत (प्रमुख एवं अन्य)	2620	3342	4649	5117	3770
योग (ख) :	28881	31204	33981	39353	30129
विक्रय हेतु उत्पादन का कुल योग (क+ख)	40709	43513	46566	52529	40117





अनुलग्नक- IX तैयार इस्पात (गैर-मिश्र) का विक्रय हेतु श्रेणीवार उत्पादन

('000 रु.)


श्रेणी	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			अप्रैल-दिस.'07 (अंनतिम)		
	एम.पी.	अन्य	कुल	एम.पी.	अन्य	कुल	एम.पी.	अन्य	कुल	एम.पी.	अन्य	कुल	एम.पी.	अन्य	कुल
1. गैर-सपाट उत्पाद															
बार्स एण्ड रॉड्स	4236	10120	14356	4496	10851	15347	4622	12014	16636	5161	13650	18811	3934	10500	14434
स्ट्रक्चरल्स/विशेष संव्थान	1176	2768	3944	1043	2965	4008	1087	3397	4484	1104	3780	4884	762	2850	3612
रेल्स व रेलवे मैटीरियल्स	834	95	929	912	95	1007	894	119	1013	918	120	1038	702	100	802
योग (गैर-सपाट उत्पाद)	6246	12983	19229	6451	13911	20362	6603	15530	22133	7183	17550	24733	5398	13450	18848
2. सपाट उत्पाद															
प्लेट्स	1933	249	2182	2248	327	2575	2321	653	2974	2450	892	3342	1985	826	2811
एचआर कॉयल्स/स्केल्स/स्ट्रिप्स	3949	5331	8757	3803	5971	9215	4088	7116	9515	4526	8464	11181	3490	6440	8070
एच आर शीट्स	302	554	856	299	811	1110	309	300	609	292	411	703	226	317	543
सी आर कॉयल्स/शीट्स/स्ट्रिप्स	1768	3707	3557	1843	4292	3485	1918	4881	3989	1936	5511	4322	1360	3985	3555
जीपी/जीसी शीट्स	774	2356	3130	804	2868	3672	807	2975	3782	813	3578	4391	541	2585	3126
इलेक्ट्रिकल शीट	71	68	139	57	64	121	70	78	148	76	72	143	60	57	117
टिन प्लेट्स	41	124	165	35	139	174	32	150	182	17	155	172	11	120	131
टी एम बी पी	32	-	12	18	6	14		7		9	11	9			0
टिन फ्री स्टील			0		2	2		0		0	2	2			0
कुल (सपाट उत्पाद)	8870	12389	18798	9107	14480	20368	9545	16160	21199	10119	19096	24265	7673	14330	18353
3. पाइप (बड़ा व्यास)	71	486	557	53	535	588	63	995	1058	88	1110	1198	60	820	880
कुल (तैयार कार्बन इस्पात)	15187	25858	38584	15611	28926	41318	16211	32685	44390	17390	37756	50196	13131	28600	38081

आईपीटी/ओसी: इंटर प्लॉट ट्रांसफर/ स्वयं की खपत; टीएमबीपी; टिन मिल ब्लैक प्लेट्स; एमपी : मेन प्रोडक्ट्स

अनुलग्नक - X
मुख्य भारतीय बंदरगाहों के जरिये लौह और इस्पात
का आयात

(‘000 टन)

क्रम श्रेणी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसं. '07 (अंतिम)
I अर्द्ध-तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)					
अर्द्ध तैयार (सेमीज)	86.5	227.3	372.1	268.7	88.3
रिरोरेबल स्क्रेप	50.6	100.9	169.5	154.7	152.4
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)					
बार्स एवं रॉड्स	71.0	128.6	375.0	290.1	383.9
स्ट्रक्चरल्स	17.4	66.4	99.1	86.2	66.7
रेलवे मैटीरियल्स	0.2	2.1	0.3	2.5	9.4
प्लेट्स	423.5	423.1	791.9	1124.5	1130.2
एच आर शीट्स	41.0	61.7	31.7	56.9	22.7
एच आर कॉयल्स/स्केल्स/स्ट्रिप्स	413.3	816.8	1526.6	1571.7	2239.4
सीआर कॉयल्स/शीट्स	242.9	287.3	487.2	605.8	559.7
जीपी/जीसी शीट्स	102.1	105.8	134.1	195.2	189.5
इलेक्ट्रिकल शीट्स	80.6	110.8	215.9	252.4	171.2
टीएमबीपी	0.2	0.2	1.9	1.8	3.1
टिन प्लेट्स	35.4	42.1	75.8	124.1	77.3
टिन प्लेट्स डब्ल्यू/डब्ल्यू	16.4	13.6	22.5	25.0	37.7
टिन फ्री इस्पात	28.7	21.7	28.2	32.2	34.3
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	1472.7	2080.2	3790.2	4368.4	4925.1
कुल इस्पात (गैर-मिश्र)	1609.8	2408.4	4331.8	4791.8	5165.8
II मिश्र/स्टेनलेस इस्पात	223.0	195.1	478.0	503.6	371.3
कुल इस्पात (I + II)	1832.8	2603.5	4809.8	5295.4	5537.1
III अन्य इस्पात मर्दे					
पाइप्स और फिटिंग्स	133.3	57.5	118.5	137.2	69.8
विविध इस्पात मर्दे	53.9	109.0	473.6	317.7	311.1
स्टील स्क्रेप	1497.3	2042.0	3335.8	2185.3	1718.5
IV लौह					
कच्चा लोहा	2.6	8.3	2.8	3.7	6.8
स्पंज लोहा	-	-	-	0.1	0.6
एच.बी. लोहा	-	-	-	-	-
V फेरो - अलॉयज	36.0	42.5	49.7	105.9	165.5
कुल योग :	3555.9	4862.8	8790.2	8045.3	7809.4



अनुलग्नक - XI श्रेणीवार निर्यात

(‘000 टन)

श्रेणी	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-दिसं. '07 (अनंतिम)
सेमीज (गैर-मिश्र)	684.0	261.0	388.3	665.3	284.0
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)					
बार्स एवं रॉड्स	499.0	162.0	387.0	329.0	147.0
स्ट्रक्चरल्स	64.0	70.0	89.4	75.0	54.0
प्लेट्स	355.0	158.0	149.8	106.5	101.0
एचआर कॉयल्स/शीट्स	1522.0	1328.0	1371.1	1580.3	1092.0
सीआर कॉयल्स/शीट्स	770.0	620.0	450.5	386.4	390.0
जीपी/जीसी शीट्स	1486.0	1843.0	1842.6	2173.3	1560.0
इलेक्ट्रिकल शीट्स	34.0	15.0	24.4	1.5	19.0
टिनप्लेट्स	29.0	36.0	43.0	37.0	27.0
पाइप्स	76.0	149.0	120.0	203.5	153.0
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	4835.0	4381.0	4477.8	4892.5	3543.0
कुल इस्पात (गैर-मिश्र)	5519.0	4642.0	4866.1	5557.8	3827.0
कुल इस्पात (मिश्र)	372.0	324.0	323.0	349.0	304.4
कच्चा लोहा	518.0	393.0	440.1	706.7	326.0
स्पंज लोहा			42.3	55.6	5.0

अनुलग्नक - XII

वर्ष 2007 की महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

वर्ष 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)

ब्लास्ट फर्नेसों में कोयला चूर्ण अन्तःक्षेपण प्रणाली

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) तप्त धातु की 13.60 मिलियन टन (एम टी) की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ 24 ब्लास्ट फर्नेसों (बी एफ) को प्रचालित करता है। धातुकर्मीय कोक (मेट कोक अथवा बी एफ कोक) से तप्त धातु, उत्पादन की लागत का मुख्य भाग बनता है। गैर-कोकिंग कोयले से (खर्चीले धातुकर्मीय कोक के प्रतिस्थापन के लिए सेल ने भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट में छह ब्लास्ट फर्नेसों में कोयला चूर्ण अन्तःक्षेपण प्रणाली (सी डी आई) लागू किया। कम्पनी उन्हें लागत प्रभावी बनाने के लिए अपने बी.एफ. को आधुनिक बनाने की इच्छुक थी परन्तु यह सी डी आई की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप 1467.80 करोड़ रुपए की लागत पर सृजित सी डी आई की क्षमता का कम उपयोग हुआ और बी एफ कोक के लक्षित प्रतिस्थापन में कमी के कारण 142.60 करोड़ रुपए की हानि हुई।

सेल की चरणबद्ध ढंग से सभी संयंत्रों में सी डी आई लागू करने की भी योजना है। 406.08 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र के पांच और ब्लास्ट फर्नेसों में सी डी आई के प्रतिस्थापन का अनुमोदन किया गया है। अन्य ब्लास्ट फर्नेसों में सी डी आई के प्रतिस्थापन में नया निवेश करने से पहले प्रबन्धन ने न तो चयनित बी एफ की स्थिति में संशोधन या सुधार किया और ना ही सी डी आई प्रणाली का इस्तेमाल उपयोग प्राप्त करने के लिए अनुरूप आधारभूत सुविधा सृजित की।

(अध्याय-IX)

वर्ष 2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 (नियमितता लेखा परीक्षा)

गुआ अयस्क खदानों में संचित लौह अयस्क बुरादे के निपटान न करने से 1507 करोड़ रुपये के राजस्व की उगाही नहीं हुई। (पैरा 18.4.1)

कीमतें बढ़ने के बावजूद कम्पनी ने खंडशः आधार पर मोली ऑक्साइड खरीदा था जिसके परिणामस्वरूप 2004-05 के दौरान 10.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 18.4.2)

“बैक अप रोलस” हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उच्चतर कीमत पर बाद की खरीद के कारण 8.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ और रोल के अनिर्धारित परिवर्तन के कारण 375.52 करोड़ रुपये की हानि हुई। (पैरा 18.4.3)

निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उठाये गए हाट रोलड कॉयल को एम ओ यू मात्रा पूर्ति हेतु अनियमित रूप से माना गया था। एक अन्य मामले में एम ओ यू मात्रा की बढ़ोतरी कम्पनी नीति के उल्लंघन में अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा 8.03 करोड़ रुपये के कारोबार झूट का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैरा 18.4.4)

संसाधन एवं विनिर्माण में त्रुटियों के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र फाउन्डरी में आंतरिक रूप से उत्पादित इनगाट मोल्ड के खराब निष्पादन के परिणामस्वरूप इनगाट मोल्ड की अधिक खपत हुई जिससे 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान 7.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 18.4.5)

राज्य विद्युत बोर्ड के टैरिफ के अनुसार कर्मचारियों से बिजली प्रभारों की वसूली करने के कम्पनी के निर्णय के कार्यान्वयन न करने के परिणामस्वरूप कम्पनी को 1.22 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(पैरा 18.4.6)



चार लाख मीट्रिक टन की खरीद हेतु क्र्रेता की उत्सुकता के बावजूद ग्रेनुलेटेड स्लैग की 3.50 लाख मीट्रिक टन की मात्रा की बिक्री के करार के परिणामस्वरूप कम्पनी को 1.06 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 18.4.7)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

वर्ष 2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 (नियमितता लेखा परीक्षा)

कम्पनी ने आदेश देने से पहले विक्रेता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया था और 9.13 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 18.3.1)




मेकॉन लिमिटेड

वर्ष 2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 (नियमितता लेखा परीक्षा)

आवश्यकता का उचित निर्धारण किये बिना अतिरिक्त कार्यालय आवास लेने के निर्णय के परिणामस्वरूप जनवरी 2006 तक 1.59 करोड़ रुपये के ब्याज के भुगतान, प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों के अतिरिक्त कम्पनी का 11.08 करोड़ रुपये का निष्फल खर्च हुआ।

(पैरा 18.1.1)



एमएसटीसी लिमिटेड

वर्ष 2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 11 (नियमितता लेखा परीक्षा)

एजेंसी के साथ उसके बिना बिज़नेस पृष्ठ भूमि की जांच किये ठेका करने का निर्णय लेने और उस एजेंसी के कार्यकलापों का अपर्याप्त पर्यवेक्षण करने के कारण कम्पनी के एरण्ड बीजों की खरीद के वित्तपोषण और एरण्ड तेल के निर्यात में 11.66 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(पैरा 18.2.1)





सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

www.steel.gov.in